आई आई एफ सी एल
IIFCL

वार्षिक रिपोर्ट

2022-2023

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन: U67190DL2006GOI144520
5वां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए एवं बी, एनबीसीसी टावर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023
टेलीफोन:+91–11–24662777, फैक्स:+91–11–20815125, 20815117
वेबसाइट: www.iifcl.in

आई आई एफ सी एल
I I F C L

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

India Infrastructure Finance Company Limited

हमारा नजरिया

नवीन वित्तपोषण समाधान प्रदान करें
विश्व स्तर को बढ़ावा देना और विकसित करना
भारत में बुनियादी ढांचे.

हमारा विशेष कार्य

वित्तपोषण में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना
बुनियादी ढांचे और मुख्य दक्षताओं का विकास करना
बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाने में

अत्यधिक संलग्न कर्मचारियों की एक टीम विकसित करें
पेशेवर तरीके से सेवाएँ प्रदान करना
और सभी हितधारकों की संतुष्टि के लिए।

प्रबंध निदेशक के डेस्क से

प्रिय हितधारकों,

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की 18वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए और वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के प्रदर्शन और आने वाले वर्षों के लिए रणनीति को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है।

पिछले तीन वर्षों में, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने लगातार, कोविड–19 महामारी, भू–राजनीतिक मुद्दों, तेजी से मौद्रिक नीति को सख्त करने आदि के कारण उत्पादन में संकुचन जैसे उच्च–आयाम वाले झटके देखे हैं। हालांकि, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने पहले भी ऐसे झटके देखे हैं, लेकिन वे आम तौर पर समय के साथ अधिकतर दूर हो गए, जिससे वर्तमान आर्थिक स्थिति अनन्य रूप से खतरा हो गई। ऐसे समय में भी, भारत ने समग्र रूप से तेज उछाल और महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से अर्थव्यवस्था की रिकवरी के साथ मजबूत लचीलापन दिखाया है, साथ ही सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते अन्य वैश्विक चुनौतियों का भी सामना किया है।

देश के निष्पादन के समान, आपकी कंपनी ने भी इन चुनौतियों का सामना किया है और लगातार तीन वर्षों तक सटस्थ परिणाम दिए हैं।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री. नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2022 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 25 वर्षों का एक दृष्टिकोण रखा। अनुमान है कि अगले 25 साल में इससे 7.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि होगी। विकास के इस पैमाने और निरंतर विकास को मजबूती देने के लिए, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की उपलब्धता महत्वपूर्ण है।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए समर्पित एक वित्तीय संस्थान के रूप में, (आईआईएफसीएल) हमेशा इस क्षेत्र के विकास में सबसे आगे रहा है। कंपनी अपने अनुभवी प्रबंधन, उच्च योग्य जनशक्ति, स्वस्थ ऋण पुस्तिका और आरामदायक पूंजी स्थिति द्वारा समर्थित, देश के विकास में योगदान देने के मामले में अपनी जिम्मेदारियों को समझती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, (आईआईएफसीएल) ने क्रमशः ₹29,171 करोड़ और ₹13,826 करोड़ की अपनी अब तक की उच्चतम स्टैंडअलोन वार्षिक स्वीकृतियां और संवितरण हासिल किया। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2023 तक आईआईएफसीएल की स्टैंडअलोन स्वीकृतियां और संवितरण क्रमशः 2,13,378 करोड़ रुपये और 1,05,647 करोड़ रुपये थे, जबकि स्वीकृतियों और संवितरण की समेकित संख्या 31 मार्च, 2023 तक, क्रमशः 2,53,208 करोड़ रुपये और 1,25,311 करोड़ रुपये थी।

आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान रिकॉर्ड व्यावसायिक निष्पादन ₹1,076 करोड़ का अपना अब तक का उच्चतम कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹514 करोड़ से 109% बढ़ गया है। 31 मार्च, 2023 को आपकी कंपनी की कुल संपत्ति ₹12,878 करोड़ थी, जो एक साल पहले की कुल संपत्ति से 10% अधिक है, जो महत्वपूर्ण मूल्य सृजन का संकेत देती है।

आपकी कंपनी ने गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के मोर्चे पर गिरावट दर्ज करना जारी रखा है और 31 मार्च, 2023 तक सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए में उल्लेखनीय कमी लाकर क्रमशः 4.78% और 1.45% कर दी है, जो 9.22% और

3.65%, क्रमशः, एक वर्ष पहले से कम है। आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2013 के दौरान अपना पहला एनपीए रिपोर्ट किया, जिसमें इसका शुद्ध एनपीए 0.87% था। तब से, 1.45% का वर्तमान शुद्ध एनपीए आपकी कंपनी के इतिहास में सबसे कम है और अगले वित्तीय वर्ष में इसके और भी कम होने की उम्मीद है। 31 मार्च, 2023 को प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) बढ़कर 70.48% हो गया, जो पिछले वर्ष के 62.75% के पीसीआर से अधिक है। कंपनी के आक्रामक तरीके से वसूली जारी रखने से वित्त वर्ष 2023 के दौरान लगभग ₹1350 करोड़ की अब तक की सबसे अधिक वसूली हुई है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹780 करोड़ की वसूली हुई थी।

वित्त वर्ष 2022 में नए उत्पादों का शुभारंभ करके अज्ञात क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए, आईआईएफसीएल ने बुनियादी ढांचा परियोजना बांड की सदस्यता लेना और इन्वाइटिस (InvIT) में ऋण देना/निवेश करना शुरू कर दिया था। 31 मार्च, 2023 तक, आईआईएफसीएल ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बॉन्ड्स में ₹6,200 करोड़ का निवेश किया है। आईआईएफसीएल अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में बुनियादी ढांचा परियोजना बांड और इनविट्स के लिए ऋण देने के अवसरों में वृद्धि पर नजर रख रहा है।

31 मार्च, 2023 तक, आईआईएफसीएल ने ₹12.21 लाख करोड़ के कुल परियोजना परिव्यय के साथ लगभग 680 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। 31 मार्च, 2023 को इसकी बकाया ऋण बही ₹42,271 करोड़ की ऐतिहासिक ऊंचाई पर थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 39,352 करोड़ रुपये थी।

आपकी कंपनी अपने पहले रणनीति के रोडमैप और कारोबार योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है जिसे वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। हम बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बहुआयामी भूमिका निभाने के लिए धीरे–धीरे कंपनी के गियर बदल रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी सक्रिय रूप से सभी कार्य बिंदुओं पर काम कर रही है और नए क्षेत्रों में उद्यम करने, बहुपक्षीय ऋण की लाइनें बढ़ाने और आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने क्रेडिट जोखिम, परिचालन जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम को कवर करते हुए एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है। उद्यम–व्यापी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने पर अपना ध्यान जारी रखते हुए, आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2024 में आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई सी ए ए पी) को लागू करने की पहल भी की है।

इसके अलावा, जैसे ही भारत ने ढांचाई सहयोग संगठन (एससीओ) की अध्यक्षता संभाली, आईआईएफसीएल 26 अक्टूबर, 2022 से 24 अक्टूबर, 2023 तक एक वर्ष की अवधि के लिए एससीओ इंटर–बैंक कंसोर्टियम (आईबीसी) का अध्यक्ष बन गया। दिसंबर 2023 में विशेषज्ञों और सलाहकारों की बैठक और फरवरी 2023 में मार्की इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर एक क्षमता निर्माण सेमिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने अप्रैल 2023 के महीने में एक सफल एससीओ आईबीसी काउंसिल मीटिंग आयोजित की है।

आपकी कंपनी राष्ट्रीय चिंता के विकास संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए, लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम तक पहुंचने के लिए सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीएसआर पहल को आगे बढ़ाना जारी रखती है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि समावेशी विकास की भावना को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने ओडिशा, मिजोरम, नागालैंड, बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर और सिक्किम के विभिन्न आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण परियोजनाओं को प्रायोजित किया है।

अब, मैं अपने हितधारकों को आपकी कंपनी के निष्पादन और भविष्य की संभावनाओं पर प्रभाव डालने वाले बाहरी कारोबारी माहौल और व्यापक आर्थिक परिदृश्य के बारे में जानकारी देना चाहूंगा।

आर्थिक विहंगावलोकन

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अनुसार, प्रधान मंत्री की गति शक्ति पहल के तहत भारत सरकार का मजबूत बुनियादी ढांचा विकास, लॉजिस्टिक्स विकास और औद्योगिक गलियारा विकास औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और भविष्य के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 6.5 पर बरकरार रखा है। वैश्विक मंदी के बावजूद, भारत की आर्थिक विकास दर कई समवर्ती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मजबूत है और अपेक्षाकृत मजबूत घरेलू खपत और वैश्विक मांग पर कम निर्भरता को दर्शाती है।

मौद्रिक सख्ती के साथ, अमेरिकी डॉलर रुपये सहित कई मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है। हालांकि, रुपया दुनिया भर में बेहतर निष्पादन करने वाली मुद्राओं में से एक रहा है। आरबीआई के अनुसार, भारत के पास चालू खाता घाटे को पूरा करने के लिए 579 बिलियन अमेरिकी डॉलर (23 मार्च तक) का पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है।

बाहरी मोर्चे पर, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान हमारे व्यापारिक निर्यात का निष्पादन 6% बढ़कर 447.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि, आयात भी वित्त वर्ष 2022 में 613.05 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 714.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर मजबूत रहा।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र

भारत में बैंकिंग क्षेत्र ने ऋण की मांग पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है क्योंकि 2022 की जनवरी–मार्च तिमाही के बाद से ऋण में साल–दर–साल वृद्धि 16.8% के दोहरे अंकों में पहुंच गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के वित्त में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा नियमित अंतराल पर मुनाफा दर्ज किया जा रहा है और उनके एनपीए समाधान तेजी से किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, पीएसबी ने लगभग ₹1.05 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कुल शुद्ध लाभ कमाया। मार्च 2023 में सकल एनपीए 4.97% और शुद्ध एनपीए 1.24% के साथ पीएसबी की संपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

साथ ही, सरकार पीएसबी को अच्छी तरह से पूंजीकृत रखने के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान कर रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनका पूंजी जोखिम–भारित समायोजित अनुपात (सीआरएआर) सीमा सार से ऊपर बना रहे। 90.68% के स्वस्थ प्रावधान कवरेज और बेहतर लचीलेपन द्वारा समर्थित स्वच्छ बैलेंस शीट, पीएसबी बढ़ती अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

लगातार अग्रिम अनुपात में लगातार गिरावट के साथ, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार व्यापक रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, एससीबी के जीएनपीए अनुपात में गिरावट जारी रही और मार्च 2023 में यह सात साल के निचले स्तर 3.9 प्रतिशत पर रहा। शुद्ध गैर–निष्पादित संपत्ति (एनएनपीए) अनुपात दस साल के निचले स्तर 1 प्रतिशत पर रहा।

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र ने कोविड–19 की दूसरी लहर के मद्देनजर जोरदार सुधार हुआ है, संपत्ति की गुणवत्ता में लगातार सुधार दिख रहा है। सेक्टर का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2022 में 5.4 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2023 में 3.5 प्रतिशत हो गया।

बकाया ऋण में 44 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी का जीएनपीए अनुपात उनके निजी समकक्षों की तुलना में 2.8 प्रतिशत कम था, जिनकी क्रेडिट हिस्सेदारी 56 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023 में जीएनपीए अनुपात 5.5 प्रतिशत था। कुल एनएनपीए अनुपात मार्च 2023 में प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) बढ़कर 70.4 प्रतिशत होने के साथ एनबीएफसी की संख्या घटकर 1.3 प्रतिशत हो गई। एनबीएफसी की पूंजी स्थिति मजबूत बनी रही, मार्च 2023 में सीआरएआर 27.5 प्रतिशत रहा, जो 15 प्रतिशत की न्यूनतम आवश्यकता से काफी ऊपर है।

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की स्थिति

बजट 2022–23 में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को और मजबूत करने की पहल की गई, जिसमें बुनियादी ढांचे के पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि, नए बुनियादी ढांचे के विकास कार्यक्रम, शहरी नियोजन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन शामिल है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान बुनियादी ढांचे के पूंजीगत व्यय के लिए ₹10 लाख करोड़ के परिव्यय का वादा किया है, जबकि वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹7.5 लाख करोड़ (बीई) था, जो साल–दर–साल 33% की वृद्धि है। राज्यों के लिए पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए निर्धारित अतिरिक्त सहायता अनुदान को ध्यान में रखते हुए सरकार का कुल प्रभावी पूंजीगत व्यय 2023–24 के लिए 13.7 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

इसके अलावा, बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास के लिए कई पहलों की घोषणा की गई है, जिसमें रेलवे के लिए ₹2.4 लाख करोड़ का पूंजी परिव्यय, बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए पहले और अंतिम छोर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, जल हवाई अड्डे और अग्रिम लैंडिंग ग्राउंड, सहित 100 अन्य महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए ₹75,000 करोड़ शामिल हैं। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि भारत सरकार के लिए समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को सक्षम करने के लिए बुनियादी ढांचा व्यय एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विकास को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने कई दूरदर्शी पहल भी की हैं। तीन हालिया पहल हैं, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (एनएमपी) और पीएम गतिशक्ति, एक त्रिमूर्ति। ये स्मार्ट सिटीज मिशन, भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना जैसी चल रही पहलों के अतिरिक्त हैं। इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है क्योंकि धन की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है और निजी क्षेत्र में अधिक निवेश सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग क्षेत्र में रुझान

आईसीआरए की एक रिपोर्ट के अनुसार, बुनियादी ढांचे के ऋण में एनबीएफसी की हिस्सेदारी दिसंबर 2022 तक 53% पर बढ़ रही है, जो पांच साल पहले लगभग 46% थी। वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 की पहली दो तिमाहियों में बैंकों और गैर–बैंकों सहित समग्र बुनियादी ढांचा ऋण वृद्धि धीमी हो गई। हालांकि, प्रवृत्ति वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में उलट गई और बुनियादी ढांचे के ऋण में वित्त वर्ष 2023 की 9वीं तिमाही में 6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इसके भीतर, एनबीएफसी–आईएफसी में 8% की वृद्धि हुई, जबकि बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि 3% पर मामूली रही।

एनबीएफसी–आईएफसी के लिए विकास की संभावनाएं मजबूत हैं क्योंकि आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के सरकार के संकल्प के बीच बुनियादी ढांचे के ऋण की मांग में तेजी आने की उम्मीद है। 6,835 परियोजनाओं के साथ शुरू की गई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) को अब 34 उप–क्षेत्रों में 9,144 परियोजनाओं तक विस्तारित किया गया है, जिसकी कुल परियोजना लागत 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसके लिए सरकार और वित्तीय क्षेत्र दोनों से फंडिंग में बड़ी वृद्धि की आवश्यकता होगी। आईसीआरए के अनुमान के अनुसार, एनआईपी के तहत 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के परिव्यय का 16–17% एनबीएफसी के माध्यम से पूरा किया जाता है।

इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में एनबीएफसी–आईएफसी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिसका नेतृत्व कुछ तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान/वसूली, बड़े पैमाने पर बट्टे खाते में डालना और वृद्धिशील किसलय में कमी आई है। एनबीएफसी–आईएफसी ने गैर–निष्पादित ऋणों की हिस्सेदारी में गिरावट के साथ एक स्वस्थ लाभप्रदता प्रोफाइल का प्रदर्शन किया है।

2000–2010 की अवधि बुनियादी ढांचे के निर्माण का चरण था। 2018 के बाद, हम सड़क, हवाई अड्डे, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 45–60% पूर्ण संपत्तियों के साथ संपत्ति–वर्ग की एक नई उभरती प्रवृत्ति देख रहे हैं। यह 13 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बांड बाजार को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रस्तुत करता है। 9 लाख करोड़ रुपये की एनआईपी पाइपलाइन का लगभग 6% –8% भी बॉन्ड मार्केट्स द्वारा वित्त पोषित किए जाने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, बांड बाजार के माध्यम से बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्तपोषण की अनुमानित क्षमता ₹22 लाख करोड़ के विशाल मूल्य पर है। आगे चलकर, देश की बुनियादी ढांचे की कठिन जरूरतों को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार तक पहुंच बनाना और वैकल्पिक फंड जुटाने के रास्ते ढूंढना एक आवश्यकता होगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में क्षेत्रीय निष्पादन के रुझान

2022–23 के दौरान प्रमुख बुनियादी ढांचा उप–क्षेत्रों में कुछ उल्लेखनीय विकास और आगे की राह इस प्रकार बताई गई है:

सड़क और राजमार्ग

वर्ष 2022–23 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 57,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ राजमार्ग विकास को एक बड़ा बढ़ावा मिला। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एम ओ आर टी एच) ने वित्त वर्ष 2023 में 5,337 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया और 10,331 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का आवंटन किया, इसलिए कनेक्टिविटी पर अधिक ध्यान दिया गया। सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में भी आई आई एफ सी एल का प्रभाव उल्लेखनीय रहा है। हमने 30,130 किलोमीटर सड़क विकास के लिए अपनी वित्तीय सहायता प्रदान की है, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग क्षमता का 21 प्रतिशत। आईआईएफसीएलने रोड सेक्टर बॉन्ड में भी ₹1,804 करोड़ का निवेश किया है।

आंतरिक प्रक्रियाओं की दक्षता और पारदर्शिता को और बेहतर बनाने और डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने को आगे बढ़ाने के लिए, एनएचएआई ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई–बीजी) स्वीकार करना शुरू कर दिया है और अपने सभी मौजूदा बैंक गारंटी को भी डिजिटल कर दिया है। अपनी डिजिटल पहल को आगे बढ़ाते हुए, आई आई एफ सी एल ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में प्रगति से जुड़े संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में एक ऑनलाइन

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (प्रो पी एम एस) पेश किया। प्रणाली का उद्देश्य ड्रोन आधारित वीडियो, जियो–सैटेलाइट छवियों और वास्तविक निर्माण स्थल की ऑन–साइट तस्वीरों द्वारा समर्थित रिपोर्ट और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के माध्यम से, दूर से एकल स्क्रीन पर वित्त पोषित परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की निगरानी करना है। यह मौजूदा पारंपरिक निगरानी प्रक्रिया की सीमाओं को दूर करेगा और वर्तमान में उधारदाताओं द्वारा परियोजना निगरानी के तरीके में एक आदर्श बदलाव लाएगा।

विद्युत क्षेत्र

इस तथ्य के बावजूद कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दुनिया में सबसे कम है, भारत ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी बनकर उभरा है। देश ने सीओपी (COP) –21 में प्रतिज्ञा की थी कि 2030 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 40% से अधिक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से होगा। भारत की गैर–जीवाश्म ईंधन क्षमता पहले से ही 42 प्रतिशत है। देश वर्तमान में ग्लासगो में सीओपी 26 में प्रतिज्ञा का सम्मान करने की राह पर है कि 2030 तक बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का 50% गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा किया जाएगा।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आईआईएफसीएल ने 69 गीगावॉट ऊर्जा वृद्धि में योगदान दिया है, भारत की स्थापित क्षमता का 17 प्रतिशत। स्थापित क्षमता अब चरम मांग से दोगुनी के करीब है और भारत नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को बिजली निर्यात कर रहा है। वर्ष 2022–23 के दौरान दिसंबर 2022 तक देश में नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन सहित कुल बिजली उत्पादन 1,223.135 बीयू था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादन 1113.712 बीयू था, जो 9.8% की वृद्धि दर्शाता है।

2022–23 में अखिल भारतीय अधिकतम बिजली की मांग 215 गीगावॉट थी, जबकि पिछले साल की अधिकतम मांग 203 गीगावॉट थी। बिजली की बढ़ती मांग देश में आर्थिक विकास को दर्शाती है। सरकार और अन्य हितधारक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और सभी मोर्चों पर प्रयास किए जा रहे हैं और विभिन्न संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए उपाय किए जा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा निकासी की सुविधा और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए ग्रिड को नया आकार देने के लिए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

आईआईएफसीएल लगातार अपने संचालन और उधार गतिविधि के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने का प्रयास करता है, और नवीन वित्तपोषण समाधानों के माध्यम से वैश्विक हरित निधियों और हरित क्रेडिट लाइनों का लाभ उठाकर भारत में हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, कम कार्बन संक्रमण के अवसरों के विकास के लिए वित्त जुटाने का प्रयास करता है। वित्त वर्ष 2023 में, आईआईएफसीएल ने पावर सेक्टर बॉन्ड्स में ₹2,889 करोड़ का निवेश किया है। आईआईएफसीएल ने ग्रीन बॉन्ड से संबंधित निवेश पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक आंतरिक ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

हवाई अड्डे

भारत की विशाल आबादी की सेवा करते हुए, विमान उद्योग में हवाई यात्रा की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। बढ़ती अर्थव्यवस्था की बढ़ती मांगों से निपटने के लिए हवाईअड्डा अवसंरचना एक महत्वपूर्ण घटक है। जबकि वित्त वर्ष 2021 में, हवाई यातायात में 54% की गिरावट के साथ–साथ यात्री यातायात में 66% की गिरावट आई थी, वित्त वर्ष 2022 में सुधार देखा गया, जिसका मुख्य कारण घरेलू क्षेत्र था। दिसंबर 2022 में यात्रियों की कुल संख्या ₹1.5 लाख करोड़ थी जो प्री–कोविड स्तर का 106.4% थी। वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 के दौरान वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) को ₹104 लाख करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एम ओ सी ए) को वित्त वर्ष 2024 में कुल 31 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2023 में 148 हो गई है। सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी भी दे दी है। ये परियोजनाएं न केवल यातायात प्रबंधन में मदद करेंगी बल्कि देश के आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को भी बढ़ावा देंगी। 2023 तक कई टर्मिनल भवन और हवाई अड्डे का निर्माण कार्य चल रहा है। आईआईएफसीएलद्वारा वित्तपोषित गोवा–मनोहर हवाई अड्डा वर्ष के दौरान चालू हो गया है और इसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश दिसंबर 2023 तक नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी), रनवे और टर्मिनल भवन को पूरा करने के लिए कमर कस रहा है, जिसे जेवर हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने इस हवाई अड्डे के लिए ₹400 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023 में, आई आई एफ सी एल ने एयरपोर्ट सेक्टर बॉन्ड्स में ₹300 करोड़ का निवेश किया है।

आई आई एफ सी एल ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, विशाखापत्तनम हवाई अड्डे, आदि जैसी परियोजनाओं में भागीदारी के साथ हवाई अड्डा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है।

रेलवे

भारत सरकार विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की शर्तों पर फिर से काम कर रही है, ताकि इसे निजी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके और निवेशकों के एक वर्ग द्वारा सामने आने वाले व्यवहार्यता अंतर को पाट दिया जा सके। नए पीपीपी मॉडल में हाइब्रिड मॉडल भी शामिल होगा। भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए आवश्यक धन और सरकारी क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता के बीच अंतर को पाटने के लिए यह एक स्वागत योग्य कदम है। रेलवे क्षेत्र ने गति शक्ति टर्मिनलों और उत्पादन इकाइयों के उन्नयन के माध्यम से रोलिंग स्टॉक के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को आमंत्रित किया है। इसे जीसीटी नीति के तहत कार्गो टर्मिनलों के विकास के लिए 125 आवेदन प्राप्त हुए हैं, और 79 परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। संशोधित भूमि पट्टा नीति से रेलवे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के निजीकरण को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए पंजाब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से 31 रेलवे स्टेशनों की भी पहचान की है। 'अमृत भारत स्टेशन' योजना के तहत 1275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, वहीं वंदे भारत ट्रेनों के उत्पादन को भी नया रूप दिया जाएगा। भारत सरकार रेलवे क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए पहल कर रही है और आईआईएफसीएल इस क्षेत्र में अप्रयुक्त अवसरों की खोज करने के लिए उत्सुक है।

बंदरगाह

भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने वित्त वर्ष 2023 में रिकॉर्ड-ब्रेकिंग मील के पत्थर हासिल किए, जिससे व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। प्रमुख बंदरगाहों ने सामूहिक रूप से रिकॉर्ड तोड़ 795 मिलियन टन कार्गो का प्रबंधन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.4% की वृद्धि दर्ज करता है। इसके अलावा, उन्होंने प्रतिदिन 17,239 टन का उल्लेखनीय उत्पादन हासिल किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023 में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि 48.54% का अब तक का सबसे अच्छा परिचालन अनुपात था। डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाकर, भारत का लक्ष्य बंदरगाह संचालन को अनुकूलित करना और दक्षता को बढ़ावा देना है। एनएलपी-नरीन और सागर-सेतु ऐप जैसी हालिया डिजिटल पहल सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने, लॉजिस्टिक लागत और समय को कम करने और समग्र दक्षता में सुधार करने की दिशा में तैयार की गई हैं।

देश में सभी परिचालन/मुआई बंदरगाहों के लिए पर्याप्त अंतिम-मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए, एम ओ आर टी एच द्वारा एक व्यापक पोर्ट कनेक्टिविटी मास्टरप्लान विकसित किया गया था। मास्टरप्लान के हिस्से के रूप में, सभी परिचालन और कार्यान्वयन के तहत बंदरगाहों की कनेक्टिविटी आवश्यकताओं का आकलन किया गया था और कनेक्टिविटी परियोजनाओं की पहचान की गई। देश में बंदरगाहों तक अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 59 परियोजनाएं (1,249 किमी) शुरू की जाएंगी। 2 परियोजनाओं (22 किमी) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) विकसित की जा रही है और शेष 57 परियोजनाओं (1,227 किमी) के लिए डीपीआर के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

तटीय जिलों के समग्र विकास के लिए, सागरमाला कार्यक्रम के तहत 59,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 567 परियोजनाओं को तटीय बुनियादी ढांचे के विकास, तटीय औद्योगिक विकास, तटीय पर्यटन विकास और तटीय सामुदायिक विकास के चार स्तंभों के तहत पहचाना गया है। आईआईएफसीएल ने 836 मीट्रिक टन बंदरगाह क्षमता विकास में योगदान दिया है, जो भारत की प्रमुख बंदरगाह क्षमता का 33 प्रतिशत है।

इस पृष्ठभूमि में, अब मैं वर्ष 2022-23 के दौरान आईआईएफसीएल के परिचालन और वित्तीय निष्पादन को प्रस्तुत करना चाहूंगा।

परिचालन संबंधी मुख्य बातें

प्रत्यक्ष ऋण:

- सकल मंजूरी: 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रत्यक्ष ऋण के तहत ₹9,719 करोड़ की वृद्धिशील सकल मंजूरी दी, जिससे कुल परियोजना लागत के साथ 564 परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष ऋण (उप-ऋण सहित) के तहत संचयी सकल मंजूरी ₹1,11,741 करोड़ हो गई, जो 31 मार्च 2023 तक ₹10,24,128 करोड़ था ।

- **वित्तीय समापन:** 31 मार्च 2023 तक, प्रत्यक्ष ऋण के तहत 408 शुद्ध स्वीकृत परियोजनाओं में से 381 परियोजनाएं यानी 94 प्रतिशत ने वित्तीय समापन हासिल कर लिया है।
- **संवितरण:** 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रत्यक्ष ऋण (उप–ऋण सहित) के तहत ₹3,238 करोड़ का वृद्धिशील संवितरण किया, जिससे योजना के तहत 381 परियोजनाओं के लिए संचयी संवितरण ₹49,506 करोड़ हो गया, जिसकी कुल परियोजना लागत 31 मार्च 2023 तक ₹6,40,474 करोड़ है।

टेकआउट वित्त

- **सकल मंजूरी:** टेकआउट फाइनेंस के तहत संचयी मंजूरी 31 मार्च 2023 तक 118 परियोजनाओं के लिए ₹28,803 करोड़ थी।
- **संवितरण:** टेकआउट फाइनेंस योजना के तहत संचयी संवितरण 31 मार्च 2023 तक ₹17,204 करोड़ था। 2022–23 के दौरान, टेकआउट फाइनेंस में संवितरण ₹790 करोड़ था।

परियोजना बांड

- 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रोजेक्ट बॉन्ड में ₹5,225 करोड़ का निवेश किया, जिसमें से ₹2,689 पावर सेक्टर में और ₹1,904 करोड़ रोड सेक्टर में है।

इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स)

- **मंजूरी:** 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी ने इन्वाइटिस (InvITs) में ₹6800 करोड़ मंजूर किए
- **संवितरण:** आपकी कंपनी ने 2022–23 के दौरान इन्वाइटिस (InvITs) को ₹772 करोड़ का संवितरण किया।

पुनर्वित्त

- **सकल मंजूरी:** 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी ने पुनर्वित्त के तहत ₹7,000 करोड़ की वृद्धिशील सकल मंजूरी दी, जिससे 31 मार्च 2023 तक योजना के तहत संचयी सकल मंजूरी ₹57,397 करोड़ हो गई।
- **संवितरण:** वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने पुनर्वित्त के तहत ₹3,800 करोड़ का वृद्धिशील संवितरण किया, जिससे 31 मार्च 2023 तक योजना के तहत संचयी संवितरण ₹31,965 करोड़ हो गया।

वित्तीय विशिष्टताएं

- कर पश्चात लाभ वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹914 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹1,076 करोड़ हो गया।
- मार्च 2023 तक बकाया ऋण पुस्तिका ₹39,352 करोड़ से 7 प्रतिशत बढ़कर ₹42,271 करोड़ हो गई।
- पूंजी से जोखिम (भारित) संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2021 के 29.03 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2023 को 27.65 प्रतिशत हो गया, जिससे आरबीआई द्वारा अनिवार्य एनबीएफसी के लिए 15 प्रतिशत की न्यूनतम नियामक आवश्यकता पर पर्याप्त सुरक्षा बनी रही।
- प्रावधान कवरेज अनुपात मार्च 2022 के 62.75 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 तक 70.48 प्रतिशत हो गया।
- ऋण–इक्विटी अनुपात मार्च 2022 में 3.48 से घटकर मार्च 2023 में 3.34 हो गया।
- मार्च 2023 तक सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए 4.70 प्रतिशत और 1.45 प्रतिशत थे।
- वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹1,350 करोड़ की अब तक की सबसे अधिक वसूली, जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹781 करोड़ थी।
- आईआईएफसीएल की ऋण बही में ए और उससे ऊपर की रेटिंग वाली बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियां 72% थी (31 मार्च, 2022 को 64% से अधिक),

आगे बढ़ने का रास्ता

आपकी कंपनी रणनीतिक रूप से न केवल देश के एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान के रूप में स्थित है, जो बुनियादी ढांचे के सभी उप–क्षेत्रों में काम कर रही है, बल्कि निजी क्षेत्र और सरकार के बीच एक माध्यम के रूप में भी काम

कर रही है। आपकी कंपनी का लक्ष्य इसका लाभ उठाना और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास में अपना योगदान बढ़ाना है। यह अपनी ऋण बही को बढ़ाने और सार्वजनिक क्षेत्र को सलाह और नीति वकालत प्रदान करने के लिए डेवलपर्स, प्राधिकरणों, नियामकों, राज्य और केंद्र सरकारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहेगा।

इसके अलावा, आपकी कंपनी संबद्ध बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को अपनी कुल संपत्ति का 25% तक ऋण देने का इरादा रखती है। नए क्षेत्रों में विस्तार के अलावा, आपकी कंपनी नए उत्पादों की खोज करने का भी इरादा रखती है। आई आई एफ सी एल परिसंपत्ति पुनर्चक्रण के लिए एआईएफ को प्रायोजित करने की योजना बना रहा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल), आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गिफ्ट सिटी में एक कार्यालय खोलने की प्रक्रिया में है।

आपकी कंपनी सोर्सिंग के नए रास्ते भी तलाश रही है। इस वर्ष हम ए डी बी, जे आई सी ए, विश्व बैंक, ईआईबी, केएफडब्ल्यू इत्यादि से नई क्रेडिट लाइनें प्राप्त करने और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के साथ नई साझेदारी बनाने की योजना बना रहे हैं।

अपने निवेशक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, हमने आगामी वित्तीय वर्ष में प्रमुख मेट्रो शहरों में हितधारकों की बैठक की योजना बनाई है। हम भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विस्तार और संवर्द्धन पर उद्योग विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श करने के लिए बुनियादी ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने की भी योजना बना रहे हैं। आईआईएफसीएल अनुपालन और सुशासन प्रथाओं से समझौता किए बिना नए रास्ते और अवसर तलाशने के लिए तैयार है।

आईआईएफसीएल एक एकीकृत आईटी ढांचे की दिशा में काम कर रहा है जो परियोजना सोर्सिंग, क्रेडिट मूल्यांकन, उचित परिश्रम और जोखिम प्रबंधन से लेकर निगरानी और लेखांकन जैसी मंजूरी के बाद की गतिविधियों तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को जोड़ता है।

आगे बढ़ते हुए, आपकी कंपनी अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम श्रेणी की सेवाएं प्रदान करके बाजार में एक चुस्त और विशिष्ट खिलाड़ी बनने पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखती है।

आभारोक्ति

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं इस अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री को अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री; उपाध्यक्ष, नीति आयोग; सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग; वित्त मंत्रालय और सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय को पूरे वर्ष अपार समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद।

मैं वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और अन्य मंत्रालयों के वित्तीय सेवाएं विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग के अधिकारियों को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, बहुपक्षीय संस्थानों और वैधानिक लेखा परीक्षकों को उनके समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों को इस कंपनी को आगे बढ़ाने में उनके रणनीतिक इनपुट और अंतहीन समर्थन और योगदान के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

अंत में, मैं अपने सभी कर्मचारियों को उनके अथक प्रयासों के लिए भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत और उत्साह के बिना आपकी कंपनी ने जो सफलता देखी है और जो उपलब्धियां पिछले कुछ वर्षों में हासिल की हैं, यह संभव नहीं होता। मैं आने वाले वर्षों में आपके निरंतर समर्थन की आशा करता हूं और आशा करता हूं कि सभी हितधारकों की निरंतर प्रतिबद्धता के साथ, आपकी कंपनी नई ऊंचाइयों को छूती रहेगी।

धन्यवाद तथा जय हिंद!

ह./–
पी. आर. जयशंकर
प्रबंध निदेशक
डिन नं. 06711526

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 सितंबर, 2023

आईआईएफसीएल की भूमिका एवं प्रभाव

फिलहाल, आईआईएफसीएल ने

700 से

अधिक परियोजनाएं संस्वीकृत की हैं जिनके लिए कुल परियोजना परिव्यय

12.92 लाख

करोड़ ₹ (रु.) है।

पीपीपी परियोजनाएँ

500 पीपीपी परियोजनाएँ
(भारत की पीपीपी परियोजनाओं का 38%)

अग्रणी ऋणदाता

भारत के प्रथम रेलवे स्टेशन
(रानी कमलापति रेलवे स्टेशन) के
संस्वीकृत – रु 120 करोड़
संवितरित – रु. 70 करोड़

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे

दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, गोवा, नवी मुंबई, नोएडा (जेवर) एवं अन्य

ऊर्जा

~74 जी.डब्ल्यू. (भारत की संस्थापित क्षमता की 18 प्रतिशत)
संस्वीकृत – रु. 73,885 करोड़
संवितरित – रु. 34,207 करोड़

नवीकरणीय ऊर्जा

~17 जी.डब्ल्यू. (भारत की संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 11 प्रतिशत)
संस्वीकृत – रु. 25,902 करोड़
संवितरित – रु. 10,273 करोड़

सड़क

~30,812 कि.मी. (भारत की रा. रा. मार्ग क्षमता का 21 प्रतिशत)
एचएएम परियोजनाओं का विशालतम ऋणदाता
(81 एनएचएआई परियोजनाएं)
संस्वीकृत – रु. 77,798 करोड़
संवितरित – रु. 39,571 करोड़

पत्तन

836 एमटीपीए (भारत में कुल पत्तन की क्षमता का ~33 प्रतिशत
संस्वीकृत – रु. 8,244 करोड़
संवितरित – रु. 3,379 करोड़

मेट्रो

संस्वीकृत रु. 1,450 करोड़ पुणे आईटी सीटी मेट्रो परियोजना

रोजगार दाता

1.5 करोड़ रोजगार में अधिकांश परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं

निदेशक मंडल

श्री पी.आर. जयशंकर
प्रबंध निदेशक

श्री पवन कुमार कुमार
पूर्ण प्रबंध निदेशक

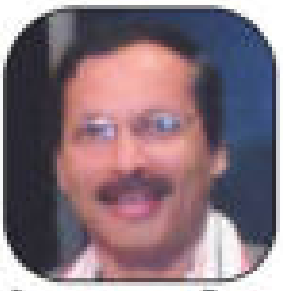

श्री भूषण कुमार सिन्हा
संयुक्त सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

श्री सोलोमन अरोकियाराज
संयुक्त सचिव, अवसंरचना नीति एवं योजना प्रभाग
आर्थिक मामलों का विभाग
वित्त मंत्रालय भारत सरकार

श्री सीएच. पार्थ सारथी रेड्डी
सलाहकार, (पीएएमडी)
नीति आयोग

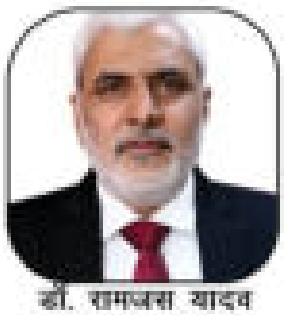

डॉ. रामजस यादव
कार्यपालक निदेशक
पंजाब एंड सिंध बैंक

श्री कल्याण कुमार
कार्यपालक निदेशक
पंजाब नेशनल बैंक

श्री कमीर जेसाभाई शेखत
स्वतंत्र निदेशक

मुख्य महाप्रबंधक

श्री राजीव मुखीजा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री राज कुमार रल्हन
मुख्य ऋण अधिकारी

श्री किशोर कुमारे
मुख्य जोखिम अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय

5वां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए एवं बी, एनबीसीसी टावर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023
टेलीफोन: 91.11.24662777, फैक्स: 91.11.20815116*7
वेबसाइट: www.iifcl.in
सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

बैंकर्स

आईडीबीआई बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
पंजाब एंड सिंध बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
आईडीएफसी बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज बैंक
एक्सीस बैंक
इंडसइंड बैंक
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
आईसीआईसीआई बैंक

ट्रस्ट

विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड

(पूर्व में आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी के नाम से ज्ञात)
आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर, प्लॉट सी–22, जी– ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई–400051,
फोन: 91–22–26593215
ई–मेल: vivek.choudhry@iifsindia.com | वेबसाईट: www.vistra.com

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड

एसियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 17आर, कम्यानी मार्ग बैलार्ड एस्टेट मुंबई–400001, फोन: 91–22–40807000
ई–मेल: deepakkumar@idbitrustee.com | वेबसाईट: www.idbitrustee.com

बीकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड

बी एंड डी, सिद्धि विनायक चैंबर्स, गांधी नगर
अपोजिट एमआईजी क्रिकेट क्लब, बांद्रा (पूर्व) मुंबई–400051
टेलीफोन : +91–22–2655759
ई–मेल: compliance@beacontrustee.co.in ; वेबसाईट: www.beacontrustee.co.in

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स अग्रवाल एंड राजोरा, सनदी लेखाकार
डी–111, पंचशील इंक्लेव, नई दिल्ली–110017
टेलीफोन : +91.9958274404; ई–मेल: mail@agasax.com

विषय सूची

वार्षिक आम सभा की सूचना	16
बोर्ड की रिपोर्ट	22
वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	99
गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट	119
एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण	121
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के एकल वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	215
समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	218
समेकित वित्तीय विवरण	234
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	320

विषय: 18वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

प्रिय महोदय/महोदया,

सूचित किया जाता है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की **18वीं वार्षिक आम बैठक सितंबर, 2023*** के **29 सितम्बर दिन शुक्रवार** को **तीसरी मंजिल, कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय में, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 सायं: 04:00 बजे** आयोजित होने वाली है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए बैठक की विस्तृत सूचना, बोर्ड की रिपोर्ट, सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सी एंड एजी टिप्पणियाँ और कंपनी के लेखापरीक्षित खाते इसके साथ संलग्न हैं।

कृपया बैठक में भाग लेना सुविधाजनक बनायें।

धन्यवाद।

सादर,

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

ह./–
अभिरूप सिंह
कंपनी सचिव

तारीख : 29 सितम्बर, 2023
स्थान : नई दिल्ली

*वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार ने पत्र संख्या 1/78/2023-आर-I दिनांक 11 सितम्बर, 2023 द्वारा आईआईएफसीएल के सेवानिवृत्तों की 18वीं एजीएम की आम सूचना पर 29 सितम्बर, 2023 को डीएफएस में जुड़ने की सहमति दी।

सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की अठारहवीं वार्षिक आम बैठक 29 सितम्बर, 2023 सायं 4:00 बजे तीसरी मंजिल, कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 पर वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यम से निम्नलिखित कार्य हेतु आयोजित की जाएगी:–

साधारण व्यवसाय

1) 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरण, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना।

2) निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना, और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना: –

"कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित धारा 139 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के कार्यालय द्वारा सीएंडएजी के पत्र क्रमांक CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, IIFCL (1)/323 दिनांक 13 सितम्बर, 2023, द्वारा निर्देशित किया गया है। जिसकी एक प्रति बैठक के समक्ष रख अनुमोदित किया जाता है/ध्यान दिला या जाता है।

आगे संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए उचित समझे जाने वाले नियमों और शर्तों और लेखा परीक्षकों के उचित पारिश्रमिक को तय करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

विशेष व्यवसाय:

3) कंपनी के निदेशक के रूप में श्री समीर जेरामभाई बोपारा (डीआईएन: 10163651) की नियुक्ति को नियमित करने के लिए और इस संबंध में विचार करने के लिए और यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पारित किया जाए:

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के साथ पठित धारा 149,150,152, 197 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। फिलहाल लागू, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रासंगिक लागू विनियमन (विनियमों) और अनुच्छेद 115(1)(बी) के प्रावधानों के साथ पढ़ें। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत, श्री समीर जेरामभाई बोपारा (डीआईएन:) को 19 मई 2023 से एक अतिरिक्त निदेशक और कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो धारा 161 के प्रावधानों के अनुसार उक्त कार्यालय में कार्यरत हैं। इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत नियुक्ति के लिए पात्र है, उसे कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

आगे यह संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल, ऐसे कदम उठाने और ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है जो इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन समझे जा सकते हैं।

4) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निजी प्लेसमेंट के माध्यम से असुरक्षित/सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करना

निम्नलिखित संकल्प पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन

*वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार ने पत्र संख्या 1/78/2005-BP-I दिनांक 11 सितम्बर, 2023 द्वारा आईआईएफसीएल के शेयरधारकों की 18वीं एजीएम को अल्प सूचना पर 30 सितम्बर, 2023 को डीएफएस में बुलाने की सहमति दी।

के साथ या बिना संशोधन के पारित करना: यह निर्णय लिया गया है कि धारा 42, 71 के प्रावधान और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (उसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू) के अनुसार कंपनियों के साथ पढ़ें (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन), नियम 2014 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (समय–समय पर संशोधित) के लागू प्रावधान, लागू विनियम और दिशानिर्देश, कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख और ऐसे अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन, और आवश्यक अनुमोदन, अनुमति, सहमति और मंजूरी के अधीन, कंपनी के सदस्यों की मंजूरी इसके द्वारा दी जाती है और कंपनी के निदेशक मंडल (इसके बाद इसे 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया गया है) को प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिए प्रस्ताव या निमंत्रण देने के लिए, विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के दौरान एक या अधिक किस्तों में निजी प्लेसमेंट, रु. 16,200 करोड़ (केवल सोलह हजार दो सौ करोड़ रुपये), ऐसी शर्तों पर जो लागू दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित की जा सकती हैं, और ऐसे नियमों और शर्तों पर जिसमें बांड और गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। इसे बोर्ड या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि असुरक्षित/सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या ऐसे अन्य प्राधिकरण जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, यह इस मुद्दे की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है, जिसमें आकार, निवेशकों का वर्ग, जिन्हें बांड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक किस्त में आवंटित किए जाने वाले बांड/डिबेंचर की संख्या शामिल है। निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, निर्गम की राशि, बांड/डिबेंचर धारकों के एक वर्ग को निर्गम मूल्य पर छूट, लिस्टिंग, निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव पत्र और फिलहाल लागू कोई अन्य नियामक आवश्यकता, कोई घोषणा/उपक्रम जारी करना आदि को इसमें शामिल करना आवश्यक है।

आगे यह संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकारी को ऐसे सभी कार्यों, कार्यों और चीजों को करने और ऐसे निर्देश देने के लिए अधिकृत किया गया है जो आवश्यक समझे जा सकते हैं या समीचीन, इस संकल्प को प्रभावी बना सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

हस्ता/–
अभिरूप सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या ए 24093

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 सितंबर 2023

पंजीकृत कार्यालय:
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
पांचवीं मंजिल, ब्लॉक –2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर,
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023
सीआईएन: U67190DL2006GOI144520
वेबसाइट: www.iifcl.in

टिप्पणियाँ

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार आइटम नंबर के तहत व्यवसाय के संबंध में भौतिक तथ्यों को स्थापित करने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण। नोटिस का क्रमांक 3 और 4 इसके साथ संलग्न है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक–2 के अनुसार नियुक्तिपुनः नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के संबंध में प्रासंगिक विवरण वार्षिक आम बैठक भी संलग्न है।

2. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सीप्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी के उपकरण पर विधिवत मुहर लगाई जानी चाहिए, पूर्ण किया जाना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए और उपरोक्त बैठक आयोजित करने के समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए।

3. बैठक में किए जाने वाले उपरोक्त विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण, जिसमें उपरोक्त व्यवसाय से संबंधित सभी भौतिक तथ्य नोटिस में शामिल हैं, इसके साथ संलग्न है और इसका हिस्सा है।

4. सदस्य यह भी ध्यान दें कि एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट „ण्ण्ब्ब्स्.ण्ब्ब्ब

नोटिस के लिए अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 3: कंपनी के निदेशक के रूप में श्री समीर जेरामभाई बोधारा (डी आई एन :) की नियुक्ति को नियमित करने के लिए

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 18/7/2022 – आई एफ – I दिनांक 10 मई 2023 के माध्यम से सूचित किया कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115 (1) (डी) के प्रावधानों के संदर्भ में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) में, केंद्र सरकार ने श्री समीर जेरामभाई बोधारा को उनकी नियुक्ति के आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आईआईएफसीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। समीर जेरामभाई बोधारा की नियुक्ति 15 मई 2023 यानी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आवंटन की तारीख से प्रभावी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115(1)(डी) के प्रावधानों के अनुसार आईआईएफसीएल के बोर्ड में अतिरिक्त (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में श्री समीर जेरामभाई बोधारा की नियुक्ति कंपनी को आईआईएफसीएल के बोर्ड द्वारा 15 मई 2023 को आयोजित 128वीं बोर्ड बैठक में नोट किया गया था, जो सामान्य बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन था।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(2) के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को शेयरधारकों की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार, अतिरिक्त निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहते हैं।

कंपनी को सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 25(8) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की धारा (7) के अनुसार श्री समीर जेरामभाई बोधारा से एक घोषणा प्राप्त हुई है, जिसमें पुष्टि की गई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत स्वतंत्रता की मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के संदर्भ में निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए श्री समीर जेरामभाई बोधारा से सहमति भी प्राप्त हुई है और एक घोषणा भी प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

श्री समीर जेरामभाई बोधारा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वह प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

अतः मद संख्या 3 पर आपके निदेशकों के संकल्प पर समाधान प्रस्तावित है।

श्री समीर जेरामभाई बोधारा के नियुक्त व्यक्ति होने के अलावा, कंपनी के किसी भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों को इस नोटिस के मद नंबर 3 के रूप में निर्धारित समाधान में कोई दिलचस्पी या हित नहीं है।

मद संख्या 4: कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निजी प्लेसमेंट के माध्यम से असुरक्षित/सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करना।

कंपनी की भविष्य की विकास योजनाओं को देखते हुए और भारत सरकार द्वारा आवंटित अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने में सक्षम होने के लिए, बोर्ड असुरक्षित/सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बांड जारी करके कंपनी के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाना आवश्यक समझता है। ऐसे डिबेंचर जिनकी बाजार में बेहतर स्वीकार्यता है और जो बहुत प्रतिस्पर्धी हैं। उसी के मद्देनजर, निदेशक मंडल ने 15 मई 2023 को आयोजित बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, कंपनी की रुपये की संसाधन जुटाने की योजना पर विचार किया और आईआईएफसीएल द्वारा 16,200 करोड़ की मंजूरी दे दी। आईआईएफसीएल का बोर्ड असुरक्षित/सुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय बांड/कर योग्य/कर मुक्त/इंफ्रास्ट्रक्चर बांड/ऑफशोर आईएनआर बांड/किसी भी अन्य बांड के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से रुपये 16,200 करोड़, जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है तक धन जुटाने के लिए अधिकृत है। विशेष संकल्प पारित करने की तारीख से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के दौरान, एक या अधिक किस्तों में, ऐसे नियमों और शर्तों पर, जिन्हें बोर्ड या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 और 71 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर), नियम 2014 के अनुसार, निजी प्लेसमेंट के आधार पर कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले एनसीडी की सदस्यता के लिए किसी भी प्रस्ताव या निमंत्रण के लिए शेयरधारकों की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।

उक्त वर्ष के दौरान एनसीडी के लिए किए जाने वाले सभी प्रस्तावों या निमंत्रणों के लिए शेयरधारकों की मंजूरी एक वर्ष के लिए वैध होगी।

निदेशक मंडल का मानना है कि प्रस्तावित प्रस्ताव कंपनी के सर्वोत्तम हित में होगा।

कंपनी के किसी भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और उनके रिश्तेदारों को प्रस्तावित समाधान की कोई चिंता या दिलचस्पी नहीं है।

आपके निदेशक आपके अनुमोदन के लिए नोटिस में आइटम नंबर 3 पर समाधान की अनुशंसा करते हैं

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

हस्ता/–
अनिरूप सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या ए 24093

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 सितंबर 2023

पंजीकृत कार्यालय
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
पांचवीं मंजिल, ब्लॉक –2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर,
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023
सीआईएन: U67190DL2006GOI144520
वेबसाइट: www.iifcl.in

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में,

आईआईएफसीएल के सदस्य

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के प्रदर्शन पर 18वीं वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है।

वित्तीय विशिष्टताएं

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
कुल राजस्व	4653	4212
कुल व्यय	3377	3622
कर पूर्व लाभ	1276	590
कराधान के लिए प्रावधान	201	76
असाधारण वस्तुएँ		-
विनियोजन के लिए उपलब्ध शुद्ध लाभ (कर के बाद लाभ)	1075	514
अन्य व्यापक आय	0.53	0.24
विनियोजन के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ	1076	515
प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर की कमाई (भारित औसत)	1.08	0.51

पुशी अरुणाचल हाईवे लिमिटेड

ऋण संचालन

प्रत्यक्ष ऋण

2022–23 के दौरान, ₹9,719 करोड़ की अतिरिक्त मंजूरी के साथ, 554 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष ऋण योजना के तहत आपकी कंपनी की संचयी सकल मंजूरी बढ़कर ₹1,11,741 करोड़ हो गई। संचयी सकल स्वीकृतियों का क्षेत्रवार वितरण इस प्रकार है:

31 मार्च, 2023 तक प्रत्यक्ष ऋण के तहत संचयी सकल स्वीकृतियाँ

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना की लागत	सकल प्रतिबंध
सड़क	307	4,28,038	52,206
विद्युत	160	4,30,843	42,219
एयरपोर्ट	5	53,077	4,719
बंदरगाह	20	34,285	4,863
शहरी बुनियादी ढांचा	17	55,601	5,265
रेलवे	3	3,194	639
पीएमडीओ*	38	8,602	260
टेलिकॉम	2	4,607	400
सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना	2	5,881	1,170
कुल	**554**	**10,24,128**	**1,11,741**

* एकीकृत नगरपालिका ऋण शामिल

इसके अलावा, 31 मार्च, 2023 तक, 406 परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी की ₹69,684 करोड़ की शुद्ध मंजूरी का क्षेत्र–वार वितरण इस प्रकार है:

प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत संचयी शुद्ध स्वीकृतियाँ (31 मार्च, 2023 तक)#

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना की लागत	सकल प्रतिबंध
सड़क	241	3,48,653	35,476
विद्युत	105	2,56,367	25,657
एयरपोर्ट	5	53,077	2,590
बंदरगाह	13	21,354	2,497
शहरी बुनियादी ढांचा	10	9,658	1,877
रेलवे	1	600	70
पीएमडीओ*	28	5,617	197
टेलिकॉम	2	4,607	400
सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना	1	4,605	920
कुल	**406**	**7,04,538**	**69,684**

* शुद्ध मंजूरी राशि उन परियोजनाओं के मामले में आवंटित राशि है, जिन्होंने वित्तीय समापन हासिल कर लिया है

सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को प्राथमिकता

अधिदेश के अनुरूप, आपकी कंपनी सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की आपकी कंपनी की दृढ़ प्रतिबद्धता इसके द्वारा सम्बंधित पीपीपी परियोजनाओं की संख्या में प्रतिबिंबित होती है।

31 मार्च 2023 तक, प्रत्यक्ष ऋण के तहत, 428 पीपीपी और पीएसयू परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, जो कंपनी द्वारा अब तक स्वीकृत कुल 516 परियोजनाओं (पीएमडीओ के तहत परियोजनाओं को छोड़कर) का 83 प्रतिशत है।

संख्या 31 मार्च, 2023 तक प्रत्यक्ष ऋण के तहत सेक्टर वार स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या (पीएमडीओ के तहत स्वीकृत 38 परियोजनाओं को छोड़कर) इस प्रकार है:

क्षेत्र	पीपीपी	गैर–पीपीपी	पीएसयू	कुल
सड़क	306	0	1	307
विद्युत	71	80	9	160
एयरपोर्ट	5	0	0	5
बंदरगाह	16	3	1	20
शहरी इन्फ्रा	13	1	3	17
अन्य	2	4	1	7
कुल	**413**	**88**	**15**	**516**

स्वीकृत परियोजनाओं के तहत वित्तीय समापन की उपलब्धि

31 मार्च 2023 तक, प्रत्यक्ष ऋण के तहत 406 शुद्ध स्वीकृत परियोजनाओं में से, 381 परियोजनाएं यानी 94 प्रतिशत ने वित्तीय समापन हासिल कर लिया है। वित्तीय समापन प्राप्त परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

31 मार्च, 2023 तक वित्तीय समापन प्राप्त परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	शुद्ध स्वीकृतियाँ
सड़क	221	30,862
विद्युत	105	23,924
एयरपोर्ट	4	2,191
बंदरगाह	12	1,852
शहरी बुनियादी ढांचा	10	1,874
अन्य	29	492
कुल	**381**	**61,195**

वाणिज्यिक परिचालन तिथि की उपलब्धि

मार्च 2023 के अंत में, 378 परियोजनाओं में से, जिनमें आपकी कंपनी ने प्रत्यक्ष ऋण मोड के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है (पीएमडीओ के तहत स्वीकृत 28 परियोजनाओं को छोड़कर), 268 परियोजनाओं में वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) हासिल कर ली गई है, जिसमें 159 सड़क परियोजनाएं और 90 बिजली परियोजनाएं शामिल हैं। सीओडी द्वारा प्राप्त परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

सीओडी ने 31 मार्च, 2023 तक हासिल की गई परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	शुद्ध स्वीकृतियाँ
सड़क	159	19,104
विद्युत	90	17,250
एयरपोर्ट	2	848
बंदरगाह	6	736
शहरी बुनियादी ढांचा	7	382
अन्य	2	320
कुल	**266**	**38,640**

टेक–आउट वित्त

बैंक के एक्सपोजर और परिसंपत्ति–देयता बेमेल बाधाओं को संबोधित करके बुनियादी ढांचा क्षेत्र को दृढ़िशील ऋण देने की सुविधा के लिए, आपकी कंपनी ने टेकआउट फाइनेंसिंग योजना लागू की है। आपकी कंपनी ने दिसंबर 2011 में अपनी संशोधित टेकआउट वित्त योजना का संचालन किया। बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय–समय पर योजना में और संशोधन किए गए हैं। आपकी कंपनी की टेक आउट फाइनेंस योजना बुनियादी ढांचे के ऋणों के लिए एक पारदर्शी गैर–भेदभावपूर्ण और गैर–विवेकाधीन शहरी परियोजना रेटिंग आधारित मूल्य निर्धारण तंत्र का पालन करती है।

टेकआउट फाइनेंस के तहत आपकी कंपनी की संचयी सकल मंजूरी 31 मार्च, 2023 तक 118 परियोजनाओं के लिए ₹28,803 करोड़ थी। संचयी सकल मंजूरी का क्षेत्र–वार वितरण इस प्रकार है:

31 मार्च, 2023 तक टेकआउट फाइनेंस के तहत संचयी सकल मंजूरी

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	54	55,257	8,491
विद्युत	51	1,10,267	14,994
एयरपोर्ट	2	15,777	1,911
बंदरगाह	9	16,024	3,381
शहरी बुनियादी ढांचा	2	107	26
कुल	**118**	**1,97,432**	**28,803**

इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक, आपकी कंपनी के टेकआउट फाइनेंस के तहत 63 परियोजनाओं के लिए ₹18,523 करोड़ की शुद्ध मंजूरी का क्षेत्र–वार वितरण इस प्रकार है:

31 मार्च, 2023 तक टेकआउट फाइनेंस के तहत संचयी शुद्ध मंजूरी:

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	23	30,732	4,666
विद्युत	31	60,647	10,272
एयरपोर्ट	2	15,777	1,570
बंदरगाह	5	9,704	1,989
शहरी बुनियादी ढांचा	2	107	26
कुल	**63**	**1,16,967**	**18,523**

* शुद्ध मंजूरी राशि उन परियोजनाओं के मामले में आवंटित राशि है, जिनमें वित्तीय समापन हासिल कर लिया है

संवितरण

मार्च 2023 के अंत में संचयी संवितरण ₹1,05,647 करोड़ था, जिसमें ₹31,965 करोड़ के पुनर्वित्त के तहत संवितरण, ₹17,204 करोड़ का टेकआउट फाइनेंस और ₹6,200 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बॉन्ड में नए लॉन्च किए गए उत्पाद निवेश और ₹772 करोड़ के इनवीआईटी (इनविट) शामिल थे।

31 मार्च, 2023 तक क्षेत्र–वार संचयी संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	वितरित की गई राशि
प्रत्यक्ष ऋण			
सड़क	224	3,08,592	26,470
विद्युत	102	2,48,375	19,244
एयरपोर्ट	4	47,347	1,298
बंदरगाह	12	17,420	1,363
शहरी बुनियादी ढांचा	10	9,646	662
रेलवे	1	600	70
पीएमडीओ	27	4,744	151
दूरसंचार	1	3,750	248
कुल (ए)	**381**	**6,40,474**	**49,506**
टेकआउट वित्त			
सड़क	23	30,732	4,635
शक्ति	29	58,121	9,070
एयरपोर्ट	2	15,777	1,485
पत्तन	5	9,704	1,988
शहरी बुनियादी ढांचा	2	107	26
कुल (बी)	**61**	**1,14,441**	**17,204**
बांड (सी)			6,200
पुनर्वित्त (डी)			31,965
इनविट्स (ई)			772
कुल योग (ए+बी+सी+डी+ई)			**1,05,647**

समूहित नगरपालिका ऋण दायित्व सुविधा

पूल्ड म्यूनिसिपल डेट ऑब्लिगेशन्स फैसिलिटी (पीएमडीओ) की स्थापना 2008 में 4 प्रायोजकों IL-FS, IIFCL, IDBI बैंक और केनरा बैंक के साथ–साथ अन्य ऋणदाताओं द्वारा पीपीपी आधार पर शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए की गई थी। परियोजनाओं में एकाएमई के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे का विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली उत्पादन, अपशिष्ट जल उपचार और अन्य शहरी बुनियादी सुविधाएं जैसे सिटी बस परिवहन आदि शामिल हैं। पीएमडीओ सुविधा एक बैंक योग्य प्रारूप में परियोजनाओं के लिए संसाधनों की आवश्यकता को संचित करने और प्रदान करने में सहायक है। अनिवार्य परियोजनाओं की स्थापना के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण।

पीएमडीओ का वर्तमान कोष 16 ऋणदाताओं द्वारा प्रतिबद्ध ₹5,000 करोड़ है, जिसमें सुविधा में हिस्सेदारी के रूप में आपकी कंपनी से ₹391 करोड़ प्रतिबद्ध है। 31 मार्च 2023 तक, सुविधा के तहत आपकी कंपनी की संचयी शुद्ध मंजूरी ₹197 करोड़ थी और संचयी संवितरण ₹151 करोड़ था।

भौगोलिक रूप से विविध उपस्थिति

आपकी कंपनी विभिन्न राज्यों में फैली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास का समर्थन करना जारी रखती है और पूरे देश में अपनी उपस्थिति बढ़ाती है। 31 मार्च 2023 तक, डायरेक्ट लेंडिंग और टेकआउट फाइनेंस के तहत, कंपनी ने

26 राज्यों में 489 परियोजनाओं के लिए (शुद्ध) ₹88,207 करोड़ मंजूर किए हैं और 442 परियोजनाओं में ₹66,710 करोड़ वितरित किए हैं।

31 मार्च, 2023 तक प्रत्यक्ष ऋण और टेकआउट वित्त योजना के तहत परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से संचयी राज्य–वार शुद्ध मंजूरी और संवितरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

राज्य	शुद्ध स्वीकृति	वितरण
आंध्र प्रदेश	6,837	5,845
अरुणाचल प्रदेश	121	121
असम	455	419
बिहार	3,946	2,322
छत्तीसगढ़	1,394	1,179
दिल्ली	1,374	1,374
गोवा	343	323
गुजरात	10,623	8,675
हरयाणा	1,773	1,505
हिमाचल प्रदेश	1,269	768
जम्मू एवं कश्मीर	1,708	1,248
झारखंड	1,610	1,417
कर्नाटक	2,461	1,781
केरल	736	191
मध्य प्रदेश	5,977	5,344
महाराष्ट्र	14,455	11,070
ओडिशा	1,253	1,238
पुडुचेरी	179	179
पंजाब	1,921	1,263
राजस्थान	3,889	1,831
सिक्किम	1,293	1,283
तमिलनाडु	3,753	2,626
तेलंगाना	2,854	1,758
उत्तर प्रदेश	14,581	10,085
उत्तराखंड	464	461
पश्चिम बंगाल	2,940	2,402
कुल	**88,209**	**66,708**

पुनर्वित्त

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आपकी कंपनी ने 6 वित्तीय संस्थानों को ₹7,000 करोड़ स्वीकृत किए हैं और ₹3,800 करोड़ वितरित किए हैं

ऋण वृद्धि

ऋण वृद्धि योजना आपकी कंपनी द्वारा वर्ष 2012 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ऋण बाजारों जैसे वैकल्पिक संसाधनों से दीर्घकालिक धन जुटाने में सक्षम बनाना था।

आज तक, आईआईएफसीएल ने 20 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं द्वारा 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बांड जारी करने के लिए कुल 2,400 करोड़ रुपये से अधिक की गारंटी मंजूर की है।

भारत बुनियादी ढांचा निवेश फंड

कंपनी ने भारत समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित करने के लिए 15 फरवरी 2007 को आईडीएफसी और सिटीग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया था, जिसमें आईआईएफसीएल ने 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर (अधिकतम 100 करोड़ रुपये के अधीन) का योगदान देने पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि आईडीएफसी और सिटीग्रुप ने इसके लिए प्रतिबद्धता जताई थी। प्रत्येक प्रमोटर प्रायोजक के रूप में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करें।

सिम्हापुरी एक्सप्रेस–वे प्राईवेट लिमिटेड

31 मार्च 2023 तक, आई आई एफ की 100 करोड़ रुपये की कुल पूंजी प्रतिबद्धता में से, आईआईएफसीएल ने रुपये 92.47 करोड़ का योगदान दिया है, आईआईएफ ने 31 मार्च 2023 तक 86.45 करोड़ रुपये की पूंजी मुहाई है। आईआईएफ में आईआईएफसीएल के निवेश की 31 मार्च 2023 को बकाया राशि रुपये 6.02 करोड़ है। फंड की मूल परिपक्वता 8 जून 2021 को थी और अंततः एक वर्ष के दो विस्तार के बाद 7 जून 2023 को बंद कर दिया गया था। आईआईएफ ने 6 जून 2023 को उद्यम पूंजी कोष के रूप में अपना पंजीकरण सरेंडर करने के लिए सेबी के पास एक आवेदन दायर किया है।

संसाधन जुटाना

घरेलू संसाधन

कंपनी ने अब तक घरेलू संसाधन (बैंक जमा के खिलाफ ओवरड्राफ्ट को छोड़कर) घरेलू कर योग्य बांड, कर–मुक्त बांड और टैक्स–सेविंग इंफ्रास्ट्रक्चर बांड और लंबी अवधि के उपकरणों के मिश्रण के माध्यम से घरेलू बाजारों से रु 34,073 करोड़ (जिसमें से बांड के माध्यम से 18,346.90 करोड़ रुपये की राशि 31 मार्च 2023 तक बकाया हैं)

एलआईसी और एनएसएसएफ से ऋण

बाहरी संसाधन

आईआईएफसीएल ने एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबाउ (केएफडब्ल्यू), यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) जैसे बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थानों के साथ भी मजबूत संबंध स्थापित किए हैं और सीधा तक ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। क्रमशः यू एस डी 1.9 बिलियन, यू एस डी 195 मिलियन, यूरो 50 मिलियन, यूरो 200 मिलियन और जे पी वाई 50 बिलियन।

सिम्हापुरी एक्सप्रेस–वे प्राईवेट लिमिटेड

एडीबी से 1.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन में से 31 मार्च 2023 तक 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर निकाले जा चुके हैं।

विश्व बैंक की 195 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन में से, आईआईएफसीएल ने 195 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का पूरा लाभ उठाया है।

आपकी कंपनी द्वारा केएफडब्ल्यू द्वारा अनुमोदित दो जल विद्युत परियोजनाओं और चार सौर ऊर्जा परियोजनाओं में संवितरण के विरुद्ध केएफडब्ल्यू से 50 मिलियन यूरो की क्रेडिट लाइन का पूरा लाभ उठाया गया है।

आईआईएफसीएल ने 31 मार्च 2014 को ईआईबी के साथ 200 मिलियन यूरो का एक विलयोत्तर अनुबंध समझौता भी निष्पादित किया था, जिसका मार्च 2023 तक 200 मिलियन यूरो का पूरा उपयोग किया जा चुका है।

उपरोक्त के अलावा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के साथ जे पी वाई 50 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें से 31 मार्च 2023 तक जे पी वाई 40.8 बिलियन निकाला जा चुका है। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थानों के साथ इन संबंधों से आईआईएफसीएल को दीर्घकालिक संसाधन जुटाने में मदद मिली है।

आईटी पहल

आईआईएफसीएल के विभिन्न हितधारकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर आईआईएफसीएल विश्वास करता है। विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता किसी भी व्यावसायिक क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है, तदनुसार आईआईएफसीएल के आईटी बुनियादी ढांचे को क्षमताओं के निर्माण और अपने हितधारकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगातार उन्नत किया जाता है। हितधारकों को मूल्य प्रदान करने के लिए आईआईएफसीएल द्वारा की गई प्रौद्योगिकी संचालित व्यावसायिक पहलों में शामिल हैं:

- अपने विभिन्न व्यावसायिक कार्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एसएपी–ईआरपी का कार्यान्वयन और विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं में शुरू से अंत तक स्वचालन लाना।
- ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम का कार्यान्वयन जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की भौतिक निगरानी की आवश्यकता को खत्म कर देगा
- आईआईएफसीएल ने कागज रहित निदेशक मंडल की बैठक और अन्य बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए आईटी एप्लिकेशन लागू किया है।
- आईआईएफसीएल ने अत्याधुनिक टियर–4 डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर क्रियान्वित किया है।
- आईआईएफसीएल ने आईटी सेवा आउटसोर्सिंग के लिए अनुमोदित नीति ढांचा तैयार कर लिया है।
- आईआईएफसीएल ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाया और लाभ उठाया है कि महामारी के दौरान उसके व्यवसाय संचालन निर्बाध रूप से जारी रहेंगे, घर से काम की सुविधा के लिए मोबाइल उपकरणों पर दूरस्थ कार्यालय वातावरण प्रदान किया जाएगा।

डिजिटल रूपांतरण

एनबीएफसी में पारंपरिक व्यावसायिक प्रक्रियाएं तेजी से बदल रही हैं। तदनुसार, आईआईएफसीएल डिजिटलीकरण की विभिन्न नई पहलों का उपयोग करके विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आईआईएफसीएल ने कई नई आईटी पहल की हैं जिनमें से निम्नलिखित अब लाइव/उपयोग में हैं:

- आईआईएफसीएल ने एक नए युग की दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) लागू की है जो विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करती है और कागज रहित कार्यालय के उद्देश्य को प्राप्त करती है।
- आईआईएफसीएल ने भुगतान और निपटान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान की वास्तविक समय ट्रैकिंग के लिए अपने विक्रेताओं के लिए नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है।

विवेकपूर्ण मानदंडों को अपनाना

भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईएफसीएल को 9 सितंबर 2013 को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) संख्या एन–14.03288 जारी किया है, जिससे कंपनी को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – गैर जमा–इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी–एनडी–आईएफसी) का कारोबार करने की अनुमति मिल गई है।

कंपनी ने 21 नवंबर 2014 के पत्र के माध्यम से एनबीएफसी–आईएफसी के लिए आरबीआई नियमों के विभिन्न तत्वों के अनुपालन के लिए विशिष्ट समय–सीमा देते हुए आरबीआई को रोड मैप प्रस्तुत किया। तदनुसार, 2022–23 के दौरान, आईआईएफसीएल ने उस पर लागू भारतीय रिजर्व बैंक नियमों का अनुपालन किया।

भारतीय लेखांकन मानकों (भारत लेखांकन मानक) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना

18 जनवरी 2016 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार, आईआईएफसीएल को रिपोर्टिंग अवधि 1 अप्रैल 2018 के लिए भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक था। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने भारत लेखांकन मानक के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार किया है।

पुनर्गठित ऋण, एनपीए और वसूली

31 मार्च 2023 को, सकल एनपीए रु. 2013.50 करोड़ और शुद्ध एनपीए रु. 594.41 करोड़. इसके अलावा, वर्ष 2022–23 के दौरान 988.71 करोड़ रुपये की राशि के खाते बट्टे खाते में डाले गए।

31 मार्च 2023 को सकल एनपीए अनुपात 4.77% के स्तर पर और शुद्ध एनपीए अनुपात 1.41% के स्तर पर था। प्रावधान कवरेज अनुपात मार्च 2023 तक लगभग 70.48% था। 2022–23 के दौरान, 1349.82 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बट्टे खाते में डाले गए/एआरसी खातों से वसूले गए 363.53 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

जीएमआर गोआ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड

शीघ्र समाधान/पुनर्प्राप्ति की दिशा में लीड/कंसोर्टियम के परामर्श से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आईआईएफसीएल कई मामलों में रिजायत प्राधिकरण, अन्य हितधारकों के साथ मिलकर समाधि भुगतान, कार्य–पूर्ण आधार पर निपटान, समाधान योजना, मध्यस्थता प्रक्रिया, एनएआरसीएल/अन्य एआरसी को संपत्ति की बिक्री, वसूली कार्रवाई शुरू करने आदि जैसी पहल कर रहा है। उच्च मूल्य वाले खातों की बारीकी से निगरानी की जाती है और उन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जिन मामलों में मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है, उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आईआईएफसीएल समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए डीआरटी/सीआईआरपी/एनसीएलटी के तहत मामलों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाता है।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विनिमय जोखिम, तरलता जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम जैसे विभिन्न जोखिमों के संपर्क में है जो किसी भी ऋण व्यवसाय का अंतर्निहित हिस्सा हैं। कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है जो संगठनों की जोखिम उठाने की क्षमता के साथ व्यापार रणनीति को संरेखित करने में सक्षम बनाता है।

जोखिम प्रबंधन ढांचे का एक प्रमुख घटक जोखिम प्रशासन है जो प्रभावी जोखिम प्रशासन और निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए संगठनों के प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर जोर देता है। कार्यकारी स्तर की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को), क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के माध्यम से बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) प्रमुख जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की समीक्षा करती है और कार्यकारी प्रबंधन की जोखिम से संबंधित मुद्दों की देखरेख करती है। जोखिम प्रबंधन के लिए एक मजबूत शासन संरचना सुनिश्चित करते हुए, पूरे संगठन में एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी कर्मचारी जोखिम प्रबंधन में अपनी भूमिका को समझें।

सामूहिक रूप से विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियाँ संस्थान के सामने आने वाले संभावित जोखिमों की पहचान करने, उनका आकलन करने और मापने की दिशा में काम करती हैं और जोखिम शमन योजनाओं के साथ–साथ पहचाने गए जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए नियंत्रण विकसित करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान स्वीकार्य जोखिम सीमा के भीतर काम करता है।

वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल के विनियामक परिवर्तनों और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप, आपकी कंपनी ने सभी जोखिम संबंधी नीतियों की व्यापक समीक्षा की, जिसमें क्रेडिट जोखिम प्रबंधन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, और बाजार जोखिम और परिसंपत्ति–देयता और तरलता जोखिम प्रबंधन नीतियां साथ ही व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा प्रबंधन

योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी के लिए नई नियामक आवश्यकताओं के जवाब में, आपकी कंपनी ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) पर नीति तैयार की है।

वरिष्ठ अधिकारियों वाली क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) द्वारा कंपनी में क्रेडिट जोखिम की समय–समय पर समीक्षा और निगरानी की जाती है। क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन जोखिम भूख सीमा के पालन और संवेदनशीलता विश्लेषण सहित विभिन्न मापदंडों के तहत तिमाही आधार पर किया जाता है।

आपकी कंपनी के पास परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रबंधन की देखरेख के लिए एक कार्यकारी स्तर की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) भी है। एल्को तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम की निगरानी करता है, जो आईआईएफसीएल की व्यापार रणनीति के साथ एकीकृत है। तरलता जोखिम की निगरानी अंतराल विश्लेषण, तरलता कवरेज अनुपात और तरलता निगरानी के लिए स्टॉक दृष्टिकोण की मदद से की जा रही है। एल्को के निर्णय की सूचना बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है।

आपकी कंपनी ने सामान्य रूप से और कंपनी के विशिष्ट परिचालनों में परिचालन जोखिमों को कम करने के लिए अपने परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत किया है। कंपनी अपने परिचालन जोखिम के लिए सक्रिय रूप से जोखिम पूंजी की गणना भी कर रही है। ओआरएमसी, एक कार्यकारी स्तर की समिति, परिचालन जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करती है। परिचालन जोखिमों का मूल्यांकन संबंधित कार्यात्मक विभागों द्वारा किया जाता है और परिचालन जोखिमों को कम करने के लिए उचित नियंत्रण उपाय किए जाते हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण के माध्यम से परिचालन जोखिम के प्रबंधन के महत्व के बारे में भी जागरूक कर रही है।

अनुपालन

आईआईएफसीएल एक कैलेंडर के माध्यम से निरंतर निगरानी और संबंधित विभागों के साथ सक्रिय समन्वय के साथ नियामक गैर–अनुपालन पर शून्य सहिष्णुता का पालन कर रहा है। अनुपालन निगरानी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, आईआईएफसीएल ने अनुपालन जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी, प्रबंधन और रिपोर्टिंग सहित अनुपालन प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित एप्लिकेशन स्थापित किया है।

पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपाय

आईआईएफसीएल ने पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा नीति (ईएसएसपी) को अपनाया है और पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा ढांचा (ईएसएसएफ) विकसित किया है। ईएसएसएफ के अनुसार, भारत सरकार के नियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन आईआईएफसीएल और बहुपक्षीय/विकासात्मक वित्तीय संस्थानों (एमएफआई/डीएफआई) द्वारा वित्तपोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर लागू होता है, जहां भी डीएफआई की फंडिंग सहायता शामिल होती है, वहां सुरक्षा उपायों का अनुपालन लागू होता है। दीर्घकालिक संसाधन जुटाने के लिए, आईआईएफसीएल ने विश्व बैंक, एडीबी, केएफडब्लू, ईआईबी और जेआईसीए जैसे बहुपक्षीय/विकासात्मक वित्तीय संस्थानों (एमएफआई/डीएफआई) के साथ विभिन्न क्रेडिट लाइनों पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समंजस्यपूर्ण सूची के अनुसार क्रेडिट की इन पंक्तियों का लाभ उठाने के लिए, आईआईएफसीएल को एमएफआई/डीएफआई के पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों की रूपरेखा

एथेंस ग्रीस में 3–5 मई, 2023 को 7वां यूएनईसीई इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फोरम के दौरान आईआईएफसीएल टीम आईआईएफसीएल द्वारा वित्त पोषित पीपीपी परियोजनाओं हेतु प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए

और नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ईएंडएस सुरक्षा उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और निगरानी करने के लिए, आईआईएफसीएल ने इन-हाउस पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन इकाई (ईएसएमयू) की स्थापना की है, जिसमें योग्य और अनुभवी पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हैं, जिसका नेतृत्व और पर्यवेक्षण स्तर पर वरिष्ठ योग्य, अनुभवी और प्रमुख – ईएसएमयू स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन इकाई (ईएसएमयू) ने ऋण निकासी अवधि और उसके बाद के अनुपालन निगरानी चरणों के दौरान डीएफआई से ऋण की विभिन्न लाइनों के लिए पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों ऋण अनुबंध के अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्रयासों ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों को सुरक्षित करने की आईआईएफसीएल की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईएसएमयू ने जापानी इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 9.30 मिलियन येन (भारतीय रुपया 574 करोड़) और एशियाई विकास बैंक (एशियाई विकास बैंक) लाइन ऑफ क्रेडिट से 18.63 मिलियन यूएसडी (भारतीय रुपया 154 करोड़) की मंजूरी और संवितरण की सुविधा प्रदान की। इन संबंधित क्रेडिट लाइनों के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए।

एशियाई विकास बैंक और जेआईसीए से चल रही क्रेडिट लाइनों से प्राप्त वित्तीय सहायता आईआईएफसीएल को राष्ट्रीय राजमार्ग, विद्युत ट्रांसमिशन लाइन, अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, सौर ऊर्जा और पवन विद्युत परियोजनाएँ जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक विविध श्रृंखला को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाने में सहायक रही है। डीएफआई फंडिंग सहायता सतत विकास को चलाने, जलवायु परिवर्तन को कम करने और लचीली और समावेशी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने में सहायक रही है जो समुदायों और पर्यावरण पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने में आईआईएफसीएल की सक्रिय भागीदारी ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और बेहतर भविष्य के लिए सतत विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण

पारादीप अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड

भूमिका निभाई है। कुल मिलाकर, इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने कई गुना प्रभाव डाला है, कई एसडीजी की उपलब्धि में सकारात्मक योगदान दिया है और 2015 के पेरिस समझौते के अनुरूप जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के भारत के प्रयासों का समर्थन किया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और एसडीजी प्रभाव

आईआईएफसीएल ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपनी वित्तीय सहायता के माध्यम से, इन एसडीजी योगदानों में गरीबी में कमी, सस्ती और स्वच्छ बिजली आपूर्ति, आर्थिक विकास, नवीन और टिकाऊ बुनियादी ढांचे का विकास, टिकाऊ उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों (पीपीपी परियोजनाएं) के बीच बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भागीदारी शामिल है।

आईआईएफसीएल का बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का वित्तपोषण करके संयुक्त राष्ट्र एसडीजी में योगदान

Direct UN SDGs Impacted	Road & Highways	Airports	Ports	Railways	Power Transmission	Power Distribution	Telecom	Urban Infrastructure	Logistics
1	●	●	●		●	●	●	●	●
7	●				●	●	●	●	
9					●		●		
11					●	●		●	●
8	●	●	●		●	●	●	●	●
10	●	●	●		●	●	●	●	●
12	●	●			●	●	●	●	●
13					●	●	●	●	●
15	●				●	●	●	●	●
17	●	●	●		●	●	●	●	●

बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को वित्तपोषित करके संयुक्त राष्ट्र एसडीजी में आईआईएफसीएल का योगदान

आईआईएफसीएल ने ग्रीनहाउस गैसों के शमन में योगदान देकर बिजली उत्पादन के लिए स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क/हवाई अड्डों और बंदरगाहों के विकास में निवेश के माध्यम से परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार, आवश्यक सेवाओं के लिए ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करके, बुनियादी ढांचे में लचीलापन बनाकर विकास, और हितधारक जुड़ाव को बढ़ावा देने में भी अपनी भूमिका निभाई है। बुनियादी ढांचे के विकास ने औद्योगिक विकास और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर परियोजना क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास में सुधार करने में मदद की है और सार्वजनिक–निजी भागीदारी के तहत विकसित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को 2030 एजेंडा तक पहुंचने के लिए आवश्यक परिवर्तनकारी प्रभाव प्राप्त करने के लिए दोहराया और बढ़ाया जा सकता है।

एक बुनियादी ढांचा वित्तीय संस्थान के रूप में, आपकी कंपनी अपने व्यवसाय और सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से एनडीसी और संयुक्त राष्ट्र एसडीजी में योगदान देने में अपनी भूमिका निभा रही है। भारत भर में विकसित परियोजनाओं के लिए हमारा वित्तीय समर्थन हमें दीर्घकालिक लाभ के साथ देश में आर्थिक विकास लाने का अवसर प्रदान करता है। आपकी कंपनी टिकाऊ और लचीले बुनियादी ढांचे के विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है जो बड़े पैमाने पर राष्ट्र, पर्यावरण और समाज के लिए मूल्य पैदा करेगा।

हरित अवसंरचना क्षेत्रों के तहत आईआईएफसीएल का ऋण पोर्टफोलियो

नवीकरणीय ऊर्जा

अपनी हरित ऊर्जा पहल के हिस्से के रूप में, आईआईएफसीएल विभिन्न तौर–तरीकों जैसे प्रत्यक्ष ऋण, टेक–आउट ऋण, पुनर्वित्त, ऋण वृद्धि, बांड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविटस), और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए फूल्ड म्युनिसिपल डेट ऑब्लिगेशन (पीएमडीओ) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत में ऊर्जा विकास, वर्ष 2006 में स्थापना चरण से लेकर 31 मार्च, 2023 तक, आईआईएफसीएल ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के 21 जी डब्लू क्षमता विकास में निवेश का योगदान दिया, जो वित्त वर्ष 2022–23 की चौथी तिमाही तक 125 जी डब्लू की कुल राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता का 5.9% हिस्सा है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 200 से अधिक परियोजनाओं को आंशिक रूप से वित्तपोषित किया गया।

31 मार्च 2023 तक आईआईएफसीएल द्वारा समग्र नवीकरणीय ऊर्जा निवेश (करोड़ में)*

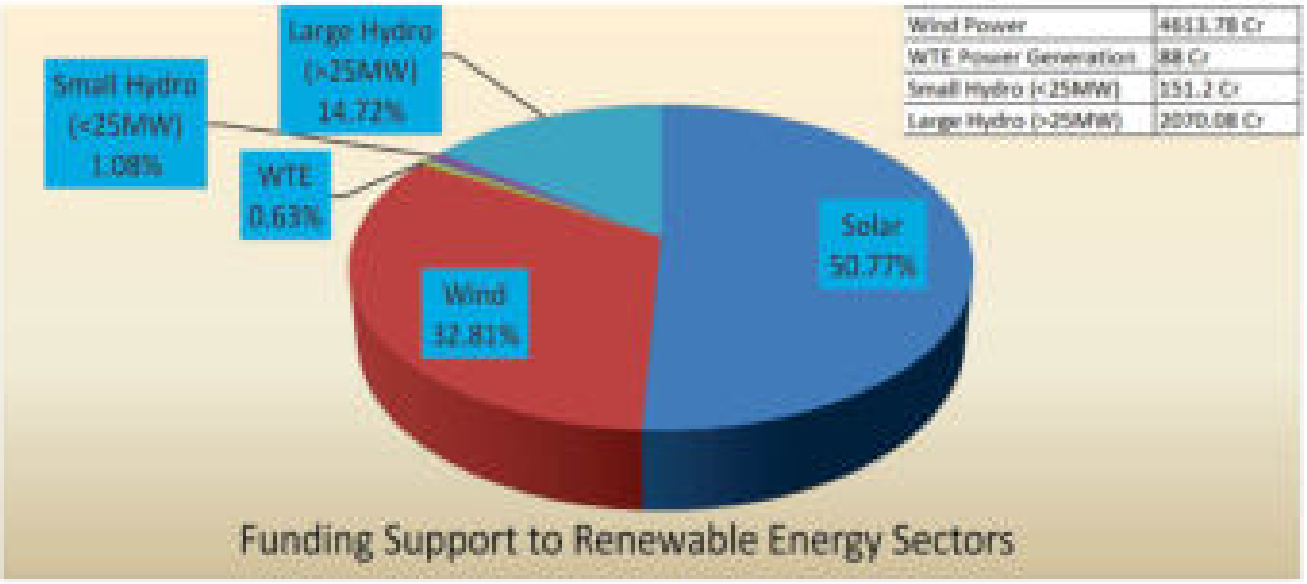

* (वीएमडीओ को छोड़कर सभी वित्तीय तौर-तरीकों को ध्यान रखते हुए क्षेत्र-विशिष्ट निवेश) [illegible] (केंद्रीय कैबिनेट ने दिनांक 1 मार्च, 2023 को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के तहत की जलविद्युत (> 25 मेगावाट) की मंजूरी दी)

31 मार्च 2023 तक, IIFCL ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में 26,258 करोड़ रुपये मंजूर किए, जिसमें कुल 14,697 करोड़ रुपये का वितरण हुआ। वर्तमान में, कंपनी के कुल वित्त का 14% सौर, पवन, पनबिजली और अपशिष्ट–से–ऊर्जा उत्पादन विकास परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा विकास परियोजनाओं में जाता है। आईआईएफसीएल ने सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को भी वित्त पोषित किया हैय जो अधिक ईंधन कुशल हैं और प्रदूषणकारी गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। इसने फूल्ड म्युनिसिपल डेट ऑब्लिगेशन (पीएमडीओ) पहल के तहत कुछ अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं को भी वित्तपोषित किया है। पीएमडीओ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली उत्पादन, अपशिष्ट जल उपचार, सिटी बस परिवहन आदि से संबंधित क्षेत्रों में शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए आईआईएफसीएल और कुछ अन्य भारतीय वित्तीय संस्थानों के बीच साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रभाव एक नजर में

IIFCL ने लगभग 200 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (सौर, पवन, हाइड्रो, WTE को कवर करते हुए) की सुविधा प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप भारत में 21 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास हुआ।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में IIFCL द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं ने 56,190 जी नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया

IIFCL द्वारा वित्तपोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं ने प्रति वर्ष 39.8 मिलियन मीट्रिक टन CO_2 से बचने में मदद की है

कुशल और अकुशल श्रमिक श्रेणी के तहत लगभग 10,000 रोजगार के अवसर सृजित हुए

* https://cea.nic.in/wp-content/uploads/2020/03/report.pdf
*(सब-सेवी कमिटी की रोड्मैपवाली रिपोर्ट को विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों में क्षमता उपयोग कारकों के निर्धारण के लिए संदर्भित किया गया था)
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator ;

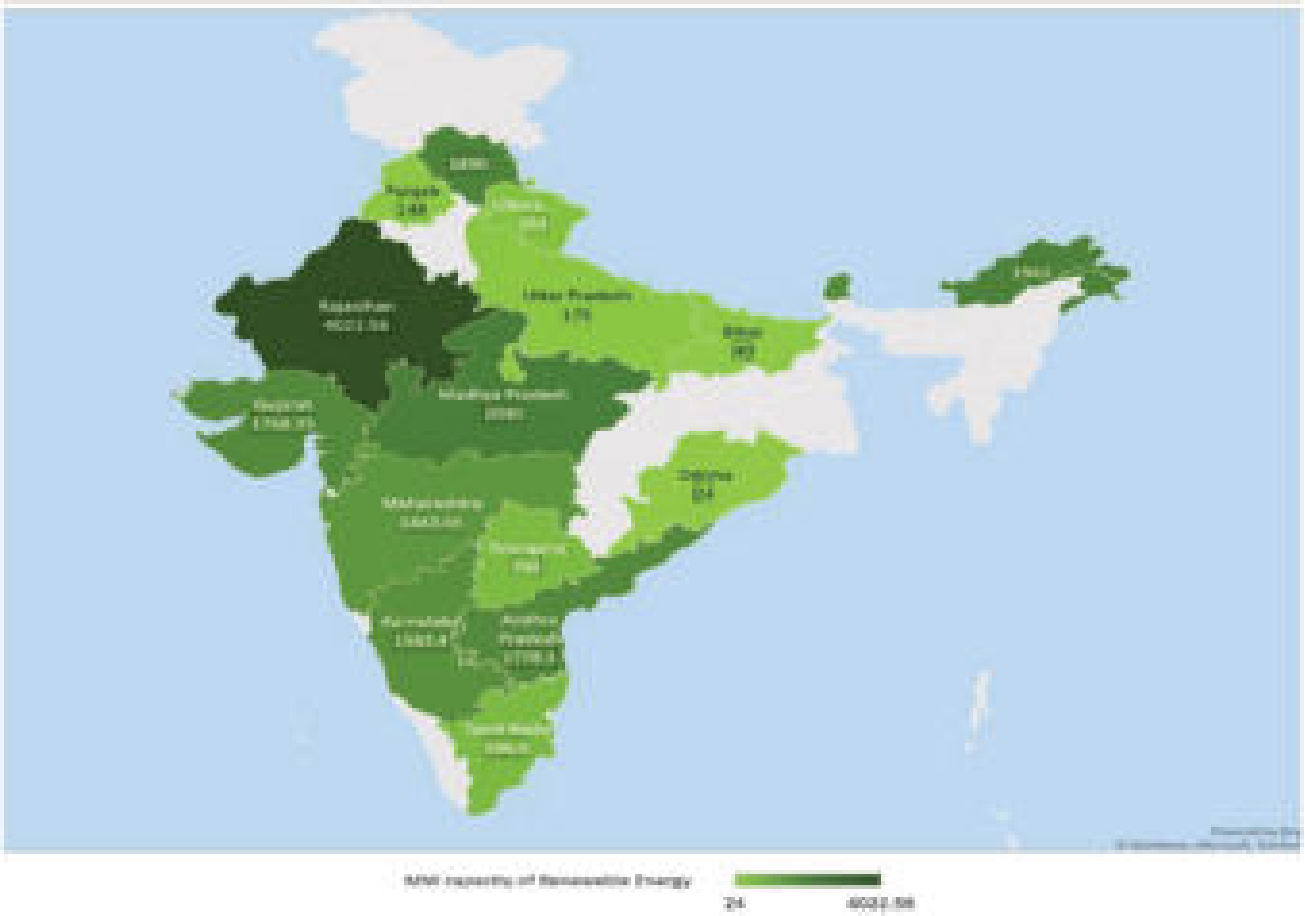

भारत का मानचित्र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (मेगावाट में क्षमता) के भौगोलिक वितरण को दर्शाता है, जिसे आईआईएफसीएल के वित्त पोषण समर्थन के साथ विकसित किया गया है, जिसमें हरा रंग नवीकरणीय ऊर्जा विकास के विकास को दर्शाता है।

स्वच्छ परिवहन

आईआईएफसीएल भारत में स्वच्छ परिवहन प्रणालियों के विकास में भी योगदान दे रहा है और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल ने 1450 करोड़ रुपये के सावधि ऋण को मंजूरी देकर और 31 मार्च 2023 तक 262 करोड़ रुपये का वितरण करके पुणे मेट्रो रेल परिवहन परियोजना को वित्तीय सहायता (ऋणदाता संघ व्यवस्था के तहत) दी थी। यह परियोजना राइड शेयरिंग द्वारा मोबिलिटी–ए–ए–सर्विस (मास) को अपनाने वाले अभिनव व्यवसाय मॉडल द्वारा वृद्धिशील स्तर तक सार्वजनिक परिवहन संपत्ति का उपयोग करके परिपत्र अर्थव्यवस्था में योगदान देगी। 23 किमी लंबा प्रस्तावित मेट्रो रेल परिवहन पुणे शहर के प्रमुख यात्री स्थलों से होकर गुजरेगा और सड़कों पर चलने वाले वाहनों को कम करने में मदद करेगा जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोल और डीजल की खपत में बचत होगी, मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे में भीड़भाड़ कम होगी और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट उत्पादन होगा । मेट्रो परियोजना के संचालन से दैनिक आधार पर (सीओ: 12842.752 किलोग्राम प्रतिदिन, सीओ2: 342721.963 किलोग्राम प्रतिदिन, एनओएक्स: 1206.366 किलोग्राम प्रतिदिन, वीओसी: 1388.521 किलोग्राम प्रतिदिन, पार्टिकुलेट: 30.077 किलोग्राम प्रतिदिन) दिन, एस ओ 2 : 42.812 किलोग्राम प्रतिदिन) के स्तर पर प्रदूषकों में कमी आएगी और 158431 पेट्रोल कार समतुल्य (पीसीई) इकाइयों की जगह 8.89 किलोमीटर की औसत यात्रा लंबाई के लिए इस मेट्रो कॉरिडोर पर 633726 लोगों को स्थायी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों तक पहुंच प्राप्त होगी।

हरित इमारतें (हवाई अड्डे के टर्मिनल)

एक वित्तीय संस्थान के रूप में आईआईएफसीएल के पास अपने ऋण और निवेश निर्णयों के माध्यम से परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों को प्रभावित करने का अवसर है। आईआईएफसीएल ने हमारे देश के प्रमुख मेट्रो शहरों में हवाईअड्डा परियोजनाओं के विकास का समर्थन किया है और इन सभी हवाईअड्डा परियोजनाओं ने टिकाऊ प्रथाओं और तत्वों को शामिल करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। आईआईएफसीएल द्वारा समर्थित हवाईअड्डा परियोजनाओं ने 'हरित भवन' की अवधारणा पर हवाईअड्डा टर्मिनल विकसित किए हैं और ऊर्जा–कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर, पानी के उपयोग को अनुकूलित करके, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और अन्य पर्यावरण अनुकूल पहलों को अपनाकर इसके पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने के लिए परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं/क्रियान्वयन के तहत हैं।

आईआईएफसीएल ने भारत के मेट्रो शहरों में हवाईअड्डा परियोजनाएं विकसित (कार्यान्वयन के तहत) करने में मदद प्रदान की और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नवी मुंबई, गोवा, ग्रेटर नोएडा–जी.बी. नगर (आगामी जेवर हवाई अड्डा) परियोजनाओं की सुविधा प्रदान की। हवाई अड्डे के परिसरों को विभिन्न हरित भवन प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं जैसे यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से लीड (ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व) रेटिंग, भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से आईजीबीसी रेटिंग आदि। ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करके, आईआईएफसीएल सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा क्षेत्र प्रथाओं को अपनाकर सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। यह दृष्टिकोण पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने में मदद कर सकता है। आईआईएफसीएल ने विभिन्न वित्तीय तौर–तरीकों जैसे प्रत्यक्ष ऋण, टेक आउट योजना और बांड के माध्यम से निवेश के माध्यम से हवाईअड्डा विकास परियोजनाओं के लिए 3000 करोड़ से अधिक का वितरण किया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

आईआईएफसीएल ने भारत के विभिन्न शहरों जैसे गुंटूर, विशाखापत्तनम, नागपुर, भिलाई दुर्ग, जबलपुर, रायपुर आदि में स्थित 209.64 करोड़ के वितरण के साथ 10 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं (पीएमडीओ योजना और प्रत्यक्ष वित्त पोषण को कवर करते हुए) का समर्थन किया। ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं हैं अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं सहित नगर निगमों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एमएसडब्ल्यू की खुली डंपिंग से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को खत्म करने में मदद करेंगी। आईआईएफसीएल की वित्त पोषित अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) उत्पादन परियोजनाओं ने कुशल, आर्थिक, टिकाऊ और वैज्ञानिक तरीके से ऊर्जा उत्पादन में नगरपालिका के ठोस कचरे का उपयोग करके और कचरे के खुले डंपिंग से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करके परिपत्र अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। आईआईएफसीएल की वित्त पोषित डब्लू. वी टी ई परियोजनाओं द्वारा प्रति वर्ष 5,00,000 टन से अधिक अपशिष्ट को लैंडफिल साइट से हटाया जा रहा है, जिससे प्रति वर्ष 10,00,000 टन से अधिक CO_2 उत्सर्जन में कमी आई है।

आईआईएफसीएल लगातार अपने संचालन और उधार गतिविधि के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने का प्रयास करता है, और नवीन वित्तपोषण समाधानों के माध्यम से वैश्विक हरित निधियों और हरित क्रेडिट लाइनों का लाभ उठाकर भारत में हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, कम कार्बन संक्रमण के अवसरों के विकास के लिए धन जुटाने का प्रयास करता है। आईआईएफसीएल नवीकरणीय ऊर्जा (हरित हाइड्रोजन सहित), ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार आदि जैसे हरित बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करेगा।

मानव पूंजी प्रबंधन

मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों के विकास में सक्षम भूमिका निभा रहा है और अपने कर्मचारियों के सर्वांगीण व्यावसायिक विकास को सक्षम बनाता है। वर्ष के दौरान विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नई भर्ती की गई, जिससे कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या एक सौ चार (104) हो गई। नई भर्ती के पूरक के रूप में, पात्र अधिकारियों के लिए पदोन्नति की कवायद की गई।

कंपनी के मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए, विभिन्न प्रसिद्ध भारतीय और विदेशी संस्थानों (सभी को) में पीपीपी, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, बॉन्ड मार्केट, साइबर सिक्योरिटी, सीएसआर आदि क्षेत्रों में अधिकारियों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कर्मचारी जिनमें एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के कर्मचारी भी शामिल हैं)।

वर्ष के दौरान कर्मचारी संबंध शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। कंपनी में एससीएसटी सेल कार्यरत है, वर्ष के दौरान कंपनी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों से 'शून्य' शिकायत/शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आरक्षण/छूट/छूट पर सभी सरकारी नीतियों का अनुपालन किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल

आईआईएफसीएल एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन है और इसने स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण, खेल को बढ़ावा देने और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख फोकस क्षेत्रों में अपनी सीएसआर नीति को गंभीरता से लागू किया है। आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के तहत कार्यान्वित परियोजनाएं देश के 24 राज्यों तक पहुंच रही हैं और सामाजिक हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले विविध क्षेत्रों/लाभार्थियों को कवर करती हैं।

2022–23 के दौरान, आईआईएफसीएल ने अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से हेल्थकेयर के क्षेत्र में अपनी चल रही परियोजनाओं को सफलतापूर्वक समर्थन दिया है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। स्वीकृत परियोजनाएं चालू प्रकृति की हैं और तदनुसार, प्रावधानों के अनुसार, स्वीकृत राशि यूसीएसआरए को हस्तांतरित कर दी गई है।

आंतरिक नियंत्रण

आपकी कंपनी संचालन की दक्षता और वैधानिक कानूनों, विनियमों और कंपनी की नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने आकार और संरचना के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली बनाए रखती है। प्रमुख क्षेत्रों का ऑडिट आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा नियमित आधार पर किया जाता है और सुधार के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं में कमियों की पहचान की जाती है और उन्हें उजागर किया जाता है। वित्त वर्ष 22–23 के लिए ऑडिट संपन्न हो चुका है और ऑडिट निष्कर्षों को उनकी समीक्षा और सुधारात्मक उपायों पर सिफारिशों/सुझावों के लिए नियमित अंतराल पर बोर्ड की ऑडिट समिति के समक्ष रखा जाता है।

आरबीआई अधिसूचना आरबीआई/2020–21/88 संदर्भ संख्या DoS-CO-PPG-/SEC-05/11.01.005/2020–21 दिनांक 3 फरवरी 2021 की आवश्यकताओं के अनुसार नियामक दिशानिर्देशों और संचालन में परिवर्तनों को बढ़ाने और पकड़ने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधियों को और मजबूत और सुव्यवस्थित करना। आपकी कंपनी ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) दृष्टिकोण अपनाया है। निदेशक मंडल (बीओडी) ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति को मंजूरी दे दी है और आपकी कंपनी ने जोखिम आधारित दृष्टिकोण का पालन करते हुए वित्त वर्ष 22–23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की है।

सभी वित्तीय लेनदेन की नियमित, व्यवस्थित और समय पर जांच/लेखापरीक्षा के लिए। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 से समवर्ती ऑडिट प्रक्रिया अपनाई है। आपकी कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 22–23 के लिए समकालीन लेखा परीक्षकों के

रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक फर्म को नियुक्त किया गया है और निष्कर्षों को उनकी समीक्षा और सुधारात्मक उपायों पर सिफारिशों/सुझावों के लिए नियमित अंतराल पर बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।

हितधारकों को यह आश्वासन देने के लिए कि उनकी कंपनी ने संगठन की नीति के अनुरूप और आरबीआई मास्टर डायरेक्शन क्रमांक DNBS-PPD-No-04/66.15.001/2016–17 दिनांक 08 जून 2017, की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं के प्रासंगिक पहलुओं के प्रबंधन के लिए एक सूचना प्रणाली (आईएस) ऑडिट लागू किया है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 22–23 के लिए सूचना प्रणाली और सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षक नियुक्त किया था और लेखापरीक्षा आईएस लेखा परीक्षक द्वारा संपन्न की गई है। इसके अलावा, हितधारकों को आश्वासन प्रदान करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा पहली बार सूचना सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया गया था।

ये कठोर आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं डिफॉल्ट की संख्या को कम करेंगी, नियमित और निरंतर तरीके से प्रक्रियाओं/प्रणाली में अंतराल और कमजोरियों को कम करने के लिए प्रक्रियाओं में सुधार और मजबूती प्रदान करेंगी और अंततः सभी हितधारकों का विश्वास हासिल करने में योगदान देंगी।

कंपनी की रेटिंग

कंपनी के बॉंड जारी करने की रेटिंग तथा रेटिंग

आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए जारी किए। इसके साथ ही आईआईएफसीएल ने 100% कुल बॉंड जुटाए।

आईआईएफसीएल के विभिन्न परेलू दीर्घकालिक उधार (बॉन्ड) को विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा 'एएए/एएए (सीई)' रेटिंग दी गई है। चालू वर्ष 2022–23 के दौरान रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन

आईआईएफसीएल स्थापित, प्रलेखित, कार्यान्वित गुणवत्ता नीति और गुणवत्ता मैनुअल के साथ एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी बनी हुई है और यह सुनिश्चित करने के साधन के रूप में एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) बनाए रखती है कि आईआईएफसीएल की सेवाएं निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और इसमें लगातार सुधार हो रहा है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) आवश्यकताओं के अनुसार प्रभावशीलता।

क्यूएमएस फ्रेमवर्क से संबंधित दस्तावेजों को आईआईएफसीएल सिफारिशों में संशोधन, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित आईएसओ 9001 मानक में संशोधन या व्यावसायिक प्रक्रियाओं में बदलाव के आधार पर समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आईआईएफसीएल ने ISO प्रमाणन और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) की आवश्यकताओं का पालन किया। आईएसओ 9001:2015 मानक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, इसकी निरंतर उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और सुधार के अवसरों का आकलन करने के लिए प्रबंधन समीक्षा बैठकों के बाद समय–समय पर आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट आयोजित किए गए। आईआईएफसीएल प्रबंधन गुणवत्ता मानकों पर जोर देता है और समय–समय पर प्रबंधन समीक्षा बैठकों में इन पर विचार–विमर्श किया जाता है। आईआईएफसीएल ने फरवरी 2023 के दौरान कंपनी के आईएसओ प्रमाणन के नवीनीकरण के लिए आवश्यक प्रमाणन एजेंसी द्वारा तृतीय पक्ष पुनः प्रमाणन ऑडिट सफलतापूर्वक किया है। आईआईएफसीएल का आईएसओ 9001 प्रमाणन वार्षिक निगरानी ऑडिट आवश्यकता की पूर्ति के आधार पर 07 फरवरी, 2026 तक वैध है। जैसा कि प्रमाणन एजेंसी द्वारा अनुमोदित है।

व्यापार विकास

कंपनी विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित आधार पर बातचीत करती है। वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान, डेवलपर समूह, इन्वेस्ट, निजी इक्विटी फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड रेटिंग एजेंसियां, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियां, सरकारी अधिकारी आदि आईआईएफसीएल की भागीदारी और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए समर्थन का विस्तार करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों और क्षेत्रीय विषयों पर चर्चा करेंगे।

कंपनी देश के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में हितधारकों की बैठक भी आयोजित करती है, जहां डेवलपर्स, पीई फंड, पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड, बैंकों और विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है और व्यापार विकास के लिए हितधारकों को अवगत कराने के लिए इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए जाते हैं।

सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियाँ

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड:

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल), आईआईएफसीएल की समर्पित सलाहकार और परामर्श शाखा, अपनी विकास गति को बनाए रखना और इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना जारी रखे हुए है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, आईपीएल ने एमएसएमई क्षेत्र में एक नया कार्यक्रम जोड़कर अपने व्यापार पोर्टफोलियो को मजबूत किया, यह क्षेत्र हाल के दिनों में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण महत्वपूर्ण महत्व प्राप्त कर चुका है। आईपीएल ने अपने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित यूएसडी 800 मिलियन रैमपी (एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना) के पैन इंडिया कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई बनने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईपीएल को महाराष्ट्र राज्य में अपनी आगामी मेट्रो परियोजनाओं के लिए वित्तीय सलाह प्रदान करने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के साथ एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिला। इस कार्यक्रम के तहत, आईपीएल ने एमएमआरडीए द्वारा लिए गए 14,434 करोड़ रुपये के ऋण के दस्तावेजीकरण की सुविधा प्रदान की।

वर्ष के दौरान, आईपीएल ने अंतरिक्ष विभाग से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) में 10 इन–ऑर्बिट संचार उपग्रहों के हस्तांतरण के लिए लेनदेन सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का प्रतिष्ठित कार्य पूरा किया। इसमें परिसंपत्तियों का वित्तीय मूल्यांकन करना और उक्त हस्तांतरण के कराधान और लेखांकन प्रभाव का अध्ययन करना शामिल था। आईपीएल ने गिफ्ट सिटी में एनएसआईएल द्वारा कार्यालय की स्थापना के लिए एक कॉन्सेप्ट पेपर (कानूनी, कर और व्यवहार्यता निहितार्थ को कवर करते हुए) तैयार करने के लिए एनएसआईएल से एक और दोहराव आदेश दिया और पूरा किया।

तमिलनाडु, मेघालय और मणिपुर के विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के साथ चल रहे सलाहकार कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन और स्थिरता प्रभावशाली रही है और कंपनी के स्थायी निष्पादन में एक प्रमुख योगदानकर्ता रही है। इन कार्यक्रमों के तहत, आईपीएल ने इन राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रणनीतिक पहल पर काम किया, जैसे बांग्लादेश के माध्यम से मोरेह को महेंद्रगंज से दिल्ली तक जोड़ने वाले एक नए आर्थिक गलियारे के माध्यम से मेघालय की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अवधारणा विकास, मेघालय में पीपीपी नीति के लिए कार्यान्वयन ढांचे का विकास, मसौदा तैयार करना। 'मणिपुर विजन 2047' का अनावरण मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इन कार्यों ने आईपीएल को अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। आईपीएल को ब्यूरो की परिचालन आवश्यकताओं से संबंधित वित्तीय जांच और विश्लेषण करने के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ भी सूचीबद्ध किया गया है। यह कार्यभार आईपीएल के लिए फोरेंसिक ऑडिट और अवैध धन के वित्तीय पता लगाने में एनसीबी जांच टीमों की सहायता करने का अवसर खोलता है।

वित्त वर्ष 22–23 के दौरान, आईपीएल ने इन कार्यों की डिलीवरी के लिए एक कुशल पूल बनाने के लिए इन कार्यक्रमों की तैयारी के लिए जनशक्ति संसाधन में निवेश किया। अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की निरंतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने पर्याप्त कौशल के साथ नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए भर्ती प्रक्रियाएं शुरू की हैं। आईपीएल ने पिछले वर्ष के 13.16 करोड़ रुपये की तुलना में 14.54 करोड़ रुपये की कमाई की। कंपनी ने इस वर्ष 1.56 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह 2.31 करोड़ रुपये था।

आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड:

आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड, आईआईएफसीएल की एक ऑफ–शोर पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने वाली कंपनियों को पूंजीगत उपकरणों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अप्रैल 2008 में स्थापित की गई थी। आईआईएफसी (यूके) की अधिकृत पूंजी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और कंपनी की वर्तमान भुगतान पूंजी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। 31 मार्च 2023 तक, कंपनी ने प्रत्यक्ष ऋण के तहत 46 परियोजनाओं और पुनर्वित्त के तहत 2 संस्थानों को क्रमशः 4,708.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 4,414.47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संचयी सकल और शुद्ध मंजूरी दी है। 31 मार्च 2023 तक, कंपनी ने 2,255 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी संवितरण किया है। आरबीआई लाइन ऑफ क्रेडिट आईआईएफसी (यूके) के लिए धन का प्राथमिक स्रोत

रहा है और आरबीआई को देय बांड का शुद्ध मूल बकाया 31 मार्च 2023 तक 1,163 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। आरबीआई लाइन ऑफ क्रेडिट के अलावा, आईआईएफसी (यूके) लगातार जारी है भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपने वित्तीय संसाधनों को और अधिक पूरक बनाने की दृष्टि से धन के नए स्रोतों की खोज की जा रही है, और तदनुसार, कंपनी ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की द्विपक्षीय ऋण सुविधा हासिल की है और 31 मार्च 2023 तक इस सुविधा से 111 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से अपने पुनर्प्राप्ति प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा और वर्ष के दौरान लगभग 58.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वसूली की। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी का कर पश्चात लाभ वित्त वर्ष 2021–22 में 19.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 24.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएएमसीएल) :

"आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएएमसीएल), आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, 2012 में आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आई डी एफ) के लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) के रूप में स्थापित की गई थी। आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) ने रुपये के फंड आकार की अपनी पहली 300 करोड़ की आईडीएफ श्रृंखला I फरवरी 2014 में लॉन्च की और बंद कर दी। अप्रैल 2017 के महीने में, आईएएमसीएल ने रुपये 200.00 करोड़ के फंड आकार के साथ अपनी आईडीएफ सीरीज II लॉन्च की और बंद कर दी। 31 मार्च, 2023 तक आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) की दो क्लोज एंडेड योजनाओं की प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) ₹454.28 करोड़ (श्रृंखला–I) और ₹179.05 करोड़ (श्रृंखला II) है।

31 मार्च 2023 तक कंपनी की बैलेंस शीट का आकार बढ़कर रु. 31.89 करोड़ से 31 मार्च 2022 तक रु. 30.50 करोड़, 4.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालाँकि, आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड की दोनों योजनाओं के समापन के कारण आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) से प्रबंधन शुल्क में कमी के कारण वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान इसका कुल राजस्व मामूली रूप से घटकर 7.18 करोड़ रुपये हो गया है, जो वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 7.20 करोड़ रुपये था। (आईडीएफ) प्रक्रियाधीन है और प्रतिभूतियां परिपक्व/बेची जा रही हैं और उन्हें तरल अल्पकालिक बैंक जमा में परिवर्तित किया जा रहा है। दोनों योजनाओं के बंद होने से शुद्ध लाभ प्रभावित हुआ है, जो वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 2.16 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 2.04 करोड़ रुपये हो गया है।

आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) के न्यासी बोर्ड ने 31 जनवरी, 2023 को आयोजित 63वीं बैठक में कम कुल के साथ उच्च अनुपालन लागत के कारण सेबी दिशानिर्देशों के तहत आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) की दोनों योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया था। क्योंकि व्यय अनुपात और आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के लिए लागू परिपत्रों और दिशानिर्देशों का पालन करने में असमर्थता थी।

आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) की दोनों योजनाओं के यूनिट धारकों ने भी 15 मार्च, 2023 को अपनी–अपनी बैठकों में अपेक्षित बहुमत से दोनों योजनाओं को बंद करने की मंजूरी दे दी थी। वर्तमान में योजनाओं को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

रणनीतिक योजना के लिए आईआईएफसीएल द्वारा नियुक्त केपीएमजी ने अपनी 'रणनीति रिपोर्ट और व्यवसाय योजना' में निर्दिष्ट किया था कि चूंकि आईएएमसीएल के पास दो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ I और आईडीएफ II) के लॉन्च के माध्यम से पूल किए गए फंड वाहनों का अनुभव था, इसलिए आईआईएफसीएल को एक लॉन्च करना चाहिए। श्रेणी I या श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम 2012 के तहत पंजीकृत है, जिसमें आईएएमसीएल फंड के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा। तदनुसार, आईएएमसीएल के निदेशक मंडल ने 12 जनवरी, 2023 को आयोजित 86वीं बैठक में आईएएमसीएल द्वारा जारी किए जाने वाले वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के लिए आईएएमसीएल को निवेश प्रबंधक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

शेयर पूंजी

आईआईएफसीएल के सभी शेयरधारक भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं और आईआईएफसीएल की संपूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पूंजी भारत सरकार के पास है।

31 मार्च 2023 को, आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 10,000 करोड़ और पेड–अप शेयर पूंजी रु. 9999,91,62,300 में प्रत्येक 10 रुपये के 999,99,16,230 इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो पूरी तरह से भारत सरकार के पास हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) द्वारा कोई इक्विटी योगदान प्राप्त नहीं हुआ

लाभांश

आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लाभांश की घोषणा नहीं की है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

आपकी कंपनी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए वित्तपोषण के व्यवसाय में लगी हुई है, उसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रासंगिक प्रावधान से छूट प्राप्त है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद

आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कुल मिलाकर 1657.86 लाख रुपये की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की है, जिसमें से कुल 1392.60 लाख रुपये की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की गई है, यानी 84: मूल्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) उद्यमों से खरीदा गया था। इसके अलावा, रुपये की खरीद। भारत सरकार के जीईएम पोर्टल से 1188.55 लाख यानि 70: मूल्य का भुगतान किया गया है।

नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्राईवेट लिमिटेड

निदेशक मंडल

आज की तारीख में आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:

नाम एवं पदनाम	डी आई एन	पैन	श्रेणी	नियुक्ति की तिथि	पुनर्नियुक्ति की तिथि	जन्म तिथि	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की संख्या (लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17ए देखें)	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक पद की संख्या (लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17ए(1) देखें)	इस सूचीबद्ध इकाई सहित लेखापरीक्षा/हितधारक समिति(समितियों) में सदस्यों की संख्या (लि. विनियमों के विनियम 26(1) देखें)	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में अपने किस लेखापरीक्षा/हितधारक समिति में अध्यक्ष के पद की संख्या (सूचीबद्ध ए विनियमों के वि. विनियम 26(1) देखें)
श्री वी.एस. रामलिंगम (नोट 1 देखें)	06711526	AAHPJ5736F	प्रबंध निदेशक	26 मई 2020	26 मई 2023	20.11.1963	1	शून्य	1	शून्य
श्री राम कुमार कुमार (नोट 2)	08901398	AAKPK5446E	पूर्ण समय निदेशक	1 अगस्त 2020	-	11.09.1964	1	शून्य	2	शून्य
श्री सुमन कुमार सिन्हा (नोट 3 देखें) संयुक्त सचिव वित्तीय संस्थान विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	08135513	ALUP8064HL	सरकार द्वारा नामित निदेशक	6 जनवरी 2021	-	20.07.1964	2	शून्य	2	शून्य
श्री सौरभ आदित्यवरन (नोट 4) संयुक्त सचिव, आवासीय नीति एवं योजना प्रभाग आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	06892660	ADZPA3954P	सरकार द्वारा नामित निदेशक	23 जनवरी 2023	-	12.06.1973	2	शून्य	1	शून्य
श्री व. एर्म सामी रेड्डी (नोट 5) एसोसिएट, (सिटीबैंक), नीति आयोग	08941366	AARPC3003M	सरकार द्वारा नामित निदेशक	29 जनवरी 2020	-	24.08.1973	1	शून्य	शून्य	शून्य
श्री कमलेश कुमार (नोट 6 देखें) कार्यकारी निदेशक, राज्य नियामक बैंक	09631251	AADPK6666A	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	21 सितंबर 2022	-	10.11.1969	2	शून्य	2	1
श्री राम जस यादव (नोट 7 देखें) कार्यकारी निदेशक राज्य एवं जिला बैंक	09911900	ACDPR8343Q	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	21 सितंबर 2022	-	18.04.1964	2	शून्य	2	1
श्री मनीष जेठालाल कोठारी (नोट 8 देखें)	10163651	AMCP-B8460C	स्वतंत्र निदेशक	16 मई 2023	-	30.12.1967	1	1	2	1

टिप्पणियाँ:

1. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्रमांक एफ.सं. 9/3(i)/2019/IF–I दिनांक 27 मई 2020 ने श्री पद्मनाभन राजा जयशंकर, कार्यकारी निदेशक (ईडी), नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईआईएफसीएल) उनके पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में नियुक्त किया। श्री पी.आर. जयशंकर ने 29.05.2020 से आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है।

   इसके बाद, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या एफ.न. 18(5)/2022/आईएफ–I दिनांक 26 अप्रैल 2023 ने नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) के कार्यकारी निदेशक (ईडी), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईआईएफसीएल) अपने वर्तमान कार्यकाल के पूरा होने की तारीख से दो (2) वर्ष की अवधि के लिए (अर्थात 28.5.2023 तक) यानी 29.05.2023 से 28.5.2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में श्री पद्मनाभन राजा जयशंकर के कार्यकाल के विस्तार की सूचना दी।

2. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 9/3/2019/आईएफ–I दिनांक 23 सितंबर 2020 के माध्यम से श्री पवन कुमार कुमार, एक आईआरएस की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अवगत कराया है। 1990 बैच (जन्मतिथि: 11.9.1964) के (आईटी) अधिकारी को कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जेआईएफसीएल) के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) पद का प्रभार, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के रूप में नियुक्त किया गया। आईआईएफसीएल के डीएमडी के रूप में नियुक्ति से पहले, श्री पवन कुमार कुमार भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। श्री पवन कुमार कुमार की नियुक्ति 1 अक्टूबर 2020 यानी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आवंटन की तिथि से प्रभावी है। श्री पवन कुमार ने 1 अक्टूबर 2020 से आईआईएफसीएल के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

3. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 18/7(i)/2022–IF–I दिनांक 6 जनवरी 2023 के माध्यम से सूचित किया है कि अनुच्छेद 115 (1)(बी) के प्रावधानों के संदर्भ में)(i) और एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के अनुच्छेद 120 के अनुसार, केंद्र सरकार ने श्री भूषण कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय को सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया है। श्री ललित कुमार चंदेल के स्थान पर आईआईएफसीएल के बोर्ड में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक।

4. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्रमांक एफ.सं. 18/7/2022/आईएफ–I दिनांक 23 जनवरी 2023 ने सूचित किया है कि एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के अनुच्छेद 115 (1)(ख)(आई) और 120 के प्रावधानों के संदर्भ में, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के बुनियादी ढांचे नीति और योजना प्रभाग के संयुक्त सचिव श्री सोलोमन अरोकियाराज को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक श्री पीयूष कुमार के स्थान पर आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।

5. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 3/1/2010/आईएफ–I (खंड IV) दिनांक 28 अक्टूबर 2020 के माध्यम से श्री चौधरी की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी से अवगत कराया है। पार्थ सारथी रेड्डी (आईआरएसईई), सलाहकार (डीएमडी) को तत्काल प्रभाव से अनुच्छेद 115 (1)(बी)(i) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार आईआईएफसीएल के बोर्ड में श्री सोनजॉय कुमार साहा के स्थान पर अगले आदेश तक सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

   श्री चौधरी पार्थ सारथी रेड्डी की नियुक्ति 29 अक्टूबर 2020 यानी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आवंटन की तारीख से प्रभावी है।

6. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्रमांक एफ.सं. 3/1/2010/आईएफ–I दिनांक 21 सितंबर 2022 को श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115(1)(बी)(ii) के प्रावधानों के अनुसार, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, श्री कल्याण कुमार, कार्यकारी निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के बोर्ड में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया।

7. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्रमांक एफ.सं. 3/1/2010/आईएफ–I दिनांक 21 सितंबर 2022 ने सुश्री मणिमेखलाई के स्थान पर आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115(1)(बी)(ii) के प्रावधानों के अनुसार, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक डॉ. राम जस यादव, कार्यकारी निदेशक, पंजाब एंड सिंध बैंक को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के बोर्ड में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

8. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्रमांक एफ.सं. 18/7/2022/आईएफ–आई दिनांक 10 मई 2023 ने प्रावधानों के संदर्भ में, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, श्री समीर जेरामभाई बोपारा को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया। आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115(1)(डी) को तत्काल प्रभाव से उसकी नियुक्ति के आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए लागू किया गया है। श्री समीर जेरामभाई बोपारा की नियुक्ति 15 मई 2023 यानी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आवंटन की तारीख से प्रभावी है।

1 अप्रैल 2022 से आज तक आईआईएफसीएल के बोर्ड से निदेशक पद से हटने वाले व्यक्ति इस प्रकार हैं:–

नाम एवं पदनाम	डिन	पैन	श्रेणी	अवधि
सुश्री ए मणिमेखलाई (नोट 1 देखें)	08411575	AATPM5970G	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	28 अप्रैल 2020 – 21 सितंबर 2022
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (नोट 2 देखें)	08946309	AAUPS2576B	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	3 नवंबर 2020 – 21 सितंबर 2022
श्री ललित कुमार चंदेल (संदर्भ नोट 3)	00182667	AAGPC1282J	सरकार द्वारा नामित निदेशक	7 दिसंबर 2020– 6 जनवरी 2023
श्री दिपुष कुमार (संदर्भ नोट 4)	08292856	ADOPK6365K	सरकार द्वारा नामित निदेशक	3 दिसंबर 2021– 23 जनवरी 2023

बोर्ड कंपनी में आप सभी के योगदान की आन रिकार्ड सराहना करता है।

टिप्पणियाँ:

1. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्रमांक एफ.सं. 3/1/2010/आईएफ–I दिनांक 21 सितंबर 2022 ने तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, सुश्री मणिमेखलाई के स्थान पर आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115(1)(बी)(ii) के प्रावधानों के अनुसार, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, डॉ. राम जस यादव, कार्यकारी निदेशक, पंजाब एंड सिंध बैंक को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के बोर्ड में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

2. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्रमांक एफ.सं. 3/1/2010/आईएफ–I दिनांक 21 सितंबर 2022 ने श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115(1)(बी)(ii) के प्रावधानों के अनुसार, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, श्री कल्याण कुमार, कार्यकारी निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के बोर्ड में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) नामित निदेशक के रूप में तत्काल नियुक्त किया।

3. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 18/7(i)/2022–IF–I दिनांक 6 जनवरी 2023 के माध्यम से सूचित किया है कि अनुच्छेद 115 (1)(बी) के प्रावधानों के संदर्भ में)(ii) और एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के अनुच्छेद 120 के अनुसार, केंद्र सरकार ने श्री ललित कुमार चंदेल के स्थान पर आईआईएफसीएल के बोर्ड में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, श्री भूषण कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय को सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।

4. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्रमांक एफ.सं. 18/7/2022/आईएफ–I दिनांक 23 जनवरी 2023 ने सूचित किया है कि एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के अनुच्छेद 115 (1)(बी)(आई) और 120 के प्रावधानों के संदर्भ में, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के बुनियादी ढांचे नीति और योजना प्रभाग के संयुक्त सचिव श्री सोलोमन अरोकियाराज को तत्काल प्रभाव और अगले आदेश तक श्री पीयूष कुमार के स्थान पर आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, इसकी पुष्टि की जाती है:

क) 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में लागू लेखांकन मानक का पालन किया गया था और इससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं हुआ है।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी का लाभ और कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके।

ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी।

घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए चालू चिंता के आधार पर खाते तैयार किए थे।

ङ.) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

निगम से संबंधित शासन प्रणाली के सच्चे मालिक के रूप में शेयरधारकों के अधिमान्य अधिकारों और शेयरधारकों की ओर से ट्रस्टी के रूप में उनकी अपनी भूमिका के प्रबंधन द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों का एक सेट है। कॉर्पोरेट प्रशासन पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है जो कंपनी और समाज के मजबूत और संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। तदनुसार, कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को अपनाने और मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट जगत में मजबूत अहसास है।

आपकी कंपनी ऐसे कॉर्पोरेट प्रशासन दर्शन के अनुरूप कॉर्पोरेट संरचना, व्यवसाय संचालन और प्रकटीकरण प्रथाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल की संरचना, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या एफ.नं. 18/6/2014–आईएफ–I दिनांक 22 जनवरी 2015 है: – दो (2) पूर्णकालिक निदेशक जिसमें से एक प्रबंध निदेशक होगा, तीन (3) सरकार द्वारा नामित निदेशक, दो (2) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या के माध्यम से बताई गई है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर विचार करने का अनुरोध किया है।

आपकी कंपनी वित्तीय विवरणों के समेकन के संबंध में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करती है। प्रबंधन सभी महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित बोर्ड को खुलासे करता है, जहां उनके व्यक्तिगत हित होते हैं जिनका कंपनी के हित के साथ संभावित टकराव हो सकता है। अर्थव्यवस्था, कंपनी के निष्पादन और अन्य परिचालन मामलों पर रिपोर्ट की निदेशक मंडल द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकें

कंपनी का निदेशक मंडल नेतृत्व और रणनीतिक दिशा प्रदान करता है और अपने वस्तुनिष्ठ निर्णय को सामने लाता है, ताकि कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण रखा जा सके और कुशल प्रबंधन के माध्यम से हितधारकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की 26 मई 2022, 30 मई 2022, 23 जून 2022, 13 अगस्त 2022, 29 सितंबर 2022, 11 अक्टूबर 2022, 31 जनवरी 2023, 14 फरवरी 2023 और 29 मार्च 2023 को नौ बार बैठकें हुईं।

निदेशक मंडल की समिति

बोर्ड पूर्ण बोर्ड के रूप में या विशिष्ट परिचालन क्षेत्रों की देखरेख के लिए गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। बोर्ड की प्रत्येक समिति अपने संदर्भ की शर्तों द्वारा निर्देशित होती है, जो समिति की संरचना, दायरे और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियाँ नियमित अंतराल पर बैठक करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें सौंपे गए अधिकार के भीतर सूचित निर्णय लेती हैं।

31 मार्च 2023 तक, बोर्ड में निम्नलिखित समितियाँ थीं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. प्रबंधन एवं निवेश समिति
3. जोखिम प्रबंधन समिति
4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
5. पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति
6. हितधारक संबंध समिति
7. आईटी रणनीति समिति

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

ऑडिट समिति का गठन 29 मई, 2006 को आयोजित तीसरी बोर्ड बैठक में किया गया था। ऑडिट समिति का पिछला पुनर्गठन 15 मई 2023 को आयोजित 128वीं बोर्ड बैठक में प्रभावी हुआ था।

आज की तारीख में लेखापरीक्षा समिति का गठन इस प्रकार है:

नाम	पद का नाम
श्री समीर जेरामभाई बोपारा	स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष
श्री पवन कुमार कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री मुकुल कुमार सिन्हा,	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री सोलोमन अरोकियाराज,	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री वी. पार्थ सारथी रेड्डी	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री कल्याण कुमार	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
डॉ. राम जस यादव (नोट 1)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री ललित कुमार चंदेल(नोट 2)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सुश्री ए मणिमेखलाई (नोट 3)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (नोट 4)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक

टिप्पणी:

1. 15 मई 2023 से सदस्य बनना बंद।
2. 6 जनवरी 2023 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया
3. 21 सितंबर 2022 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया
4. 21 सितंबर 2022 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया

वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड की ऑडिट कमेटी की बैठक 10 मई 2022, 26 मई 2022, 30 मई 2022, 23 जून 2022, 13 अगस्त 2022, 23 सितंबर 2022, 10 नवंबर 2022, 31 जनवरी 2023, 14 फरवरी 2023, और 29 मार्च 2023 को दस बार हुई।

प्रबंधन एवं निवेश समिति (एमआईसी)

एमआईसी का गठन 20 फरवरी, 2013 को आयोजित 60वीं बोर्ड बैठक में किया गया था। एमआईसी का पिछला पुनर्गठन 15 मई 2023 को आयोजित 128वीं बोर्ड बैठक में किया गया था। आज की तारीख में प्रबंधन और निवेश समिति का गठन इस प्रकार है:

नाम	पद का नाम
श्री पी.आर. जयशंकर	प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल समिति के अध्यक्ष
श्री पवन कुमार कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री सोलोमन अरोकियाराज	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री वी. पार्थ सारथी रेड्डी	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री कल्याण कुमार	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
डॉ. रामजस यादव	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री समीर जेरामभाई बोपारा	स्वतंत्र निदेशक
श्री पीयूष कुमार (नोट 1)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सुश्री ए मणिमेखलाई (नोट 2)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (नोट 3)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक

टिप्पणियाँ:

1. 23 जनवरी 2023 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया
2. 21 सितंबर 2022 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया
3. 21 सितंबर 2022 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया

वर्ष 2022–23 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन एवं निवेश समिति की 10 मई 2022, 17 जून 2022, 18 जुलाई 2022, 28 जुलाई

2022, 22 सितंबर 2022, 20 अक्टूबर 2022, 15 दिसंबर 2022, 1 फरवरी 2023, 23 फरवरी 2023, 23 मार्च 2023 और 29 मार्च 2023 को ग्यारह बार बैठक हुई।

जोखिम प्रबंधन समिति

आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 14 नवंबर 2008 को आयोजित 21वीं बैठक में बोर्ड की जोखिम शमन और प्रबंधन समिति का गठन किया। आईआईएफसीएल को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में पंजीकृत होने और आईआईएफसीएल में एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन के आलोक में, 3 तारीख को आयोजित 68वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड स्तर – जोखिम शमन और प्रबंधन समिति को बोर्ड स्तर–जोखिम प्रबंधन और एल्को समिति के रूप में पुनर्गठित किया गया था। फरवरी 2014 में आईआईएफसीएल जोखिम प्रबंधन और संपत्ति एवं देयता प्रबंधन को समग्र मार्गदर्शन दिया गया। इसके बाद, 26 नवंबर 2014 को आयोजित 73वीं बैठक में आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी कि मास्टर परिपत्र के विनियमन 3 के मद्देनजर आईआईएफसीएल की मौजूदा जोखिम प्रबंधन और एल्को समिति को दो समितियों अर्थात् जोखिम प्रबंधन समिति और एल्को समिति में विभाजित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संदर्भ संख्या डीएनबीएस (पीडी) सीसी संख्या 390/03.10.001/2014–15 दिनांक 1 जुलाई, 2014 द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यह निर्धारित करता है कि सार्वजनिक जमा राशि वाले प्रत्येक एनबीएफसी रुपये 20 करोड़ और उससे अधिक या संपत्ति का आकार रु. 100 करोड़ या उससे अधिक की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) के अलावा, एकीकृत जोखिम के प्रबंधन के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। दोनों समितियों में सदस्य समान होने थे।

बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति ने 9 सितंबर 2020 को हुई बैठक में दी गई बोर्ड की मंजूरी के अनुसार बोर्ड स्तरीय (एल्को) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को शामिल कर लिया। कार्यकारी स्तर की (एल्को) समिति द्वारा लिया गया निर्णय अब से सूचना एवं रणनीतिक दिशा के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किया जाएगा।

जोखिम प्रबंधन समिति का पिछला पुनर्गठन 15 मई 2023 को आयोजित 128वीं बोर्ड बैठक में किया गया था।

आज की तारीख में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन इस प्रकार है:

नाम	पद का नाम
डॉ. रामजस यादव	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक **समिति के अध्यक्ष**
श्री टी.आर. जयशंकर	प्रबंध निदेशक
श्री पवन कुमार कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री कल्याण कुमार	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री समीर जेरामभाई बोधारा	स्वतंत्र निदेशक
सुश्री ए मणिमेखलाई (नोट 1)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (नोट 2)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक

टिप्पणियाँ:

1. 21 सितंबर 2022 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया
2. 21 सितंबर 2022 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया

वर्ष 2022–23 के दौरान, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की 26 मई 2022, 23 जून 2022, 23 सितंबर 2022, 26 दिसंबर 2022 और 23 मार्च 2023 को पांच बार बैठक हुई।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार 23 अप्रैल, 2012 को आयोजित 51वीं बोर्ड बैठक में सीएसआर समिति का गठन किया गया था। सीएसआर समिति का पिछला पुनर्गठन 15 मई 2023 को आयोजित 128वीं बोर्ड बैठक में किया गया था।

आज की तारीख में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन इस प्रकार है:

नाम	पद का नाम
श्री समीर जेरामभाई बोधारा	स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष
श्री पी.आर. जयशंकर	प्रबंध निदेशक
श्री पवन कुमार कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री सोलोमन अरोकियाराज	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री वी. पार्थ सारथी रेड्डी	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री ललित कुमार चंदेल (नोट 1)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री पीयूष कुमार (नोट 2)	सरकार द्वारा नामित निदेशक

टिप्पणियाँ:

1. 6 जनवरी 2023 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया
2. 23 जनवरी 2023 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया

बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की एक बैठक 2022–23 के दौरान 29 मार्च 2023 को हुई।

पारिश्रमिक और नामांकन समिति

पारिश्रमिक समिति का गठन 14 जुलाई 2009 को आयोजित 25वीं बोर्ड बैठक में किया गया था, जिसे बाद में कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार 11 अगस्त 2014 को आयोजित 71वीं बोर्ड बैठक में पारिश्रमिक और नामांकन समिति का नाम दिया गया।

पारिश्रमिक और नामांकन समिति का पिछला पुनर्गठन 15 मई 2023 को आयोजित 128वीं बोर्ड बैठक में प्रभावी हुआ था।

आज की तारीख में पारिश्रमिक और नामांकन समिति का गठन इस प्रकार है:

नाम	पद का नाम
श्री समीर जेरामभाई बोधारा	स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष
श्री भूषण कुमार सिन्हा	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री सोलोमन अरोकियाराज	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री कल्याण कुमार	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
डॉ. रामजस यादव	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री पीयूष कुमार (नोट 1)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री ललित कुमार चंदेल (नोट 2)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सुश्री ए मणिमेखलाई (नोट 3)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (नोट 4)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक

टिप्पणियाँ:

1. 23 जनवरी 2023 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया
2. 6 जनवरी 2023 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया
3. 21 सितंबर 2022 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया
4. 21 सितंबर 2022 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया

बोर्ड की पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति की एक बैठक 2022–23 के दौरान 10 नवंबर 2022 को हुई।

हितधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार 1 अगस्त 2014 को आयोजित 71वीं बोर्ड बैठक में हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया था।

हितधारक संबंध समिति का पिछला पुनर्गठन 15 मई 2023 को आयोजित 128वीं बोर्ड बैठक में प्रभावी हुआ था।

आज की तारीख में हितधारक संबंध समिति का गठन इस प्रकार है:

नाम	पद का नाम
डॉ. रामजस यादव	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक समिति के अध्यक्ष
श्री पी.आर. जयशंकर	प्रबंध निदेशक
श्री पवन कुमार कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री भूषण कुमार सिन्हा	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री कल्याण कुमार (नोट 1)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री ललित कुमार चंदेल (नोट 2)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
सुश्री ए मणिमेखलाई (नोट 3)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (नोट 4)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक

टिप्पणियाँ :

1. 15 मई 2023 से सदस्य बनना बंद।
2. 6 जनवरी 2023 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया
3. 21 सितंबर 2022 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया
4. 21 सितंबर 2022 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया

वर्ष 2022–23 के दौरान, बोर्ड की हितधारक संबंध समिति की 24 जून 2022, 13 अगस्त 2022, 10 नवंबर 2022 और 14 फरवरी 2023 को चार बार बैठक हुई।

निवेशकों की सभी शिकायतों पर नियमित आधार पर ध्यान दिया जाता है।

आईटी रणनीति समिति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8 जून 2017 को जारी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए मास्टर डायरेक्शन–सूचना प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क की आवश्यकता के अनुसार 2 अगस्त 2017 को आयोजित 86वीं बोर्ड बैठक में आईटी रणनीति समिति का गठन किया गया था।

आईटी रणनीति समिति का पिछला पुनर्गठन 15 मई 2023 को आयोजित 128वीं बोर्ड बैठक में किया गया था।

आज की तारीख में आईटी रणनीति समिति का गठन इस प्रकार है:–

नाम	पद का नाम
श्री समीर जेरामभाई बोधारा	स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष
श्री पी.आर.जयशंकर	प्रबंध निदेशक
श्री पवन कुमार कुमार	उप प्रबंध निदेशक
श्री कल्याण कुमार	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव (नोट 1)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक
श्री राज कुमार रल्हन	क्रेडिट विभाग के प्रमुख
श्री किशोर एन कुंभारे, सीजीएम	जोखिम विभाग के प्रमुख
श्री सुबोध शर्मा, जीएम	आईटी विभाग के प्रमुख
श्री सुमाशिस ढल, महाप्रबंधक	मानव संसाधन विभाग के प्रमुख
श्री विशाल रलौड़, जीएम	मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) मुख्य सूचना प्रौद्योगिक अधिकारी (सीटीओ)
श्री आशुतोष जयसवाल, डीजीएम	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)

टिप्पणियाँ:

1. 21 सितंबर 2022 से निदेशक और सदस्य बनना बंद हो गया

वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड की आईटी रणनीति समिति की 30 सितंबर 2022 और 27 मार्च 2023 को दो बार बैठक हुई।

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीतियां, जिसमें योग्यता निर्धारित करने के मानदंड, सकारात्मक गुण, निदेशक की स्वतंत्रता और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 की उप–धारा (3) के तहत प्रदान किए गए अन्य मामले शामिल हैं।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी को कंपनी की नीतियों से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (ई) के प्रावधानों एवं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 की उप–धारा (3) के तहत प्रदान की गई योग्यता, सकारात्मक गुण, निदेशक की स्वतंत्रता और अन्य मामलों को निर्धारित करने के मानदंड सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा पर वक्तव्य

पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी होने के नाते आईआईएफसीएल के बोर्ड में निदेशकों को वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं। आईआईएफसीएल ने वित्तीय विभाग से अनुरोध किया है सेवाएँ, भारत सरकार अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके बाद, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 18/7(i)/2022–IF – I दिनांक 10 मई 2023 के माध्यम से श्री समीर जेरामभाई बोधारा को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

बोर्ड द्वारा अपने और अपनी समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है, यह दर्शाने वाला विवरण

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के निष्पादन और उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में हैं। सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के मंत्रालय या राज्य सरकार, अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार विभाग द्वारा किया जाता है जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है, या, जैसा भी मामला हो, एमसीए अधिसूचना के मद्देनजर आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल को अपने स्वयं के निष्पादन और अपनी समिति और व्यक्तिगत निदेशकों के निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं थी। आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, बोर्ड के सभी सदस्यों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय यानी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 (1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में, जहां लागू हो, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण को लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आदि में प्रकट किया गया है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है

सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुई हैं, जिससे वित्तीय विवरण और रिपोर्ट की तारीख संबंधित हैं।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष और कंपनी की रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हुई है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है।

नियामकों / न्यायालयों / न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश, जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया, जो भविष्य में कंपनी की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करता हो।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता

आईआईएफसीएल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक स्वतंत्र फर्म मेसर्स जी.एस. माथुर एंड कंपनी से अपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समीक्षा की समीक्षा की और रिपोर्ट 9 नवंबर 2021 को आयोजित बोर्ड/ऑडिट समिति की बैठक में रखी गई।

बोर्ड ने महसूस किया कि कंपनी के आकार को ध्यान में रखते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का दायरा पर्याप्त है।

निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण

11 अगस्त 2014 को आयोजित 71वीं बोर्ड बैठक में आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी कि आईआईएफसीएल के केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) दिशानिर्देशों के अनुसार सतर्कता तंत्र कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यक वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के सतर्कता तंत्र के लिए पर्याप्त होगा। 2013, बोर्ड ने आगे संकल्प लिया कि आईआईएफसीएल का सतर्कता तंत्र व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त

सुरक्षा प्रदान करेगा और सीवीसी दिशानिर्देशों के तहत उचित या असाधारण मामलों में ऑडिट समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच का प्रावधान करेगा। इसके बाद, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 की आवश्यकता के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर और बोर्ड रिपोर्ट में ऐसे सतर्कता तंत्र की स्थापना के विवरण का खुलासा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आपकी कंपनी ने कंपनी की वेबसाइट पर सतर्कता तंत्र की मेजबानी की है। आपकी कंपनी के पास एक औपचारिक व्हिसिल ब्लोअर नीति भी लागू है, जिसे कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

आईआईएफसीएल में सतर्कता प्रशासन

1. आईआईएफसीएल में सतर्कता प्रशासन के एक भाग के रूप में, डीएफएस, एमओएफ द्वारा एक सीवीओ नियुक्त किया गया है। सतर्कता प्रशासन एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण है जो आईआईएफसीएल और इसकी सभी सहायक कंपनियों में कार्यरत है। सीवीओ आईआईएफसीएल में सतर्कता विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं।

2. सतर्कता कार्य को मोटे तौर पर दो प्रमुखों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् दंडात्मक सतर्कता और निवारक सतर्कता।

3. वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग का ध्यान निवारक सतर्कता पर रहा, जिसमें आईआईएफसीएल में सतर्कता प्रशासन को मजबूत करने, प्रणालीगत सुधार, नीति समीक्षा, संपत्ति रिटर्न की जांच, कार्यशालाओं का संचालन और निवारक सतर्कता के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की दिशा में प्रयास किए गए हैं।

4. एमडी के साथ सीवीओ, आईआईएफसीएल की संयोजित बैठक हर तिमाही में आयोजित की जाती है। प्रत्येक त्रैमासिक बैठक में, पिछली बैठक के एजेंडे और तिमाही के नए एजेंडे पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट रखी जाती है।

5. शिकायतों के संबंध में, वर्ष 2022–23 के दौरान सतर्कता विभाग को चार शिकायतें प्राप्त हुई और उनका निपटारा किया गया। वर्तमान में, इस स्तर पर कोई भी शिकायत लंबित या विचाराधीन नहीं है। वर्ष के दौरान संगठन में कोई डीए मामला सामने नहीं आया है और सीबीआई द्वारा अभियोजन के लिए कोई मंजूरी नहीं मांगी गई है।

6. आईआईएफसीएल में 31 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक केंद्रीय विषय 'विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत' के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, विभिन्न गतिविधियां यानी सभी अधिकारियों के बीच शपथ दिलाना, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। आईआईएफसीएल और सहायक कंपनियों के अधिकारियों के बीच निबंध लेखन प्रतियोगिता, कार्यशालाओं का आयोजन और केंद्रीय विद्यालय के छात्रों द्वारा पेंटिंग का आयोजन आईआईएफसीएल में किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तीन महीने के अभियान के दौरान फोकस क्षेत्र थे:

   क. संपत्ति प्रबंधन

   ख. परिसंपत्तियों का प्रबंधन

   ग. रिकार्ड प्रबंधन

   घ. तकनीकी पहल

   ङ. दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नीतियों / मैनुअलों आदि को अद्यतन करना।

   च. शिकायतों का निस्तारण.

7. **वर्ष के दौरान अन्य पहलें**

   क) सहायक कंपनियों में सतर्कता प्रशासन– आईआईएफसीएल की सभी तीन सहायक कंपनियों में सतर्कता प्रशासन स्थापित किया गया है। प्रत्येक सहायक कंपनी में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो सीवीओ को

रिपोर्ट करता है। सहायक कंपनियों में त्रैमासिक सतर्कता निरीक्षण किया जाता है। त्रैमासिक I सहायक कंपनियों में सतर्कता संबंधी कार्यों पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है और सीवीओ द्वारा समीक्षा की जा रही है।

बी) सतर्कता जर्नल – सतर्कता मामले पर कर्मचारियों के ज्ञान संवर्धन के हिस्से के रूप में, त्रैमासिक सतर्कता जर्नल 'आईआईएफसीएल विजिल' प्रकाशित और कर्मचारियों के बीच प्रसारित किया जा रहा है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत खुलासा

कंपनी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक नीति अपनाई है। और उसके तहत निर्धारित नियम। इसके अलावा, यौन उत्पीड़न के मामलों को आईआईएफसीएल कर्मचारी सेवा विनियमों में कदाचार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकने और उनका समाधान करने के लिए आईआईएफसीएल में एक सुव्यवस्थित तंत्र है। पीओएसएच अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कार्यरत है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। कंपनी महिला कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए उनकी संख्या की परवाह किए बिना सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखती है, जो इस तथ्य से स्पष्ट हो सकता है कि आज तक आईआईएफसीएल में इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आईआईएफसीएल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू कर रहा है और आवेदकों को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जानकारी प्रदान कर रहा है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के अनुसार आईआईएफसीएल में नामित किया गया है। संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण, सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी संपर्क विवरण के तहत प्रकटीकरण के अनुसार आवश्यक है आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(बी) आईआईएफसीएल वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्राप्त आरटीआई आवेदनों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार निर्धारित समय के भीतर उत्तर/अग्रेषित/अस्वीकृत कर दिया जाता है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की आवश्यकता के अनुसार रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है और प्रसारित किया जाता है।

आईआईएफसीएल प्राप्त, संबोधित और अस्वीकृत आवेदनों के लिए मासिक रिटर्न फॉर्म अपलोड करता है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर आरटीआई आवेदनों की त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने का भी अनुपालन करता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आईआईएफसीएल को 101 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 92 आवेदन स्वीकार किए गए और समय पर उत्तर दिए गए, 9 आवेदन खारिज कर दिए गए, क्योंकि वे आईआईएफसीएल से संबंधित नहीं थे।

शिकायत निवारण तंत्र

हितधारकों का उत्तरदायी प्रबंधन और शिकायतों का समय पर प्रसंस्करण कंपनी के लिए प्राथमिकता है। आईआईएफसीएल ने अपने हितधारकों के लिए शिकायत/शिकायत उठाने के लिए एक उचित मंच प्रदान करने के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। आईआईएफसीएल एक विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) का विधिवत पालन करता है जिसे आईआईएफसीएल के नागरिक चार्टर में शामिल किया गया है और सार्वजनिक प्रकटीकरण के हिस्से के रूप में इसकी वेबसाइट पर इसका खुलासा किया गया है। शिकायतें निम्नलिखित तरीकों से दर्ज की जा सकती हैं–

i. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से
ii. आईआईएफसीएल वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन शिकायत निवारण फॉर्म के माध्यम से
iii. एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम) के माध्यम से
iv. grievancefeedback/iifcl.in पर ईमेल के माध्यम से

आईआईएफसीएल ने शिकायत निवारण प्रणाली के प्रबंधन के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी (जी आर ओ) को नियुक्त किया है। जीआरओ का विवरण आईआईएफसीएल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

आईआईएफसीएल के विभिन्न बॉन्ड इश्यू में निवेश से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, निवेशक ईमेल आईडी पर आईआईएफसीएल को सूचित करते हुए सीधे संबंधित रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं: grievancefeedback/iifcl-in

संतोषजनक समाधान न होने की स्थिति में, निवेशक अनुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं जिनका विवरण आईआईएफसीएल वेबसाइट पर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आईआईएफसीएल को 587 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 581 शिकायतों का समाधान किया गया और समय पर उत्तर दिया गया, और शेष 6 शिकायतों में से 4 बांड से संबंधित थीं और 2 आईआईएफसीएल से संबंधित नहीं थीं। सभी शिकायतें निर्धारित समयसीमा के भीतर बंद कर दी गईं।

अनुपालन विभाग:

आईआईएफसीएल एक कैलेंडर के माध्यम से निरंतर निगरानी और संबंधित विभागों के साथ सक्रिय समन्वय के साथ नियामक गैर–अनुपालन पर शून्य सहिष्णुता का पालन कर रहा है। अनुपालन निगरानी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, आईआईएफसीएल ने अनुपालन जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी, प्रबंधन और रिपोर्टिंग सहित अनुपालन प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित एप्लिकेशन स्थापित किया है।

जमाएं

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित, के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, न ही कोई जमा अवैतनिक या लावारिस रहा है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, कंपनी ने जमा राशि के पुनर्भुगतान या उस पर देय ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में विवरण

1. ऊर्जा संरक्षण/प्रौद्योगिकी अवशोषण

कंपनी को ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित विवरणों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी कंपनी विनिर्माण गतिविधि नहीं करती है। हालाँकि, कंपनी ने कार्यालय परिसर में ऊर्जा खपत के संरक्षण के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई है, जिसमें कोई प्रौद्योगिकी अवशोषण शामिल नहीं है।

2. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष 2022–23 के दौरान उपयोग/अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:–

साल खत्म हुआ	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
उपयोग की गई कुल विदेशी मुद्रा	766.57	634.36
कुल अर्जित विदेशी मुद्रा	-	-

कर्मचारियों का विवरण

एक सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक नियमावली की नियुक्ति और पारिश्रमिक), 2014 के नियम 5 के साथ कर्मचारियों का विवरण देने की आवश्यकता नहीं है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के निदेशकों या कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया।

सचिवीय मानक

आपकी कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का सही अर्थों में पालन करती है।

वार्षिक रिटर्न लिंक

निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिटर्न का एक उद्धरण अनुलग्नक – II में वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत लेखा परीक्षा समिति को अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ किए गए धोखाधड़ी के किसी भी मामले की सूचना दी है, विवरण जिसका उल्लेख बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाना आवश्यक है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसरण में लागत रिकॉर्ड का रखरखाव

केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी द्वारा निष्पादित गतिविधियों के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।

वैधानिक लेखा परीक्षक

अग्रवाल और सक्सेना (सीआरएमएन), चार्टर्ड अकाउंटेंट को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के पूरक ऑडिट को निदेशक (प्रशासन), प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (उद्योग) और कॉर्पोरेट मामलों, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली – 110002 को सौंपा गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय ने पत्र संख्या/सीए के माध्यम से बी/सीओवाई/केंद्र सरकार, आईआईएफसीएल(1)/111 दिनांक 28 अगस्त 2022 ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी कंपनी में वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अग्रवाल और सक्सेना को आईआईएफसीएल के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के कार्यालय द्वारा नियुक्त कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक कंपनी की 18वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे।

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स जे.के. 15 सितंबर 2023 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 और बनाए गए नियमों के अनुसार इसके तहत उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट जारी की है और इसे इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध–I में संलग्न किया गया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियां और टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब ऑडिट रिपोर्ट की प्रति के साथ वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

ऑडिटर की योग्यता पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ

यह प्रस्तुत किया गया है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (आईआईएफसी (यूके)) के पास निर्दिष्ट स्तर पर पूंजी बनाए रखने के लिए कोई नियामक आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2008 से वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान आईआईएफसी (यूके) में 50 मिलियन अमरीकी डालर की इक्विटी निवेश की। आईआईएफसी (यूके) ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में 30 मिलियन अमरीकी डालर और वित्तीय वर्ष 2015–16 में 20 मिलियन अमरीकी डालर का लाभांश घोषित किया, जो कुल मिलाकर 50 मिलियन अमरीकी डालर है। आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2019–20 में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इक्विटी शेयर पूंजी और उसके बाद वित्त वर्ष 2021–22 में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इक्विटी शेयर पूंजी आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में निवेश की थी।

इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने इसके परिणामस्वरूप अपनी ऋण बही का गहन प्रावधानीकरण और परिशोधन की:

- आरबीआई परिपत्र दिनांक 12 फरवरी 2018 (तनावग्रस्त संपत्तियों का समाधान – संशोधित फ्रेमवर्क) जारी करने के परिणामस्वरूप संकटग्रस्त संपत्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए फ्रेमवर्क, सीडीआर, मौजूदा दीर्घकालिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना, एसडीआर, एसडीआर और S4A; के बाहर स्वामित्व में बदलाव जैसी सभी योजनाएं वापस ले ली गई।
- दिवाला और दिवालियापन संहिता के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप एनपीए मामलों को समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए अनिवार्य रूप से एनसीएलटी को भेजा जा रहा है।

आईआईएफसीएल की तर्ज पर वित्त वर्ष 2018–19 में आईआईएफसी (यूके) में ऋण बही का समान गहन प्रावधानीकरण और परिशोधन की गई थी। इसके परिणामस्वरूप आईआईएफसी (यूके) की निवल संपत्ति में गिरावट आई।

आईआईएफसीएल 10 वर्षों की अवधि में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की आईआईएफसी (यूके) की इक्विटी पूंजी की सदस्यता लेकर आईआईएफसी (यूके) को नई पूंजी प्रदान करने का इरादा रखता है, जिसमें से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहले ही वित्त वर्ष 2019–20 और वित्त वर्ष 2021 –22 जैसा कि ऊपर बताया गया है, के दौरान सब्सक्राइब किया जा चुका है।

इसके अलावा, आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2019–20, वित्त वर्ष 2020–21, वित्त वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2022–23 में क्रमशः 9.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 4.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 16.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 22.39 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया है। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड की कुल संपत्ति 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

आईआईएफसीएल ने आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड को एक घातु इकाई के रूप में देखते हुए और कंपनी द्वारा किए गए नुकसान को स्थायी नहीं मानते हुए, आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में रखी गई इक्विटी शेयर पूंजी के क्षरण को नुकसान के रूप में मान्यता नहीं दी है।

नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्राईवेट लिमिटेड

राजभाषा (राजभाषा)

आईआईएफसीएल राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है और कार्यालय में राजभाषा हिंदी के उपयोग

को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हर साल जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम और अन्य दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रयास करता है।

राजभाषा नीतियों के अनुपालन और आधिकारिक कामकाज में हिंदी के 100% उपयोग के लिए, आईआईएफसीएल ने भारत सरकार की 'हिंदी शिक्षण योजना' के तहत 'पारंगत' पाठ्यक्रम के सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित किया है। अब तक आईआईएफसीएल के 80 प्रतिशत अधिकारियों ने 'पारंगत' प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और शेष 20 प्रतिशत अधिकारी जल्द से जल्द प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे। आईआईएफसीएल इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) भारत सरकार की राजभाषा नीति का पालन करते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर से 30 सितंबर तक विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करके 'हिंदी पखवाड़ा' बड़े धूमधाम से मनाती है।

नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्राईवेट लिमिटेड

नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्राईवेट लिमिटेड

प्रमुख बिंदु:

- राजभाषा विभाग को राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 और भारत सरकार तथा संसद की राजभाषा समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- विभाग ने कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण प्रदान करके और द्विभाषाकरण द्वारा पत्राचार और आंतरिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ाकर हिंदी में अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
- आईआईएफसीएल की वेबसाइट का द्विभाषाकरण सुनिश्चित करने के अलावा, राजभाषा विभाग नियमित रूप से राजभाषा नीति और राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम के उद्देश्यों और भारत सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की प्रगति की नियमित रूप से त्रैमासिक आधार पर समीक्षा की जाती है तथा अन्य रिपोर्टें नियमित रूप से भारत सरकार के गृह विभाग की राजभाषा समिति को भेजी जाती हैं।
- गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए सभी निर्देशों एवं कार्यान्वयन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष एक विस्तृत 'वार्षिक कार्य योजना' तैयार की जाती है।
- हिंदी कार्यशालाओं और डेस्क प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी में कुशल कार्य के लिए कुशल प्रशिक्षण और आईटी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए आईआईएफसीएल को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दिल्ली बैंक टोलिक) से दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- 14 सितंबर, 2022, हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा/माह पर हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं/सेमिनार/व्याख्यान/अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वैधानिक और अन्य जानकारी की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी इस रिपोर्ट के साथ निम्नानुसार संलग्न है:

क्रम संख्या	विवरण	अनुलग्नक
1	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	I
2	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) के अनुसार फॉर्म संख्या एमजीटी 9 में वार्षिक रिटर्न का उद्धरण	II
3	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	III
4	राशि, यदि कोई हो तो किसी रिजर्व में से जाई गई	IV

आभार

निदेशक मंडल केंद्र सरकार, विशेष रूप से वित्तीय सेवाएं विभाग और वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग, नीति आयोग, राज्य सरकारों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय भागीदारों के कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य सभी हितधारकों का आभारी है। उनका निरंतर समर्थन और सहयोग। बोर्ड कंपनी के लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, एलआईसी और एमओयू भागीदारों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन और सलाह के लिए भी आभारी है।

निदेशक मंडल कंपनी के कर्मचारियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रयासों की सराहना करना चाहता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

हस्ता/-
पवन कुमार कुमार
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 08801388

हस्ता/-
पी.आर. जयशंकर
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 06711526

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 सितंबर 2023

वेस्टर्न गुजरात पावर लिमिटेड

बोथे विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड

मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

मिडल पावर प्लांट

वेलस्पन सोलर एमपी प्राइवेट लिमिटेड

कावीनाडा सीपोर्ट्स लिमिटेड

एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड

विंड क्रस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

एससीओ–आईबीसी बैठकें एवं सम्मेलन

गोवा में एससीओ–आईबीसी परिषद् बैठक

एससीओ–आईबीसी : नई दिल्ली में बैठकों के लिए एक्सपर्ट्स एंड कोरडिनेटर्स

नई दिल्ली में, एससीओ–आईबीसी मार्की इन्फ्रास्ट्रक्चर पर संगोष्ठी

एससीओ–आईबीसी : उज़्बेकिस्तान के विशेषज्ञों एवं समन्वयकों के साथ बैठक

बोर्ड की रिपोर्ट का परिशिष्ट

क. सचिवीय लेखा परीक्षक निरीक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के साथ–साथ उसके तहत लागू नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को बोर्ड पर निदेशक के लिए कम से कम एक महिला की आवश्यकता होती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 21.09.2022 से बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के साथ–साथ उसके तहत लागू नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता है, लेकिन इस दौरान समीक्षाधीन अवधि में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

ग) इसके अलावा, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण ऑडिट समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना उचित नहीं है।

घ) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 5 (ए) के अनुसार, निदेशक मंडल सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करेगा। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 29 मार्च 2023 तक निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कोई आचार संहिता नहीं थी।

ङ.) 17वीं वार्षिक आम बैठक में ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष मौजूद नहीं थे. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है।

च) सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 50(1) विनियम, 2015 के तहत एनसीडी धारकों के अधिकार या हित ब्याज/मोचन राशि के भुगतान की तारीख या बोर्ड की बैठक से संबंधित सूचना के संबंध में पूर्व सूचना देने में देरी हुई।

छ) सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 50(2) विनियम, 2015 के तहत वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों की बैठक के बारे में सूचना देने में देरी हुई।

ज) कंपनी ने त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के साथ, गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के निर्गम आय के उपयोग का संकेत देने वाला एक विवरण, ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जब तक कि निर्गम की ऐसी आय का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है या उद्देश्य जिसके लिए आय जुटाई गई थी, वह सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 52(7) के तहत शामिल की गई है।

1 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 53(2) के तहत निर्धारित अवधि के भीतर वार्षिक रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

जे) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 57(5) के अनुसार तिमाही में देय ब्याज/मूल दायित्वों के भुगतान की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र या तिमाही के अंत में सभी अवैतनिक ब्याज/मूल दायित्वों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015

क) कंपनी ने सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015 के विनियमन 3(5) के तहत आवश्यक संबंधित डिजिटल डेटाबेस को बनाए नहीं रखा है।

इसके अलावा, कंपनी ने एनएसई परिपत्र संख्या एनएसई/सीएमएल/2022/51 और बीएसई परिपत्र संख्या 20221028-15 दोनों दिनांक 28.10.2022 के तहत आवश्यक 30.09.2022 और 31.12.2022 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक अनुपालन प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है।

3. **निदेशक मंडल की बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक**

ख) एस.एस.-1 के खंड 7.6.4 के अनुसार, कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षरित कार्यवृत्त की एक प्रति, बैठक की तारीख के अनुसार सभी निदेशकों को परिचालित की जाएगी और उसके बाद कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करने के पंद्रह दिनों के भीतर नियुक्त की जाएगी। कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित कार्यवृत्त निदेशकों को वितरित नहीं किए जाते हैं।

प्रबंधन टिप्पणियाँ:

I. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015

क) आईआईएफसीएल के बोर्ड में निदेशकों का चयन और नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आईआईएफसीएल की अपने बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। आईआईएफसीएल ने प्रशासनिक मंत्रालय (डीएफएस) से कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईआईएफसीएल के बोर्ड में एक महिला निदेशक नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

ख) आईआईएफसीएल के बोर्ड में निदेशकों का चयन और नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आईआईएफसीएल की अपने बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (डीएफएस) से आईआईएफसीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है।

इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 18/7/2022 – आई एफ – I दिनांक 10 मई 2023 के माध्यम से सूचित किया है कि अनुच्छेद 115 (1) के प्रावधानों के संदर्भ में)(डी) एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के आर्टिकल्स के अनुसार, केंद्र सरकार ने श्री समीर जेरामभाई बोपारा को उनकी नियुक्ति के आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। आईआईएफसीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

ग) श्री समीर जेरामभाई को 15 मई 2023 को आयोजित 128वीं बोर्ड बैठक में लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। नतीजतन, आज की तारीख में हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन की संरचना समिति सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार है। हालाँकि, आज की तारीख में, लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक और नामांकन समिति की संरचना आईआईएफसीएल के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार नहीं है।

घ) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 (अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी – एनआरओ/जीएन/2021/47 दिनांक 7 सितंबर 2021) | इसके बाद सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 'संशोधन विनियम' के रूप में संदर्भित, से संबंधित संशोधनों की व्याख्या करता है

संशोधन विनियमों ने अन्य बातों के साथ–साथ अध्याय IV (एक सूचीबद्ध इकाई के दायित्व जिसने अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों और गैर–परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया है) के विनियम 15 में नया खंड (1ए) डाला है। विनियमन 15 के खंड 1 (ए) में प्रावधान है कि इस विनियमन के प्रावधान और अध्याय IV के विनियमन 16 से विनियमन 27 तक एक सूचीबद्ध इकाई पर लागू होंगे जिसने अपनी एनसीडी सूचीबद्ध की है और सूचीबद्ध एनसीडी का बकाया मूल्य रु 500 करोड़ और उससे अधिक यानी उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई।

इसके अलावा, ये प्रावधान उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं पर 31 मार्च 2023 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' के आधार पर और उसके बाद अनिवार्य आधार पर लागू होंगे। 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' का अर्थ यह होगा कि इकाई प्रावधानों का अनुपालन करने का प्रयास करेगी और 31 मार्च 2023 तक पूर्ण अनुपालन प्राप्त करेगी। यदि इकाई प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करने और 31 मार्च 2023 तक पूर्ण अनुपालन प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, ऐसे समय तक, यह विनियमन 27(2)(ए) के तहत दायर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट में ऐसे गैर–अनुपालन/आंशिक अनुपालन के कारणों और पूर्ण अनुपालन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करेगा।

संशोधन विनियमों के अनुसरण में, आईआईएफसीएल ने एक उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई होने के नाते निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक (एस एम पी) के लिए एक आचार संहिता तैयार की। 29 मार्च 2023 को आयोजित 127 वीं बैठक में आईआईएफसीएल के बोर्ड द्वारा आचार संहिता को मंजूरी दी गई थी। इसलिए, आईआईएफसीएल सेबी के प्रावधानों के अनुपालन में था।

ङ) जबकि एजीएम की सूचना लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को विधिवत दी गई थी, तथापि कुछ अपरिहार्य और अप्रत्याशित अत्यावश्यकताओं के कारण लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष 17वीं एजीएम में शामिल नहीं हो सके।

च) आईआईआईसीएल ने 23 अगस्त 2021 को देय ब्याज के भुगतान के संबंध में 12 जुलाई 2021 को बीएसई को सूचना प्रस्तुत की थी। विनियमन के अनुपालन के कारण ब्याज की तारीख से 11 दिन पहले सूचना प्रस्तुत की गई थी। सूचना एलओडीआर के विनियम 60(2) के तहत प्रस्तुत की गई थी, हालांकि विनियम 50(1) के तहत नहीं दी जा सकी थी। आगे यह उजागर करने के लिए कि उल्लिखित अवधि कोविड–19 महामारी से संबंधित है, जिसमें पूरा देश असाधारण स्थिति से जूझ रहा था। संसाधनों तक सीमित पहुंच के साथ आईआईएफसीएल एलओडीआर के सभी नियमों का अनुपालन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। इसके बाद, एलओडीआर के लागू विनियमन के तहत भुगतान किए गए ब्याज का प्रमाण पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2021 के पत्र के माध्यम से भी सूचित किया गया था। बीएसई ने 10 मार्च 2023 को ईमेल के जरिए लगाए गए सभी जुर्माने माफ कर दिए हैं

छ) वित्त मंत्रालय की देखरेख में आईआईपीसीएल ने 14 सितंबर 2022 को ईमेल के माध्यम से वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) से कम समय में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की सहमति के लिए सक्रिय रूप से अनुरोध किया। इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग ने दिनांक 21 सितंबर 2022 के पत्र के माध्यम से एजीएम बुलाने की मंजूरी दे दी।

इसके बाद, आईआईपीसीएल ने 28 सितंबर 2022 को वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए 23 सितंबर 2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल की मंजूरी ली। तदनुसार, एजीएम की सूचना रविवार, 25 सितंबर 2022 को सभी शेयरधारकों को भेज दी गई।

आईआईपीसीएल ने उसी दिन यानी रविवार, 25 सितंबर 2022 को स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर एजीएम के नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करने का प्रयास किया। हालांकि, लॉगिन समस्याओं के कारण ऐसा नहीं हो सका। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि 28 सितंबर 2022 को, आईआईएफसीएल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करने में सफल रहा।

बीएसई ने 8 मार्च 2023 को ईमेल के जरिए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया है।

ज) वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान कोई एनसीडी जारी नहीं किया गया है।

ङ) वित्त मंत्रालय की देखरेख में आईआईपीसीएल ने 14 सितंबर 2022 को ईमेल के माध्यम से वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) से कम समय में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की सहमति के लिए सक्रिय रूप से अनुरोध किया। इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग ने दिनांक 21 सितंबर 2022 के पत्र के माध्यम से एजीएम बुलाने की मंजूरी दे दी।

इसके बाद, आईआईपीसीएल ने 28 सितंबर 2022 को वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए 23 सितंबर 2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल की मंजूरी ली। तदनुसार, एजीएम की सूचना रविवार, 25 सितंबर 2022 को सभी शेयरधारकों को भेज दी गई।

आईआईपीसीएल ने उसी दिन यानी रविवार, 25 सितंबर 2022 को स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर एजीएम के नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करने का प्रयास किया। हालांकि, लॉगिन समस्याओं के कारण ऐसा नहीं हो सका। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि 28 सितंबर 2022 को आईएटीपीसीएल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करने में सफल रहा।

बीएसई ने 8 मार्च 2023 को ईमेल के जरिए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया है।

ञ) इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि 28 मार्च 2022 को आईआईएफटीसीएल ने विनियम 57(5) के अनुसार एक खुलासा किया है जिसमें सभी आईएसआईएन के विवरण की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र है जिसके लिए 01 जनवरी 2022 से 31 मार्च तक की तिमाही के दौरान देय ब्याजलाभांशमूल दायित्व हैं। 2022 (वित्तीय वर्ष 2021–22 की तिमाही) का भुगतान संबंधित नियत तिथियों पर किया गया।

उपरोक्त के अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि तिमाही के दौरान सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 57(5) के अनुसार गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संबंध में सभी ब्याजलाभांश मूल दायित्व का अनुपालन किया गया है। निर्धारित समय अवधि और उपरोक्त विनियमन के तहत कोई गैर–अनुपालन नहीं है।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015

क) यह प्रस्तुत किया गया है कि रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट लागू सेबी विनियमों के अनुसार आईआईपीसीएल के बांड में निवेशकों का डेटाबेस बनाए रखते हैं।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आईआईएफसीएल निर्धारित प्रारूप में संरक्षित डिजिटल डेटाबेस को बनाए रखने की प्रक्रिया में है।

साथ ही, अनुपालन के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से, सेबी (एलओडीआर) (पांचवां संशोधन) विनियम 2021 दिनांक 7 सितंबर 2021 के तहत आवश्यक बढ़े हुए अनुपालन को देखते हुए, आईआईपीसीएल जल्द ही वित्तीय वर्ष से सेबी (एलओडीआर) ऑडिट शुरू करेगा।

आईआईएफसीएल अन्य बातों के साथ–साथ सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 द्वारा निर्धारित विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन को मजबूत करने सहित अनुपालन की एक मजबूत प्रणाली को लगातार मजबूत और विकसित करने का प्रयास करता है।

आगे बढ़ते हुए, आईआईएफसीएल सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन करेगा।

3. निदेशक मंडल की बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक

क) आगे बढ़ते हुए, आईआईएसटीसीएल लागू खंड के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

ख. वैधानिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड में निवेश, एक सहायक कंपनी का मूल्य वहन लागत यानी 61,180.95 लाख रुपये आंका गया है। मार्च 2023 तक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार, यूके में सहायक कंपनी का नेट वर्थ कम हो गया है। प्रबंधन की राय में, यूके में सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण चालू चिंता के आधार पर तैयार किए जाते हैं और जैसा कि हमें बताया गया है, यूके में सहायक कंपनी में निवेश के उचित मूल्य का आकलन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, सहायक कंपनी में उचित मूल्यांकन के अभाव में, हम लाभ और हानि खाते, आरक्षित और निवेश (राशि अज्ञात) के विवरण पर हानि के प्रभाव, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

प्रबंधन टिप्पणियाँ:

यह प्रस्तुत किया गया है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (आईआईएफसी (यूके)) के पास निर्दिष्ट स्तर पर पूंजी बनाए रखने के लिए कोई नियामक आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2008 से वित्त वर्ष 2010 के दौरान आईआईएफसीएल ने आईआईएफसी (यूके) में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इक्विटी निवेश की। आईआईएफसी (यूके) ने वित्त वर्ष 2012–13 में 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2015–16 में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभांश घोषित किया, जो कुल मिलाकर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2019–20 में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इक्विटी शेयर पूंजी और उसके बाद वित्त वर्ष 2021–22 में आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था।

इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने इसके परिणामस्वरूप अपनी ऋण पुस्तिका का गठन प्रावधान और परिशोधन की:

- आरबीआई परिपत्र दिनांक 12 फरवरी 2018 (तनावग्रस्त संपत्तियों का समाधान – संशोधित फ्रेमवर्क) जारी करने के परिणामस्वरूप संकटग्रस्त संपत्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए फ्रेमवर्क, सीडीआर, मौजूदा दीर्घकालिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना, एसडीआर, एसडीआर और एसबीए के बाहर स्वामित्व में बदलाव जैसी सभी योजनाएं वापस ले ली गईं।

- दिवाला और दिवालियापन संहिता के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप एनपीए मामलों को समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए अनिवार्य रूप से एनसीएलटी को भेजा जा रहा है।

  आईआईएफसीएल की तर्ज पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में आईआईएफसी (यूके) में ऋण पुस्तिका का समान गठन प्रावधान और सफाई की गई थी। इसके परिणामस्वरूप आईआईएफसी (यूके) की निवल संपत्ति में गिरावट आई।

  आईआईएफसीएल 10 वर्षों की अवधि में 250 मिलियन अमरीकी डालर तक की आईआईएफसी (यूके) की इक्विटी पूंजी की सदस्यता के माध्यम से आईआईएफसी (यूके) को नई पूंजी प्रदान करने का इरादा रखता है, जिसमें से 50 मिलियन अमरीकी डालर पहले ही वित्त वर्ष 2019–20 और वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सदस्यता ले चुका है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

  इसके अलावा, आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2019–20, वित्त वर्ष 2020–21, वित्त वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2022–23 क्रमशः, में 9.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 4.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 16.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 22.39 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया है। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड की कुल संपत्ति 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

  आईआईएफसीएल ने आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड को एक चालू इकाई के रूप में देखते हुए आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में रखी गई इक्विटी शेयर पूंजी के क्षरण को नुकसान के रूप में मान्यता नहीं दी है और कंपनी द्वारा किया गया नुकसान स्थायी नहीं है।

समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के स्टैंडअलोन वित्तीय पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2023

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

I.1 तुलन पत्र

I.1.1 देनदारियां और इक्विटी

गैर–वित्तीय देनदारियाँ – अन्य गैर–वित्तीय देनदारियाँ (नोट संख्या 17)

विविध देनदारियाँ खाता (ब्याज पूंजीकरण): ₹301.03 करोड़

ब्याज आय (नोट संख्या 20): ₹4,031.36 करोड़

वित्तीय वर्ष 2020–21 (सी एंड एजी की टिप्पणियों के आधार पर) के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संदर्भ आमंत्रित किया गया है, जिसमें यह बताया गया था कि कर पूर्व लाभ को ₹499.15 करोड़ से कम दिखाया गया था और विविध देनदारियों को उलटने के कारण उसी राशि से अधिक बताया गया था। ब्याज आय जो सावधि ऋणों पर अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्जित हुई। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल, कंपनी) ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की, और यह टिप्पणी की गई (टिप्पणी संख्या ए.1 के माध्यम से) कि कंपनी ने नकद पर ₹99.46 करोड़ की स्थगित ब्याज आय को मान्यता दी आधार और ₹398.69 करोड़ की शेष ब्याज आय को मान्यता नहीं दी गई जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन के संचय आधार का अनुपालन नहीं हुआ।

कंपनी को चालू वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान आस्थगित ब्याज आय ₹107.01 करोड़ प्राप्त हुई जिसे नकद आधार पर आय के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, ₹301.03 करोड़ की शेष ब्याज आय को मान्यता नहीं दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन के संचय आधार का अनुपालन नहीं हुआ है।

इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि की ब्याज आय को ₹408.04 करोड़, विविध देनदारियों खाते (ब्याज पूंजीकरण) को ₹301.03 करोड़ और अन्य आय को ₹107.01 करोड़ से कम बताया गया है। परिणामस्वरूप, वर्ष का लाभ भी ₹301.03 करोड़ से कम बताया गया है।

क.1.2 संपत्ति

वित्तीय संपत्ति – ऋण (नोट संख्या 4): ₹42,315.99 करोड़

देयताएं

गैर–वित्तीय देनदारियां – प्रावधान (नोट संख्या 16): ₹2,432.47 करोड़

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5.3 (ए) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जो यह निर्धारित करता है कि, जिन परियोजनाओं में परियोजना प्राधिकरण द्वारा रियायत समझौते (सीए) को समाप्त कर दिया गया है, ऋण खाते को वित्तीय वर्ष में मान्यता रद्द कर दी जाती है। जिससे अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा नीति 5.3 (डी) में कहा गया है कि, "रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना (एसडीआर), लगातार फंसी परिसंपत्तियों की सतत संरचना के लिए योजना (एस4ए), बाहरी रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) योजना के तहत मामलों के अलावा एक ऋण परिसंपत्ति आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होती है और 12 फरवरी 2018 की आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/131 डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017–18 या किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत पुनर्गठन/निपटान प्रक्रिया के अनुसार ऋण परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। 5 वर्ष से अधिक समय से गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है या परियोजना के निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन में 4 वर्ष से अधिक की देरी हुई है, जब तक कि ऋण परिसंपत्ति की बिक्री/प्राप्ति के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध न हो।"

(क) मेसर्स इंदौर देवास टोलवेज लिमिटेड (आईडीटीएल) का ऋण खाता आईआईएफसीएल (कंपनी) के साथ अतिदेय था और 31 दिसंबर 2019 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। 31 मार्च 2023 तक आईडीटीएल के खिलाफ मूल बकाया ₹116.02 करोड़ है, जिसके विरुद्ध प्रावधान ₹93.61 करोड़ (80.68 प्रतिशत) बनाया गया है। परियोजना प्राधिकरण (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने भी परियोजना को समाप्त कर दिया

16 दिसंबर 2022 को कंसेशनेयर (आईडीटीएल) की ओर से विभिन्न दोषों का हवाला देते हुए। ऋणदाताओं ने ऋण वसूली के लिए एक संयुक्त मुकदमा दायर किया है जो ऋण वसूली न्यायाधिकरण, हैदराबाद में लंबित है।

यद्यपि ऋण परिसंपत्ति की वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध नहीं था, लेकिन इसकी मान्यता रद्द नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीति और लेखांकन के रूढ़िवाद सिद्धांत का अनुपालन नहीं हुआ।

इसके परिणामस्वरूप ऋणों में ₹116.02 करोड़, प्रावधानों में ₹93.61 करोड़ और वर्ष के लिए लाभ में ₹22.41 करोड़ (₹116.02 करोड़ घटा ₹93.61 करोड़) से अधिक वृद्धि हुई है।

(घ) आईआईआईसीएल (कंपनी) ने डिजाइन पर पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर से बहरामपुर तक 78 किमी लंबे खंड के विकास के लिए मेसर्स एसईडब्ल्यू कृष्णानगर बहरामपुर हाईवे लिमिटेड (एसकेबीएचएल) को ₹100 करोड़ (₹99.82 करोड़ वितरित) का ऋण (मई 2011) स्वीकृत किया। जुलाई 2014 की निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) के साथ वार्षिकी आधार पर निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण हुआ। हालांकि, परियोजना में पर्याप्त देरी के कारण एसकेबीएचएल आईएफसीएल के बकाया का भुगतान नहीं कर सका और ऋण खाता 30 तारीख को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। जून 2018। अनंतिम सीओडी साढ़े पांच साल की देरी से फरवरी 2020 में हासिल किया गया था और सीओडी अभी तक हासिल नहीं किया गया है। 31 मार्च 2023 तक एसकेबीएचएल पर मूल बकाया ₹99.82 करोड़ है, जिसके विरुद्ध ₹78.99 करोड़ (79.13 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक (अग्रणी बैंक) ने अपना हिस्सा एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (मेसर्स एसीआरई) को (जुलाई 2023) को बेच दिया है। आईआईआईटीसीएल भी इसी तर्ज पर अपना शेयर बेचने की संभावना तलाश रही है।

यद्यपि ऋण परिसंपत्ति की वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध नहीं था, लेकिन इसकी मान्यता रद्द नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीति और लेखांकन के रूढ़िवाद सिद्धांत का अनुपालन नहीं हुआ।

इसके परिणामस्वरूप ऋणों में ₹99.82 करोड़, प्रावधानों में ₹78.99 करोड़ और वर्ष के लिए लाभ में ₹20.83 करोड़ (₹99.82 करोड़ घटा ₹78.99 करोड़) से अधिक वृद्धि हुई है।

(ङ) आईआईआईसीएल (कंपनी) ने ईस्ट हैदराबाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (ईएचईएल) को हैदराबाद में आठ लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे परियोजना। डिजाइन, निर्माण, विकास, वित्त, संचालन और रखरखाव के लिए ₹109.23 करोड़ (प्रत्यक्ष ऋण के तहत ₹44 करोड़ और टेक-आउट वित्त योजना के तहत ₹65.23 करोड़) का ऋण स्वीकृत किया। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लगाई गई रोक के कारण खाता (31 मार्च 2019) गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गया।

आईआईआईसीएल ने ₹37.38 करोड़ के अपने हिस्से के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया (17 जून 2022), जिसमें से ₹27.38 करोड़ पहले ही वसूल किए जा चुके थे और शेष ₹10 करोड़ एस्क्रो खाते में उपलब्ध धनराशि से वसूल किए जाने थे। कंपनी को 29 सितंबर 2022 को यह प्राप्त हुआ और 01 दिसंबर 2022 को ईएचईएल को 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' जारी किया गया।

हालांकि, ₹4.74 करोड़ की मूल राशि अभी भी 31 मार्च 2023 तक ईएचईएल के खिलाफ बकाया के रूप में दिखाई गई है, जिसके विरुद्ध ₹2.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप ऋण में ₹4.74 करोड़, प्रावधान में ₹2.10 करोड़ और वर्ष के लिए लाभ में ₹2.64 करोड़ (₹4.74 करोड़ में से ₹2.10 करोड़) अधिक बताया गया है।

प्रबंधन टिप्पणियाँ:

क.1.1 चालू वर्ष में आईआईएफसीएल द्वारा अपनाया गया लेखांकन व्यवहार पिछले वर्ष के व्यवहार के अनुरूप और खातों के नोट्स में पर्याप्त प्रकटीकरण के समान रहा है।

क. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सी एंड एजी के कार्यालय से टिप्पणियाँ प्राप्त करने के बाद आईआईसीएल ने टिप्पणियों पर उचित विचार किया है और तदनुसार, ऐसे सभी उधारकर्ताओं के खाते के संचालन की समीक्षा की गई, जिन्हें सीओवीआईडी मोरेटोरियम दिया गया था।

ख. इस संबंध में मई 2022 में आइटीआइसीएल ने एक बाहरी सीए फर्म से स्वतंत्र राय भी प्राप्त की। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने अविस्थगन अवधि के लिए ऋण मामलों पर गैर–मान्यता प्राप्त ब्याज आय के उपचार के सुसंगत और विवेकपूर्ण अभ्यास को वसूली के आधार पर जारी रखा क्योंकि इस मामले में आरबीआई से मार्गदर्शन अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 के खातों के नोट्स में इस तथ्य का खुलासा किया गया है।

ग. उपरोक्त तर्ज पर, आईआईसीएलएल ने 2022–23 के दौरान 107.01 करोड़ रुपये के राजस्व को मान्यता दी है। पिछले वर्ष में 60.48 करोड़ रुपये अविस्थगन अवधि से संबंधित ब्याज को दर्शाते हैं, जो वर्ष के दौरान वसूल किया गया था। इस प्रकार लेखांकन उपचार वित्त वर्ष 2021–22 में अपनाए गए रुख के अनुरूप था।

इसलिए पिछले वर्ष की तर्ज पर चालू वर्ष में विक्रय वसूली के उपचार में निरंतरता के सिद्धांत का चलन किया गया है।

क1.2 (क) मेसर्स इंदौर देवास टोलवेज लिमिटेड का खाता 31 दिसंबर, 2019 को आईआईपीसीएल की बहियों में एनपीए में बदल गया। इसके अलावा, प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 16 दिसंबर, 2022 के पत्र के माध्यम से रियायत समझौते को समाप्त कर दिया है।

परियोजना ने पीसीओडी हासिल कर लिया है और समाप्ति भुगतान के लिए पात्र है। आईआईएलसीएल समाप्ति भुगतान में तेजी लाने के लिए लीड बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)/उधारकर्ता/एनएचएआई के साथ नियमित रूप से संपर्क कर रहा है।

रियायत अनुबंध खंड 37.2.2 के अनुसार प्राधिकरण की चूक के कारण रियायतधारी ने 837 करोड़ रुपये का समाप्ति दावा उठाया है। हालांकि, समाप्ति भुगतान की अंतिम राशि पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। इसकी कार्यवाही चल रही है।

इसके अलावा, कॉरपोरेट गारंटर मेसर्स गादरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 15 नवंबर, 2022 के आदेश के जरिए एनसीएलटी में शामिल किया गया है। एनसीएलटी में समाधान की भी उम्मीद है क्योंकि कुछ समाधान योजनाएं रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को प्राप्त हुई हैं।

यह उल्लेख करना उचित है कि ईसीएल अभ्यास परियोजना में अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर किया जाता है जो आम तौर पर एनपीए खातों में आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रावधान मानदंडों से अधिक होता है।

तत्काल मामले में, अनुमानित नकदी प्रवाह पर एनएचएआई से अपेक्षित समाप्ति भुगतानमध्यस्थता के आधार पर विचार किया गया था।

इसके अलावा, आईआईसीएलएल की एनपीए प्रबंधन नीति के अनुसार 5 वर्षों से अधिक समय के लिए एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण परिसंपत्ति की समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो परिसंपत्ति के आंतरिक मूल्य, परिस्थितियों के मूल्यांकन आदि के आधार पर राइट–ऑफ पर विचार किया जाना चाहिए।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि खाते में वसूली एनएचएआई से समाप्ति भुगतान के रूप में अपेक्षित है, संपत्ति एक पूर्ण सड़क परियोजना है और कॉर्पोरेट गारंटर के एनसीएलटी में संकल्प के माध्यम से भी है। इसके अलावा, खाते के एनपीए हो जाने के बाद आईआईपीसीएल ने टोल आय के माध्यम से 32.47 करोड़ रुपये की वसूली की है। इसलिए, आईआईपीसीएल ने FY 2023 में खाते को बट्टे खाते में नहीं डाला है।

चूंकि वर्तमान में परियोजना मध्यस्थता न्यायाधिकरण में है, जिसे हल होने में आम तौर पर 1–2 साल लगते हैं, हमने आगामी बोर्ड बैठक में खाते को पूरी तरह से बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव आईआईसीएलएल के बोर्ड के समक्ष रखा है।

(ख) मेसर्स एलईडब्ल्यू कृष्णानगर बहरामपुर हाईवे लिमिटेड बीओटी वार्षिकी परियोजना है और एनएचएआई दंड को समायोजित करने के बाद परियोजना में वार्षिकियां जारी कर रहा है (जो कि उधारदाताओं द्वारा विवादित है)। आईएफसीसीएल ने वर्तमान अंतिम वर्ष में सितंबर, 2023 तक 66 लाख रुपये की वसूली की है। इसके अलावा, 54 करोड़ रुपये की वार्षिकी जुलाई 2023 में देय थी और वार्षिकी में आईआईएफसीएल की हिस्सेदारी 9 करोड़ रुपये है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

कंसोर्टियम के आधार पर इसे एआरसी को बेचकर खाते में समाधान की प्रक्रिया का पता लगाया गया। लीड बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) ने ऋण के अपने हिस्से को एआरसी (एसीआरई) को सौंपने की जानकारी दी है।

लीड बैंक के अनुरूप, आईआईआईसीएल ने लीड बैंक के समान शर्तों पर एआरसी को संपत्ति बेचने की संभावना तलाशने की शुरुआत की है। इसके लिए आईआईसीएलएल द्वारा अपनी एनपीए प्रबंधन नीति के अनुसार परियोजना का मूल्यांकन पहले ही शुरू कर दिया गया है।

इसके अलावा, आईआईसीएलसी की एनपीए प्रबंधन नीति के अनुसार 5 वर्षों से अधिक के लिए एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण परिसंपत्ति की समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और परिसंपत्ति के आंतरिक मूल्य, परिस्थितियों के मूल्यांकन आदि के आधार पर राइट–ऑफ पर विचार किया जाना चाहिए।

चूंकि एनएचएआई से वार्षिकी के रूप में वसूली शुरू हो गई है और एक और वार्षिकी जुलाई 2023 में देय है जो हमें शीघ्र ही प्राप्त हो सकती है, आईआईपीसीएल ने खाते को बट्टे खाते में नहीं डाला है।

ii) जून 2022 के दौरान स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार, ओटीएस ऑफर के तहत, आईआईएलसीएल को दिनांक 15.10.2018 को खाते में कुल 37.38 करोड़ (37.25 करोड़ रुपये का मूल बकाया और 0.13 करोड़ रुपये का ब्याज अतिदेय सहित) था। इसके अलावा, 16/10/2018 से ओटीएस की वास्तविक वसूली तक ब्याज की छूट दी गई थी।

हालांकि, 27.38 करोड़ रुपये की प्रारंभिक किस्त की प्राप्ति के समय। इसे दिसंबर 2019 तक बकाया ब्याज और मूलधन के विरुद्ध विनियोजित किया गया था।

इसके बाद, 29.09.2022 को 10.15 करोड़ रुपये की शेष किस्त। प्राप्त हुए जिसे मूल बकाया के विरुद्ध पूरी तरह से समायोजित किया गया।

तदनुसार, 4.74 करोड़ रुपये का मूल बकाया है।

चूंकि, हमें एमआईसी द्वारा अनुमोदित ओटीएस के तहत प्रस्तावित पूरी राशि प्राप्त हो गई है, इसलिए खाते का मिलान किया जा रहा है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईएनसीएल के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत सी एंड एजी की टिप्पणियाँ

क.1 समेकित बैलेंस शीट

क.1.1 देनदारियां और इक्विटी

गैर–वित्तीय देनदारियाँ – अन्य गैर–वित्तीय देनदारियाँ (नोट संख्या 19)

विविध देनदारियाँ खाता (ब्याज पूंजीकरण): ₹301.03 करोड़

ब्याज आय (नोट संख्या 22): ₹4,680.17 करोड़

वित्तीय वर्ष 2020–21 (सी एंड एजी की टिप्पणियों के आधार पर) के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संदर्भ आमंत्रित किया गया है, जिसमें यह बताया गया था कि कर पूर्व लाभ को ₹459.15 करोड़ से कम दिखाया गया था और विविध देनदारियों को उलटने के कारण उसी राशि से अधिक बताया गया था। ब्याज आय जो सावधि ऋणों पर अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्जित हुई। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल, कंपनी) ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की, और यह टिप्पणी की गई (टिप्पणी संख्या ए.1 के माध्यम से) कि कंपनी ने नकद पर ₹80.46 करोड़ की स्थगित ब्याज आय को मान्यता दी आधार और ₹398.69 करोड़ की शेष ब्याज आय को मान्यता नहीं दी गई जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन के संचय आधार का अनुपालन नहीं हुआ।

चालू वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी को आस्थगित ब्याज आय ₹107.01 करोड़ प्राप्त हुई, जिसे नकद आधार पर आय के रूप में मान्यता दी गई है, हालांकि, ₹301.03 करोड़ की शेष ब्याज आय को मान्यता नहीं दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप गैर–अनुपालन हुआ। लेखांकन का संचय आधार।

इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि की ब्याज आय को ₹408.04 करोड़, विविध देनदारियों खाते (ब्याज पूंजीकरण) को ₹301.03 करोड़ और अन्य आय को ₹107.01 करोड़ से कम बताया गया है। परिणामस्वरूप, वर्ष का लाभ भी ₹301.03 करोड़ से कम बताया गया है।

ए-1-2 वित्तीय अस्तियां–ऋणी (नोट सं. 5): ₹50,823.34 करोड़

देयताएं

गैर–वित्तीय देयताएं एवं प्रावधानों (नोट सं. 18): ₹3,766.95 करोड़

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5.3 (ए) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जो यह निर्धारित करता है कि, जिन परियोजनाओं में परियोजना प्राधिकरण द्वारा रियायत समझौते (सीए) को समाप्त कर दिया गया है, ऋण खाते को वित्तीय वर्ष में मान्यता रद्द कर दी जाती है। जिससे अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, नीति 5.3 (डी) में कहा गया है कि, "रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना (एसडीआर), तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की सतत संरचना के लिए योजना (एस4ए), बाहरी रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) योजना के तहत मामलों के अलावा एक ऋण परिसंपत्ति आरबीआई विनियमों के अनुसार लागू होती है। और आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/131 डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017–18 दिनांक 12 फरवरी 2018 या किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत पुनर्गठन/निपटान प्रक्रिया के अनुसार ऋण परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। 5 वर्ष से अधिक समय से गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है या परियोजना के निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन में 4 वर्ष से अधिक की देरी हुई है, जब तक कि ऋण परिसंपत्ति की बिक्री/प्राप्ति के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध न हो।

(ग) मेसर्स इंदौर देवास टोलवेज लिमिटेड (आईडीटीएल) का ऋण खाता आईआईसीएलएल (कंपनी) के साथ अतिदेय था और 31 दिसंबर, 2019 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। आईडीटीएल के खिलाफ मूल बकाया 31 मार्च, 2023 तक ₹116.02 करोड़ है, जिसके खिलाफ ₹93.61 करोड़ (80.68 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। परियोजना प्राधिकरण (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने भी रियायतग्राही (आईडीटीएल) की ओर से विभिन्न दोषों का हवाला देते हुए 16 दिसंबर 2022 को परियोजना को समाप्त कर दिया। ऋणदाताओं ने ऋण वसूली के लिए एक संयुक्त मुकदमा दायर किया है जो ऋण वसूली न्यायाधिकरण, हैदराबाद में लंबित है।

यद्यपि ऋण परिसंपत्ति की वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध नहीं था, लेकिन इसकी मान्यता रद्द नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीति और लेखांकन के रूढ़िवाद सिद्धांत का अनुपालन नहीं हुआ।

इसके परिणामस्वरूप ऋणों में ₹116.02 करोड़, प्रावधानों में ₹93.61 करोड़ और वर्ष के लिए लाभ में ₹22.41 करोड़ (₹116.02 करोड़ घटा ₹93.61 करोड़) से अधिक वृद्धि हुई है।

(घ) आईआईआईसीएल (कंपनी) ने डिजाइन पर पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर से बहरामपुर तक 78 किमी लंबे खंड के विकास के लिए मेसर्स एसईडब्लू कृष्णानगर बहरामपुर हाईवे लिमिटेड (एसकेबीएचएल) को ₹100 करोड़ (₹99.82 करोड़ वितरित) का ऋण स्वीकृत किया (मई 2011)। जुलाई 2014 की निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) के साथ वार्षिकी आधार पर निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण। हालांकि, परियोजना में पर्याप्त देरी के कारण एसकेबीएचएल आईएफसीएल के बकाया का भुगतान नहीं कर सका और ऋण खाता 30 तारीख को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। जून 2018। अनंतिम सीओडी साढ़े पांच साल की देरी से फरवरी 2020 में हासिल किया गया था और सीओडी अभी तक हासिल नहीं किया गया है। 31 मार्च 2023 तक एसकेबीएचएल पर मूल बकाया ₹99.82 करोड़ है, जिसके विरुद्ध ₹78.99 करोड़ (79.13 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक (अग्रणी बैंक) ने अपना हिस्सा एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (मेसर्स एसीआरई) को बेच दिया है (जुलाई 2023)। आईआईआईटीसीएल भी इसी तर्ज पर अपना शेयर बेचने की संभावना तलाश रही है।

यद्यपि ऋण परिसंपत्ति की वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध नहीं था, लेकिन इसकी मान्यता रद्द नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीति और लेखांकन के रूढ़िवाद सिद्धांत का अनुपालन नहीं हुआ।

इसके परिणामस्वरूप ऋणों में ₹99.82 करोड़, प्रावधानों में ₹78.99 करोड़ और वर्ष के लिए लाभ में ₹20.83 करोड़ (₹99.82 करोड़ घटा ₹78.99 करोड़) से अधिक वृद्धि हुई है।

(ङ) आईआईआईसीएल (कंपनी) ने ईस्ट हैदराबाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (ईएचईएल) को हैदराबाद में आठ लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे परियोजना डिजाइन, निर्माण, विकास, वित्त, संचालन और रखरखाव के लिए ₹109.23 करोड़ (प्रत्यक्ष ऋण के तहत ₹44 करोड़ और टेक–आउट वित्त योजना के तहत ₹65.23 करोड़) का ऋण स्वीकृत किया। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लगाई गई रोक के कारण खाता (31 मार्च 2019) गैर–निष्पादित परिसंपत्ति बन गया।

आईआईआईसीएल ने ₹37.38 करोड़ के अपने हिस्से के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया (17 जून 2022), जिसमें से ₹27.38 करोड़ पहले ही वसूल किए जा चुके थे और शेष ₹10 करोड़ एसक्रो खाते में उपलब्ध धनराशि से वसूल किए जाने थे। कंपनी को 29 सितंबर 2022 को यह प्राप्त हुआ और 01 दिसंबर 2022 को ईएचईएल को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया गया।

हालांकि, ₹4.74 करोड़ की मूल राशि अभी भी 31 मार्च 2023 तक ईएचईएल के खिलाफ बकाया के रूप में दिखाई गई है, जिसके विरुद्ध ₹2.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप ऋण को ₹4.74 करोड़, प्रावधान को ₹2.10 करोड़ और वर्ष के लिए लाभ को ₹2.64 करोड़ (₹4.74 करोड़ घटा ₹2.10 करोड़) से अधिक बताया गया है।

प्रबंधन टिप्पणियाँ:

क.1.1 चालू वर्ष में आईआईपीसीएल द्वारा अपनाया गया लेखांकन व्यवहार पिछले वर्ष के व्यवहार के अनुरूप और खातों के नोट्स में पर्याप्त प्रकटीकरण के समान रहा है।

क. वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान (सीएजीएजी) के कार्यालय से टिप्पणियाँ प्राप्त करने के बाद, IIFCL ने टिप्पणियों पर उचित विचार किया है और तदनुसार, ऐसे सभी उधारकर्ताओं के खाते के आचरण की समीक्षा की गई, जिन्हें COVID अभिस्थगन प्रदान किया गया था।

ख. इस संबंध में मई 2022 में आइटीआइसीएल ने एक बाहरी सीए फर्म से स्वतंत्र राय भी प्राप्त की। तदनुसार, आईआईपीसीएल ने अभिस्थगन अवधि के लिए ऋण मामलों पर गैर–मान्यता प्राप्त ब्याज आय के उपचार के सुसंगत और विवेकपूर्ण अभ्यास को वसूली के आधार पर जारी रखा क्योंकि इस मामले में आरबीआई से मार्गदर्शन अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 के खातों के नोट्स में इस तथ्य का खुलासा किया गया है।

ग. उपरोक्त तर्ज पर, आईआईसीएलएल ने रुपये के राजस्व को मान्यता दी है। 2022–23 के दौरान 107.01 करोड़ रु. पिछले वर्ष में 60.46 करोड़ रुपये अभिस्थगन अवधि से संबंधित ब्याज को दर्शाते हैं, जो वर्ष के दौरान वसूल किया गया था। इस प्रकार लेखांकन उपचार वित्त वर्ष 2021–22 में अपनाए गए रुख के अनुरूप था।

इसलिए पिछले वर्ष की तर्ज पर चालू वर्ष में विषय वस्तुओं के उपचार में निरंतरता के सिद्धांत का पालन किया गया है।

क.1.2

(i) मेसर्स इंदौर देवास टोलवेज लिमिटेड का खाता 31 दिसंबर, 2019 को आईआईपीसीएल की पुस्तकों में एनपीए में बदल गया। इसके अलावा, प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 16 दिसंबर, 2022 के पत्र के माध्यम से रियायत समझौते को समाप्त कर दिया है।

परियोजना ने पीसीओडी हासिल कर लिया है और समाप्ति भुगतान के लिए पात्र है। आईआईएलसीएल समाप्ति भुगतान में तेजी लाने के लिए लीड बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)/उधारकर्ता/एनएचएआई के साथ नियमित रूप से संपर्क कर रहा है।

रियायत अनुबंध खंड 37.2.2 के अनुसार प्राधिकरण की चूक के कारण रियायतग्राही ने 637 करोड़ रुपये का समाप्ति दावा उठाया है। हालांकि, समाप्ति भुगतान की अंतिम राशि पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। इसकी कार्यवाही चल रही है

इसके अलावा, कॉरपोरेट गारंटर मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 15 नवंबर, 2022 के आदेश के जरिए एनसीएलटी में शामिल किया गया है। एनसीएलटी में समाधान की भी उम्मीद है क्योंकि कुछ समाधान योजनाएं रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को प्राप्त हुई हैं।

यह उल्लेख करना उचित है कि ईसीएल अभ्यास परियोजना में अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर किया जाता है जो आम तौर पर एनपीए खातों में आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रावधान मानदंडों से अधिक होता है।

तत्काल मामले में, अनुमानित नकदी प्रवाह पर एनएचएआई से अपेक्षित समाप्ति भुगतान/मध्यस्थता के आधार पर विचार किया गया था।

इसके अलावा, आईआईसीएलएल की एनपीए प्रबंधन नीति के अनुसार 5 वर्षों से अधिक समय के लिए एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण परिसंपत्ति की समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो परिसंपत्ति के आंतरिक मूल्य, परिस्थितियों के मूल्यांकन आदि के आधार पर राइट–ऑफ पर विचार किया जाना चाहिए।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि खाते में वसूली एनएचएआई से समाप्ति भुगतान के रूप में अपेक्षित है, संपत्ति एक पूर्ण सड़क परियोजना है और कॉर्पोरेट गारंटर के एनसीएलटी में संकल्प के माध्यम से भी है। इसके अलावा, खाते के एनपीए हो जाने के बाद आईआईपीसीएल ने टोल आय के माध्यम से 32.47 करोड़ रुपये की वसूली की है। इसलिए, आईआईपीसीएल ने वित्त वर्ष 2023 में खाते को बट्टे खाते में नहीं डाला है।

चूंकि वर्तमान में परियोजना न्यायसंगत न्यायाधिकरण में है, जिसे हल होने में आम तौर पर 1–2 साल लगते हैं, हमने आगामी बोर्ड बैठक में खाते को पूरी तरह से बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव आईआईसीएलएल के बोर्ड के समक्ष रखा है।

(ख) मेसर्स एसईडब्ल्यू कृष्णानगर बहरामपुर हाईवे लिमिटेड बीओटी वार्षिकी परियोजना है और एनएचएआई दंड को समायोजित करने के बाद परियोजना में वार्षिकियां जारी कर रहा है (जो कि उपारदाताओं द्वारा विवादित है)। आईएफसीसीएल ने वर्तमान अंतिम वर्ष में सितंबर, 2023 तक 95 लाख रुपये की वसूली की है। इसके अलावा, 54 करोड़ रुपये की वार्षिकी जुलाई 2023 में देय थी और वार्षिकी में आईआईएफसीएल की हिस्सेदारी 9 करोड़ रुपये है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

कंसोर्टियम के आधार पर इसे एआरसी को बेचकर खाते में समाधान की प्रक्रिया का पता लगाया गया। लीड बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) ने ऋण के अपने हिस्से को एआरसी (एसीआरई) को सौंपने की जानकारी दी है।

लीड बैंक के अनुरूप, आईआईआईसीएल ने लीड बैंक के समान शर्तों पर एआरसी को संपत्ति बेचने की संभावना तलाशने की शुरुआत की है। इसके लिए आईआईसीएलएल द्वारा अपनी एनपीए प्रबंधन नीति के अनुसार परियोजना का मूल्यांकन पहले ही शुरू कर दिया गया है।

इसके अलावा, आईआईसीएलएल की एनपीए प्रबंधन नीति के अनुसार 5 वर्षों से अधिक के लिए एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण परिसंपत्ति की समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और परिसंपत्ति के आंतरिक मूल्य, परिस्थितियों के मूल्यांकन आदि के आधार पर राइट–ऑफ पर विचार किया जाना चाहिए।

चूंकि एनएचएआई से वार्षिकी के रूप में वसूली शुरू हो गई है और एक और वार्षिकी जुलाई 2023 में देय है जो हमें शीघ्र ही प्राप्त हो सकती है, आईआईपीसीएल ने खाते को बट्टे खाते में नहीं डाला है।

ii) जून 2022 के दौरान स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार, ओटीएस ऑफर के तहत, आईआईएफसीएल को कुल रु.15.10.2018 को खाते में 37.38 करोड़ (37.25 करोड़ रुपये का मूल बकाया और 0.13 करोड़ रुपये का ब्याज अतिदेय सहित) था। इसके अलावा, 16/10/2018 से ओटीएस की वास्तविक वसूली तक ब्याज की छूट दी गई थी।

हालांकि, 27.38 करोड़ रुपये की प्रारंभिक किस्त की प्राप्ति के समय, इसे दिसंबर 2019 तक बकाया ब्याज और मूलधन के विरुद्ध विनियोजित किया गया था।

इसके बाद, 10.15 करोड़ रुपये की शेष किस्त, 29.09.2022 को प्राप्त हुए जिसे मूल बकाया के विरुद्ध पूरी तरह से समायोजित किया गया।

तदनुसार, 4.74 करोड़ रुपये का मूल बकाया है।

चूंकि, हमें एमआईसी द्वारा अनुमोदित ओटीएस के तहत प्रस्तावित पूरी राशि प्राप्त हो गई है, इसलिए खाते का मिलान किया जा रहा है।

आयोजन एवं कार्यक्रम

5 जनवरी 2023 आईआईएफसीएल का 14वां स्थापना दिवस

5 जनवरी 2023 आईआईएफसीएल का 14वां स्थापना दिवस

आईआईएफसीएल भागधारक मिलन

आईआईएफसीएल प्रेस कान्फ्रेंस : वार्षिक वित्तीय परिणाम

"जनसहयोग" आईआईएफसीएल का वृक्षारोपण अभियान

आईआईएमसीएल सतर्कता सप्ताह, क्विज और नए लोकल प्रोसेसिंग

अर्ध सैनिकों कल्याणकेन्द्र में आईआईएमसीएल

नई दिल्ली में आईआईएमसीएल का पल्स पोलो शिविर

स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीर राजधानी परेड में
आईआईएमसीएल का अभियान "सहज से सफाई तक"

गणतंत्र दिवस पर एलओसी कश्मीर में
आईआईएमसीएल का अभियान "सहज से सफाई तक"

अनुलग्नक–I

फॉर्म नं. एमआर 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार,

सेवा में,
सदस्य,
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
5वीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर,
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

हमने **इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** (इसके बाद इसे 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 यहां है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

क. कंपनी की बहियों (पुस्तकों), कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, स्पष्टीकरण और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 को कवर करने वाले ऑडिट के दौरान, आम तौर पर यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी ने इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की सीमा, तरीके और विषय के अनुसार उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं:

ख. हमने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए हमें उपलब्ध कराई गई और कंपनी द्वारा बनाए रखी गई बहियों (पुस्तकों), कागजात, मिनट बुक, फॉर्म, दाखिल रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

(iii) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iv) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम।

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: –

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011; (समीक्षा अवधि के लिए कंपनी पर लागू नहीं)

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018; (समीक्षा अवधि के लिए कंपनी पर लागू नहीं)

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999; (समीक्षा अवधि के लिए कंपनी पर लागू नहीं)

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021

(छ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हस्तांतरण और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; (समीक्षा अवधि के लिए कंपनी पर लागू नहीं)

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018; (समीक्षा अवधि के लिए कंपनी पर लागू नहीं)

(vi) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, उसके अनुसरण में संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, परीक्षण जांच के आधार पर, कंपनी ने आम तौर पर कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू कानूनों का अनुपालन किया है जैसा कि पहचान की गई है। प्रबंधन, जिसमें कंपनी पर उनकी प्रयोज्यता की सीमा तक जमा स्वीकार न करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि पर लागू भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी नियम, विनियम, निर्देश, दिशानिर्देश और परिपत्र शामिल हैं।

ग. हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों और सामान्य बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक जारी किए गए।

ख. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के साथ–साथ उसके तहत लागू नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) (ए) के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड पर कंपनी को कम से कम एक महिला निदेशक की आवश्यकता होती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड में 21.09.2022 से कोई महिला निदेशक नहीं है।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के साथ–साथ उसके तहत लागू नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता है, लेकिन इस दौरान समीक्षाधीन अवधि में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

इसके अलावा, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण ऑडिट समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना उचित नहीं है।

ग) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 5 (ए) के अनुसार, निदेशक मंडल सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करेगा। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 29 मार्च 2023 तक निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कोई आचार संहिता नहीं थी।

घ) 17वीं वार्षिक आम बैठक में ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष मौजूद नहीं थे, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है।

ङ.) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 50(1) के तहत एनसीडी धारकों के अधिकारों या हितों को प्रभावित करने वाली बोर्ड बैठक के संबंध में ब्याज/मोचन राशि के भुगतान की तारीख या सूचना के संबंध में पूर्व सूचना देने में देरी हुई थी।

च) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 50(2) के तहत वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों की बैठक के बारे में सूचना प्रस्तुत करने में देरी हुई।

छ) कंपनी ने त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के साथ, गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के निर्गम आय के उपयोग का संकेत देने वाला एक विवरण, ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जब तक कि निर्गम की ऐसी आय का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है या उद्देश्य जिसके लिए आय जुटाई गई थी, यह सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 52(7) के तहत हासिल की गई है।

ज) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 53(2) के तहत निर्धारित अवधि के भीतर वार्षिक रिपोर्ट स्टैंडअलोन एक्सचेंज को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

1) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 57(5) के अनुसार तिमाही में देय ब्याज/मूल दायित्वों के भुगतान की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र या तिमाही के अंत में सभी अवैतनिक ब्याज/मूल दायित्वों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015:

क) कंपनी ने सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015 के विनियमन 3(5) के तहत आवश्यक संचित डिजिटल डेटाबेस को बनाए नहीं रखा है।

इसके अलावा, कंपनी ने एनएसई परिपत्र संख्या एनएसई/सीएमएल/2022/51 और बीएसई परिपत्र संख्या 20221028–15 दोनों दिनांक 28.10.2022 के तहत आवश्यक 30.09.2022 और 31.12.2022 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक अनुपालन प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है।

निदेशक मंडल की बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक:

क) एस.एस.–1 के खंड 7.6.4 के अनुसार, कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षरित कार्यवृत्त की एक प्रति, बैठक की तारीख के अनुसार सभी निदेशकों को परिचालित की जाएगी और उसके बाद कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करने के पंद्रह दिनों के भीतर नियुक्त की जाएगी। , कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित कार्यवृत्त निदेशकों को वितरित नहीं किए जाते हैं।

ब. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

आरबीआई कानूनों और अन्य लागू कानूनों से संबंधित ऑडिट सख्त नमूना आधार पर नहीं किया जा सका क्योंकि रिकॉर्ड के मूल्यांकन के लिए 20% का नमूना आकार चुना गया है, लेकिन हमें प्रदान किए गए दस्तावेज नमूना आकार का केवल 5% थे।

स. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में ऊपर पैरा–डी में बताए गए को छोड़कर, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है।

बैठक में भाग लेने वालों को पर्याप्त नोटिस, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स प्रदान करके बोर्ड बैठकें विधिवत बुलाई गई, और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठक में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मत सहमति से किए गए और असहमति, यदि कोई हो, को बैठक में विधिवत शामिल किया गया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पोर्टल पर कुछ फॉर्म दाखिल करने में देरी हुई। नीचे उल्लिखित फॉर्म अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के साथ देरी से दाखिल किए गए थे–

- श्री भूषण कुमार सिन्हा की नियुक्ति और समाप्ति के लिए डीआईआर–12 फॉर्म दाखिल किया गया

  श्री ललित कुमार चंदेल को विलंबित किया गया अर्थात घटना की तारीख से 30 दिनों के भीतर दाखिल नहीं किया गया।

- श्री सोलोमन अरोकियाराज की नियुक्ति और समाप्ति के लिए दायर डीआईआर–12 फॉर्म

  श्री पीयूष कुमार को विलंबित किया गया, यानी घटना की तारीख से 30 दिनों के भीतर दाखिल नहीं किया गया।

- 125वीं बोर्ड बैठक में एनसीडी जारी करके दीर्घकालिक ऋण जुटाने के लिए एमजीटी–14 फॉर्म में देरी हुई, यानी घटना की तारीख से 30 दिनों के भीतर दाखिल नहीं किया गया।

ज. **हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:**

लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो 'अनुलग्नक ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते जे. के. गुप्ता एवं एसोसिएट्स

जितेश गुप्ता
(संस्थापक भागीदार)
पीआर नंबर– 902/2020
एफसीएस नंबर 3978
सी पी नंबर 2448
यू डी आई एन: F003978E001112901

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28.09.2023

अनुबंध 1

सेवा में
सदस्य,
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
5वीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर,
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के निरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा किया है; इसलिए हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

4. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।

6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते जे. के. गुप्ता एवं एसोसिएट्स

जितेश गुप्ता
(संस्थापक भागीदार)
पीआर नंबर:– 932/2020
एफसीएस नंबर 3978
सी पी नंबर: 2448
यू डी आई एन: F003978E001112901

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28.09.2023

अनुलग्नक II

फॉर्म नं. एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का विवरण

31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार।

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

1.	सीआईएन	**U67190DL2006GOI144520**
2.	पंजीकरण तिथि	5 जनवरी 2006
3.	कंपनी का नाम	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	भारत सरकार का उद्यम
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	पांचवीं मंजिल, ब्लॉक-2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर ईस्ट किदवई नगर नई दिल्ली-110023 फोन: 91-11- 24662777 फैक्स: 91-11-20815125 ईमेल: info@iifcl.in
6.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हाँ
7.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो।	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उमेश पांडे सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32। वित्तीय जिला नानकरामगुडा। सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500032, भारत टोल फ्री नंबर: 1800 345 4001 या einward.ris@kfintech.com पर एक ई-मेल भेजें। आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लिमिटेड श्री रविंदर दुआ बी-25/1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2 नई दिल्ली - 110 020 फोन: 011-26387320,26387321 फैक्स: 011-26387322 rdua@rcmcdelhi-com www-rcmcdelhi-com बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड श्री पुनित मित्तल पता- तीसरी मंजिल, बीटल हाउस, 99, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, मदनगीर गांव, मदनगीर, नई दिल्ली, दिल्ली 110062 दूरभाष. नंबर 91-11-26961281-83 ईमेल आईडी- beetal@beetalfinancial.com वेबसाइट- www.beetalfinancial.com

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

(कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा)

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड*	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग**	649–बीमा और पेंशन फंडिंग को छोड़कर अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियाँ	100%

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

आईआईएफसीएल की स्थापना 2006 में भारत सरकार द्वारा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की योजना के माध्यम से दीर्घकालिक वित्त को व्यवस्थित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी। सिफ्टी के रूप में, आईआईएफसीएल से वित्तीय सहायता के लिए पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे पर कैबिनेट समिति द्वारा 1 मार्च 2012 को अनुमोदित बुनियादी ढांचे उप–क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण सूची है। इनमें परिवहन, ऊर्जा, पानी, स्वच्छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे शामिल हैं।

आईआईएफसीएल को सितंबर 2013 से आर बी आई के साथ एनबीएफसी–एनडी–आईएफसी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	कंपनी का पता	सीआईएन / जीएलएन	सहायक / संबद्ध कंपनी	होल्डिंग का %	लागू अनुभाग
1	आई.आई.एफ.सी (यूके) लिमिटेड	[illegible]	06496661*	सहायक	100%	2(87)(ii)
2	आईआईएफसीएल [illegible] लिमिटेड	[illegible]	U74999DL2012GOI231473	सहायक	100%	2(87)(ii)
3	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	[illegible]	U65991DL2013GOI253601	सहायक	100%	2(87)(ii)

* इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड को यूके कंपनी अधिनियम 1985 के तहत 7 फरवरी, 2008 को लंदन में इंग्लैंड और वेल्स की कंपनियों के रजिस्टर में शामिल किया गया था [कंपनी नंबर 6496661]

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

i. श्रेणी-वार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में रखे गए शेयरों की संख्या 31-मार्च-2023 तक				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या 31-मार्च-2023 तक				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
ए. प्रवर्तक									-
(1) भारतीय									-
क) व्यक्ति/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केंद्र सरकार	-	999,991623 (10000)	999,991623 (10000)	100%	-	999,991623 (10000)	999,991623 (10000)	100%	-
ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) कॉर्पोरेट बॉडीज	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल [ए] (1)	-	999,991623 (10000)	999,991623 (10000)	100%	-	999,991623 (10000)	999,991623 (10000)	100%	-
(2) विदेशी									
क) एनआरआई-व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निकाय कॉर्पोरेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल [ए] (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (ए)=(ए)(1)+(ए)(2)	-	999,991623 (10000)	999,991623 (10000)	100%	-	999,991623 (10000)	999,991623 (10000)	100%	-
बी. सार्वजनिक शेयरधारिता									-
1. संस्थान									-
ए) म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) बीमा कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जी) एफपीआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एच) विदेशी वेंचर पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आई) अन्य (विशिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (बी)(1):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थान									-
ए) कॉर्पोरेट कार्यालय									-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेश में	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) रु. 1 लाख तक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) लाख रुपये से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी) अन्य (विशिष्ट करें)									-
i) अनुषंगियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) एचयूएफ/एन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) नामांकित धारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) सहायक कंपनी के पास नीचुए शेयर									
विदेश कंपनियों पर ए									
नामांकन अधिकार प्राप्त शेयर है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) सार्वजनिक शेयर धारक									
उपकुल गैरसंस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एनएसई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल शेयरधारिता (बी)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी. जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा रखे गए शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (ए+बी+सी)	-	999,991623 करोड़	999,991623 करोड़	100%	-	999,991623 करोड़	999,991623 करोड़	100%	-

ii. प्रमोटर की शेयरधारिता

शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2022 को)			शेयरधारक का नाम	(31-03-2023 को) वर्ष के दौरान शेयरधारिता में			(31-03-2023 को) वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी/अन्यथा शेयरों का %					
भारत के माननीय राष्ट्रपति	999999162230	100	-	भारत के माननीय राष्ट्रपति	999,99,16,223	100	-	NIL
व्यक्तिगत शेयरधारिता*	7			व्यक्तिगत शेयरधारक*	7			
	999,99,16,230	100%			999,99,16,230	100%		NIL

* भारत सरकार की ओर से व्यक्तियों के रूप में कार्य शेयरधारक शामिल हैं।

iii. प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया निर्दिष्ट करें)

विवरण	वर्ष की शुरुआत में कम्पनी की कुल शेयरधारिता (01-04-2022 तक)				वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31-03-2023 तक)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%	वृद्धि	दिनांक	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%
साल की शुरुआत में	999,99,16,230	100	-	-	999,99,16,230	100
साल के अंत में	999,99,16,230	100	-	-	999,99,16,230	100

iv. शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न:

(जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों और धारकों के अलावा):

शीर्ष 10 में से प्रत्येक शेयरधारक के लिए	वर्ष के शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2022 तक)		वर्ष में संचयी शेयरधारिता (31-03-2023 तक)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%
साल की शुरुआत में	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि):	-	-	-	-
साल की अंत में	-	-	-	-

v. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक शेयरधारक के लिए	वर्ष के शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2022 तक)		वर्ष में संचयी शेयरधारिता (31-03-2023 तक)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%
साल की शुरुआत में	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि):	-	-	-	-
साल के अंत में	-	-	-	-

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया/उपार्जित ब्याज भी शामिल है लेकिन भुगतान देय नहीं है।

	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा,	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता (01.04.2022)				
मूल राशि	1,48,89,97,24,000.00	2,07,28,50,66,922.36	51,88,11,03,763.10	4,08,06,58,94,685.36
ब्याज देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है	-	-	-	-
iii) ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	3,67,83,54,185.85	3,64,68,63,345.64	-	7,32,52,17,531.49
कुल (i+ ii+ iii)	**1,52,57,80,78,185.85**	**2,10,93,19,30,267.90**	**51,88,11,03,763.10**	**4,15,39,11,12,216.85**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				-
*जोड़ना	12,07,72,37,401.01	19,03,39,74,677.47	82,32,65,84,495.30	1,13,43,67,96,573.78
**घटाना	26,76,85,80,249.80	11,91,57,06,476.90	51,88,11,03,765.10	90,56,53,90,489.80
शुद्ध परिवर्तन	-14,69,13,42,848.79	7,11,72,68,200.57	30,44,54,80,732.20	22,87,14,06,083.98
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता (01.04.2023)				-
i) मूल राशि	1,34,46,90,95,000.00	2,13,71,69,68,693.03	82,32,65,84,495.30	4,30,51,26,48,188.33
ii) ब्याज देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii)ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	3,41,76,40,337.06	4,33,22,29,775.44	-	7,74,98,70,112.50
कुल (i+ ii+ iii)	**1,37,88,67,35,337.06**	**2,18,04,91,98,468.47**	**82,32,65,84,495.30**	**4,38,26,25,18,300.83**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		कुल राशि
	नाम	श्री पीयूष अग्रवाल	श्री पवन के कुमार	-
	पद का नाम	प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	-
1	सकल वेतन	53.11	49.39	102.50
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन			
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य			
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ			
2	भत्ता विकल्प	-	-	-
3	प्रदत्त इक्विटी	-	-	-
4	उत्पादी	-	-	-
	लाभ के %	-	-	-
	.. के रूप में	-	-	-
5	अन्य (निर्दिष्ट करें)			
	कुल (क)	**53.11**	**49.39**	**102.50**

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र सं	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक					
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
	आयोग		-	-	-	-
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
	कुल (1)	-	-	-	-	-
2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक					
	(अवकाशित गैर-आधिकारिक निदेशक)					
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
	आयोग	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया सूचित स्पष्ट करें					
	कुल (2)	-	-	-	-	-
	कुल (बी)=(1+2)	-	-	-	-	-

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक

सी एस		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
	नाम	राजीव पुरोहित	मंजरी सिंघा	कुल
	पद नाम	वरिष्ठ	सी एस	
1	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	56.34	40.95	97.29
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य	4.29	5.10	9.39
	(ग) धारा 17(3) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वेतन के बदले में लाभ		-	-
2	भत्ता विकल्प	-	-	-
3	प्रदत्त इक्विटी	-	-	-
4	आयोग	-	-	-
	मुनाफा लाभ के %			
	.. के रूप में			
	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
	कुल	60.63	46.05	106.68

VII. दंड/दंड/अपराधों का शासन:

प्रकार	अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	कंपनी द्वारा लगाए गए जुर्माने/दंड/समन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण सहायक/ट्रिब्यूनल/कोर्ट.	अपील की गई (यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जर्मा दंड					
सजा					
कम्पाउंडिंग					
ख. निदेशक (सभी)					
दंड					
सजा			शून्य		
कम्पाउंडिंग					
ग. डिफॉल्ट में अन्य अधिकारी (सभी)					
दंड					
सजा					
कम्पाउंडिंग (सभी)					

'अनुलग्नक–III'

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

[अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ओ) और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व), नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार, कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा]

भारत सरकार के उद्यम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत समाज और विशेष रूप से देश के अधिकांश क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों के प्रति अपना दायित्व निभाया है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार आईआईएफसीएल के पास एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर) नीति है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। नीति में सीएसआर गतिविधियों को लागू करने और निगरानी करने के लिए दो स्तरीय संरचना (बोर्ड स्तर की समिति और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त एक कार्यान्वयन समिति) शामिल है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान आईआईएफसीएल सीएसआर पहल ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपनी चल रही सीएसआर परियोजनाओं का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया है और स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आईआईएफसीएल आगे भी देश भर में लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विकास पहलों में भाग लेना/योगदान करना और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहेगा।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र सं	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम/प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया गया
01	श्री. भूषण कुमार सिन्हा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	01	0
02	श्री. पी आर जयशंकर	प्रबंध निदेशक	01	01
03	श्री. पवन के कुमार	उप प्रबंध निदेशक	01	01
04	श्री. सोलोमन अरोकियाराज	सरकार द्वारा नामित निदेशक	01	0
05	श्री. वी. पार्थ सारथी रेड्डी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	01	01

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर खुलासा किया गया है।

वेबलिंक:– https://www-iifcl-in/csr&initiative

4. यदि लागू हो तो कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित आईआईएफसीएल की सीएसआर नीति के अनुसार, प्रभाव आकलन आईआईएफसीएल के सीएसआर परियोजना कार्यान्वयन और निगरानी दिशानिर्देशों का एक एकीकृत हिस्सा है।

हालांकि, एक बाई 2022–23 के दौरान, कोई भी परियोजना प्रभाव मूल्यांकन के लिए पात्र नहीं थी।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट–ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण

क्र सं	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
1	-	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।

राशि आंकड़े–लाख में

विवरण	राशि
वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए शुद्ध लाभ	59,022.37
वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए शुद्ध लाभ	31,545.73
वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए शुद्ध लाभ	(29,046.14)
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ। (बी) = ए/3	20,507.32
वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक व्यय की राशि: औसत लाभ का 2% (सी)=बी का 2%	410.15

7 (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत:– ₹410.15 लाख

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष– शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो:– शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7ए+7बी–7सी):– ₹410.15 लाख

8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्यय सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि. (रुपये में)	खर्च व की गई राशि (रुपये में)				
	हस्तांतरित की गई कुल राशि अव्यय सीएसआर खाते के रूप में धारा 135(6) के अनुसार।		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि।		
राशि	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
19,70,000	3,90,45,000	30.04.2023	शून्य	शून्य	शून्य

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1) क्र. सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)। परियोजना का स्थान: परियोजना अवधि	(4) स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)।	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना अवधि	(7) परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	(8) चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपए में)।	(9) चालू रिपोर्ट(ओं) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर फंड से हस्तांतरित राशि (रुपये में)।	(10) कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)।	(11) कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	राजस्थान के जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में तीन (03) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) का उन्नयन	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	जोधपुर (राजस्थान)		16 महीने	₹96,50,000	₹19,70,000	₹76,80,000	नहीं	मेसर्स अविरल मानवसेवा गोहेमदी रिजीक फाउंडेशन	सी एस आर 00001473
2	कृष्णा जिले के पिछड़े गांवों में माइक्रो वाटर फिल्टर प्लांट स्थापित करना	पेय जल	नहीं	कृष्णा जिला (आंध्र प्रदेश)		18 महीने	₹95,00,000	शून्य	₹95,00,000	नहीं	मेसर्स कनेक्ट टू आंध्र	सी एस आर 00000066
3	लक्ष्मणी शिशु मंदिर, डोकटी, बलिया (यूपी) का नवीनीकरण एवं पुनर्निर्माण	शिक्षा	नहीं	डोकटी, बलिया (यूपी)		12 महीने	₹50,00,16	शून्य	₹50,00,16	नहीं	मेसर्स सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन	उपलब्ध नहीं
4	उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और सीतापुर जिलों के पिछड़े गांवों में सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण जल संयंत्र की स्थापना	पेय जल	नहीं	उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और सीतापुर जिले		16 महीने	₹22,80,000	शून्य	₹22,80,000	नहीं	मेसर्स उदय सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट सी	सी एस आर 00025041
5	उदयपुर जिले के झाड़ोल ब्लॉक के आदिवासी क्षेत्र में जल स्रोत का निर्माण – आदिवासी परिवारों को पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए	पेय जल	नहीं	उदयपुर (राजस्थान)		12 महीने	₹60,62,100	शून्य	₹60,62,100	नहीं	मेसर्स राजस्थान बाल समिति कल्याण संस्थान	सी एस आर 00009003

वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित परियोजनाएं

(1) क्र सं	(2) परियोजना का नाम	(3) स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)। परियोजना का स्थान परियोजना अवधि	(4) स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)।	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना अवधि	(7) परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	(8) चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपए में)।	(9) धारा 135(5) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खाते में अनआवंटित राशि (रुपये में)।	(10) कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)।	(11) कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
6	जरीकलाव में बच्चों जिले के स्कूलों में सेनेटरी पैडबैंक वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर की स्थापना	स्वच्छता देखभाल	नहीं	बच्चा (जरीकलाव)		6 महीने	₹90,46,024	शून्य	₹90,46,024	नहीं	बच्चा जिला प्रशासन	उपलब्ध नहीं
7	ग्राम पंचायत, गढ़मपुर बांगर, देहरादून में सीजन ब्लक रोड 20 किलोमीटर किलोमीटर संपर्क की आधुनिकीकरण, स्थापना और कमीशनिंग	चालू कार्यालय	नहीं	देहरादून (उत्तराखंड)		6 महीने	₹19,58,060	शून्य	₹19,58,060	नहीं	मैसर्स विजन फॉर एशिया	सी एस आर 00000179
8	रामदेवरा (राजस्थान) के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय ब्लॉकों का निर्माण	स्वच्छता	नहीं	रामदेवरा (राजस्थान)		18 महीने	₹1,11,00,000	शून्य	₹78,18,690	नहीं	सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार	उपलब्ध नहीं
9	कुल							₹104,70,000	₹1,90,42,000			

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधि (यों) की सूची से आइटम।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)।	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)।	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	शून्य								
	कुल	शून्य							

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि:– शून्य

(ङ.) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो:– शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (ङ+ङ+घ+ङ.)

(छ) समंजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:– शून्य

क्र सं	विवरण	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	₹4,10,15,000
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	₹4,10,15,000*
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

*:- प्रावधानों के अनुसार ₹3,90,45,000/– यूसीएसआरए को हस्तांतरित

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्यपित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र सं	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्यपित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)।	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत विशिष्ट फंड की फंड में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो।			आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि। (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	हस्तांतरण की तिथि	
1.	वित्तीय वर्ष 2021-22	₹2,66,65,395	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	₹2,66,65,395
	कुल	₹2,66,65,395	-	-	-	-	₹2,66,65,395

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
क्र सं.	प्रोजेक्ट आईडी.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी।	परियोजना अवधि।	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)।	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)।	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि।	(रुपये में) परियोजना की स्थिति – पूर्ण/चालू।
1.	शून्य							
	कुल	शून्य						

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति–वार विवरण)

(क) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि:– शून्य

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि:– शून्य

(ग) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि:– शून्य

(डी) निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित):– शून्य

11 यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें।

लागू नहीं

अनुलग्नक IV

वर्ष 2022–23 के लिए/से हस्तांतरित राशि का विवरण

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष 2022–23 के लिए/से हस्तांतरित राशि का विवरण
चालू वर्ष 2022–23 के लिए कर पश्चात लाभ	107,559.50	51,425.55
जोड़ें: धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर देयता का उलटा	-	36,730.41
जोड़ें: कर्मचारी कल्याण रिजर्व से स्थानांतरण	32.06	7.31
जोड़ें: डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से स्थानांतरण	1907.29	-
कम: कर्मचारी कल्याण रिजर्व में स्थानांतरण	-	287.22
घटाएँ: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के तहत विशेष रिजर्व में स्थानांतरण	7508.90	-
घटाएँ: आरक्षित निधि 45 – आईसी में स्थानांतरण	21,522.58	10,289.95
कम: परिभाषित लाभ पर लाभ/(हानि) का पुनः मापन	(53.88)	(24.21)
बैलेंस सी/एफ टू बैलेंस शीट	**80,521.25**	**77,610.31**

जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर की सुरक्षा संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)

पीआईडीपीआई क्या है?

- पीआईडीपीआई भारत सरकार का एक संकल्प है
- शिकायतकर्ता की पहचान सभी के लिए गोपनीय रखी जाती है इसके तहत शिकायतें दर्ज की गई।

पीआईडीपीआई शिकायत कैसे दर्ज की जाती है?

- शिकायत सचिव, सीवीसी और को संबोधित की जानी चाहिए लिफाफे के ऊपर 'पीआईडीपीआई' लिखा होना चाहिए
- शिकायतकर्ता का नाम और पता नहीं बताया जाना चाहिए लिफाफे पर लेकिन अंदर एक बंद लिफाफे में पत्र में।

सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश की पहचान की शिकायतकर्ता गोपनीय रहता है

- ऐसी शिकायतें जो शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संबंधित हों अन्य प्राधिकारियों को संबोधित करने से पहचान का खुलासा हो सकता है।
- शिकायतें खुली स्थिति में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए पहचान बताने वाले दस्तावेज संलग्न या उल्लेखित नहीं किए जाने चाहिए
- शिकायत में, जैसे कि आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज
- लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पता अंकित होना चाहिए पुष्टिकरण प्रयोजनों के लिए.
- जिन शिकायतों की पुष्टि नहीं होती, उन्हें बंद कर दिया जाता है।
- गुमनाम/छद्मनाम पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

https://www.cvc.gov.in

आईआईएफसीएल: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आईआईएफसीएल ने अपनी सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में योगदान दिया है, जिसका देश भर के लोगों के जीवन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है।

आईआईएफसीएल की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) द्वारा संचालित परियोजनाओं से देश के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लगभग 5,00,000 लोगों (3,75,000 छात्रों सहित) को लाभ हुआ है।

आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के फोकस क्षेत्र

स्कूलों और घरों में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार

सौर ऊर्जा से संचालित घरेलू प्रकाश व्यवस्था

बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास एवं रोजगार योग्यता

राष्ट्रीय विरासत की बातचीत

बीपीएल कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता

खेलों को बढ़ावा

भारत के पिछड़े गाँव में सौर गृह प्रकाश व्यवस्था

ग्रामों के एकीकृत विकास के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल

गांवों के एकीकृत विकास के तहत जल के स्रोत में सुधार

लड़कियों के लिए स्कूल में शौचालय का निर्माण

आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) अभियान के तहत

आईआईएफसीएल ने कश्मीर के राजपान दर्रे पर तैनात हमारे देश के बहादुर सैनिकों के साथ 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। यह उत्सव आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आईआईएफसीएल के "केजीओ एलएस एलजेजीएन आरडी" अभियान का एक हिस्सा है।

आईआईएफसीएल द्वारा विशेष अभियान 3.0 के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।

माननीय प्रधान मंत्री के आह्वान पर स्वच्छता का संदेश फैलाने के प्रयास में, IIFCL अधिकारी, SHIS 2023 के तहत लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली में एक घंटे के सफाई अभियान के दौरान।

आईआईएफसीएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' पहल के अंतर्गत स्थानीय तू सेवा हेतु शरबत वितरण का कार्यक्रम **'जल सेवा शिविर'** का आयोजन किया गया।

IIFCL ने एम्स नई दिल्ली के सहयोग से लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करने और जीवन बचाने में मदद करने के लिए नई दिल्ली में अपने कार्यालय में एक रक्तदान कैंप का आयोजन किया।

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट*

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

(भारत के सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संशोधित)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट

योग्य राय

हमने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें स्टैंडअलोन बैलेंस शीट शामिल है

31 मार्च 2023, लाभ और हानि का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट और समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट, और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी और सारांश भी शामिल है । हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर दिनांक 15 मई 2023 को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी की थी, जैसा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 मई 2023 को हुई बैठक में अनंतिम टिप्पणियों को आगे बढ़ाते हुए अनुमोदित किया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, हम खंड 3 (एफ), अनुबंध 'ए' खंड (iii) (सी) और (डी), अनुबंध 'ए' खंड (ix) (डी) और (एफ), पिछली ऑडिट रिपोर्ट का अनुबंध 'ए' (vii) (बी) और अनुबंध 'सी' में संशोधन करके इस संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। यह रिपोर्ट 15 मई 2023 की पिछली ऑडिट रिपोर्ट का स्थान लेती है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी ऑडिट रिपोर्ट के योग्य राय अनुभाग के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आवश्यक जानकारी देते हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') आवश्यक तरीके से और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और इसके लाभ और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह में संशोधन, ('इंड एएस') और उस तारीख पर भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत।

योग्य राय का आधार

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड में निवेश। एक सहायक कंपनी का मूल्य वहन लागत यानी 61,180.95 लाख रुपये आंका गया है। मार्च 2023 तक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार, यूके में सहायक कंपनी का नेट संपत्ति (वर्थ) कम हो गया है। प्रबंधन की राय में, यूके में सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण चालू सह चिंता के आधार पर तैयार किए जाते हैं और जैसा कि हमें बताया गया है, यूके में सहायक कंपनी में निवेश के उचित मूल्य का आकलन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, सहायक कंपनी में उचित मूल्यांकन के अभाव में, हम लाभ और हानि खाते, आरक्षित और निवेश (राशि अज्ञात) के विवरण पर हानि के प्रभाव, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

संशोधन को * के रूप में चिह्नित किया गया है

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां हमारे वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए ऑडिटर प्रतिवेदन की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित हैं। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करते हैं। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी योग्य राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का जोर

1. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 1(बी)(35) और 4 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो 2998.21 लाख रुपये के लंबित समाधान की व्याख्या करता है जो ईआरपी/एसएपी में तकनीकी खराबी के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रबंधन इसका समाधान करने में जुटा है। उपरोक्त लंबित सुलह का वित्तीय प्रभाव (यदि कोई हो) केवल सुलह के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है।

   प्रबंधन की राय में, इस तरह के सुलह के परिणामस्वरूप प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण नहीं होगा।

2. हम आरबीआई मास्टर निर्देशों के अनुसार ऋण परिसंपत्तियों की राशि से ऋण परिसंपत्तियों पर प्रावधान/हानि की गैर-नेटिंग के संबंध में ऋण परिसंपत्तियों के नोट संख्या 4 में दिए गए फुट नोट पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारे ऑडिट ने मुख्य ऑडिट मामले को कैसे संबोधित किया
1.	ग्राहकों को ऋण और अग्रिम की हानि।	
	कृपया स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 1 (ए) 5.7 में लेखांकन नीतियों को देखें: वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट नंबर 1 (ए) 18 महत्वपूर्ण लेखांकन धारणाएं और अनुमान और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 4: ऋण	
	ऋणों की हानि इंड एएस 109– वित्तीय लिखतों के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल पर आधारित है। कंपनी का हानि भत्ता ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों और हानि अनुपात सहित कुछ प्रबंधन अनुमानों पर आधारित है। ऋणों और अग्रिमों की क्षति हानि की पहचान और माप में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल हैं। वे क्षेत्र जहां प्रबंधन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं वे हैं: • ऋण निर्धारण मानदंड • डिफॉल्ट दिए जाने पर डिफॉल्ट/नुकसान की संभावना की गणना • डिफॉल्ट के जोखिम का निर्धारण • संभाव्यता भारित परिदृश्यों और भविष्योन्मुखी व्यापक आर्थिक कारकों पर विचार। ईसीएल मॉडल की प्रयोज्यता के लिए विशाल डेटा इनपुट की आवश्यकता होती है। इससे उस डेटा की पूर्णता और सटीकता का जोखिम बढ़ जाता है जिसका उपयोग मॉडल में धारणाएँ बनाने के लिए किया गया है।	मामले के महत्व को देखते हुए, हमने पर्याप्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में निम्नलिखित ऑडिट प्रक्रियाओं को लागू किया है: नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण: ईसीएल की गणना में उपयोग की जाने वाली प्रमुख प्रणालियों, अनुप्रयोगों और नियंत्रणों की पहचान करने के लिए शुरू से अंत तक प्रक्रिया का संचालन करना। ईसीएल की गणना में उपयोग की जाने वाली प्रमुख प्रणालियों पर प्रासंगिक मैनुअल (सॉफ्टवेयर नियंत्रण सहित), सामान्य आईटी और एप्लिकेशन नियंत्रण का परीक्षण करना। हमारे नियंत्रण परीक्षण के प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं: इंड एस 109 हानि मॉडल में प्रमुख इनपुट, डेटा और मान्यताओं की पूर्णता और सटीकता पर कुंजी नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण करना।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारे ऑडिट ने मुख्य ऑडिट मामले को कैसे संबोधित किया
		• भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन के अनुरूप गवर्नेंस फ्रेमवर्क का परीक्षण मूल्यांकन, कार्यान्वयन और मॉडल निगरानी पर नियंत्रण रखता है। • स्टेजिंग मानदंड के अनुप्रयोग पर मुख्य नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण करना। • प्रमुख मैक्रो–इकोनॉमिक चर के चयन और कार्यान्वयन से संबंधित प्रमुख नियंत्रणों का परीक्षण करना और परिदृश्य चयन और संभाव्यता भार के अनुप्रयोग पर नियंत्रण। • पोस्ट मॉडल समायोजन यानी प्रबंधन अति प्राधिकारिकता और गणना पर परीक्षण नियंत्रण। • सिस्टम पहुंच और परिवर्तन प्रबंधन, कार्यक्रम विकास और कंप्यूटर संचालन सहित ऋण हानि के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर काम करने वाले प्रमुख नियंत्रणों का परीक्षण करना। **विवरण का परीक्षण:** • हमारे परीक्षण के प्रमुख पहलुओं में शामिल है: • डेटा, आर्थिक पूर्वानुमान, भार और लागू मॉडल धारणाओं की पूर्णता, सटीकता और प्रासंगिकता का आकलन करने के लिए ईसीएल गणनाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख इनपुट, डेटा और मान्यताओं पर नमूनों का परीक्षण करना। • जहां लागू हो, पुनः निष्पादन के माध्यम से मॉडल संगणना का परीक्षण करना।
2.	व्युत्पन्न उपकरणों और हेज लेखांकन का मूल्यांकन।	
	कृपया स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 1 (ए)5.2 में लेखांकन नीतियों को देखें: व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 3: व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	
	कंपनी उधार पर विदेशी विनिमय दर जैसे जोखिमों का प्रबंधन और बचाव करने के लिए व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करती है। जोखिम से बचाव के आधार पर कंपनी कैश फ्लो हेजेज या उचित मूल्य हेजेज में प्रवेश करती है। हेज अकाउंटिंग का अनुप्रयोग और हेज प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना जटिल और परिचालन रूप से बोझिल है और इसके लिए कंपनी प्रबंधन से करीबी निगरानी की आवश्यकता होती है।	हमारी प्रक्रिया में शामिल है: डिजाइन/नियंत्रण जोखिम प्रबंधन नीतियों की समझ प्राप्त की और प्रमुख नियंत्रणों का परीक्षण किया (i) नामित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण सहित हेज संबंध में प्रवेश के समय। हेज लेनदेन की शुरुआत में प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज, (ii) हेज प्रभावशीलता के परीक्षण सहित प्रबंधन द्वारा हेज संबंध की चल रही निगरानी और समीक्षा के संबंध में।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारे ऑडिट ने मुख्य ऑडिट मामले को कैसे संबोधित किया
		पर्याप्त जांच • इंड एएस 109 के अनुसार, निर्धारित नमूनों के लिए डेरिवेटिव उपकरणों की पहचान और माप की जाँच की गई • इंड एएस 109 आवश्यकताओं के साथ हेज दस्तावेज की जांच की गई • तीसरे पक्ष से प्राप्त स्वतंत्र पुष्टि के लिए व्युत्पन्न उपकरणों के मिलान के नमूने के आधार पर परीक्षण किया गया • नमूना आधार पर हेज अकाउंटिंग की प्रयोज्यता और सटीकता की जांच की गई
		• स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में वित्तीय जोखिम प्रबंधन, व्युत्पन्न उपकरणों और हेज अकाउंटिंग के संबंध में प्रकटीकरण की उपयुक्तता पर विचार किया गया।
3.	**सूचना प्रौद्योगिकी** **आईटी सक्षम लेखा प्रणाली का समेकन।**	
	कंपनी का आईटी वातावरण जटिल है और इसमें बड़ी मात्रा में लेनदेन के प्रसंस्करण और रिकॉर्डिंग के लिए कंपनी के संचालन में उपयोग की जाने वाली कई स्वतंत्र और अन्योन्याश्रित आईटी प्रणालियां शामिल हैं। परिणामस्वरूप, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए ऐसी आईटी प्रणालियों पर उच्च स्तर की निर्भरता और निर्भरता है। उपयुक्त आईटी सामान्य नियंत्रण और आईटी अनुप्रयोग नियंत्रण की आवश्यकता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे आईटी सिस्टम आवश्यकतानुसार डेटा को संसाधित करने में सक्षम हैं, विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पूरी तरह से, सटीक और लगातार। हमने कुछ प्रमुख आईटी प्रणालियों की पहचान की है जिनका वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है उच्च स्तर के स्वचालन, वित्तीय लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए कंपनी द्वारा उपयोग की जा रही प्रणालियों की महत्वपूर्ण संख्या, आईटी आर्किटेक्चर की जटिलता और इसके प्रभाव के कारण संबंधित नियंत्रण परीक्षण एक प्रमुख ऑडिट मामला है।	हमारी प्रक्रियाओं में शामिल है • डिजाइन का मूल्यांकन किया गया और प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं के भीतर प्रमुख आईटी एप्लिकेशन नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया, जिसमें स्वचालित गणना, स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाओं, सिस्टम इंटरफेस, सिस्टम सामंजस्य नियंत्रण का परीक्षण शामिल था। • कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक के रूप में पहचाने गए आईटी सिस्टम के प्रासंगिक आईटी सामान्य नियंत्रण और आईटी अनुप्रयोग नियंत्रण का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या इसमें प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है। लेखापरीक्षा, या अन्यथा वास्तव में गलत बताया गया प्रतीत होता है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें महत्वपूर्ण गलतबयानी है, तो हमें शासन के प्रभारी लोगों को मामले के बारे में सूचित करना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के तहत कार्रवाई निर्धारित करनी होगी।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। वित्तीय निष्पादन, अन्य व्यापक आय, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण की सामग्री से मुक्त होते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, खुलासा करने और लेखांकन के चालू संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल का इरादा न हो। कंपनी को खत्म करना या परिचालन बंद करना, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त हैं, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- स्टैंडअलोनवित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के चालू चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं

(i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और

(ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और संबंधित सुरक्षा उपाय के साथ अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित रूप से अपेक्षित होंगे। ऐसे संचार के जनहित लाभ कहीं अधिक हैं।

अन्य मामलों

1. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई के दायरे में संचालित एक वित्तीय संस्थान है। आरबीआई द्वारा 29 दिसंबर 2022 को जारी मास्टर डायरेक्शन DNBR-PD-008/03.10.119/2016-17, पैरा 3 (xvi) के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को इस प्रकार परिभाषित करता है:

   'इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी' का अर्थ जमा न लेने वाली एनबीएफसी है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है:

   (ए) इसकी कुल संपत्ति का न्यूनतम 75 प्रतिशत 'बुनियादी ढांचा ऋण' में तैनात किया गया है;

   (बी) ₹300 करोड़ या उससे अधिक की शुद्ध स्वामित्व वाली निधि;

   (सी) सेबी-पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से किसी द्वारा जारी की गई 'ए' की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंगस और

   (डी) 15 प्रतिशत का सीआरएआर (न्यूनतम 10 प्रतिशत की टियर I पूंजी के साथ)।

   वर्ष के लिए की गई हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं, वर्ष के अंत में ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और उसके लिए आवश्यक गणनाओं के आधार पर, हमने देखा है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने रखरखाव के संबंध में प्रमुख व्यावसायिक मानदंडों का अनुपालन किया है। आरबीआई द्वारा 29 दिसंबर 2022 को अपडेट किए गए मास्टर डायरेक्शन डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 के पैरा 3(xvi)(ए) के अनुसार परिभाषित अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 75 बुनियादी ढांचा ऋण में लगाया गया है। पुनर्पूंजीकरण बांड में निवेश और बैंक जमा के मुकाबले ओवरड्राफ्ट को कम करने पर गणना में विचार किया जा रहा है।

   यदि पुनर्पूंजीकरण बांड और बैंक जमा के खिलाफ ओवरड्राफ्ट में निवेश पर विचार किया जाता है, तो कंपनी उपरोक्त पैराग्राफ में परिभाषित निर्दिष्ट मानदंड 3(xvi)(ए) को बैलेंस शीट की तारीख यानी 31 मार्च 2023 को पूरा नहीं करेगी। इस मामले में, कंपनी ने 75 प्रतिशत की निर्धारित नियामक सीमा के मुकाबले बुनियादी ढांचे के ऋण में तैनात कुल संपत्ति का 71.06 प्रतिशत बनाए रखा है।

2. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के तहत अपेक्षित संख्या में महिला निदेशकों की नियुक्ति वित्त मंत्रालय से प्रतीक्षित है। तदनुसार, उपरोक्त धारा की आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना बोर्ड का गठन किया गया। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति 10 मई 2023 को वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या F.NO.16/7/2022-IF-I के माध्यम से की गई थी।

3. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को कर के बाद लाभ का न्यूनतम 30 प्रतिशत या सीपीएसई के निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होता है, जो मौजूदा कानूनी के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन है। प्रावधान, हालांकि, आईआईएफसीएल ने 19 सितंबर 2019 के पत्र के माध्यम से सरकार से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक लाभांश के भुगतान से छूट का अनुरोध किया है। सरकार की ओर से पत्र के जवाब का इंतजार है. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया गया है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) की आवश्यकता के अनुसार, हम अनुबंध में देते हैं 'ए' आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक बयान।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   ख. उपरोक्त योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं, जहां तक उन बही खातों की हमारी जांच से पता चलता है;

   ग. स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ और हानि का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट, इक्विटी में बदलाव का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए कैश फ्लो का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट खाते की बहियों के अनुरूप है;

   घ. उपरोक्त योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम 2015 तथा संशोधित की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

   ङ. अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून 2016 को 463(ई), निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है;

   च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक बी' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   छ. कंपनी एक सरकारी कंपनी है, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ी गई धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

3. कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

   क) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 1(बी)(ए) में बताया गया है।

   ख) कंपनी ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षित महत्वपूर्ण नुकसान, यदि कोई हो, के लिए डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर प्रावधान किया है।

   ग) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

   घ) 1) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली

गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से)। या संस्थाएँ, जिनमें विदेशी संस्थाएँ ('मध्यस्थ') शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा ('अंतिम लाभार्थी') या कंपनी की ओर से या अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करता है।

(ii) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ('फंडिंग पार्टियों') सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा , कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थियों') को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या और ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(iii) ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना जाता है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (डी) (i) और (डी) (ii) के तहत अभ्यावेदन में गलत बयानी की कोई महत्वपूर्ण गलती है –कथन।

घ) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

ङ.) अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खातों की किताबें बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है, और तदनुसार, संशोधित* कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर हमारी अलग रिपोर्ट अनुबंध 'सी' के रूप में संलग्न है।

कृते अग्रवाल और सक्सेना
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफ आर एन –002406C)

हस्ता/–
अक्षय सेठी
साथी/पार्टनर
सदस्यता संख्या:539439
यू डी आई एन :– 23539439BGUQFT1839

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 13.09.2023

*जैसा कि संशोधित शब्द जोड़ा गया

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुभाग 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

(i) (क) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान सभी वस्तुओं संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन किया गया। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता उचित है। इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख/पट्टा विलेख, जैसा कि संपत्ति, संयंत्र उपकरण पर नोट 9 में स्टैंडअलोन वित्तीय के लिए खुलासा किया गया है। विवरण कंपनी के नाम पर नहीं रखे गए हैं जैसा कि नीचे बताया गया है:

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर रखा गया	चाहे प्रमोटर हों, निदेशक हों या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	आयोजित अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
प्लेट ए एंड बी, 5वीं मंजिल, ऑफिस ब्लॉक 2, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023	27479.81 लाख	संपत्ति हस्तांतरण की प्रतीक्षा में, यह एनबीसीसी लिमिटेड के नाम पर रखी गई है	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी के नाम पर नहीं रखा गया है।	लागू नहीं	कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात एनबीसीसी द्वारा पट्टा विलेख को अंतिम रूप दिया जाना लंबित है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के खंड 3 (i) (डी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है। (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया) और उसके तहत बनाए गए नियम। तदनुसार, कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के खंड 3(i)(e) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(ii) (क) कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और उसके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। तदनुसार, कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के खंड 3(ii)(ए) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। वर्ष के किसी भी समय चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा का आधार। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(iii) (क) कंपनी एक एनबीएफसी है, इसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम और गारंटी के नियम और शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं। हालांकि, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है या कोई सुरक्षा नहीं दी है।

(ग) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में, मूल राशि के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और कुछ मामलों में मूल राशि और ब्याज की प्राप्तियों के पुनर्भुगतान में देरी हुई है।
हालांकि, व्यवसाय की प्रकृति और इसमें शामिल जानकारी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, ऋण परिसंपत्तियों की एक विस्तृत सूची प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है, जहां वर्ष के दौरान भुगतान और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की पहचान गैर–मान्यता प्राप्त ऋणों के अलावा अन्य ऋणों के लिए की गई है। वर्ष 31 मार्च, 2023 तक निम्नलिखित विलंब देखे गए:

विवरण	कुल अतिदेय राशि (मूलधन और ब्याज) (₹लाख में)	मामलों की संख्या
1-30 दिन	5,02,115.84	29
31-60 दिन	65,016.55	9
61-90 दिन	320.93	1
90 दिन से अधिक	2,46,035.15	20*

*चूककर्ता मामलों की संख्या

(घ) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में, जो बैलेंस शीट की तारीख में 90 दिनों से अधिक समय से अतिदेय हैं, वर्ष के दौरान अमान्य किए गए ऋणों के अलावा अन्य ऋण, जैसा कि हमें बताया गया है और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, प्रबंधन ने मूल राशि और ब्याज की वसूली के लिए उचित कदम उठाए हैं।

मामलों की संख्या	मूल राशि अतिदेय (₹लाख में)	ब्याज अतिदेय (₹लाख में)	कुल अतिदेय (₹लाख में)
20*	2,01,350.15	1,02,310.45*	3,03,660.60*

*मामले और राशि रद्दी की गई

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, किसी भी ऋण या अग्रिम का कोई उदाहरण नहीं है, जो वर्ष के दौरान देय हो गया था, और नवीनीकृत या विस्तारित या नए ऋण दिए गए थे वर्ष के दौरान उन्हीं पार्टियों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय का निपटान करने के लिए अनुमति दी गई थी। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(ई) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(छ) कंपनी एक एनबीएफसी है, इसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(एफ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में अधिनियम की धारा 185 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। हालाँकि, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 के तहत आने वाली पार्टियों को वर्ष के दौरान कोई सुरक्षा, गारंटी प्रदान नहीं की है और न ही कोई निवेश किया है। तदनुसार, ऐसी पार्टियों के लिए सुरक्षा, गारंटी और निवेश के संबंध में कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के खंड 3 (iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 और ऋण के संबंध में प्रासंगिक नियमों से छूट प्राप्त है। और गारंटी, निवेश के संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(1) के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(vi) धारा 73 से 76 के प्रावधान और अधिनियम और कंपनी (स्वीकृति और जमा) नियम, 2014 (संशोधित) के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान, रिजर्व के साथ पंजीकृत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने पर कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ('आरबीआई')। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (ऑडिटर का आदेश) के खंड 3 (vi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। उपयुक्त प्राधिकारियों के पास वर्ष के दौरान आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया। उपरोक्त वैधानिक देय राशि के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है फोरम	जहां विवाद लंबित है	Remarks, if any
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	682.33	निर्धारण वर्ष 2016-17	आयकर आयुक्त (अपील)	सीआईटी (ए) में अपील की गई है, रु. 498.61 लाख की मांग लंबित है। विभाग के द्वारा अपील प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	174.58	निर्धारण वर्ष 2016-17	आयकर आयुक्त (अपील)	आदेश दिनांक 27.04.2023 के खिलाफ कम्पनी ने अपील डाल दी है।

* सी इ ए जी के अवलोकन पर जोड़ा गया

viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी लेनदेन को सरेंडर या खुलासा नहीं किया है, जो पहले कर निर्धारण में खाते की किताबों में आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान आय के रूप में। तदनुसार, कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के खंड 3(viii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने ऋणों या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है। वर्ष के दौरान ऋणदाता. तदनुसार, 'कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के खंड 3(ix)(ए) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, सावधि ऋण उस उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।?

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए किसी भी धन का उपयोग के लिए लंबे समय तक नहीं किया गया है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यम' के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(छ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं उठाया है।"

"पैराग्राफ को सीएआरओ की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया गया है

(x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से साल के दौरान कोई धन नहीं जुटाया है)। तदनुसार, कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश का खंड 3(x)(ए), ('आदेश') कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का साल के दौरान कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश ('आदेश') का खंड 3(x)(बी) कंपनी पर लागू नहीं है।

(xi) (क) कंपनी की बहियों और रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऑडिटिंग के मानकों में उल्लिखित नैतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी पर द्वारा कोई धोखाधड़ी या वर्ष के ऑडिट के दौरान कंपनी पर कोई धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) हमें रिपोर्ट करना होगा कि, कंपनी नियम 13 के (ऑडिट और ऑडिटर) नियमों, 2014 केंद्र सरकार के साथ, के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी –4 में ऑडिटर के रूप में हमारे द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई विसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, (एआदेश) के खंड 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और सभी विवरणों का खुलासा किया गया है। लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 1(बी)(5) देखें)

(xiv) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी ऑडिट प्रक्रिया की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, ऑडिट के तहत वर्ष के लिए कंपनी को वर्ष के दौरान और आज तक जारी की गई आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने धारा के प्रावधानों के अनुसार अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट), आदेश 2020 ('आदेश') के खंड 3(xv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे रिकॉर्ड की जांच के आधार पर कंपनी वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (आरबीआई अधिनियम) की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत है।

(ख) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र ('सीओआर') के साथ गैर–बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों का संचालन किया है।

(ग) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, कंपनियों (ऑडिटर की रिपोर्ट), आदेश 2020 ('आदेश') के खंड 3(xvi)(सी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(डी) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई सीआईसी नहीं है।

(xvii) कंपनी को हमारे ऑडिट में शामिल वित्तीय वर्ष के दौरान और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है। तदनुसार, कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (एआदेश) के खंड 3(xvii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और बोर्ड के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर। निदेशकों और प्रबंधन योजनाओं और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो दर्शाती है कि कंपनी इसे पूरा करने में सक्षम नहीं है। बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद इसकी देनदारियां जब भी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि द्वारा बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि या जब भी उनका बकाया हो, के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा।

(xx) (ए) उप–धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरण की आवश्यकता वाली चल रही परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 135. तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2020 ('आदेश)' के खंड 3(xx)(ए) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(बी) चल रही परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने धारा 135 (6) कंपनी अधिनियम के अनुपालन में वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर, बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है।

कृते अग्रवाल और सक्सेना
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफ आर एन –002405C)

हस्ता/–
अक्षय सेठी
साथी/पार्टनर
सदस्यता संख्या: 539439
यू डी आई एन :– 23539439BGUQFT1839

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13.09.2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'बी'

(सम तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 2 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है। ('कंपनी') 31 मार्च 2023 तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (आईसीएआई) जिम्मेदार है। । इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी। को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया और कंपनी अधिनियम की धारा 143(10), 2013, के तहत निर्धारित माना जाता है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होने वाली सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और, दोनों ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवररराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री के कारण अपर्याप्त हो सकता है। खराब हो सकता है. निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है और उन्हें प्रबंधन के मूल्यांकन में शामिल किया गया है:

ईआरपी सभी लेखांकन लेनदेन को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए स्थिरीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया में है, जिसके कारण कुछ लेनदेन जैसे, हानि हानि की गणना और ऋणों पर संदिग्ध ऋणों का प्रावधान, अग्रिमों का वर्गीकरण / परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार होता है। आरबीआई, विदेशी मुद्रा लेनदेन में विदेशी मुद्रा लाभ/हानि की गणना, हेज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की गणना एसएपी (ईआरपी) से डेटा निकालने के बाद की जाती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास उपर्युक्त पैराग्राफ को छोड़कर, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आंतरिक नियंत्रण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के आधार पर 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते अग्रवाल और सक्सेना
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफ आर एन –002406C)

हस्ता/–
अक्षय सेठी
साझी/पार्टनर
सदस्यता संख्या: 539439
यू डी आई एन :– 23539439BGUQFT1839

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13.09.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'सी' हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 4 में संदर्भित अनुलग्नक

क्र सं	दिशानिर्देश	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का वित्तीय के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव पड़ता है	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है, जिसमें लेनदेन एसएपी, एक ईआरपी सॉफ्टवेयर में दर्ज किए जाते हैं। ईआरपी स्थिरीकरण की प्रक्रिया में है। और सभी को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए एकीकरण लेखांकन लेनदेन जिसके कारण कुछ लेनदेन होते हैं जैसे, हानि हानि की गणना और ऋण पर संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, ब्याज का उलटा होना, एफआईटीएल बनाने के कारण आय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अधिगों का वर्गीकरण/संपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण। , विदेशी मुद्रा लेनदेन में विदेशी मुद्रा लाभहानि की गणना, हेज्ज अनुबंध, अधिस्थगन के तहत ब्याज गणना पर ब्याज की गणना लेखांकन प्रणाली से स्वतंत्र की जाती है। इसके अलावा, कृपया हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मामले पर जोर पैरा को देखें जिसमें हमने 2988.21 लाख रुपये की राशि के लंबित समाधान पर प्रकाश डाला है जो प्रबंधन द्वारा हल करने की प्रक्रिया में है। हालाँकि इस तरह के सुलह के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता है, प्रबंधन की राय है कि प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।
2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	वर्ष के दौरान किसी ऋणदाता कंपनी का लेखा परीक्षा के तहत कोई विद्यमान ऋण / कर्ज ब्याज का पुनर्गठित या माफ किया गया। बट्टा खाते में डाले गए ऋण आदि के बारे में कोई मामला नहीं आया है।

3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य/धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	लागू नहीं

कृते अग्रवाल और राजोरा
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफ आर एन –002405C)

हस्ता/–
अक्षय रोहतगी
साझी
सदस्यता संख्या: 539439
यू डी आई एन :– 23539439BGUQFT1839

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13.09.2023

* पूर्ण दिशानिर्देश जोड़े गए

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम 2023 की धारा 143(5) के तहत भारत के सीएंडएजी (C&AG) द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए मेसर्स इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वार्षिक स्टैंडअलोन खातों का ऑडिट किया है। प्रमाणित करते हैं कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते अग्रवाल और सक्सेना
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(FRN-002405C)

हस्ता/–
अक्षय सेठी
साथी
सदस्यता संख्या: 539439
यू डी आई एन – 23539439BGUQFT1839

स्थान: नई दिल्ली

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऑडिटर की रिपोर्ट

सेवा में
निदेशक मंडल
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
5वीं मंजिल, भाग ए और बी, ब्लॉक बी
ईस्ट किदवई नगर,
नई दिल्ली–110023

जैसा कि गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) द्वारा आवश्यक है पैराग्राफ में निर्दिष्ट मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी निर्देश, 2016 उक्त निर्देशों के 3 और 4 इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी पर लागू सीमा तक सीमित और ऑडिट के उद्देश्य से हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कंपनी गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के व्यवसाय में लगी हुई है और इसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1 (ए) के प्रावधान के तहत पंजीकरण संख्या के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र एन–14, 03288 दिनांक 09.09.2013 को प्राप्त किया है और मास्टर डायरेक्शन पीडी.008/03.10.119/2016–17 को आरबीआई द्वारा 29 दिसंबर 2022 को अपडेट किया गया, डीएनबीआर के पैरा 3(xvii)(ए) के अनुसार परिभाषित बुनियादी ढांचे के ऋण में तैनात अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 75% के रखरखाव के संबंध में प्रमुख व्यावसायिक मानदंडों का अनुपालन किया है। जिसमें पुनर्पूंजीकरण बांड में निवेश और बैंक जमा के खिलाफ ओवरड्राफ्ट को शामिल किए बिना गणना में विचार किया गया।

   यदि पुनर्पूंजीकरण बांड और बैंक जमा के खिलाफ ओवरड्राफ्ट में निवेश पर विचार किया जाता है, तो कंपनी उपरोक्त पैराग्राफ में परिभाषित निर्दिष्ट मानदंड 3(xvii)(ए) को बैलेंस शीट की तारीख यानी 31 मार्च 2023 को पूरा नहीं करेगी।

2. 31 मार्च, 2023 तक अपने प्रमुख व्यवसाय मानदंड (वित्तीय संपत्ति–आय पैटर्न) के संदर्भ में कंपनी की इस तरह के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रखने की हकदार रहने की पात्रता यहां ऊपर पैरा (1) में दी गई है।

3. कंपनी मास्टर डायरेक्शन – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा लेने वाली कंपनी और जमा कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में निर्धारित आवश्यक शुद्ध स्वामित्व वाली निधि आवश्यकता को पूरा कर रही है।

4. निदेशक मंडल ने 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी जमा को स्वीकार न करने के लिए 23 सितंबर 2022 को एक प्रस्ताव पारित किया है।

5. कंपनी ने वर्ष 2022–23 के दौरान कोई भी सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

6. कंपनी ने गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 के संदर्भ में आय मान्यता, लेखांकन मानकों, परिसंपत्ति वर्गीकरण और खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन किया।)

कृते अग्रवाल और सक्सेना
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफ आर एन –002406C)

ह./–
अक्षय सेठी
साथी
सदस्यता संख्या:539439
यू डी आई एन:23539439BGUQFH2808

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.06.2023

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
तुलन पत्र 31 मार्च 2023 तक
सीआईएन नंबर: U67190DL2006GOI144820

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2023 तक (लेखा-परीक्षित)	31.03.2022 तक (लेखा-परीक्षित)
1	आस्तियां			
1	वित्तीय आस्ति			
(क)	नकद और नकद समतुल्य	2क	160,280.31	172,160.97
(ख)	उपरोक्त (क) के अलावा बैंक बैलेंस	2ख	636,700.11	771,546.12
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय साधन	3	164,636.18	85,251.90
(घ)	ऋण	4	4,231,598.73	3,872,357.45
(ङ)	निवेश	5	652,690.11	662,015.94
(च)	अन्य वित्तीय आस्ति	6	80,946.07	33,189.31
	कुल वित्तीय आस्ति		5,886,851.51	5,596,410.69
2	गैर-वित्तीय आस्ति			
(क)	चालू कर आस्तियां (निवल)	7	4,487.61	33,715.36
(ख)	अस्थगित कर आस्ति (निवल)	8	32,571.16	40,945.71
(ग)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	9	33,751.33	24,839.16
(घ)	अन्य अमूर्त आस्तियां	10	110.06	168.23
(ङ)	अन्य गैर-वित्तीय आस्तियां	11	850.80	345.61
	कुल गैर-वित्तीय आस्तियां		61,690.96	100,013.97
	कुल आस्ति (1+2)		**5,948,542.47**	**5,696,424.66**
II	देयताएं और इक्विटी			
क	देयताएं			
1	**वित्तीय देयताएं**			
(क)	ऋण प्रतिभूतियां	12	1,834,690.95	1,996,997.24
(ख)	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	13	2,470,435.53	2,081,461.71
(ग)	अन्य वित्तीय देयताएं	14	80,467.75	76,024.32
	कुल वित्तीय देयताएं		4,385,594.33	4,156,683.27
2	गैर-वित्तीय देयताएं			
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	15	408.58	-
(ख)	प्रावधान	16	243,346.73	324,389.44
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	17	31,485.06	41,652.53
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं		275,140.34	366,041.97
	कुल देयताएं (1+2)		**4,660,734.57**	**4,522,725.24**
ख	इक्विटी			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	18	999,991.62	999,991.62
(ख)	अन्य इक्विटी	19	287,816.28	173,707.80
	उप योग (ख)		**1,287,807.90**	**1,173,699.42**
	उप योग (ख) कुल देयताएं और इक्विटी (क + ख)		**5,948,542.47**	**5,696,424.66**

1 से 28 तक के नोट खातों का अभिन्न अंग हैं।

अपने दिनांक की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते अग्रवाल और बंसीवाल
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: 002405सी)

के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

ह./-
अंशुल बंसी
साझी
सदस्यता संख्या: 518436

ह./-
पवन कुमार
(प्रथम प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8601388

ह./
पीयूष जयसवाल
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8711536

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.05.2023

ह./
मंजरी मिश्रा
(सीएफओ और कंपनी सचिव)

ह./
राजीव पुरोहित
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च 2023 वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण
सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	समाप्त वर्ष 31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	31.03.2022 (लेखापरीक्षित)
	संचालन से राजस्व			
(क)	ब्याज आय	30	403,135.80	356,567.14
(ख)	शुल्क और कमीशन आय	31	4,355.96	5,188.49
I	संचालन से कुल राजस्व (क+ख)		407,491.76	361,755.63
II	अन्य आय	32	57,767.05	59,463.48
III	कुल आय (I+II)		465,258.80	421,219.12
IV	व्यय			
(क)	वित्तीय लागत	33	289,537.03	234,549.93
(ख)	शुल्क और कमीशन व्यय	34	4,968.82	4,974.07
(ग)	इक्विटी शुल्क परिवर्तनीय पर निवल हानि	35	2,297.50	(1,510.89)
(घ)	वित्तीय लिखतों पर हानि	36	(81,941.02)	(76,200.29)
(ङ)	कर्मचारी लाभ व्यय	37	5,031.61	3,860.52
(च)	**कुल व्यय, परिशोधन और हानि**	**9,10**	**1,183.46**	**1,313.24**
(छ)	**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व**		**410.15**	**285.78**
(ज)	**अन्य व्यय**	**28**	**136,049.91**	**194,932.02**
	कुल व्यय (IV)		337,579.46	362,206.38
V	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (III-IV)		127,679.34	59,012.74
VI	असाधारण मदें		-	
VII	**लाभ/(हानि) कर पूर्व (V-VI)**		**127,679.34**	**59,012.74**
	कर व्यय			
	(i) वर्तमान कर		(11,708.55)	-
	(ii) वर्तमान वर्ष में टैक्स एडजस्टमेंट		(54.66)	(3,184.42)
	(iii) आस्थगित कर		**(8,356.60)**	**(5,402.78)**
VIII	कुल कर व्यय IX (i+ii+iii)		(20,119.81)	(8,587.20)
IX	एकल इकाई परिचालनों से लाभ/हानि (VII-VIII)		107,559.50	51,425.55
	एकल इकाई परिचालनों से लाभ/हानि		-	-
	एकल इकाई परिचालनों से कर व्यय		-	-
X	एकल इकाई परिचालनों से लाभ/हानि (कर के बाद)		-	-
XI	**लाभ/हानि (शेष एवं एकल इकाई परिचालनों) (IX+X)**		**107,559.50**	**51,425.55**
XII	अन्य व्यापक आय			
	* (i) आइटम जिनके लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (अवधारित) परिभाषित लाभ प्रतिबद्ध का पुनर्मूल्यांकन		**71.33**	**32.36**
	(ii) परिभाषित लाभ प्रतिबद्ध के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित आयकर		**(17.95)**	**(8.14)**
	अन्य व्यापक आय/(व्यय) (क)		**53.38**	**24.21**
XIII	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) (XI+XII)**		**107,612.88**	**51,449.76**
XIV	प्रति इक्विटी शेयर आय (वित्तीय संचालन के लिए)			
	1. एकल परिचालनों हेतु (₹ में)	1(B)(6)	**1.08**	**0.51**
	2. एकल इकाई परिचालनों हेतु (₹ में)		-	-
	3. कुल एवं एकल इकाई परिचालनों हेतु (₹ में)		**1.08**	**0.51**

1 से 28 तक के नोट खातों का अभिन्न अंग हैं।

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
अग्रवाल और सक्सेना के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: 002405सी)

कृते निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

ह./-
अक्षय सेठी
साझी
सदस्यता संख्या: 528430

ह./-
पवन कुमार
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8601388

ह./
दीपक जयसवाल
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8711526

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.05.2023

ह./
मंजरी मिश्रा
(सीजीएम और कंपनी सचिव)

ह./
राजीव पुनीजा
(मुख्य महाप्रबंधक–वीएफसी)

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च 2023 वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	समाप्त वर्ष 31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	31.03.2022 (लेखापरीक्षित)
क	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
(i)	कर पूर्व निवल लाभ		127,678.34	59,012.76
	के लिए समायोजन			
(ii)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		1,185.46	1,315.34
(iii)	प्रावधान/बट्टे खाते में डालना		(6,650.90)	98,355.63
	प्रावधान/शेष लाभ की वसूली		(86.62)	(227.73)
(iv)	ऋण पर विदेशी मुद्रा में लाभ-हानि हानि/(लाभ)		34,472.91	18,334.43
(v)	अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि / (लाभ)		4.09	0.49
(vi)	ऋण और अग्रिमों पर अर्जित और देय ब्याज		122.12	3,866.10
(vii)	ब्याज प्रवाहित लेकिन लाभ पर देय नहीं		4,246.53	3,666.61
(viii)	आस्थगित पर ब्याज		(54.68)	(2,184.42)
	अर्थशेष पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		**184,220.04**	**182,139.11**
(ii)	ऋण संचालन से नकदी प्रवाह		(458,139.53)	(182,930.83)
(iii)	निवेशों में/(लाभ) की बिक्री		9,896.08	8,727.17
(iii)	(वृद्धि)/अन्य आस्तियों में कमी		(52,057.79)	26,641.18
(iv)	(वृद्धि)/अन्य परिचालन आस्तियों में कमी		134,846.01	396,169.75
(v)	अन्य परिचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी)		(9,455.51)	(5,588.47)
	कर से पहले के कार्यों से नकदी प्रवाह		**(190,690.70)**	**75,157.91**
	भुगतान किया गया कर (निवल)		(11,300.00)	(11,500.00)
	संचालन से निवल नकद	क	**(201,990.70)**	**63,657.91**
ख	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
(i)	संयंत्र, आस्ति और उपकरण की खरीद		(134.85)	(59.50)
(ii)	अन्य आस्तियों की बिक्री		81.30	9.12
(iii)	(वृद्धि)/पूंजीगत कार्य में कमी प्रगति पर है		149.95	(20,046.46)
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद	ख	**106.40**	**(20,096.84)**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
(i)	शेयर पूंजी के निर्गम/आवंटन से प्राप्त आय		354,300.93	(57,738.68)
(ii)	ऋण प्रतिभूतियों से प्राप्त/(चुकौती)		(164,306.29)	150,000.00
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद	ग	**189,994.64**	**92,261.32**
घ	नकद और नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)		**(11,889.66)**	**135,822.39**
	जोड़े: नकद और नकद समकक्ष शेषराशि		172,169.97	36,347.58
	नकद और नकद समकक्ष शेषराशि बंदकर		160,280.31	172,169.97
	समायोजन नकद और नकद समतुल्य में शामिल है:-			
(i)	नकद		-	-
(ii)	बैंक शेष		160,280.31	172,169.97
	कुल		**160,280.31**	**172,169.97**

नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार किया गया है जैसा कि इंडएएस 7 'कैश फ्लो का विवरण' में निर्धारित किया गया है।

1) पिछली अवधि के आंकड़ों को रिपोर्टिंग अवधि की प्रस्तुति के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

2) निम्नलिखित बैंक शेष कंपनी द्वारा निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं: (वृद्धि)/अन्य बैंक शेष में कमी 31 मार्च 2023 को लाख (31 मार्च 2022 को ₹52,46,188.75 लाख) में 31 मार्च 2023 को ₹9,000.00 लाख (31 मार्च 2022 को ₹9,000.00 लाख) शामिल हैं जिस पर ब्याज के भुगतान के लिए छानबीनकर्ता निधि किया गया है और 31 मार्च 2023 को 34,884.00 लाख (31 मार्च 2022 को ₹4,34,230.80 लाख) जिस पर ओवरड्राफ्ट के लिए छानबीनकर्ता निधि किया गया है।

1 से 28 तक के नोट खातों का अभिन्न अंग हैं।
सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
अग्रवाल और सक्सेना के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: 002485N)

कृते निदेशक मंडल के लिए और
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

ह./-	ह./-	ह./
अमित सेठी	**पवन कुमार**	**नीलम जयसंकर**
साझेदार	**(प्रभार निदेशक)**	**(प्रबंध निदेशक)**
सदस्यता संख्या: 524434	**डीआईएन संख्या: 09001398**	**डीआईएन संख्या: 07115026**
	ह./	ह./
स्थान : नई दिल्ली	**संजयी मिश्रा**	**राजीव कुमीजा**
दिनांक : 19.05.2023	**(सीएफओ और कंपनी सचिव)**	**(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)**

* वर्ष 2022-23 के लिए आईआईएफसीएल के वार्षिक खातों के अंकेक्षित में टिप्पणियों पर ऑडिटर के विचार लेखापरीक्षा, प्रदर्शन और कॉर्पोरेट खातों के प्रभार निदेशक, नई दिल्ली के समक्ष रखे गए अवलोकन/राय के अनुसार एक तुलनात्मक वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्रभार में प्रावधान किया गया है।

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	999,991.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
1 अप्रैल 2022 पर पुनः वर्गित शेष राशि	999,991.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी जारी करना	-
31 मार्च 2023 को शेष राशि	999,991.62

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष										कुल
	पूंजीगत आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	निर्बंधित बांड/ रिडेम्पशन आरक्षित निधि	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viaa) के तहत विशेष रिजर्व	स्टॉक डेरिवेटिव आरक्षित निधि	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	निधि आरक्षित निधि बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के तहत	अन्य व्यापक आय	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	585.14	235.50	99,995.05	(7,580.94)	145,940.91	355.01	122.45	19,062.47	(349.84)	(84,657.93)	173,707.79
पूर्व अवधि की त्रुटि के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-									-
संशोधित अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	585.14	235.50	99,995.05	(7,580.94)	145,940.91	355.01	122.45	19,062.47	(349.84)	(84,657.93)	173,707.79
कुल लाभ का भुगतान	-	-	-	-	-	-	-			107,559.50	107,559.50
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-			107,559.50	107,559.50
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-	-	-	-	(32.06)	-		53.38	(29,031.47)	(29,010.15)
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह हेजिंग व्यवस्था आरक्षित निधि	-	-	-	6,495.60	-	-	-	-		-	6,495.60
बरकरार रखी गई कमाई में स्थानांतरण	-	-	(1,907.29)	-	-	-	-			1,939.34	32.05
प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण					7,508.90	-	-	21,522.58		-	29,031.48
31 मार्च 2023 को शेष राशि 5	585.14	235.50	98,087.76	(1,085.38)	153,449.81	322.95	122.45	40,585.05	(296.46)	(4,196.56)	287,816.28

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	999,991.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
1 अप्रैल 2021 पर पुनः वर्णित शेष राशि	999,991.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी जारी करना	-
31 मार्च 2022 को शेष राशि	999,991.62

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष										कुल
	पूंजीगत आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	डिबेंचर बांड/ डिबेंचर आरक्षित निधि	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व	स्टाक वेलकेयर आरक्षित निधि	कीपुरीट समाजिक प्रतिदायित्व आरक्षित निधि	निधि आरक्षित निधि बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के तहत	अन्य व्यापक आय	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	585.14	235.50	90,995.05	(27,653.15)	145,940.91	75.10	132.45	8,772.52	(374.05)	(162,244.02)	65,455.45
पूर्व अवधि की त्रुटियां											-
लिखित आयों की कुलकाल में पुनर्निर्धारित शेष राशि	585.14	235.50	90,995.05	(27,653.15)	145,940.91	75.10	132.45	8,772.52	(374.05)	(162,244.02)	65,455.45
वर्ष लाभ का मुनाफा										51,425.55	51,425.55
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-			51,425.55	51,425.55
आयों के दौरान उपयोग की गई राशि						(7.31)			24.21	(10,577.18)	(10,560.28)
आयों के दौरान नकदी प्रवाह हेज व्यवस्था आरक्षित निधि				20,072.18							20,072.18
व्यवसाय रखी गई कमाई में स्थानांतरण										36,737.72	36,737.72
प्रतिभूति कमाई के स्थानांतरण						287.22		10,289.95			10,577.18
31 मार्च 2022 को शेष राशि	585.14	235.50	90,995.05	(7,580.97)	145,940.91	355.01	132.45	19,062.47	(349.84)	(84,657.93)	173,707.80

इस दिनांक की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
अग्रवाल और राकेश के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: 002405सी)

ह./-
अजय पंती
साझी
सदस्यता संख्या: 539438

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.05.2022

ह./-
पवन कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 08012088

ह./
नीलम अवस्थी
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 07115026

के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जिबिशन सेंटर लिमिटेड

ह./
मंजरी सिंघ
(सीएफओ और कंपनी सचिव)

ह./
राजीव कुमारिया
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट 2: नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क)	नकद और नकदी के समतुल्य		
(i)	बैंकों के शेष संतुलन	160,280.31	172,169.97
	योग	**160,280.31**	**172,169.97**

नोट 2(ख): उपरोक्त 2क के अलावा अन्य बैंक बैलेंस

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(ख)	अन्य बैंक बैलेंस		
(i)	बैंकों के साथ सावधि जमा (बिना भार के) (मूल परिपक्वता तीन महीने से अधिक)	283,705.42	339,314.83
(ii)	बांडों पर दावा न किए गए ब्याज के लिए बैंकों के पास निर्धारित	0.69	0.69
(iii)	बांड के ब्याज भुगतान के खिलाफ सुरक्षा के रूप में धारित	8,000.00	8,000.00
(iv)	बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने का संकल्प लिया	344,994.00	424,230.60
	योग	**636,700.11**	**771,546.12**

नोट 3: व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
		काल्पनिक राशि	उचित मूल्य	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य
	आस्तियां				
	अन्य व्युत्पन्न				
	क्रॉस करेंसी डिसिमल और ब्याज दर स्वैप	999,203.47	164,636.18	1,037,924.27	85,281.90
	(संदर्भ नोट सं. 24.3.2)				
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	**999,203.47**	**164,636.18**	**1,037,924.27**	**85,281.90**

नोट 4: ऋण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को परिशोधन लागत	31.03.2022 को परिशोधन लागत
(क)	ऋण		
(i)	सावधि ऋण		
I	**अवसंरचनात्मक ऋण: मानक आस्तियां**		
क.	प्रत्यक्ष उधार	1,169,330.79	1,337,758.91
ख.	पूल्ड नगर पालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) योजना	121.24	147.31
ग.	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	648,233.38	548,914.87
घ.	पुनर्वित्त योजना	1,590,864.33	1,587,733.33
ङ.	**अवसंरचना इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के बांड (इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण के रूप में संगणित)***	617,175.88	97,500.00
II	अवसंरचनात्मक ऋण: उप–मानक आस्तियां		
क.	प्रत्यक्ष उधार	1,984.87	20,841.87
ख.	पूल्ड नगर पालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) योजना	-	-
ग.	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	-	42,684.52
III	**अवसंरचनात्मक ऋण: संदिग्ध आस्ति**		
क.	प्रत्यक्ष उधार	156,499.18	293,050.55
ख.	पूल्ड नगर पालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) योजना	-	0.14
ग.	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	42,866.09	6,600.51
IV	**कर्मचारियों को ऋण'****	**1,497.52**	**1,314.37**
(ii)	**ऋण**		
	संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम		
	सहायक कंपनियों की ओर से किए गए खर्च	27.26	87.72
	कुल (क) सकल	4,228,600.52	3,936,634.07
	घटाएं: हानि भत्ता^	-	-
	घटाएं: बकाया विनियोग राशि^^	(2,998.21)	64,426.62
	कुल (क) निवल	**4,231,598.73**	**3,872,207.45**
(ख)	**(i) मूर्त आस्ति और अमूर्त आस्ति द्वारा प्रतिभूत** अच्छी माना जाता है	**2,370,470.29**	**2,348,813.01**
	(ii) अप्रतिभूत	**1,858,130.22**	**1,587,821.06**
	कुल (ख) सकल	**4,228,600.52**	**3,936,634.07**
	घटाएं: हानि भत्ता^	-	-
	घटाएं: विनियोग लंबित राशि^^	(2,998.21)	64,426.62
	कुल (ख) निवल	**4,231,598.73**	**3,872,207.45**
(ग)	भारत में ऋण		
	(i) सार्वजनिक क्षेत्र	1,935,044.40	1,312,733.33
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा	2,293,556.12	2,623,900.75
	कुल (ग) सकल	**4,228,600.52**	**3,936,634.07**
	घटाएं: हानि भत्ता^	-	-
	घटाएं: विनियोग लंबित राशि^^	(2,998.21)	64,426.62
	कुल (ग) निवल	**4,231,598.73**	**3,872,207.45**
	कुल	**4,231,598.73**	**3,872,207.45**

फुटनोट

(₹ लाख में)

क्षेत्र	सुरक्षा के क्षेत्र का विवरण#	राशि (₹ लाख में)	
बिजली और अन्य	बिजली और अन्य क्षेत्र संबंधक: उधारकर्ता की सभी अचल आस्तियों, वर्तमान और भविष्य के बाक के रूप में पहला परी-पासु प्रभार।	1,136,851.75	1,177,317.13
	दृष्टिबंधक: संयंत्र और मशीनरी आदि सहित ऋणी की सभी चल आस्तियों को दृष्टिबंधक के रूप में पहला परी-पासु प्रभार।		
	शेयरों की गिरवी न्यूनतम 51%		
	एस्क्रो खाता और उधारकर्ताओं के सभी अधिकार और शीर्षक और हित परी-पासु प्रभार।		
सड़क और हवाई अड्डा (पीपीपी)	सड़क और हवाई अड्डा (पीपीपी) परियोजना की वार्षिकी और टोल संग्रह प्राप्त करने का अधिकार	1,232,121.02	1,120,181.52
	एस्क्रो खाता और ऋण लेने वाले के सभी अधिकार और शीर्षक और हित समान है		
	दृष्टिबंधक: उधारकर्ता की सभी चल आस्तियों के दृष्टिबंधक के रूप में पहला परी-पासु प्रभार।		
पुनर्वित्त योजना के तहत वित्तीय संस्थान के तहत वित्तीय संस्थान अधीनस्थ	पुनर्वित्त योजना	1,858,102.96	1,637,733.33
	कुल#	**4,227,075.74**	**3,935,231.98**

\# उपरोक्त सुरक्षा विवरण देने वाले फुटनोट में इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण राशि में 31 मार्च 2023 को ₹6,11,954.20 लाख (31 मार्च 2022 को ₹4,75,160.17 लाख) शामिल है, जो एक वर्ष के भीतर देय ऋण की राशि है। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक इन अग्रिमों के विरुद्ध ₹2,39,111.34 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹3,20,582.94 लाख) का कुल प्रावधान किया गया है।

\+ भारतीय रिजर्व बैंक के 22 सितंबर 2021 के पत्र के अनुसार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बांड में निवेश को ऋण और अग्रिम के रूप में माना जाता है, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बांड/डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से पुनर्वित्त सहित निवेश की अनुमति है, चाहे वह कार्यान्वयन के तहत परियोजना में हो या पूरी हो चुकी परियोजनाओं को आईआईएफसीएल द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण के लिए कुल संपत्ति का न्यूनतम 75% तैयार करने के उद्देश्य से इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण के रूप में माना जाएगा।

++ कंपनी अधिनियम, 2013 के 1.4.2013 से प्रावधानों की प्रयोज्यता के अनुसार, 1 अप्रैल 2014 और 20 मई 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में मुख्य महाप्रबंधक– मुख्य वित्तीय अधिकारी को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक माना गया। तदनुसार, उन्हें दिए गए गृह निर्माण ऋण को संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2023 को ऋण की कुल राशि ₹11.05 लाख थी (31 मार्च 2022 तक ₹ शून्य लाख)।

** कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण में ₹11.05 लाख की राशि उपरोक्त नोट 4(ए)IV में शामिल है

^ नोट: आरबीआई मास्टर डायरेक्शन डीएनबीआर के संदर्भ में। पी.डी. 008/03.10.119/2016–17 दिनांक 1 सितंबर 2016 को 29 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया, आईआईएफसीएल ने ईसीएल के अनुसार प्रावधान सहित ऋण परिसंपत्तियों पर अलग से प्रावधान का खुलासा किया है, (नोट 15) उन्हें बुनियादी ढांचे के मूल्य से घटाए बिना बनाया गया है ऋण परिसंपत्तियाँ (नोट 4)।

^^ विनियोग के लिए लंबित राशि ऋण खातों में निकट तारीख पर ब्याज/मूलधन और/या ऋण खातों में पूर्व भुगतान के लिए समायोज्य है।

\# वर्ष 2022–23 के लिए आईआईएफसीएल के वार्षिक खातों के आगे मार्जिन में टिप्पणियों पर ऑडिट के दौरान लेखापरीक्षा, उद्योग और कॉर्पोरेट मामलों के प्रधान निदेशक, नई दिल्ली के कार्यालय को दिए गए आश्वासन/उत्तर के अनुसार यह खुलासा वार्षिक रिपोर्ट के प्रिंट संस्करण में अद्यतन किया गया है।

नोट 5: निवेश

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को			31.03.2022 को		
		एक्वीटी पीएल	परिशोधन लागत	कुल	एक्वीटी पीएल	परिशोधन लागत	कुल
1	म्यूचुअल निधि (अनुदान) (पूरी तरह से भुगतान किया गया) (कूपन/ब्याज का और न देखें)						
(i)	आईआईएफएल म्यूचुअल निधि आईडीएफ सीरीज I	19,681.00	-	19,681.00	19,146.50	-	19,146.50
(ii)	आईआईएफएल म्यूचुअल निधि आईडीएफ सीरीज II	8,950.84	-	8,950.84	9,306.79	-	9,306.79
		28,631.84	-	**28,631.84**	**28,453.29**	-	**28,453.29**
2	सरकारी प्रतिभूतियां (अनुदान) (कूपन/ब्याज का और न देखें)						
(i)	6.29% (अवलोकनीय) भारत सरकार 2030	-	88,760.00	88,760.00	-	88,760.00	88,760.00
(ii)	6.34% (अवलोकनीय) भारत सरकार 2031	-	88,200.00	88,200.00	-	88,200.00	88,200.00
(iii)	6.34% (अवलोकनीय) भारत सरकार 2032	-	88,200.00	88,200.00	-	88,200.00	88,200.00
(iv)	6.39% (अवलोकनीय) भारत सरकार 2033	-	88,200.00	88,200.00	-	88,200.00	88,200.00
(v)	6.39% (अवलोकनीय) भारत सरकार 2034	-	88,200.00	88,200.00	-	88,200.00	88,200.00
(vi)	6.44% (अवलोकनीय) भारत सरकार 2035	-	88,200.00	88,200.00	-	88,200.00	88,200.00
		-	**529,760.00**	**529,760.00**	-	**529,760.00**	**529,760.00**
3	ऋण प्रतिभूतियां						
(a)	डिबेंचर में निवेश (अनुदान) (पूरी तरह से भुगतान किया गया) (कूपन/ब्याज का और न देखें)						
	बंगाल कनेक्ट (गंगा-एक्सप्रेस) प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	6,078.00	-	6,078.00	6,078.00	-	6,078.00
	बंगाल कनेक्ट (NRR-1) प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	7,276.00	-	7,276.00	7,276.00	-	7,276.00
	बंगाल कनेक्ट (NRR-2) प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	11,184.00	-	11,184.00	11,184.00	-	11,184.00
	पुणे हवाई टोल्स प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	-	-	-	-	-	-
		24,538.00	-	**24,538.00**	**24,538.00**	-	**24,538.00**
4	इक्विटी लिखत						
(a)	इक्विटी लिखत – पेड-अप (पूरी तरह से भुगतान किया गया) (कूपन/ब्याज का और न देखें)						
	लद्दाख ओलंपिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड	411.03	-	411.03	411.03	-	411.03
	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आईआईएफएल की ओर से भुगतान इक्विटी द्वारा अर्जित)	4,765.00		4,765.00	4,765.00		4,765.00
		5,176.02	-	**5,176.02**	**5,176.02**	-	**5,176.02**
(b)	सहायक (लागत पर निवेश)						
(i)	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड	-	61,180.95	61,180.95	-	61,180.95	61,180.95
(ii)	आईआईएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	-	1,250.00	1,250.00	-	1,250.00	1,250.00
(iii)	आईआईएफएल कोलंबस लिमिटेड	-	475.00	475.00	-	475.00	475.00
		-	**62,905.95**	**62,905.95**	-	**62,905.95**	**62,905.95**
5	अन्य						
(a)	अन्य पूंजी में निवेश (अनुदान) (पूरी तरह से भुगतान किया गया) (कूपन/ब्याज की और नहीं देखें)						
(i)	आईडीएफसी कोलंबस इक्विटी कॉलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट II (पूरी तरह से भुगतान किया गया)	601.56	-	601.56	930.07	-	930.07
		601.56	-	**601.56**	**930.07**	-	**930.07**
(b)	पुनर्गठित प्रतिभूति में निवेश (अनुदान) (पूरी तरह से भुगतान किया गया) (कूपन/ब्याज देखें)						
(i)	एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (आईसी-एएसी-VIII-ट्रस्ट)	-	-	-	3,476.05	-	3,476.05

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को			31.03.2022 को		
		एक्वीटी पीएल	परिशोधन लागत	कुल	एक्वीटी पीएल	परिशोधन लागत	कुल
(ii)	सीपिला एडवर्ड ट्रस्टीज लिमिटेड (सीपिला ट्रस्ट लिमिटेड वर्ष 16-20)	-	-	-	554.63	-	554.63
(iii)	एक्सचेंज एंड रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट-एसपी 276-सीरीज I)	22,529.89	-	22,529.89	29,395.29	-	29,395.29
		22,529.89	-	**22,529.89**	**32,425.96**	-	**32,425.97**
	कुल (क) योगफल	**81,477.32**	**592,665.95**	**674,143.26**	**91,523.36**	**592,665.95**	**684,189.30**
(ख)	विदेशी निवेश	-	61,180.95	61,180.95	-	61,180.95	61,180.95
(ग)	भारत में निवेश	81,477.32	531,485.00	612,962.32	91,523.36	531,485.00	623,008.36
	कुल (ख)	**81,477.32**	**592,665.95**	**674,143.26**	**91,523.36**	**592,665.95**	**684,189.30**
	घटा: क्षति के लिए भत्ता (घ)	**21,453.15**	-	**21,453.15**	**22,173.36**	-	**22,173.36**
	कुल निवल घ = (क) – (ग)	**60,024.17**	**592,665.95**	**652,690.11**	**69,349.98**	**592,665.95**	**662,015.94**

क्षति हानि के लिए भत्ता

विवरण	31.03.2023 को			31.03.2022 को		
	एक्वीटी पीएल	परिशोधन लागत	कुल	एक्वीटी पीएल	परिशोधन लागत	कुल
आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा आयोजित)	4,191.05	-	4,191.05	4,191.05	-	4,191.05
बंसल पावरेज (अमला-सकमपट) प्राइवेट लिमिटेड में निवेश	5,088.42	-	5,088.42	5,173.97	-	5,173.97
बंसल पावरेज एनक्लावर्स में निवेश 1	**5,430.73**	-	**5,430.73**	**5,617.32**	-	**5,617.32**
बंसल पावरेज एनक्लावर्स में निवेश 2	**6,742.94**	-	**6,742.94**	**7,191.02**	-	**7,191.02**
कुल	**21,453.15**	-	**21,453.15**	**22,173.36**		**22,173.36**

फुटनोट:

	31.03.2023 को	31.03.2023 को
(ए) (ए) बकाया न किए गए निवेश की कुल राशि – लागत/बुक वैल्यू	652,690.11	662,015.94

(बी) व्यक्तिगत निवेश के मूल्यांकन के लिए नोट सं.(5.2) देखें। एक्वीटीपीएल और एक्वीटीएसएनपीएल में कोई निवेश निर्दिष्ट नहीं है।
(सी) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का स्थानांतरण
o आईआईएफसीएलएमएफ योजना ऋण उपकरणों को "एएए" रेटिंग प्राप्त है – यह CRISIL, CARE, भारत द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग है।
o रेटिंग एजेंसी, आईसीआरए और क्रिसिल- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां।
है
कंपनी को सौंपे गई रेटिंग को एजेंसी एक पूर्वाग्रह द्वारा सीसीसी-/नेगेटिव/ए-3 के रूप में पुष्टि की गई जो सॉवरेन रेटिंग के बराबर है।
ख वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

	31.03.2023 को	31.03.2023 को
"निम्नलिखित निवेशों की क्षति पूर्ति एजेंसी (रुपये में)"		
(i) आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड आईडीएफ सीरीज I	1,513,923.68	1,472,808.34
(ii) आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड आईडीएफ सीरीज II	895,084.44	930,679.41
(iii) ईएआरसी ट्रस्ट-एसपी 276-सीरीज I	385.99	764.58
(iv) आर्सिल-एसएसी-VIII-ट्रस्ट	-	250.00
(v) सीपिला ट्रस्ट लिमिटेड वर्ष 16-20	-	225.00

एसएसी में उतार-चढ़ाव को अस्थायी माना जाता है।

नोट 6: अन्य वित्तीय आस्तियां

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क.	**अग्रिमों**		
	कर्मचारियों से वसूली योग्य अग्रिम	92.44	49.87
	सुरक्षा जमा का भुगतान	31.66	29.89
	अन्य	10,485.74	1,531.11
	उप–कुल (क)	**10,609.83**	**1,610.86**
ख.	ऋण और अग्रिमों पर अर्जित और देय ब्याज	**1,831.57**	**1,953.69**
	उप–कुल (ख)	**1,831.57**	**1,953.69**
ग.	**अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं:**		
	बैंकों के साथ सावधि जमा	20,150.06	9,067.10
	बांड	6,004.05	66.30
	सरकारी सुरक्षा	93.66	93.66
	ऋण और अग्रिम	2,256.91	20,397.71
	उप–कुल (ग)	**28,504.67**	**29,624.77**
	कुल (क)+(ख)+(ग)	**40,946.07**	**33,189.31**

नोट 7: वर्तमान कर आस्ति

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(i)	वसूली योग्य निवल आयकर	4,309.27	22,121.47
(ii)	वसूली योग्य माल और सेवा कर	98.34	93.79
(iii)	वसूली योग्य निवल अग्रिम कर	-	11,500.00
	कुल	**4,407.61**	**33,715.26**

नोट 8: आस्थगित कर आस्ति

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(i)	आस्थगित कर आस्तियाँ:		
(i)	कर के लिए प्रस्तावित विविध देयता खाते (ब्याज पूंजीकरण) में जमा किया गया ब्याज	7,597.76	11,070.69
(ii)	अपेक्षित ऋण हानि	20,854.29	27,079.65
(iii)	छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	-	57.28
(iv)	मूल्यह्रास	1,393.00	512.06
(v)	बीमारी अवकाश के लिए प्रावधान	53.69	44.68
(vi)	अन्य	2,412.09	1,827.74
(vii)	चिकित्सा सहायता योजना का प्रावधान	231.80	245.55
	पीएलआई से डब्लूटीडीज हेतु प्रावधान	6.54	-
(viii)	अवकाश किराया छूट हेतु प्रावधान	21.98	19.78
(ix)	वेतन संशोधन का प्रावधान*	-	88.29
	आस्थगित कर आस्तियां	32,571.16	40,945.71
	आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं) (निवल)	32,571.16	40,945.71

नोट 9: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2022 को	अतिरिक्त	नवल/समायोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	वर्ष हेतु	कटौती/बदलाव	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भूमि आस्ति										
भवन	27,479.81	-	-	27,479.81	3,104.15	958.97	-	4,063.12	23,416.69	24,375.66
संयंत्र एवं उपकरण	111.87	1.28	-	113.15	91.59	7.73	-	99.32	13.84	20.29
फर्नीचर फिक्चर	569.44	9.16	-	578.60	356.81	52.19	-	409.00	169.60	212.67
वाहनी	92.06	-	8.60	83.46	41.07	15.66	5.29	51.44	32.02	50.99
कार्यालय उपकरण	336.35	0.42	-	336.78	283.65	33.18	-	306.83	29.95	52.71
कम्प्यूटर हार्डवेयर	174.85	35.14	72.71	137.28	98.95	46.62	69.47	76.09	61.18	75.90
विद्युत उपकरण	346.41	-	-	346.41	293.48	32.96	-	326.45	27.96	52.93
कुल	**29,110.83**	**46.00**	**81.30**	**29,075.54**	**4,271.70**	**1,127.29**	**74.76**	**5,324.23**	**23,751.33**	**24,839.17**
पिछले वर्ष	**29,069.02**	**50.65**	**9.12**	**29,110.83**	**3,075.60**	**1,204.48**	**8.38**	**4,271.70**	**24,839.17**	**25,993.72**

नोट 10 : पूंजीगत कार्य प्रगति

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2022 को	अतिरिक्त	नवल/समायोजन	31.03.2023 को	01.04.2022 को	वर्ष हेतु	कटौती/बदलाव	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,048.38	-	-	1,048.38	880.15	58.17	-	938.32	110.06	168.23
कुल	**1,048.38**	**-**	**-**	**1,048.38**	**880.15**	**58.17**	**-**	**938.32**	**110.06**	**168.23**
पिछले वर्ष	1,048.38	-	-	1,048.38	769.37	110.78	-	880.15	168.23	279.01

* कम्पनी द्वारा सही गई अन्य अमूर्त संपत्तियां आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों के अलावा हैं।

नोट: आईआईएफसीएल कार्यालय 1 जनवरी 2018 से नए परिसर में स्थानांतरित हो गया है। परिसर के अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि को खाते की पुस्तकों में पूंजीकृत किया गया है। चूंकि यह सम्पत्ति अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है, आईआईएफसीएल ने 36 वर्षों की पट्टा अवधि में राशि का परिशोधन कर लिया है।

नोट 12: अन्य गैर वित्तीय आस्तियां

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(i)	प्रीपेड व्यय	6.13	13.07
(ii)	अन्य आस्तियां	844.67	332.55
	कुल	850.80	345.61

नोट 13: ऋण प्रतिभूतियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
(क)	अन्य				
I	सुरक्षित बॉंड^				
(i)	600 (31 मार्च 2022 तक 600) 7.20 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज III-ए प्रत्येक ₹ 10 लाख 15/11/2022 को भुनाए जा सकते हैं।	-	-	6,000.00	6,000.00
(ii)	2,140 (31 मार्च 2022 तक 2,140) 7.21 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज IV-ए प्रत्येक ₹ 10 लाख 21/11/2022 को भुनाए जा सकते हैं।	-	-	21,400.00	21,400.00
(iii)	11,18,644 (31 मार्च 2022 तक 11,18,644) 7.69 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000 लाख 22/01/2023 को भुनाए जा सकते हैं।	-	-	11,186.44	11,186.44
(iv)	84,46,348 (31 मार्च 2022 तक 84,46,348) 7.19 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000 लाख 22/01/2023 को भुनाए जा सकते हैं।	-	-	85,463.48	85,463.48
(v)	98,318 (31 मार्च 2022 तक 98,318) 7.86 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज IV-ए प्रत्येक ₹ 1000 लाख 26/03/2023 को भुनाए जा सकते हैं।	-	-	983.18	983.18
(vi)	9,27,319 (31 मार्च 2022 तक 9,27,319) 7.36 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000 लाख 26/03/2023 को भुनाए जा सकते हैं।	-	-	19,273.19	19,273.19
(vii)	100 (31 मार्च 2022 तक 100) 8.01 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज IV-ए ₹ 10 लाख 30/08/2023 को भुनाए जा सकते हैं।	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
(viii)	50 (31 मार्च 2022 तक 50) 8.11 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज VII ₹ 10 लाख 05/09/2023 को भुनाए जा सकते हैं।	500.00	500.00	500.00	500.00
(ix)	12,31,739 (31 मार्च 2022 तक 12,31,739) 8.26 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000 लाख 12/11/2023 को भुनाए जा सकते हैं।	12,317.39	12,317.39	12,317.39	12,317.39
(x)	27,719 (31 मार्च 2022 तक 27,719) 8.01 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज III प्रत्येक ₹ 1000 लाख 12/11/2023 को भुनाए जा सकते हैं।	277.19	277.19	277.19	277.19
(xi)	17,26,340 (31 मार्च 2022 तक 17,26,340) 8.01 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000 लाख 12/11/2023 को भुनाए जा सकते हैं।	17,263.40	17,263.40	17,263.40	17,263.40
(xii)	79,57,885 (31 मार्च 2022 तक 79,57,885) 8.01 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज IV प्रत्येक ₹ 1000 लाख 22/01/2024 को भुनाए जा सकते हैं।	79,578.85	79,578.85	79,578.85	79,578.85

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
(xiii)	41,69,571 (31 मार्च 2022 तक 41,69,571) 8.66 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज IV प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 22/01/2024 को भुनाए जा सकते हैं।	40,695.71	40,695.71	40,695.71	40,695.71
(xiv)	1,91,778 (31 मार्च 2022 तक 1,91,778) 8.41 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज IV प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 22/01/2024 को भुनाए जा सकते हैं।	1,917.78	1,917.78	1,917.78	1,917.78
(xv)	12,80,511 (31 मार्च 2022 तक 12,80,511) 8.41 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज 1B प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 27/03/2024 को भुनाए जा सकते हैं।	12,805.11	12,805.11	12,805.11	12,805.11
(xvi)	41,188 (31 मार्च 2022 तक 41,188) 8.96 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज III प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 27/03/2024 को भुनाए जा सकते हैं।	411.88	411.88	411.88	411.88
(xvii)	38,58,714 (31 मार्च 2022 तक 38,58,714) 8.18 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड टर्म III सीरिज 1A प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 27/03/2024 को भुनाए जा सकते हैं।	38,587.14	38,587.14	38,587.14	38,587.14
(xviii)	79,110 (31 मार्च 2022 तक 79,110) 8.30 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 28/03/2026 को भुनाए जा सकते हैं।	791.10	791.10	791.10	791.10
(xix)	1000 (31 मार्च 2022 तक 1000) 7.38 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज III–बी प्रत्येक ₹ 10 लाख, 15/11/2027 को भुनाए जा सकते हैं।	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
(xx)	500 (31 मार्च 2022 तक 500) 7.38 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज VI–बी प्रत्येक ₹ 10 लाख, 21/11/2027 को भुनाए जा सकते हैं।	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(xxi)	67,41,162 (31 मार्च 2022 तक 67,41,162) 7.36 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 10 लाख, 22/01/2028 को भुनाए जा सकते हैं।	67,411.62	67,411.62	67,411.62	67,411.62
(xxii)	8,68,391,501 (31 मार्च 2022 तक 8,68,391) 7.36 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 22/01/2028 को भुनाए जा सकते हैं।	8,683.91	8,683.91	8,683.91	8,683.91
(xxiii)	3,51,554 (31 मार्च 2022 तक 3,51,554) 7.02 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 26/03/2028 को भुनाए जा सकते हैं।	3,615.54	3,615.54	3,615.54	3,615.54
(xxiv)	1,04,064 (31 मार्च 2022 तक 1,04,064) 7.52 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 26/03/2028 को भुनाए जा सकते हैं।	1,040.64	1,040.64	1,040.64	1,040.64

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को		31.03.2023 को	
(xxiv)	6,303 (31 मार्च 2022 तक 6,303) 8.26 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज V प्रत्येक ₹ 10 लाख, 29/08/2028 को भुनाए जा सकते हैं।	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00
(xxiv)	11,597 (31 मार्च 2022 तक 11,597) 8.48 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज VI प्रत्येक ₹ 10 लाख, 30/08/2028 को भुनाए जा सकते हैं।	115,970.00	115,970.00	115,970.00	115,970.00
(xxvi)	11,297 (31 मार्च 2022 तक 11,297) 8.48 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज VII प्रत्येक ₹ 10 लाख, 05/09/2028 को भुनाए जा सकते हैं।	112,970.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00
(xxvii)	89,009 (31 मार्च 2022 तक 89,009) 8.38 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज III प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 12/11/2028 को भुनाए जा सकते हैं।	890.09	890.09	890.09	890.09
(xxix)	30,35,330 (31 मार्च 2022 तक 30,35,330) 8.38 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 12/11/2028 को भुनाए जा सकते हैं।	30,353.30	30,353.30	30,353.30	30,353.30
(xxx)	15,71,311 (31 मार्च 2022 तक 15,71,311) 8.68 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 12/11/2028 को भुनाए जा सकते हैं।	15,713.11	15,713.11	15,713.11	15,713.11
(xxxi)	67,908 (31 मार्च 2022 तक 67,908) 8.48 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज IV प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 22/01/2029 को भुनाए जा सकते हैं।	679.08	679.08	679.08	679.08
(xxxii)	27,98,922 (31 मार्च 2022 तक 27,98,922) 8.48 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज IV प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 22/01/2029 को भुनाए जा सकते हैं।	27,989.22	27,989.22	27,989.22	27,989.22
(xxxiii)	14,10,950 (31 मार्च 2022 तक 14,10,950) 8.73 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज IV प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 22/01/2029 को भुनाए जा सकते हैं।	14,109.50	14,109.50	14,109.50	14,109.50
(xxxiv)	1,22,807 (31 मार्च 2022 तक 1,22,807) 8.55 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड ट्रेंच प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 27/03/2029 को भुनाए जा सकते हैं।	1,228.07	1,228.07	1,228.07	1,228.07
(xxxv)	1,59,58,486 (31 मार्च 2022 तक 1,59,58,486) 8.55 प्रतिशत प्री बांड ट्रैंची सीरिज IV प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 27/03/2029 को भुनाए जा सकते हैं।	159,584.86	159,584.86	159,584.86	159,584.86
(xxxvi)	27,11,062 (31 मार्च 2022 तक 27,11,062) 8.80 प्रतिशत प्री बांड ट्रैंची सीरिज III प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 27/03/2029 को भुनाए जा सकते हैं।	27,110.62	27,110.62	27,110.62	27,110.62
(xxxvii)	3,400 (31 मार्च 2022 तक 3,400) 7.41 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज IIIC प्रत्येक ₹ 10 लाख, 15/11/2032 को भुनाए जा सकते हैं।	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
(xxxviii)	210 (31 मार्च 2022 तक 210) 7.41 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सिरीज V-C प्रत्येक ₹ 10 लाख, 21/11/2032 को भुनाए जा सकते हैं।	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
(xxxix)	1,01,62,809 (31 मार्च 2022 तक 1,01,62,809) 7.40 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 22/01/2033 को भुनाए जा सकते हैं।	101,628.09	101,628.09	101,628.09	101,628.09
(xL)	14,01,415 (31 मार्च 2022 तक 14,01,415) 7.90 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 22/01/2033 को भुनाए जा सकते हैं।	14,014.15	14,014.15	14,014.15	14,014.15
(xLi)	42,472 (31 मार्च 2022 तक 42,472) 7.08 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000 लाख, 26/03/2033 को भुनाए जा सकते हैं।	424.72	424.72	424.72	424.72
(xLii)	1,90,693 (31 मार्च 2022 तक 1,90,693) 7.58 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000, 26/03/2033 को भुनाए जा सकते हैं।	1,906.93	1,906.93	1,906.93	1,906.93
(xLiii)	20 (31 मार्च 2022 तक 20) 8.19 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सिरीज V प्रत्येक ₹ 10 लाख, 23/08/2033 को भुनाए जा सकते हैं।	200.00	200.00	200.00	200.00
(xLiv)	265 (31 मार्च 2022 तक 265) 8.37 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज VI प्रत्येक ₹ 10 लाख, 30/08/2033 को भुनाए जा सकते हैं।	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
(xLv)	1,59,113 (31 मार्च 2022 तक 1,59,113) 8.37 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज III प्रत्येक ₹ 10 लाख, 12/11/2033 को भुनाए जा सकते हैं।	1,591.13	1,591.13	1,591.13	1,591.13
(xLvi)	18,68,982 (31 मार्च 2022 तक 18,68,982) 8.50 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000, 12/11/2033 को भुनाए जा सकते हैं।	18,689.82	18,689.82	18,689.82	18,689.82
(xLvii)	24,20,508 (31 मार्च 2022 तक 24,20,508 8.75 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 1000, 12/11/2033 को भुनाए जा सकते हैं।	24,205.08	24,205.08	24,205.08	24,205.08
(xLviii)	5,15,765 (31 मार्च 2022 तक 5,15,765 8.66 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज VI प्रत्येक ₹ 1000, 22/01/2034 को भुनाए जा सकते हैं।	5,157.65	5,157.65	5,157.65	5,157.65
(xLix)	75,43,989 (31 मार्च 2022 तक 5,15,765 8.66 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज VI प्रत्येक ₹ 1000, 22/01/2034 को भुनाए जा सकते हैं।	75,439.89	75,439.89	75,439.89	75,439.89
(L)	54,43,232 (31 मार्च 2022 तक 54,43,232) 8.91 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड सीरिज IV प्रत्येक ₹ 1000, 22/01/2034 को भुनाए जा सकते हैं।	54,432.32	54,432.32	54,432.32	54,432.32

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
(Li)	12,59,825 (31 मार्च 2022 तक 12,59,825) 8.55 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड टुंथ III सीरिज 3 ए प्रत्येक ₹ 1000, 27/03/2034 को भुनाए जा सकते है।	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25
(Lii)	12,87,311 (31 मार्च 2022 तक 12,87,311) 8.80 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड टुंथ III सीरिज 3 बी प्रत्येक ₹ 1000, 27/03/2034 को भुनाए जा सकते है।	12,873.11	12,873.11	12,873.11	12,873.11
(Liii)	125,470 (31 मार्च 2022 तक 125,470) 8.55 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड टुंथ III प्रत्येक ₹ 1000, 27/03/2034 को भुनाए जा सकते है।	1,254.70	1,254.70	1,254.70	1,254.70
(Liv)	10,500 (31 मार्च 2022 तक 10,500) 9.41 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹ 10 लाख, 27/07/2037 को भुनाए जा सकते है।	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
(Lv)	500 (31 मार्च 2022 तक 500) 9.36 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड प्रत्येक ₹10 लाख, 27/07/2042 को भुनाए जा सकते है।	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		1,344,690.95	**1,344,690.95**	**1,488,997.24**	**1,488,997.24**
	अप्रतिभूति बांड^				
(i)	2,000 8.82 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड ₹ 10 लाख प्रत्येक, 19.12.2022# को भुनाया जा सकता है।	-	-	20,000.00	20,000.00
(ii)	2,000 9.35 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड ₹ 10 लाख प्रत्येक, 17.11.2023# को भुनाया जा सकता है।	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(iii)	2,000 8.68 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड ₹ 10 लाख प्रत्येक, 18.12.2023# को भुनाया जा सकता है।	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(iv)	5,000 8.10 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड ₹ 10 लाख प्रत्येक, 08.04.2024# को भुनाया जा सकता है।	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(v)	5,000 7.90 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड ₹ 10 लाख प्रत्येक, 28.04.2024# को भुनाया जा सकता है।	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(vi)	6,000 8.12 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड ₹ 10 लाख प्रत्येक, 12.08.2024# को भुनाया जा सकता है।	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
(vii)	4,000 8.12 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड ₹ 10 लाख प्रत्येक, 24.08.2024# को भुनाया जा सकता है।	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
(viii)	10,000 8.55 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड ₹ 10 लाख प्रत्येक, 03.11.2024 को भुनाया जा सकता है।	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
(ix)	15,000 7.17 प्रतिशत अंकित मूल्य के बांड ₹ 10 लाख प्रत्येक, 12.03.2032 को भुनाया जा सकता है।	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
		490,000.00	490,000.00	510,000.00	510,000.00
	कुल सकल (क)	**1,834,690.95**	**1,834,690.95**	**1,998,997.24**	**1,998,997.24**
	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	**1,834,690.95**	**1,834,690.95**	**1,998,997.24**	**1,998,997.24**
	भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
	कुल सकल (ख)	**1,834,690.95**	**1,834,690.95**	**1,998,997.24**	**1,998,997.24**
	कुल (ख) के साथ मिलान करने के लिए (क)	**1,834,690.95**	**1,834,690.95**	**1,998,997.24**	**1,998,997.24**

एफवीटीपीएल और एफवीटीओसीआई में कोई ऋण प्रतिभूतियां बाकी और निर्दिष्ट नहीं हैं।

^आईआईएफसीएल द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित और असुरक्षित बांड गैर–परिवर्तनीय और सममूल्य पर प्रतिदेय हैं। इसके अलावा, सुरक्षित बांड कंपनी के खातों के सभी अधिकारों, विलेखों, हितों, लाभ, दावों और मांगों के आधार पर सुरक्षित हैं, जिसमें कंपनी की किसी भी प्रकृति, वर्तमान और भविष्य की प्राप्य राशि भी शामिल है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का स्थानांतरण

आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण उपकरणों को "एएए" रेटिंग प्राप्त है – क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए और क्रिकवर्क्स– क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग।

वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

यथा पर यथा पर

	31.03.2023		31.03.2022	
* असुरक्षित बांड की गारंटी	340,000.00	340,000.00	360,000.00	360,000.00 है
भारत सरकार सहित				
31 मार्च 2023 तक ₹40,000 लाख				
(31 मार्च 2022 तक ₹20,000 लाख)				
1 वर्ष के भीतर देय राशि है				
रिपोर्टिंग अवधि के अंत से,				
बांड या डिबेंचर जिसे भुनाया गया				
आईआईएफसीएल के पास पुनः जारी करने की शक्ति है।	शून्य		शून्य	

नोट 14: उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
अ	सावधि ऋण				
	असुरक्षित ऋण:				
i	बैंकों से				
क.	अल्पावधि ऋण	570,000.00	570,000.00	363,788.46	363,788.46
ii	अन्य पक्षों से				
क.	एशिया विकास बैंक (एडीबी)	1,148,371.73	1,148,371.73	1,097,295.83	1,097,295.83
ख.	आईबीआरडी (विश्व बैंक)	113,380.39	113,380.39	111,754.83	111,754.83
ग.	यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)	151,820.88	151,820.88	155,391.23	155,391.23
घ.	क्रेडिएनस्टाल्ट फर विडेरुफबाऊ (केएफडब्ल्यू)	13,405.82	13,405.82	13,126.16	13,126.16
ङ.	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी	220,190.86	220,190.86	185,282.61	185,282.61
ख.	मांग पर चुकाने योग्य ऋण				
	सुरक्षित ऋण:				
ii	बैंकों से*	253,265.84	253,265.84	155,022.58	155,022.58
	(31 मार्च 2023 को ₹ 3,44,994.00 लाख की सावधि जमा रसीदों को गिरवी रखकर सुरक्षित (31 मार्च 2020 तक ₹ 4,24,230.60 लाख))				
	कुल (क)	**2,470,435.53**	**2,470,435.53**	**2,081,661.71**	**2,081,661.71**
	भारत में उधार	823,265.84	823,265.84	518,811.04	518,811.04
	भारत–एफसी ऋण के बाहर उधार	1,647,169.69	1,647,169.69	1,562,850.67	1,562,850.67
	कुल (ख) के साथ मिलान करने के लिए (क)	**2,470,435.53**	**2,470,435.53**	**2,081,661.71**	**2,081,661.71**

अन्य पार्टियों से प्राप्त सभी असुरक्षित सावधि ऋणों की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है, जिनमें से ₹69,526.98 लाख, ₹487.47 लाख, ₹7,823.76 लाख, ₹11,947.68 लाख और 31 मार्च 2023 को ₹10,365.69 लाख राशि ₹52,583.92 लाख, ₹456.83 लाख, 31 मार्च 2022 तक ₹7,214.80 लाख, ₹11,192.02 लाख और ₹11,652.50 लाख) रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 1 वर्ष के भीतर क्रमशः एडीबी, केएफडब्ल्यू, विश्व बैंक, ईआईबी और जेआईसीए को देय राशि है।

कंपनी ने अपने ऋणदाताओं को मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुटाई गई धनराशि का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए उन्हें उधार लिया गया था।

लंबी अवधि के ऋणों की चुकौती की शर्तें

i) एशियाई विकास बैंक

टैंक	अनुबंध के अनुसार किया ऋण राशि (₹ लाख में)	ब्याज दर	पुनर्भुगतान का प्रारंभ	पुनर्भुगतान की समाप्ति	पुनर्भुगतान की आवृत्ति	पुनर्भुगतान की राशि
I	3000	लीबरबाईट एसओएफआर + 20बीपीएस	15.12.2012	15.06.2032	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि के 2.50% की प्रतीक किस्त
II	2000	लीबरबाईट एसओएफआर + 20बीपीएस	15.06.2014	15.12.2033	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि के 2.50% की प्रतीक किस्त
III	2100	लीबरबाईट एसओएफआर + 20बीपीएस	15.12.2014	15.06.2034	अर्ध–वार्षिक	अवृत्ति किस्तें 5,82,[illegible] से शुरू होकर 5,86,001 ऋण राशि तक
IV	2500	लीबरबाईट एसओएफआर + 20बीपीएस	15.12.2015	15.06.2035	अर्ध–वार्षिक	
V	2400	लीबरबाईट एसओएफआर + 40बीपीएस	15.12.2016	15.06.2036	अर्ध–वार्षिक	
VI	4000	लीबरबाईट एसओएफआर + 40बीपीएस	15.03.2018	15.03.2037	अर्ध–वार्षिक	अवृत्ति किस्तें 2,17,960 से शुरू होकर ऋण राशि के 4,59,913% तक
VII	3000	लीबरबाईट एसओएफआर + 50बीपीएस	01.05.2023	01.05.2038	अर्ध–वार्षिक	अवृत्ति किस्तें 2,17,960 से शुरू होकर ऋण राशि के 4,59,913% तक
कुल	19000					

ii) आईबीआरडी (विश्व बैंक)

अनुबंध के अनुसार किया ऋण राशि (₹ लाख में)	ब्याज दर	पुनर्भुगतान का प्रारंभ	पुनर्भुगतान की समाप्ति	पुनर्भुगतान की आवृत्ति	पुनर्भुगतान की राशि
3950*	लीबरबाईट एसओएफआर + बीपीएस	15.04.2017	15.04.2037	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि के 2.44% की वार्षिक किस्त दिनांक 15.11.2036 एवं 2.40% दिनांक 15.04.2023

* आईबीआरडी (विश्व बैंक) की ऋण राशि 18 दिसंबर 2013 को अपनी ऋण सीमा के पुनर्गठन के कारण 1,050 लाख डॉलर तक कम हो गई है, जिसमें 10,000 लाख डॉलर की ऋण राशि को रद्द करने का विकल्प दिया गया है।

iii) डीडिएन्टाल्ट फर विकेलबुवाक (केएफडब्लू)

टैंक	अनुबंध के अनुसार किया ऋण राशि (₹ लाख में)	ब्याज दर	पुनर्भुगतान का प्रारंभ	पुनर्भुगतान की समाप्ति	पुनर्भुगतान की आवृत्ति	पुनर्भुगतान की राशि
I	163.89	0.75%	30.06.2020	30.06.2050	अर्ध–वार्षिक	– पूरी 271,000 30.06.2020 से 30.12.2021 तक – पूरी 272,000 30.06.2022 से 30.12.2049 तक एवं पूरी 272681.03 30.06.2050 तक और 30.06.2050 को पूरी 272681.03
II	334.11	4.99%	30.06.2015	30.06.2020	अर्ध–वार्षिक	– पूरी 3,033,000 30.06.2016 से 30.06.2018 तक – पूरी 3,036,000 30.12.2018 से 30.12.2019 तक और पूरी 3,036,418.97 30.06.2020 तक
कुल	500.00					

iv) यूरोपियन इंवेस्टमैंट बैंक

ट्रैंच	अनुबंध के अनुसार किस्त ऋण राशि (यूरो लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	350.00	6 मिलियन यूरोबोर +0.270% का संयुक्त प्रस्ताव	22.06.2020	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	– प्रत्येक किस्त 11,66,666.67 यूरो
II	400.00	6 मिलियन यूरोबोर +0.430% का संयुक्त प्रस्ताव	21.06.2021	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	– प्रत्येक किस्त 14,28,571.43 यूरो
III	400.00	6 मिलियन यूरोबोर +0.420% का संयुक्त प्रस्ताव	21.06.2021	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	– प्रत्येक किस्त 14,28,571.43 यूरो
IV	850.00	6 मिलियन यूरोबोर +0.340% का संयुक्त प्रस्ताव	21.06.2021	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	– प्रत्येक किस्त 30,35,714.29 यूरो
कुल	2000.00					

v) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी

ट्रैंच	अनुबंध के अनुसार किस्त ऋण राशि (₹ लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
चरण -I	10,000.00	ब्याज लेनदेन एक्सचेंजबेसिस 0.50% की फ्लैट और 0.200% की ऐक्सटेंशन फीस के साथ	20.03.2022	20.03.2036	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि की पहली किस्त 3,448.28% और उसके बाद ऋण राशि के 3.448.28% की किस्तें।
चरण-II	90,000.00	ब्याज लेनदेन एक्सचेंजबेसिस 0.50% की फ्लैट और 0.200% की ऐक्सटेंशन फीस के साथ	20.03.2022	20.03.2036	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि की पहली किस्त 3,448.28% और उसके बाद ऋण राशि के 3.448.28% की किस्तें।

नोट 14: अन्य वित्तीय देनदारियां

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(i)	प्रतिभूति जमाएं प्राप्त		
	बांड एवं आवधिक ऋण पर	77,498.70	73,252.18
(ii)	अन्य		
	प्राप्त सुरक्षा जमाएं	7.63	2.15
	अन्य	2,961.42	2,770.00
	कुल	**80,467.75**	**76,024.32**

नोट 15: चालू कर देयता

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(i)	आयकर (निवल)	408.55	-
	कुल	**408.55**	-

नोट 16: प्रावधान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(i)	छुट्टी नकदीकरण	-	227.60
(ii)	बीमारी की छुट्टी	213.34	177.54
(iii)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	921.02	975.65
(iv)	छुट्टी किराया छूट	87.33	78.59
(v)	वेतन संशोधन	1,955.66	1,315.51
(vi)	पूर्वकालिक हेतु निदेशकों हेतु निष्पादन आधारित लाभांश	26.00	-
	अन्य		
(i)	व्युत्पन्न पर बाजार के नुकसान के लिए विहित	-	350.82
(ii)	मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान	15,568.58	13,751.56
(iii)	अवमानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	198.49	6,352.64
(iv)	संदिग्ध आस्तियों के प्रति प्रावधान	71,838.54	147,007.81
(v)	पुनर्संरचित आस्तियों के प्रति प्रावधान	8,993.13	9,236.15
(vi)	एनपीए की ओर से ब्याज	932.04	680.78
(vii)	भारतीय लेखा मानक के अनुसार अपेक्षित ऋण हानि	142,512.60	144,234.78
	कुल	**243,246.73**	**324,389.44**

नोट : 17: अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(I)	अन्य देयताएं		
(i)	देय सांविधिक देयताएं	340.26	251.61
(ii)	बांड पर दावा न किया गया ब्याज	0.69	0.69
(iii)	देय प्रतिबद्धता शुल्क	23.63	22.89
(iv)	फुटकर देनदारी खाता (ब्याज पूंजीकरण)	30,103.40	40,804.76
(v)	अन्य	1,017.07	572.58
	कुल	**31,485.06**	**41,652.53**

* इस राशि में आरबीआई परिपत्र 'कोविड-19 नियामक पैकेज' के अनुसार मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक आईआईएफसीएल के उधारकर्ताओं के लिए विस्तारित अधिस्थगन शामिल है।

नोट 18: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क.	प्राधिकृत		
	₹10/ प्रत्येक के 10,000,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 तक ₹10/– प्रत्येक के 10,000,000,000) इक्विटी शेयर) 10,00,000.00 10,00,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त		
ख.	10 रु. प्रत्येक के 9,999,916,230 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 को 10 रु. प्रत्येक के 9,999,916,230 इक्विटी शेयर) 9,99,991.62 9,99,991.62	999,991.62	999,991.62
	कुल	**999,991.62**	**999,991.62**

फुटनोट:

क) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	शेयरों की संख्या	(₹ लाख में)	शेयरों की संख्या	(₹ लाख में)
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बकाया शेयर	9,999,916,230	999,991.62	9,999,916,230	999,991.62
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयर	9,999,916,230	999,991.62	9,999,916,230	999,991.62

कंपनी की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी भारत सरकार और उसके नामांकित व्यक्तियों के पास है।

ख) शेयरहोल्डर के प्रमोटरों का डिसक्लोजर

(₹ लाख में)

प्रमोटर का नाम	31 मार्च 2023 तक प्रमोटरों के पास मौजूदा शेयर		31 मार्च 2022 तक प्रमोटरों के पास मौजूदा शेयर		वर्ष के दौरान बदलाव का %
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति	9,999,916,230	100.00%	9,999,916,230	100.00%	-

कंपनी की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी भारत सरकार और उसके नामांकित व्यक्तियों के पास है।

नोट 18: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क)	पूंजी आरक्षित निधि (गैर चालू प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ)		
	प्रारंभिक शेष	585.14	585.14
	अंतिम शेष	585.14	585.14
(ख)	प्रतिभूति प्रीमियम खाता (बॉन्ड पर)		
	प्रारंभिक शेष	235.50	235.50
	अंतिम शेष	235.50	235.50
(ग)	डिबेंचर/बांड रिडेम्पशन आरक्षित निधि		
	प्रारंभिक शेष	99,995.05	99,995.05
	लाभ एवं हानि विवरण में सरप्लस स्थानांतरण	1,907.29	-
	अंतिम शेष	98,087.76	99,995.05
(घ)	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि		
	प्रारंभिक शेष	(7,580.98)	(27,653.15)
	जोड़ें: वर्ष के दौरान हेज पर्ची हेज आरक्षित निधि	6,495.60	20,072.18
	अंतिम शेष	(1,085.38)	(7,580.98)
(ङ)	अन्य आरक्षित निधि		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षण (फुटनोट 1)		
	प्रारंभिक शेष	145,940.91	145,940.91
	जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण (शुद्ध)	7,508.90	-
	अंतिम शेष	153,449.81	145,940.91
(ii)	कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि (फुटनोट 2)		
	प्रारंभिक शेष	355.01	75.10
	जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अधिशेष से स्थानांतरण	-	287.22
	घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि और लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष को हस्तांतरित	32.06	7.31
	अंतिम शेष	322.95	355.01
(iii)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि (फुटनोट 3)		
	प्रारंभिक शेष	122.45	122.45
	प्रयुक्त राशि	-	-
	अंतिम शेष	122.45	122.45
(iv)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि निधि (फुटनोट 4)		
	प्रारंभिक शेष	19,062.47	8,772.52
	जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अधिशेष से स्थानांतरण	21,522.58	10,289.95
	अंतिम शेष	40,585.05	19,062.47
(f)	प्रयुक्त राशि		
	प्रारंभिक शेष	(349.84)	(374.05)
	घटाएं: परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)	(53.38)	(24.21)
	अंतिम शेष	(296.46)	(349.84)
(g)	संचित उपार्जन		
	प्रारंभिक शेष	(84,657.93)	(162,244.01)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
	जोड़ें: कर पश्चात लाभ	107,559.50	51,425.55
	जोड़ें: स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि से स्थानांतरण	32.06	7.31
	जोड़ें: डिबेंचर मोचन आरक्षिती से स्थानांतरण	1,907.29	-
	जोड़ें: धारा 36 (1) (viii) के तहत नामित विशेष आरक्षित पर आस्थगित कर देयता वापसी	-	36,730.41
	घटाएं: स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि में स्थानांतरण	-	287.22
	घटाएं: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत	7,508.90	-
	घटाएं: धारा 45–आईसी के तहत आरक्षित निधि में ट्रांसफर	21,522.58	10,289.95
	अंतिम शेष	(4,190.56)	(84,657.93)
	कुल	**287,816.28**	**173,707.79**

फुटनोट:

1 विशेष रिजर्व वैधानिक रिजर्व है जिसे भारत में बुनियादी ढांचे की सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बनाए रखा जाना आवश्यक है।

2 कर्मचारी कल्याण रिजर्व कर्मचारियों के बीच खेल, सांस्कृतिक और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

3 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष से, आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक सीएसआर व्यय के लिए सीएसआर रिजर्व नहीं बनाया है और 3 जुलाई 2015 के पत्र के माध्यम से इस मुद्दे को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) को भेज दिया है।) कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर रिजर्व बनाने की निरंतरता और सीएसआर के तहत खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि के अतिरिक्त इसके उपयोग पर स्पष्टीकरण के लिए। डीपीई का जवाब अभी भी है प्रतीक्षित है।

4 रिजर्व फंड आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45–आईसी के अनुसार बनाया गया है।

नोट 20: ब्याज आय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियां	
		31.03.2023	31.03.2022
क)	ऋणों पर ब्याज		
(i)	प्रत्यक्ष उधार के अंतर्गत ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	146,442.12	149,732.55
(ii)	प्रत्यक्ष उधार के अंतर्गत ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	15.34	128.63
(iii)	पीएमईजी योजना के तहत ऋण पर ब्याज	91,455.95	81,251.93
(iv)	टेकआउट वित्तपोषण योजना के तहत ऋण और अग्रिम	54,077.80	52,063.69
(v)	देशांतरक ब्याज	2,234.35	1,037.13
(vii)	बांड पर ब्याज	17,428.63	454.53
ख)	निवेश में ब्याज आय		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	33,718.80	33,720.18
ग)	बैंकों में जमाराशियों पर ब्याज	**57,762.79**	**38,178.49**
	कुल	**403,135.80**	**356,567.14**

नोट 21: शुल्क और कमीशन

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2023	31.03.2022
(i)	अग्रिम शुल्क	2,035.35	1,746.80
(ii)	प्रक्रिया शुल्क	103.50	266.68
(iii)	पूर्व भुगतान शुल्क	761.23	585.32
(iv)	ऋण वृद्धि से शुल्क	518.93	539.34
(v)	अन्य शुल्क	936.94	2,050.35
	कुल	**4,355.96**	**5,188.49**

नोट 22: अन्य आय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2023	31.03.2022
	अन्य		
(i)	बट्टे खाते में डाले गए ऋण की वसूली	35,815.91	29,313.67
(ii)	बट्टे खाते में डाली गई ऋण आस्तियों पर प्रावधान से अन्य राशियां/प्रावधान	86.62	227.73
(iii)	विविध आय	285.19	251.29
(iv)	स्वैप सौदों पर लाभ	20,743.03	28,238.08
(v)	मार्क टू मार्केट (लाभ)/डेरिवेटिव्स पर हानि	350.82	525.92
(vi)	दायित्व जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	485.47	906.79
	कुल	**57,767.05**	**59,463.48**

नोट 23: वित्त लागत

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय लिखतों पर	
		31.03.2023	31.03.2022
क)	ऋणों पर ब्याज		
(ii)	बैंक उधार पर ब्याज	31,403.52	17,461.87
(iii)	एडीबी से ऋण पर ब्याज	70,473.90	52,649.83
(iv)	आईबीआरडी (विश्व बैंक) से ऋण पर ब्याज	3,867.68	10,425.09
(v)	कैएफडब्ल्यू से ऋण पर ब्याज	99.34	102.18
(vi)	ईआईबी से ऋण पर ब्याज	1,991.73	-
(vii)	जेआईसीए से ऋण पर ब्याज	173.49	193.56
ख)	ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	**161,567.37**	**153,686.90**
ग)	अन्य ब्याज व्यय		
i)	आयकर पर ब्याज	-	30.50
	कुल	**269,577.03**	**234,549.93**

नोट 24: शुल्क और कमीशन व्यय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2023	31.03.2022
(i)	सरकारी गारंटी शुल्क	**4,807.13**	**4,758.61**
(ii)	बांड शोधन व्यय	111.03	149.75
(iii)	प्रतिबद्धता शुल्क	50.67	65.70
	कुल	**4,968.82**	**4,974.07**

नोट 25: उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2023	31.03.2022
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)		
	(i) व्यापार पोर्टफोलियो पर		
	(ii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय लिखतों पर	2,297.50	(1,510.89)
	उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल निवल लाभ/(हानि) (ख)	**2,297.50**	**(1,510.89)**
	उचित मूल्य परिवर्तन		
	–शोध्य . .	-	-
	–अशोध्य	**2,297.50**	**(1,510.89)**
	कुल निवल लाभ/(हानि) उचित मूल्य परिवर्तन (ख) के साथ मिलान करने के लिए	**2,297.50**	**(1,510.89)**
	* इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अलावा हैं।		

नोट 26: वित्तीय लिखतों पर ब्याज

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय लिखतों पर	
		31.03.2023	31.03.2022
(i)	ऋण	(81,471.61)	(81,892.24)
(ii)	निवेश	(720.21)	5,621.72
(iii)	अन्यत्र आस्तियों पर ब्याज	250.80	70.22
	कुल	**(81,941.02)**	**(76,200.29)**

नोट 27: कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2023	31.03.2022
(i)	वेतन और मजदूरी	**4,588.95**	**3,550.23**
(ii)	भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	264.27	164.52
(iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	178.39	145.77
	कुल	**5,031.61**	**3,860.52**

नोट 28: अन्य व्यय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2023	31.03.2022
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागतें	73.98	59.54
(ii)	मुद्रा और लेखन सामग्री	20.72	15.89
(iii)	विज्ञापन और प्रचार	20.47	14.54
(iv)	निदेशक की फीस, भत्ते और खर्च	-	0.29
(v)	लेखापरीक्षकों की फीस और खर्च	10.80	14.85
(vi)	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	241.98	222.96
(vii)	बीमा	1.00	7.58
(viii)	अन्य व्यय		
क)	बट्टे खाते में डाली गई ऋण राशि (नोट 1(ख)/20(ख)) देखें	34,472.91	18,334.43
ख)	अन्य व्यय	2,337.10	1,197.90
ग)	बट्टे खाते में ऋण राशि (देखें नोट 1 (ख)(20(क)))	98,870.95	175,064.03
	कुल	**136,049.91**	**194,932.02**

नोट 1: 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य नोट्स

आईआईएफसीएलएक सार्वजनिक कंपनी है जो कंपनी प्रावधानों के तहत भारत में स्थापित और निगमित है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्लेट ए एंड बी, 5वीं मंजिल, कार्यालय ब्लॉक 2, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110023, भारत में स्थित है।

आईआईएफसीएलकी स्थापना व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 सितंबर 2013 को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल) को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – गैर जमा – इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी–एनडी–आईएफसी) के रूप में पंजीकरण संख्या N–14.03288 का प्रमाण पत्र जारी किया है। भा.रि.बैंक ने अनुमति दे दी है कि आईआईएफसीएल सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय जारी रखेगी।

(क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधार

1.1 **लेखांकन परंपरा:** आईआईएफसीएल गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के विभाजन III में प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। वित्तीय विवरण, सिवाय इसके, प्रोद्भवन आधार पर और ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं

क. अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय संपत्तियां,

ख. व्युत्पन्न वित्तीय साधनों,

ग. लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय संपत्ति और देनदारियां।

घ. परिभाषित लाभ योजनाएँ – उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियाँ।

इन सभी को प्रासंगिक इंड एएस द्वारा आवश्यक या अनुमति के अनुसार उचित मूल्य पर मापा गया है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को निकटतम लाख रुपये तक पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो।

1.2 **अनुमानों का उपयोग:** आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणा बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और उनके प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करती है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम सामने आते हैं।

आईआईएफसीएल ने भविष्य और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में कोई धारणा नहीं बनाई है, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में भौतिक समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है।

2. अनुपालन का विवरण

आईआईएफसीएल के वित्तीय विवरण चालू संख्या के आधार पर और भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के राजपत्र अधिसूचना संख्या के तहत अधिसूचित इंड एएस की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं। जी.एस.आर.111(ई) दिनांक 16 फरवरी 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016, जी.एस.आर.365(ई) दिनांक 30 मार्च 2016 राजपत्र अधिसूचना संख्या के माध्यम से।

ये भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) IND AS वित्तीय विवरण तुलनात्मक वित्तीय विवरण के रूप में उपयोग के लिए आईआईएफसीएलद्वारा भा.ले.मा. (Ind AS) को अपनाने के लिए भा.ले.मा. (Ind AS) संक्रमण तिथि से तैयार किए गए हैं और इनका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है।

3. वित्तीय विवरण की प्रस्तुति

वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियां आम तौर पर बैलेंस शीट में सकल मूल्य की सूचना दी जाती हैं। ये केवल ऑफसेट और रिपोर्ट किए गए शुद्ध मूल्य हैं, जब भविष्य की घटना पर आकस्मिक हुए बिना मान्यता प्राप्त राशि को ऑफसेट करने के लिए बिना शर्त कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होने के अलावा, पार्टियां निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखती हैं:

- व्यवसाय का सामान्य क्रम
- डिफॉल्ट की घटना
- आईआईएफसीएल औरया उसके समकक्षों के दिवालियेपन या दिवालियापन की स्थिति

मास्टर नेटिंग व्यवस्था (जैसे आईएसडीए) के साथ व्युत्पन्न परिसंपत्तियों और देनदारियों को केवल तभी शुद्ध मूल्य प्रस्तुत किया जाता है जब वे उपरोक्त सभी मानदंडों के लिए नेटिंग की पात्रता को पूरा करते हैं, न कि केवल डिफॉल्ट की स्थिति में।

4. आय/व्यय की पहचान

4.1. परिशोधन लागत पर मापे गए सभी वित्तीय उपकरणों के लिए, बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत ब्याज वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और एफवीटीपीएल में नामित वित्तीय उपकरणों के लिए, ब्याज आय या व्यय ईआईआर का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। गणना वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान विकल्प) को ध्यान में रखती है और इसमें कोई भी शुल्क या वृद्धिशील लागत शामिल होती है जो सीधे साधन के लिए जिम्मेदार होती है और ईआईआर का अभिन्न अंग होती है, लेकिन भविष्य में क्रेडिट हानि नहीं होती है। जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का दर्ज मूल्य हानि हानि से कम हो गया है, तो हानि को मापने के उद्देश्य से भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर का उपयोग करके ब्याज आय को पहचाना जाता है।

4.2. दिए गए ऋणों पर अग्रिम शुल्क आय को उन मामलों में संचय के आधार पर आय माना जाता है जहां आवंटित राशि पर ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

4.3. कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क को व्यय के रूप में शामिल किया जाता है जब ऋण का आहरण ऋण समझौते के अनुसार स्वीकृत ऋण राशि से कम होता है।

4.4. उधारकर्ता के खातों में वसूली संबंधित ऋण समझौतों के अनुसार विनियोजित की जाती है।

4.5. बट्टे खाते में डाली गई ऋण परिसंपत्तियों से वसूली को वसूली प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

4.6. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तो लाभांश का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। हालांकि, अंतिम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन पर ही उत्पन्न होता है।

4.7. पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय, जो कुल आय का 0.1% से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

4.8. वसूली का उचित अधिकार स्थापित होने पर आंशिक क्रेडिट वृद्धि गारंटी शुल्क को लेखांकन वर्ष में प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है। अग्रिम में प्राप्त किसी भी आंशिक क्रेडिट वृद्धि गारंटी शुल्क को स्थगित कर दिया जाता है और संचय की अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

4.9. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) पर ब्याज/छूट या किसी अन्य शुल्क सहित आय को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह वास्तव में वसूल हो। परिसंपत्ति के गैर-निष्पादित होने और अज्ञात रहने से पहले पहचानी गई ऐसी किसी भी आय को उलट दिया जाता है।

4.10. आयकर रिफंड पर ब्याज का हिसाब वास्तविक आधार पर किया जाता है, यानी आयकर रिफंड की प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

5. वित्तीय लिखतें:

5.1. पहचान और प्रारंभिक माप:

कंपनी शुरू में निपटान तिथि पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को पहचानती है। एक वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारी को शुरू में उचित मूल्य के साथ–साथ, एफवीटीपीएल में नहीं होने वाली किसी वस्तु के लिए, लेनदेन लागत पर मापा जाता है जो सीधे इसके अधिग्रहण या जारी करने के लिए जिम्मेदार होती है।

5.2. वर्गीकरण:

क. वित्तीय संपत्ति:

कंपनी की वित्तीय संपत्तियों में नकद और नकद समकक्ष, बैंक शेष, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, सहायक कंपनियों/कर्मचारियों को ऋण, कर्मचारियों को अग्रिम, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

प्रारंभिक पहचान पर, एक वित्तीय परिसंपत्ति को वर्गीकृत किया जाता है:

क) परिशोधन लागत:

वित्तीय लिखतों को परिशोधन लागत पर मापा जाता है जहां उनके पास:

- संविदात्मक शर्तें जो निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं, जो केवल मूलधन के भुगतान और बकाया मूल राशि पर ब्याज का प्रतिनिधित्व करती हैं; और
- एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखे जाते हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए धारण करके प्राप्त किया जाता है।

इन उपकरणों को शुरू में उचित मूल्य और सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसका प्रभाव कुल आय का 0.5% से अधिक होता है। क्रेडिट हानि का माप नोट 6.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि में वर्णित तीन–चरण अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल पर आधारित है।

ख) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य:

वित्तीय साधनों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जहां उनके पास है:

- संविदात्मक शर्तें जो निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं, जो केवल मूलधन के भुगतान और बकाया मूल राशि पर ब्याज का प्रतिनिधित्व करती हैं; और
- एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- इन उपकरणों को शुरू में उचित मूल्य और सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत पर पहचाना जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि को इक्विटी के एक अलग घटक के भीतर अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है। हानि हानि या उलटाव, ब्याज राजस्व और विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। निपटान पर, अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के आय विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। ऋण हानि का मापन तीन चरणों वाले अपेक्षित ऋण हानि मॉडल पर आधारित है, जैसा कि परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू होता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल।

ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य:

- व्यापार के लिए रखी गई वस्तुएं;
- संविदात्मक शर्तों वाले ऋण उपकरण जो केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर रखे गए वित्तीय उपकरणों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, आय विवरण में लेनदेन लागत को खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके बाद, उन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है और किसी भी लाभ या हानि को आय विवरण में उनके उत्पन्न होते ही पहचाना जाता है। जहां एक वित्तीय परिसंपत्ति को उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहां प्रतिपक्ष की क्रेडिट योग्यता को प्रतिबिंबित करने के लिए एक क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन शामिल किया जाता है, जो क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव का प्रतिनिधित्व करता है।

व्यापार के लिए रखे गए वित्तीय उपकरण

एक वित्तीय साधन को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे मुख्य रूप से निकट अवधि में बेचने या पुनर्खरीद करने के उद्देश्य से खरीदा या खर्च किया जाता है, या वित्तीय साधनों के पोर्टफोलियो का हिस्सा बनता है जो एक साथ प्रबंधित होते हैं और जिसके लिए कम होने का सबूत होता है– टर्म प्रॉफिट टेकिंग, या यह एक व्युत्पन्न है जो क्वालीफाइंग हेज रिलेशनशिप में नहीं है।

इसके अलावा, प्रारंभिक मान्यता पर, आईआईएफसीएल अपरिवर्तनीय रूप से एक वित्तीय परिसंपत्ति को नामित कर सकता है जो अन्यथा एफवीटीपीएल की तरह परिशोधन लागत या एफवीओसीआई पर मापी जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा करता है, यदि ऐसा करने से लेखांकन बेमेल समाप्त हो जाता है या काफी हद तक कम हो जाता है जो अन्यथा उत्पन्न होता है।

घ) इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरणों में निवेश जो न तो व्यापार के लिए रखे गए हैं और न ही आकस्मिक विचार के लिए आईआइ, एफसीएलद्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसाय संयोजन में, जिस पर भारत लेखांकन मानक 103 'बिजनेस कॉम्बिनेशन' लागू होता है, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जहां प्रबंधन द्वारा एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया गया है। अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत रकम को बाद में लाभ या हानि में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ या हानि में तब तक मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

अन्य सभी वित्तीय संपत्तियों को एफवीटीपीएल में मापा गया है।

तत्पश्चात माप

संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी गई संपत्तियां जहां नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है। किसी ऋण निवेश पर लाभ या हानि, जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति की पहचान रद्द कर दी जाती है या खराब हो जाती है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है, जिसका प्रभाव कुल आय का 0.5% से अधिक होता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य परिवर्तन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त हैं। हालांकि, कंपनी आय विवरण में ब्याज आय, हानि हानि और उलटाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानती है।

पुनर्वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय उस अवधि के जब आईआईएफसीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल को बदलता है।

ख. वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य इकाई को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करने या कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं।

वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य घटा लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर वित्तीय देनदारियों के मुद्दे के लिए जिम्मेदार होती है, जिसका प्रभाव कुल आय का 0.5% से अधिक होता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का अभिन्न अंग है। आय (लेनदेन लागत का शुद्ध) और भोगान राशि के बीच कोई भी अंतर ईआईआर का उपयोग करके उधार की अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

तत्पश्चात माप

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता दी जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

संविदात्मक नकदी प्रवाह को केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान को परिभाषित करना:

इस मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, 'मूलधन' को प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। 'ब्याज' को पैसे के समय मूल्य और किसी विशेष अवधि के दौरान बकाया मूल राशि से जुड़े क्रेडिट जोखिम और अन्य बुनियादी उधार जोखिमों और लागतों (उदाहरण के लिए तरलता जोखिम और प्रशासनिक लागत) मुनाफे के साथ-साथ विचार के रूप में परिभाषित किया गया है। ।

ग. व्युत्पन्न वित्तीय साधन:

व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण ऐसे अनुबंध होते हैं जिनका मूल्य एक या अधिक अंतर्निहित मूल्य, सूचकांक या अन्य चर से प्राप्त होता है, और इसमें आम तौर पर स्वैप, फॉरवर्ड रेट समझौते, वायदा और विकल्प जैसे उपकरण शामिल होते हैं। आईआईएफसीएल विदेशी विनिमय दर में भिन्नता के कारण जोखिम को कम करने के लिए हेजिंग संपर्कों की प्रकृति में व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों में प्रवेश करता है, जहां लागू हो, इन अनुबंधों के विदेशी मुद्रा उधार में उचित मूल्य पर बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है और उन्हें व्यापार के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सिवाय इसके कि जहां उन्हें नामित किया गया है यह एक प्रभावी बचाव संबंध का एक हिस्सा है और इसे हेजिंग डेरिवेटिव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसी डेरिवेटिव का वहन मूल्य अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य सकारात्मक होने पर डेरिवेटिव को संपत्ति के रूप में और उचित मूल्य नकारात्मक होने पर देनदारियों के रूप में ले जाया जाता है।

क. जहां भी कंपनी ने वायदा अनुबंध या किसी उपकरण में प्रवेश किया है, अर्थात, वायदा विनिमय अनुबंध के सार में, वायदा विनिमय अनुबंध की तारीख पर Ind AS-21 के अनुसार वायदा दर और विनिमय दर के बीच के अंतर को अनुबंध के जीवन पर आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख. विदेशी मुद्रा ऋण पर ली गई हेजिंग को विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋण (यानी प्राकृतिक हेज) के समायोजन के बाद फीफो आधार पर समायोजित किया जाता है।

ग. ब्याज दर स्वैप सहित फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंधों को रद्द करने या नवीनीकरण पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ. कंपनी द्वारा दर्ज जेपीवाई वेन में ब्याज दर स्वैप लेनदेन के संबंध में, कंपनी बैलेंस शीट तिथि के अनुसार बाजार हानि का निशान प्रदान कर रही है।

ङ. हेजिंग अनुबंध के अनुसार फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत और काउंटर पार्टी से वसूले गए या उसे भुगतान किए गए अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व के पुनर्भुगतान के कारण स्पॉट एक्सचेंज रेट में अंतर के कारण ऐसे ऋण का अधिशेष या घाटा, पुनर्भुगतान के समय लाभ या हानि के रूप में पहचाना जाता है।

च. विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और स्वैप अनुबंध (उपरोक्त ऋणों पर होने वाले किसी भी नुकसान से बचाव के लिए) को अलग-अलग लेनदेन के रूप में माना जाता है।

छ. विदेशी मुद्रा उधार को भारतीय लेखा मानक (इंड एएस 21), विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार बहाल किया जाता है।

जून 2016 में आईसीएआई द्वारा जारी 'व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए लेखांकन' पर मार्गदर्शन नोट, कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। पिछली रिपोर्टिंग के बाद से रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर विनिमय दर में कोई भी बदलाव दिनांक और अवधि के दौरान उधार लेने की तारीख से, व्युत्पन्न अनुबंधों के उचित मूल्य के विरुद्ध निर्धारित किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को कैश फ्लो हेज रिजर्व के रूप में मान्यता दी जाती है। व्युत्पन्न अनुबंधों का उचित मूल्य संबंधित काउंटर पार्टियों द्वारा प्रदान किया जाता है।

मार्गदर्शन नोट के अनुसार, नकदी प्रवाह बचाव के तहत, हेजिंग उपकरण को उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेकिन कोई भी लाभ या हानि जो एक प्रभावी बचाव के रूप में निर्धारित की जाती है, उसे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, उदाहरण के लिए, कैश फ्लो हेज रिजर्व। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में अस्थिरता से बचना है जब हेज्ड वस्तुओं पर लाभ या हानि का एहसास नहीं होता है।

5.3. मान्यता रद्द करना:

वित्तीय पूंजी

आईआईएफसीएलएफ वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर देता है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या यह एक लेनदेन में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर देता है जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार काफी हद तक स्थानांतरित हो जाते हैं। या जिसमें आईआईएफसीएल स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित करता है और न ही बरकरार रखता है और यह वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण बरकरार नहीं रखता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, ऋण परिसंपत्तियों के मामले में:

(क) ऐसी परियोजनाएं जहां परियोजना प्राधिकरण द्वारा रियायत समझौता (सीए) समाप्त कर दिया गया है, खाते की मान्यता उस वित्तीय वर्ष में रद्द कर दी जाती है जिसमें अनुबंध समाप्त किया जाता है।

(ख) ऐसी परियोजनाएं जहां रियायती अनुबंध (सीए) को रियायतग्राही द्वारा समाप्त कर दिया गया है, हानि मामले के गुणों और तथ्यों के आधार पर की जाती है।

(ग) ऐसे मामलों में जहां परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों आदि की मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय परिसंपत्ति का कुछ मूल्य संलग्न किया जा सकता है, हानि कमी की सीमा तक की जाती है।

(घ) रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना (एसडीआर), तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की गलत संरचना के लिए योजना (एसएए), बाहरी रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) योजना के तहत मामलों के अलावा अन्य ऋण परिसंपत्ति आरबीआई विनियमों के अनुसार लागू होती है और आरबीआई अधिसूचना संख्या के अनुसार वापस ली गई मानी जाती है। यदि ऋण परिसंपत्ति को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो आरबीआई/131 डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12 फरवरी 2018 या 5 साल से अधिक समय से या परियोजना के निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन में 4 साल से अधिक की देरी हो गई है, किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत पुनर्गठन/निपटान प्रक्रिया की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जब तक कि ऋण परिसंपत्ति की बिक्री/वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध न हो।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर, परिसंपत्ति की अप्रणीत राशि (या परिसंपत्ति के अन्यान्य किए गए हिस्से को आवंटित की गई राशि) और (i) प्राप्त प्रतिफल के योग के बीच का अंतर (किसी भी नई परिसंपत्ति को घटाकर प्राप्त की गई कोई भी नई परिसंपत्ति सहित) नई देयता मान ली गई है) और (ii) कोई भी संचयी लाभ या हानि जिसे ओसीआई में मान्यता दी गई थी, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

एफवीओसीआई में निर्दिष्ट इक्विटी निवेश प्रतिभूतियों के संबंध में ओसीआई में मान्यता प्राप्त कोई भी संचयी लाभ/हानि ऐसी प्रतिभूतियों की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त नहीं है। हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्तियों में कोई भी हित जो कंपनी द्वारा बनाई या रखी गई मान्यता रद्द करने के योग्य है, उसे एक अलग परिसंपत्ति या दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियाँ

आईआईएफसीएलकिसी वित्तीय दायित्व की मान्यता तब रद्द कर देता है जब उसके संविदात्मक दायित्व समाप्त हो जाते हैं या रद्द हो जाते हैं, या समाप्त हो जाते हैं। किसी वित्तीय देनदारी की वहन राशि जिसे समाप्त कर दिया गया है या किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित कर दिया गया है और हस्तांतरित किसी भी गैर-नकद संपत्ति या ग्रहण की गई देनदारियों सहित भुगतान किए गए विचार के बीच का अंतर, अन्य आय या वित्त लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

किसी मौजूदा उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच काफी भिन्न शर्तों वाले ऋण उपकरणों के आदान-प्रदान को मूल वित्तीय देनदारी की समाप्ति और एक नई वित्तीय देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाएगा। इसी प्रकार, किसी मौजूदा वित्तीय देनदारी या उसके एक हिस्से (चाहे देनदार की वित्तीय कठिनाई के कारण हो या नहीं) की शर्तों में पर्याप्त संशोधन को मूल वित्तीय देनदारी की समाप्ति और एक नई वित्तीय देयता के रूप में माना जाएगा।

5.4. संशोधन:

वित्तीय पूंजी

यदि किसी वित्तीय परिसंपत्ति की शर्तों को संशोधित किया जाता है, तो कंपनी मूल्यांकन करती है कि संशोधित परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह में काफी अंतर है या नहीं। यदि नकदी प्रवाह काफी हद तक भिन्न है, तो मूल वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो गए माने जाते हैं। इस मामले में, मूल वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है और एक नई वित्तीय परिसंपत्ति को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

यदि परिशोधन लागत पर की गई संशोधित परिसंपत्ति का नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से भिन्न नहीं है, तो संशोधन के परिणामस्वरूप वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द नहीं होगी। इस मामले में, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनर्गणना करती है और लाभ और हानि के विवरण में संशोधन लाभ या हानि के रूप में सकल वहन राशि को समायोजित करने से उत्पन्न होने वाली राशि को पहचानती है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि को पुनरुत्पादित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में पुनर्गणना की जाएगी, जिसे वित्तीय परिसंपत्ति की मूल प्रभावी ब्याज दर (या खरीदे गए या उत्पन्न क्रेडिट-क्षीण वित्तीय के लिए क्रेडिट-समायोजित प्रभावी ब्याज दर) पर छूट दी गई है। संपत्ति) या, जब लागू हो, संशोधित प्रभावी ब्याज दर यदि उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा संशोधन किया जाता है, तो लाभ या हानि को हानि हानि के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अन्य मामलों में, इसे ब्याज आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

5.5. उचित मूल्य मापन

वित्तीय साधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उचित मूल्य पर बैलेंस शीट पर रखा जाता है।

'उचित मूल्य' वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या मूलधन में माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा या, इसकी अनुपस्थिति में, कंपनी के लिए उस तिथि पर प्रवेश सबसे लाभप्रद बाजार होगा। किसी देनदारी का उचित मूल्य उसके गैर-निष्पादन जोखिम को दर्शाता है।

जब कोई उपलब्ध होता है, तो कंपनी उस उपकरण के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य का उपयोग करके किसी उपकरण के उचित मूल्य को मापती है। एक बाजार को सक्रिय माना जाता है यदि परिसंपत्ति या देनदारी के लिए लेनदेन निरंतर आधार पर मूल्य निर्धारण की जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त आवृत्ति और मात्रा के साथ होता है।

यदि सक्रिय बाजार में कोई उद्धृत मूल्य नहीं है, तो आईआईएफसीएल मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करता है और अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करता है। चुनी गई मूल्यांकन तकनीक में वे सभी कारक शामिल होते हैं जिन्हें बाजार सहभागी लेनदेन का मूल्य निर्धारण करते समय ध्यान में रखेंगे।

प्रारंभिक मान्यता पर किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत आम तौर पर लेनदेन मूल्य होता है – यानी दिए गए या प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य। यदि आई ए एस सी एस यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य लेनदेन मूल्य से भिन्न है और उचित मूल्य न तो किसी समान परिसंपत्ति या देनदारी के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य से प्रमाणित होता है और न ही किसी मूल्यांकन तकनीक पर आधारित होता है जिसके लिए कोई माप के संबंध में अप्राप्य इनपुट को महत्वहीन माना जाता है, फिर वित्तीय साधन को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है, प्रारंभिक मान्यता और लेनदेन मूल्य पर उचित मूल्य के बीच अंतर को स्थगित करने के लिए समायोजित किया जाता है। इसके बाद, उस अंतर को उचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

मांग विशेषता (जैसे मांग जमा) के साथ वित्तीय देनदारी का उचित मूल्य मांग पर देय राशि है।

गैर–उद्धृत इक्विटी का मूल्यांकन नीचे दिए गए दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है, पदानुक्रम के क्रम में जिसमें वे दिखाई देते हैं, आईआईएफसीएल के पास उपलब्ध जानकारी की उपलब्धता पर निर्भर करता है:

क. कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों से निवेशित इकाई का ब्रेक–अप मूल्य।

ख. एक रुपये पर, यदि नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और वैकल्पिक निवेश फंड की इकाइयों का मूल्य नवीनतम उपलब्ध शुद्ध संपत्ति मूल्य के अनुसार किया जाता है। सुरक्षा रसीदों का मूल्य नवीनतम उपलब्ध नेट एसेट वैल्यू या बुक वैल्यू, जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

5.6. उचित मूल्य मापन के लिए मूल्यांकन तकनीकें

यह दिखाने के लिए कि उचित मूल्य कैसे प्राप्त किए गए हैं, वित्तीय साधनों को मूल्यांकन तकनीकों के पदानुक्रम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि नीचे संक्षेप में दिया गया है:

- स्तर 1 वित्तीय उपकरण – वे जहां मूल्यांकन में उपयोग किए गए इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों से असमायोजित उद्धृत कीमतें हैं, जिन तक कंपनी की माप तिथि पर पहुंच है। कंपनी बाजारों को तभी सक्रिय मानती है जब समान परिसंपत्तियों या देनदारियों की मात्रा और तरलता के संबंध में पर्याप्त व्यापारिक गतिविधियाँ हों और जब बैलेंस शीट की तारीख पर बाध्यकारी और प्रयोग योग्य मूल्य उद्धरण उपलब्ध हों।

- लेवल 2 वित्तीय उपकरण – वे जहां इनपुट जो मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाते हैं और महत्वपूर्ण हैं, उपकरण के जीवन की पूरी अवधि में उपलब्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य बाजार डेटा से प्राप्त होते हैं। इस तरह के इनपुट में सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए उद्धृत कीमतें, निष्क्रिय बाजारों में समान उपकरणों के लिए उद्धृत कीमतें और उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य अवलोकनीय इनपुट जैसे ब्याज दरें और उपज वक्र, निहित अस्थिरता और क्रेडिट स्प्रेड शामिल हैं। इसके अलावा, परिसंपत्ति की स्थिति या स्थान या उस सीमा तक समायोजन की आवश्यकता हो सकती है जो उन वस्तुओं से संबंधित है जो मूल्यवान साधन के बराबर हैं। हालाँकि, यदि ऐसे समायोजन अप्राप्य इनपुट पर आधारित हैं जो संपूर्ण माप के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आईआईएफसी एल उपकरणों को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत करेगा।

- स्तर 3 वित्तीय उपकरण – ये जिनमें एक या अधिक अप्राप्य इनपुट शामिल हैं जो संपूर्ण माप के लिए महत्वपूर्ण हैं।

5.7. वित्तीय संपत्तियों की हानि

आई ए एफ सी एल वित्तीय परिसंपत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे (ईसीएल) को मापने के लिए तीन चरणीय दृष्टिकोण लागू करता है जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है:

- ऋण उपकरणों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत और उचित मूल्य पर मापा जाता है;
- ऋण प्रतिबद्धताएं; और
- वित्तीय गारंटी अनुबंध।

इक्विटी निवेश पर कोई ईसीएल मान्यता प्राप्त नहीं है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित तीन चरणों के माध्यम से वर्गीकृत किया गया है:

चरण 1: 12 महीने की ईसीएल

सभी एक्सपोजर जहां प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है और जो उत्पत्ति के बाद से क्रेडिट खराब नहीं हुए हैं, उन्हें इस चरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

चरण 2: आजीवन ईसीएल – क्रेडिट खराब नहीं

सभी एक्सपोजर जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन क्रेडिट खराब नहीं है, उन्हें इस चरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 30 दिनों की बकाया राशि को क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि माना जाता है।

स्टेज 3: लाइफटाइम ईसीएल – खराब क्रेडिट

जब एक या अधिक घटनाएँ घटित होती हैं जिनका उस परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो क्रेडिट क्षीण के रूप में मूल्यांकन किए गए सभी एक्सपोजर को इस चरण में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे एक्सपोजर के लिए जो क्रेडिट क्षीण हो गए हैं, आजीवन ईसीएल को मान्यता दी जाती है और सकल वहन राशि के बजाय प्रभावी ब्याज दर को परिशोधन लागत (प्रावधान का शुद्ध) पर लागू करके ब्याज राजस्व की गणना की जाती है।

ऋण परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना आरबीआई नियमों के अनुसार प्रावधान आवश्यकताओं की न्यूनतम होगी जो निम्नानुसार है:

(i) मानक संपत्ति: सामान्य प्रावधान ऋण की बकाया राशि पर किया जाता है, जिसमें अर्जित ब्याज भी शामिल है, लेकिन वर्ष के अंत में 0.40% देय नहीं है।

(ii) उप-मानक संपत्ति: कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान किया गया है।

(iii) संदिग्ध संपत्ति

(क) उस सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान, जिस सीमा तक अग्रिम उस सुरक्षा के वसूली योग्य मूल्य से कवर नहीं होता है जिसके लिए कंपनी के पास वैध सहारा है।

(ख) उपरोक्त मद (ए) के अलावा, उस अवधि के आधार पर जिसके लिए परिसंपत्ति संदिग्ध बनी हुई है, सुरक्षित भाग के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रावधान यानी बकाया का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य, निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

वह अवधि जिसके लिए संपत्ति को संदिग्ध माना गया है	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन साल	30
तीन वर्ष से अधिक	50

(iv) हानि परिसंपत्ति (आस्तियां)

संपूर्ण परिसंपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, हालांकि यदि परिसंपत्तियों को किसी भी कारण से पुस्तकों (बहियों) में रहने की अनुमति दी जाती है, तो बकाया का 100 प्रतिशत प्रदान किया जाता है।

(v) पुनर्गठित ऋण परिसंपत्ति

निम्नलिखित मामलों के लिए, पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान आरबीआई मानदंडों के अनुसार होगा, जिसमें उचित मूल्य में कमी का प्रावधान भी शामिल है:

(क) दिनांक 01.07.2019 से परियोजना ऋणों का पुनर्गठन किया गया अर्थात 24 जनवरी 2014, प्रावधान 5% की दर से होगा।

(ख) 23 जनवरी 2014 तक सभी कंपनियों के बकाया ऋणों का स्टॉक (तदनुसार) को पुनर्गठित किया गया है।

बकाया पुनर्गठित ऋण के स्टॉक के मामले में आरबीआई का प्रावधान 5% है।

वित्तीय परिसंपत्ति के वर्गीकरण के लिए चरण का निर्धारण

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को रिपोर्टिंग तिथि और प्रारंभिक मान्यता की तिथि के बीच अपेक्षित जीवन में होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना करके प्रारंभिक मान्यता के बाद से एक्सपोजर के लिए क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के आधार पर तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी उचित और समर्थन योग्य जानकारी पर विचार करती है जो प्रासंगिक हो और इस उद्देश्य के लिए अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो।

परिसंपत्ति की गुणवत्ता खराब होने पर एक्सपोजर चरण 1 से चरण 3 तक चला जाएगा। यदि, बाद की अवधि में, परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है और क्रेडिट जोखिम में पहले से मूल्यांकन की गई किसी भी महत्वपूर्ण वृद्धि को उलट देता है। 30 दिन से कम समय वाले एक्सपोजर को चरण 1 माना जाता है ()

चरण 1 के रूप में मानी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) पर आधारित है। जबकि चरण 2 और चरण 3 के रूप में मानी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान की गणना जीवन काल ईसीएल मॉडल के आधार पर की जाती है। जब कोई परिसंपत्ति संग्रहणीय नहीं होती है, तो उसे संबंधित प्रावधान के विरुद्ध अमान्य कर दिया जाता है। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने और नुकसान की राशि निर्धारित होने के बाद ऐसी संपत्तियों की मान्यता रद्द कर दी जाती है।

हालांकि, एक खंडनयोग्य धारणा है कि डिफॉल्ट तब से बाद में नहीं होता है जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति का बकाया 90 दिन पहले हो, जब तक कि किसी इकाई के पास यह निष्पादन करने के लिए उचित और समर्थन योग्य जानकारी न हो कि अधिक विलंबित डिफॉल्ट मानदंड अधिक उपयुक्त है। इन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली डिफॉल्ट की परिभाषा सभी वित्तीय साधनों पर लगातार लागू होती है जब तक कि ऐसी जानकारी उपलब्ध न हो जो दर्शाती हो कि किसी विशेष वित्तीय साधन के लिए एक और डिफॉल्ट परिभाषा अधिक उपयुक्त है।

तदनुसार, यदि निम्नलिखित में से कोई भी घटना घटित होती है, तो किसी खाते को क्रेडिट हानि वाला माना जाएगा और इसलिए उसे चरण 3 में ले जाया जाएगा:

- खाते को देय तिथि (डीपीडी) 90 दिन से अधिक हो गई है;
- आईआईएफसीएल क्रेडिट दायित्व के संकटग्रस्त पुनर्गठन के लिए सहमति देता है, जहां इसके परिणामस्वरूप मूलधन, ब्याज या (जहां प्रासंगिक) शुल्क की भौतिक माफी, या स्थगन के कारण वित्तीय दायित्व कम होने की संभावना है।

  देय दिन (डीपीडी) उन दिनों की संख्या के लिए मापा जाता है जब ब्याज और/या मूलधन का भुगतान नहीं किया जाता है, कोई बिल अतिदेय रहता है, कोई खाता लगातार सीमा/आहरण शक्ति से अधिक रहता है, या खाते में क्रेडिट खाता उस पर लगाए गए ब्याज से कम है।

कम क्रेडिट जोखिम धारणा

इंडस्ट्रीज एएस 101 – 'वित्तीय साधन' में कहा गया है कि 'पैराग्राफ 5.5.10 के प्रयोजनों के लिए वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम कम माना जाता है, यदि वित्तीय साधन में डिफॉल्ट का जोखिम कम है, तो उधारकर्ता के पास इसे पूरा करने की एक मजबूत क्षमता है निकट अवधि में संविदात्मक नकदी प्रवाह दायित्वों और लंबी अवधि में आर्थिक और व्यावसायिक स्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन, उधारकर्ता की अपने संविदात्मक नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को कम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। (पैरा बी5.5.22)' इसके अलावा, हालांकि इसने कम क्रेडिट जोखिम के रूप में 'निवेश ग्रेड' की बाहरी रेटिंग का उदाहरण दिया है, यह स्वीकार करता है कि कम क्रेडिट जोखिम वाले वित्तीय साधनों पर विचार करने के लिए बाहरी रेटिंग की आवश्यकता नहीं है (पैरा बी5.5.23)।

तदनुसार, किसी उपकरण को निम्नलिखित स्थितियों में कम क्रेडिट जोखिम वाला माना जाता है:

- शून्य अप्रत्याशित हानि, जैसा कि शून्य नियामक जोखिम भार द्वारा दर्शाया गया है: यह देखते हुए कि नियामक जोखिम–भार के अनुसार अनुमानित अप्रत्याशित हानि 0% है, अपेक्षित हानि भी शून्य होगी। ऐसे मामलों में ईसीएल शून्य होगा। ऐसे परिसंपत्ति वर्गों के उदाहरण घरेलू संप्रभु, 'एए' या बेहतर की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग वाले विदेशी संप्रभु हैं।
- 20% विनियामक जोखिम भार के अनुसार कम अप्रत्याशित हानि: 20% के जोखिम–भार के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए कम अप्रत्याशित हानि को देखते हुए, इनमें भी बहुत कम अपेक्षित हानि होगी। हालांकि, ईसीएल गैर–शून्य हो सकता है, या अनुभवजन्य साक्ष्य यह दिखा सकते हैं कि ऐसे परिसंपत्ति वर्ग/पोर्टफोलियो के लिए डिफॉल्ट दरें शून्य हैं। ऐसे परिसंपत्ति वर्गों के उदाहरण हैं 'ए' की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग वाली विदेशी संप्रभुताएं, घरेलू अनुसूचित आई आई एफ सी एल एस (पूंजी पर्याप्तता की विनियामक आवश्यकता में विफल होने वाले कम क्रेडिट जोखिम नहीं हैं), बाहरी रूप से रेटेड घरेलू 'एएए' कॉरपोरेट्स, स्टाफ ऋण। इन पोर्टफोलियो के लिए देखी गई डिफॉल्ट दरें भी शून्य हैं।

  विवरणों के लिए, सभी स्टाफ ऋणों को कम क्रेडिट जोखिम माना गया है।

प्रयुक्त पोर्टफोलियो में विभाजन का स्तर

जोखिम मापदंडों के अनुप्रयोग के उद्देश्य से विभाजन को आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) मॉडल से जोड़ा गया है। हालांकि, भविष्योन्मुखी अनुमानों के लिए, आईआईएफसीएल इनमें से कुछ उप–पोर्टफोलियो को व्यापक श्रेणियों में समूहित करना चुन सकता है या कुछ मामलों में उन्हें सामान्य जोखिम चालकों के आधार पर उप–खंडों में विभाजित कर सकता है।

ईसीएल का मापन

ईसीएल अपेक्षित नुकसान के निष्पक्ष और संभाव्यता–भारित अनुमानों से प्राप्त होते हैं, और निम्नानुसार मापा जाता है:

- वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट–क्षीण नहीं हैं: वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के दौरान सभी नकदी की कमी के वर्तमान मूल्य को प्रभावी ब्याज दर से छूट दी गई है। नकदी की कमी अनुबंध के अनुसार आईआईएफसीएल के कारण नकदी प्रवाह और आईआईएफसीएल द्वारा प्राप्त नकदी प्रवाह के बीच का अंतर है।

- वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट–क्षीण होती हैं: सकल वहन राशि और अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर को प्रभावी ब्याज दर से छूट दी जाती है।

- अनाहरित ऋण प्रतिबद्धताएँ: संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच अंतर के वर्तमान मूल्य के रूप में, जो कि आईआईएफसीएल के कारण होता है यदि प्रतिबद्धता समाप्त हो जाती है और नकदी प्रवाह जो आईआईएएफसीएल को प्राप्त होने की उम्मीद है।

- वित्तीय गारंटी अनुबंध: अपेक्षित भुगतान के रूप में धारक को किसी भी राशि को कम करके प्रतिपूर्ति की जाती है जिसे आईआईएफसीएल पुनर्प्राप्त करने की उम्मीद करता है।

ईसीएल को लाभ और हानि के विवरण में अशोध्य और संदिग्ध ऋण खाते के प्रावधान का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण उपकरणों के मामले में, ईसीएल का माप तीन चरण के दृष्टिकोण पर आधारित होता है, जैसा कि परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू होता है। आईएएफसीएल लाभ और हानि में प्रावधान शुल्क को पहचानता है, इसी राशि को अन्य व्यापक आय में मान्यता देता है, बैलेंस शीट में परिसंपत्ति की वहन राशि में कोई कमी नहीं होती है।

हानि आरक्षित:

आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2019–20/170 दिनांक 13 मार्च 2020 के अनुसार, आईआईएफसीएल को इंड एएस द्वारा अपेक्षित हानि भत्ते मिलेंगे। समानांतर में आईआईएफसीएल परिसंपत्ति वर्गीकरण को भी बनाए रखेगा और आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधानों की गणना करेगा, जिसमें उधारकर्ता/लाभार्थी के अनुसार वर्गीकरण, मानक के साथ–साथ पुनर्गठित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान, एनपीए उम्र बढ़ना वगैरह शामिल है।

जहां इंड एएस 109 के तहत हानि भत्ता आईआरएसीपी (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान से कम है, आईआईएफसीएल को कर के बाद अपने शुद्ध लाभ या हानि से अंतर को एक अलग 'हानि रिजर्व' में समायोजित करना आवश्यक है। 'हानि रिजर्व' में शेष राशि को नियामक पूंजी के लिए नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा, आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग की पूर्व अनुमति के बिना इस रिजर्व से किसी भी निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.8. त्वरित प्रावधानीकरण

आईएएफसीएल, एक विवेकपूर्ण ऋणदाता के रूप में, आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत किए जाने वाले सामान्य प्रावधान के अलावा, संपत्ति के आधार पर सुरक्षित/असुरक्षित भागों के लिए निर्धारित प्रतिशत लागू करने के संदर्भ में इंड 109 के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना की जाती है। वर्गीकरण, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया जा सकता है, अपेक्षित पुनर्प्राप्ति परिदृश्य के आधार पर, केस–टू–केस आधार पर त्वरित प्रावधान पर विचार करता है।

ऐसे असाधारण मामलों में त्वरित प्रावधानीकरण का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें प्रावधान मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त हो सकता है, हालांकि, प्रबंधन के विचार में, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो वसूली की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे मामलों में, प्रबंधन विवेकपूर्ण उपाय के रूप में त्वरित प्रावधान पर मामला–दर–मामला दृष्टिकोण अपनाता है।

त्वरित प्रावधानीकरण मोटे तौर पर निम्नलिखित मापदंडों पर निर्भर करता है:

- परियोजना की स्थिति.
- प्रमोटर की धन निवेश करने की क्षमता।
- ठोस सुरक्षा, नकदी प्रवाह और रियायतें उपलब्ध हैं।
- वसूली के लिए कंसोर्टियम द्वारा उठाए गए कदम।
- प्रबंधन की धारणा.

ऊपर उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए खाते में किया जाने वाला प्रावधान 10% से 100% तक होता है

6. पट्टे पर देना

परिचालन पट्टे के तहत पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

7. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत, कम संचित मूल्यह्रास और मूल्य में संचित हानि को छोड़कर अधिग्रहण की लागत पर बताया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को निपटान पर या जब इसके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है तो मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को संपत्ति की मान्यता रद्द होने की तिथि पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

8. अमूर्त संपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक पहचान पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है।

पहले से ही पूंजीकृत अमूर्त संपत्तियों पर बाद के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह मौजूदा संपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और संभावित रूप से परिशोधन किया जाता है।

आंतरिक उपयोग के लिए प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) और जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ होते हैं, को एक अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह इसके उपयोग के लिए तैयार होता है।

विकास पर व्यय को अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि वह इंडस्ट्रीज एएस 38 ‘अमूर्त संपत्ति’ के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करती है, अन्यथा इसे व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

अमूर्त संपत्ति की एक वस्तु को निपटान पर या उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। किसी अमूर्त संपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और संपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

9. मूल्यह्रास / परिशोधन

मूल्यह्रास की गणना संपत्ति और उपकरण की लागत को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन के दौरान उनके अवशिष्ट मूल्यों में लिखने की विधि मूल्य विधि का उपयोग करके की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार उपयोगी जीवन माना जाता है।

आईआईएफसीएल के कार्यालय परिसर को 30 वर्षों की लीज अवधि में परिशोधित किया गया है।

अमूर्त संपत्तियों की लागत को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन के दौरान उनके अवशिष्ट मूल्यों में लिखने के लिए सीधी–रेखा विधि का उपयोग करके परिशोधन की गणना की जाती है। पट्टा परिसंपत्ति के मामले में, अनुमानित उपयोगी जीवन की गणना पट्टा अवधि की समाप्ति के आधार पर की जाती है।

अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन या तो सीमित या अनिश्चित माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उपयोगी आर्थिक जीवन पर किया जाता है। एक सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति के लिए

परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन, या परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न का हिसाब–किताब परिशोधन अवधि या कार्यप्रणाली में, जैसा उपयुक्त हो, बदलाव करके किया जाता है, जिसे तब लेखांकन अनुमानों में बदलाव के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन व्यय को आय विवरण में एक अलग पंक्ति वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

10. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

आई ए एफ सी एल प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह संकेत सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन कराता है कि एक गैर–वित्तीय संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। मूल्यांकन के अनुसार सुनिश्चित की गई हानि को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

11. आशय पत्र (एलओसी)

व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, आईआईएफसीएल बैंकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करता है, जो आमतौर पर लाभार्थियों के पक्ष में ऋणदाताओं की ओर से लेटर ऑफ क्रेडिट/वित्तीय गारंटी जारी करने के लिए कंसोर्टियम सदस्यों को जारी किया जाता है। एलओसी को प्रारंभ में वित्तीय विवरणों में 'अन्य देनदारियों' के अंतर्गत उचित मूल्य पर, प्राप्त प्रीमियम के रूप में मान्यता दी जाती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रत्येक गारंटी के तहत आईआईएफसीएल की देनदारी को आय विवरण में मान्यता प्राप्त संचयी परिशोधन को कम करके प्रारंभ में मान्यता प्राप्त राशि के उच्चतम पर मापा जाता है, और किसी भी वित्तीय दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय का सबसे अच्छा अनुमान लगाया जाता है। गारंटी का परिणाम, वित्तीय गारंटी से संबंधित देनदारी में कोई भी वृद्धि आय विवरण में क्रेडिट हानि व्यय में दर्ज की जाती है। प्राप्त प्रीमियम को गारंटी के जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर शुद्ध शुल्क और कमीशन आय में आय विवरण में पहचाना जाता है।

12. प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले घटनाओं के परिणामस्वरूप आईआईएफसीएल के पास वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और एक विश्वसनीय अनुमान होगा दायित्व की राशि से बनाया जा सकता है. जब पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, तो आई ए एफ सी एल देयता के लिए विशिष्ट वर्तमान दरों को दर्शाते हुए पूर्व–कर दर पर अपेक्षित नकदी प्रवाह में छूट देकर प्रावधान के स्तर को निर्धारित करता है। किसी भी प्रावधान से संबंधित व्यय अन्य परिचालन खर्चों में किसी भी प्रतिपूर्ति के शुद्ध लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

एक आकस्मिक दायित्व को तब पहचाना और प्रकट किया जाता है जब:

क) किसी पिछली घटना से उत्पन्न होने वाला संभावित दायित्व, जिसके अस्तित्व की पुष्टि समूह के नियंत्रण में नहीं होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी; या

ख) पिछली घटना से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना दूरस्थ होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालाँकि, आकस्मिक संपत्तियों का मूल्यांकन लगातार किया जाता है और यदि यह वस्तुतः निश्चित है कि आर्थिक लाभ का प्रवाह उत्पन्न होगा, तो संपत्ति और

संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन होता है।

प्रतिबद्धताओं में किसी ग्राहक को उधार देने के समझौतों के अनुसार ऋण देने की बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, जब तक कि अनुबंध में स्थापित किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन न हो।

13. आय पर कर

13.1 वर्तमान कर

वर्तमान और पूर्व वर्षों के लिए वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को करदाता अधिकारियों से वसूल की जाने वाली या उन्हें भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो भारत में रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित होते हैं, या मूल रूप से अधिनियमित होते हैं, जहां आईआईएफसीएल संचालित होता है और कर योग्य आय उत्पन्न करता है।

सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर इक्विटी में मान्यता प्राप्त है न कि लाभ या हानि के विवरण में। प्रबंधन समय–समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में लिए गए पदों का मूल्यांकन करता है जिनमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन होते हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करता है।

13.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है और बैलेंस शीट देयता पद्धति का उपयोग करके इसका हिसाब लगाया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के विरुद्ध उपलब्ध होंगे,

अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है, कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर जो बैलेंस शीट द्वारा अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं ।

14. प्रति शेयर आय

आईआईएफसीएल अपने साधारण शेयरों के लिए बुनियादी और पतला ईपीएस डेटा प्रस्तुत करता है। बेसिक ईपीएस की गणना अवधि के दौरान बकाया सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या से आईआईएफसीएल के इक्विटी शेयरधारकों के कारण होने वाले लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। डाइल्यूटेड ईपीएस का निर्धारण इक्विटी शेयरधारकों के कारण होने वाले लाभ या हानि को समायोजित करके और सभी डाइल्यूटिव संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित बकाया सामान्य शेयरों की भारित–औसत संख्या को समायोजित करके किया जाता है, जिसमें कर्मचारियों को दिए गए शेयर विकल्प शामिल होते हैं।

15. कर्मचारी लाभ

15.1 सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को लेखांकन अवधि में उनकी बिना छूट वाली राशि के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

15.2 कर्मचारियों के पारिश्रमिक से काटा गया भविष्य निधि का योगदान और उस पर नियोक्ता का योगदान क्षेत्रीय

भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) के पास जमा किया जाता है।

15.3 एनपीएस में शामिल परिभाषित योगदान योजनाओं के तहत कर्मचारी लाभ योजना में योगदान करने के लिए कंपनी के बिना छूट वाले दायित्व पर मान्यता प्राप्त है। इसका भुगतान आईडीबीआई बैंक को किया जाता है, जो एनपीएस सुविधा के लिए पाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवा प्रदाता है और अवधि से संबंधित खर्च किया जाता है।

15.4 रोजगार के बाद के लाभों और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं। व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर पहचाना जाता है।

15.5 समाप्ति लाभों को तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है

15.6 बीमांकिक मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होने वाली अवधि में मान्यता दी जाती है।

15.7 कर्मचारी लाभ दायित्वों यानी, बीमारी की छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा सहायता योजना को बीमांकिक मूल्यांकन पर रिपोर्टिंग की तारीख तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया है।

15.8 आईआईएफसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी फंड के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से ग्रुप ग्रेच्युटी योजना पर एलआईसी को देय राशि के आधार पर ग्रेच्युटी प्रदान की गई है।

15.9 अवकाश नकदीकरण एलआईसी समूह अवकाश नकदीकरण योजना के लिए देय राशि के आधार पर प्रदान किया गया है।

15.10 नियुक्ति की शर्तों के अनुसार कार्यकारी निदेशकों की छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी और बीमारी की छुट्टी का प्रावधान, जहां भी लागू हो, देयता की अनुमानित राशि के आधार पर अर्जित और किया जाता है।

16. महत्वपूर्ण लेखांकन धारणाएँ और अनुमान

आईआईएफसीएल की लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग के लिए निर्णयों, अनुमानों और मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि अलग-अलग धारणाएं या अनुमान लागू किए गए, तो परिणामी मूल्य बदल जाएंगे, जिसका असर आईआईएफसीएल की शुद्ध संपत्ति और आय पर पड़ेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की गई धारणाएं उस तिथि के सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित होती हैं। यद्यपि अनुमानों को विश्वसनीय रूप से मापा जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए आईआईएफसीएल के पास आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ हैं, वास्तविक मात्रा उन अनुमानों से भिन्न हो सकती है। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य में प्रभावित होने वाली किसी भी अवधि में। लेखांकन नीतियां जो निर्णय, अनुमान और धारणाओं के उपयोग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, नीचे निर्दिष्ट हैं।

- **उचित मूल्य माप**

वित्तीय साधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उचित मूल्य पर बैलेंस शीट पर रखा जाता है। उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देनदारी हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। जहां किसी वित्तीय परिसंपत्ति या देनदारी के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप इसे उचित मूल्य पर मापा जाता है, जहां भी संभव हो, उचित मूल्य सबसे लाभप्रद सक्रिय बाजार में उद्धृत बोली या प्रस्ताव मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, जिसके लिए आई.आई.एफ.सी.एल. तत्काल पहुंच. उचित मूल्य में क्रेडिट जोखिम के समायोजन को भी उचित मूल्य में शामिल किया जाता है। शुद्ध खुली स्थिति के लिए उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में उद्धृत एक वित्तीय दायित्व है, वर्तमान प्रस्ताव मूल्य है, और एक वित्तीय परिसंपत्ति के लिए बोली मूल्य, आयोजित या जारी किए गए उपकरण की इकाइयों की संख्या से गुणा किया जाता है। जहां किसी विशेष परिसंपत्ति या देनदारी के लिए कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है, आईआईएफसीएल उचित मूल्य पर पहुंचने के लिए एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग

करता है, जिसमें हाल के हाथ की लंबाई के लेनदेन में प्राप्त लेनदेन की कीमतों का उपयोग, रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल शामिल हैं। और अन्य मूल्यांकन तकनीकें, बाजार की स्थितियों और रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद जोखिमों के आधार पर। ऐसा करने में, मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार इनपुट का अधिकतम उपयोग करता है और इकाई-विशिष्ट इनपुट पर न्यूनतम निर्भरता रखता है। प्रारंभिक मान्यता में किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत लेनदेन मूल्य है (यानी दिए गए या प्राप्त विचार का उचित मूल्य) जब तक कि उस साधन का उचित मूल्य उसी में अन्य अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन के साथ तुलना से प्रमाणित न हो। उपकरण (अर्थात संशोधन या रीपैकेजिंग के बिना) का एक मूल्यांकन तकनीक पर आधारित जिसके घर में केवल अवलोकन योग्य बाजारों से डेटा शामिल है। जब ऐसे साक्ष्य मौजूद होते हैं, तो आईएएफसीएल प्रारंभिक मान्यता पर (यानी पहले दिन) लेनदेन मूल्य और लाभ या हानि में उचित मूल्य के बीच अंतर को पहचानता है।

- **ऋण और अग्रिम पर हानि शुल्क**

ऋण और अग्रिमों के लिए हानि हानि का निर्धारण करते समय भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि और समय के अनुमान में प्रबंधन द्वारा निर्णय की आवश्यकता होती है। इन नकदी प्रवाह का अनुमान लगाने में, आईआईएफसीएल उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति और संपार्श्विक के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के बारे में निर्णय लेता है। ये अनुमान कई कारकों के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं और वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में हानि भत्ते में बदलाव हो सकते हैं। हानि का सामूहिक मूल्यांकन ऋण पोर्टफोलियो से डेटा (जैसे क्रेडिट गुणवत्ता, बकाया का स्तर, क्रेडिट उपयोग, संपार्श्विक अनुपात के लिए ऋण आदि) और जोखिम और आर्थिक डेटा की सांद्रता (बेरोजगारी के स्तर, अचल संपत्ति की कीमत सहित) को ध्यान में रखता है। सूचकांक, देश जोखिम और विभिन्न व्यक्तिगत समूहों का निष्पादन)।

- **ऋण हानि के अलावा अन्य प्रावधान**

कर्मचारी अधिकारों, पुनर्गठन लागत और मुकदमेबाजी प्रावधानों जैसे भविष्य के दायित्वों की एक श्रृंखला के संबंध में प्रावधान रखे गए हैं। कुछ प्रावधानों में विभिन्न घटनाओं के संभावित परिणाम और अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इन प्रावधानों के मापन में लेनदेन के अंतिम परिणामों के बारे में प्रबंधन निर्णयों का अभ्यास शामिल है। एक वर्ष से अधिक समय के बाद किए जाने वाले भुगतानों पर उस दर पर छूट दी जाती है जो मौजूदा ब्याज दरों और उस प्रावधान के लिए विशिष्ट जोखिमों दोनों को दर्शाती है।

- **ऋण और अग्रिम**

ऋण और अग्रिमों को शुरू में उचित मूल्य और वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन लागत पर मापा जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

17. उधार और ऋण प्रतिभूतियाँ

जारी किए गए उधार और ऋण प्रतिभूतियों को शुरू में उचित मूल्य घटाकर वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन लागत पर मापा जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर मापा जाता है, सिवाय इसके कि जहां समूह एफवीटीपीएल में देनदारियों को निर्दिष्ट करता है।

18. उधार लेने की लागत

विदेशी मुद्रा उधार पर विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। विनिमय अंतर की राशि जो स्थानीय मुद्रा उधार पर ब्याज और विदेशी मुद्रा उधार पर ब्याज के बीच अंतर से अधिक नहीं है, उसे उधार लागत के रूप में माना जाता है और इसे इंड 23 के तहत हिसाब में लिया जाता है – उधार लागत और शेष विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को इसके तहत हिसाब में लिया जाता है। इंडएएस 21 – विदेशी मुद्रा दरों में

परिवर्तन का प्रभाव।

इस प्रयोजन के लिए, स्थानीय मुद्रा उधार के लिए ब्याज दर को कंपनी द्वारा लिए गए बैंक ओवरड्राफ्ट की दर के रूप में माना जाता है।

19. सहायक कंपनी में निवेश

सहायक कंपनी कंपनी द्वारा नियंत्रित एक इकाई है। नियंत्रण तब मौजूद होता है जब कंपनी के पास इकाई पर अधिकार होता है, उजागर होता है, या इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न का अधिकार होता है और इकाई पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है।

शक्ति का निष्पादन मौजूदा अधिकारों के माध्यम से किया जाता है जो प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जो इकाई के रिटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

सहायक कंपनियों में निवेश लागत पर किया जाता है। लागत में निवेश प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कीमत और सीधे जिम्मेदार लागत शामिल है।

भारत लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि पर, कंपनी ने पिछले गैप के अनुसार सहायक कंपनियों में निवेश के वहन मूल्य को भारत लेखांकन मानक 101 के अनुसार मानी गई लागत माना है।

20. विदेशी मुद्रा लेनदेन

20.1 विदेशी मुद्रा में व्यय और आय का हिसाब लेन-देन की तिथि पर प्रचलित बैंकों की विनिमय दरों पर किया जाता है।

20.2 निम्नलिखित शेष राशि खाते बंद होने की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों (आरबीआई संदर्भ दरों) पर भारतीय मुद्रा में अनुवादित की जाती है:

(ए) अर्जित आय या व्यय, जो क्रमशः दिए गए विदेशी मुद्रा ऋण और विदेशी मुद्रा उधार पर देय नहीं है।

(बी) विदेशी मुद्रा में जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट के संबंध में आकस्मिक दायित्व।

20.3 विदेशी मुद्रा ऋण देयता को रिपोर्टिंग की तिथि पर प्रचलित आरबीआई संदर्भ दर पर भारतीय मुद्रा में अनुवादित किया जाता है। लेखांकन मानक 11, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव, के अनुसार विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है।

20.4 विदेशी मुद्रा ऋण परिसंपत्तियों, देनदारियों और अर्जित/उपार्जित लेकिन देय नहीं आय और व्यय पर वास्तविक अनुवाद लाभ/हानि (शुद्ध) लाभ और हानि के विवरण में जमा/चार्ज किया जाता है।

21. व्युत्पन्न लेखांकन

21.1 जहां भी कंपनी ने फॉरवर्ड अनुबंध या किसी उपकरण में प्रवेश किया है, यानी फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंध के रूप में, फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंध की तिथि पर फॉरवर्ड दर और विनिमय दर के बीच के अंतर को जीवन भर आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। इंड एएस-21 के अनुसार अनुबंध।

21.2 विदेशी मुद्रा ऋण पर ली गई हेजिंग को विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋण (यानी प्राकृतिक हेज) के समायोजन के बाद एफआईएफओ आधार पर समायोजित किया जाता है।

21.3 ब्याज दर स्वैप सहित फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंधों को रद्द करने या नवीनीकरण पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

21.4 कंपनी द्वारा दर्ज जेपीवाई येन में ब्याज दर स्वैप लेनदेन के संबंध में, कंपनी बैलेंस शीट तिथि के अनुसार बाजार हानि का चिह्न प्रदान कर रही है।

21.5 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में स्पॉट एक्सचेंज रेट में अंतर के कारण अधिशेष या घाटा और हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार क्रमशः काउंटर पार्टी से वसूले गए या भुगतान किए गए अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व के पुनर्भुगतान को ऐसे ऋण के पुनर्भुगतान लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

21.6 विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और स्वैप अनुबंध (उपरोक्त ऋणों पर होने वाले किसी भी नुकसान से बचाव के लिए) को अलग–अलग लेनदेन के रूप में माना जाता है।

21.7 विदेशी मुद्रा उधार को भारतीय लेखा मानक 21, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार बहाल किया जाता है।

जून 2015 में जारी 'व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए लेखांकन' पर आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट 1 अप्रैल 2016 से लागू है और इसे कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। विनिमय दर में कोई भी बदलाव, राशि पर पिछली रिपोर्टिंग तिथि के बाद से रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार और अवधि के दौरान ड्रॉडाउन उधार की तिथि से, व्युत्पन्न अनुबंधों के उचित मूल्य के खिलाफ रोट किया गया है और किसी भी लाभ या हानि को कैश फ्लो हेज रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। व्युत्पन्न अनुबंध का उचित मूल्य संबंधित काउंटर पार्टियों द्वारा प्रदान किया जाता है।

मार्गदर्शन नोट के अनुसार, नकदी प्रवाह बचाव के तहत, हेजिंग उपकरण को उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेकिन कोई भी लाभ या हानि जो एक प्रभावी बचाव के रूप में निर्धारित की जाती है, उसे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, उदाहरण के लिए, कैश फ्लो हेज रिजर्व। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में अस्थिरता से बचना है जब हेज्ड वस्तुओं पर लाभ या हानि का एहसास नहीं होता है।

22. राजस्व अनुदान के लिए लेखांकन

22.1 अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में 'अन्य आय' के रूप में व्यवस्थित आधार पर संबंधित लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों में मान्यता दी जाती है, जिसकी क्षतिपूर्ति करने का उनका इरादा है, बशर्ते कि इससे जुड़ी शर्तों के अनुपालन का उचित आश्वासन हो। अनुदान की स्वीकृति एवं राशि की वसूली।

22.2 पूर्व अवधि में किए गए व्यय के संबंध में प्राप्त अनुदान को अनुदान के अनुमोदन के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

22.3 वर्ष के अंत में अनुदान की अव्ययित राशि, यदि कोई हो, वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत दर्शाई गई है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है, जिससे कर पूर्व लाभ को गैर–नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी स्थगन या संचय के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग किया गया है।

* वर्ष 2022–23 के लिए आईआईएफसीएल के वार्षिक खातों के आधे वार्षिक में टिप्पणियों पर ऑडिट के दौरान लेखापरीक्षा, उद्योग और कॉर्पोरेट मामलों के प्रधान निदेशक, नई दिल्ली के कार्यालय को दिए गए आश्वासनकथन के अनुसार यह खुलासा वार्षिक रिपोर्ट के हिंदी वर्जन में अपडेट किया गया है।

(ख) वित्तीय विवरणों के लिए अन्य नोट

1. पूर्व अवधि आय और व्यय (इंड एएस–8) जिन्हें लाभ और हानि विवरण में नियमित वीर्शों के अंतर्गत शामिल किया गया है, वे निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
(क) आय		
(i) ऋण और अग्रिम पर आय . .	-	-
(ii) पक्कालक ब्याज	-	-
(iii) अन्य शुल्क	-	-
कुल (क) . .	-	-
(ख) व्यय		
(i) स्थापना एवं अन्य व्यय 2022 .	-	-
(ii) मूल्यह्रास .	-	-
कुल (ख) . .	-	-
चालू वर्ष के लाभ पर लाभ/(हानि) के माध्यम से निवल प्रभाव (क)–(ख).	-	-

2. **लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:**

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

3. **भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' (इंड एएस–19) के तहत प्रकटीकरण**

Ind AS–19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार, भारतीय लेखा मानकों में परिभाषित खुलासे नीचे दिए गए हैं:

ए) ग्रेच्युटी योजना (वित्तपोषित): ग्रेच्युटी दायित्व भविष्य के भुगतानों के कारण उत्पन्न होता है, जो सेवानिवृत्ति, सेवा में मृत्यु या निकासी की स्थिति में किया जाना आवश्यक है। यह आईएफसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी फंड के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से ग्रुप ग्रेच्युटी योजना पर एलआईसी को देय राशि के आधार पर प्रदान किया गया है। एलआईसी समूह ग्रेच्युटी योजना के तहत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देनदारी की राशि का भुगतान आई ए एफ सी एल करता है।

I. **उपदान योजना के लिए अनुमान:**

	2022-23	2021-22
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
अवधि के आधार पर	1 % to 3 % अवधि के आधार पर	1 % to 3 % अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	**7.36 %**	**7.18 %**
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	**5.50 %**	**5.50 %**

II. परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण। (₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव			
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	485.09	
क).	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(26.65)	
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	29.04	

ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	485.09
क	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	8.24
ख	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(10.19)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना बीमांकिक द्वारा नहीं की जाती है।

भुगतान में पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन में वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती है।

आईआरडीए परिपत्र संख्या आईआरडीए/एसीटीएल/आरईजी/सीआईआर/121/06/2013 के अनुसार, दिनांक 28 सितंबर 2013 मौजूदा नीति में कोई नया सदस्य नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए, आई आई एफ सी एल ने पिछली पॉलिसी अर्थात पॉलिसी संख्या 331796 के अलावा नए कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी अर्थात पॉलिसी संख्या 103001183 की सदस्यता ली।

(₹ लाख में)

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	485.09	425.11
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	556.07	495.06
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	70.98	69.95
	योजना आस्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	495.06	480.64
ख)	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	37.95	34.50
ग)	मृत्यु दर	(4.34)	(0.99)
घ)	नियोक्ता योगदान	45.40	-
ङ)	भुगतान किए गए लाभ	(18.00)	(19.09)
च)	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	556.07	495.06
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	425.11	379.69
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	30.52	25.82
घ)	सेवा लागत	55.74	53.56
ङ)	पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	-	-
च)	भुगतान किए गए लाभ	(18.00)	(19.09)
छ)	कुल बीमांकिक (लाभ)/बाध्यता पर हानि	(8.28)	(14.87)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	485.09	425.11
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(69.95)	(100.95)
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	55.74	53.56
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	(5.02)	(6.86)
ङ)	पुनः मापन	(6.35)	(15.69)
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	(45.40)	-

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
छ)	योजना द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(70.98)	(69.95)
	वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(10.17)	(20.45)
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.88	5.58

ख) अर्जित अवकाश दायित्व: किसी कर्मचारी को देय अर्जित अवकाश वह अवधि है जो कर्मचारी ने अर्जित की है, जो वास्तव में कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि से कम है। यह कर्तव्य के ग्यारहवें भाग पर अर्जित किया जाता है।

अवकाश नकदीकरण योजना के लिए मान्यताएं (₹ लाख में)

	2022-23	2021-22
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
आहरण दर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर	1 % to 3 % अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.36 %	7.18 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण। (₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	793.52
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(45.23)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	48.31
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	793.52
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	49.30
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(45.68)

मृत्यु दर और आहरण के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति और जीवन से पहले पेंशन की वृद्धि दर के रूप में संवेदनशीलता प्रत्याशा लाभ परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाख में)

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	793.52	687.92
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1,145.10	460.33
ग)	निवल आस्ति / (देयता) तुलन पत्र में प्रावधान	351.57	(227.59)
	योजना आस्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	460.33	432.08
	Difference in opening fund	162.03	-
ख)	**योजनागत आस्ति पर वास्तविक रिटर्न**	69.46	30.65
ग)	मृत्यु शुल्क	(2.53)	(2.40)
घ)	नियोक्ता का योगदान	463.99	-
ग)	भुगतान किए गए लाभ	(8.18)	-
घ)	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1,145.10	460.33
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	687.92	570.88
ख)	अधिग्रहण समायोजन . .	-	-
ग)	ब्याज लागत	49.39	38.82
घ)	सेवा लागत	103.53	107.39
ङ)	पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है .	-	-
च)	भुगतान किए गए लाभ	(8.18)	-
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(39.14)	(29.17)
झ)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	793.52	687.92
ण)	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	227.60	138.80
ख)	अधिग्रहण समायोजन .	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	103.53	107.39
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	16.34	9.44
ङ)	पुनः मापन	(235.05)	(28.03)
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	(463.99)	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
झ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(351.57)	227.59
	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(17.07)	(33.27)
ग)	अनुभव समायोजन 27.07 (58.58) से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(22.07)	4.10

अन्य कर्मचारी लाभ (वित्तपोषित)

अन्य कर्मचारी लाभों के लिए बीमांकिक धारणाएँ (अवित्तपोषित)

सी) **अवकाश किराया रियायत:** कंपनी के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी जिन्होंने उनके या उनके परिवार द्वारा यात्रा की तारीख पर निरंतर अस्थायी सेवा सहित एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे इस सुविधा के लिए पात्र हैं। रियायत दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार स्वीकार्य होगी। और इस तरह के सेटब्लॉक का पहला सेट उस महीने की पहली तारीख से शुरू होगा जिसमें कर्मचारी कंपनी में शामिल होता है, लेकिन इसका लाभ अस्थायी सेवापरिवीक्षा अवधि सहित उनकी निरंतर सेवा के एक वर्ष पूरा होने के बाद ही उठाया जा सकता है। .

अवकाश किराया रियायत के लिए मान्यताएँ:

	2022-23	2021-22
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
अवधि के आधार पर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर	1 % to 3 % अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.36 %	7.18 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण ।

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	87.33
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(3.66)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	3.70

मृत्यु दर और आहरण के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति और जीवन से पहले पेंशन की वृद्धि दर के रूप में संवेदनशीलता प्रत्याषा लागू नहीं है।

(₹ लाख में)

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क)	कक्ष दायित्व का वर्तमान मूल्य	87.33	78.59
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य . .	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	(87.33)	(78.59)
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	कक्ष अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	78.59	69.18
ख)	ब्याज लागत	5.64	4.70
ग)	सेवा लागत	19.69	18.32
घ)	भुगतान किए गए लाभ .	(162.07)	(58.74)
ङ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	145.48	45.12
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	87.33	78.59
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	78.59	69.18
ख)	सेवा लागत	19.69	18.32
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	5.64	4.70
घ)	पुनः मापन	145.48	45.12
क.)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	-
च)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(162.07)	(58.74)
छ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	87.33	78.59
	दायित्व पर वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/हानि		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि)	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि)	-	(3.19)
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	147.20	48.31

डी) बीमारी की छुट्टी: बीमारी की छुट्टी आधा छुट्टी वेतन है। जहां किसी कर्मचारी ने कम से कम तीन साल की अवधि के लिए कंपनी की सेवा की है, कर्मचारी को अनुरोध पर, कर्मचारी की सेवा की पूरी अवधि के दौरान, अधिकतम वर्षों तक छुट्टी वेतन पर बीमारी की छुट्टी का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे अवकाश वेतन को कर्मचारी के बीमार अवकाश खाते में कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि से दोगुना दर्ज किया जा रहा है।

बीमार अवकाश योजना के लिए मान्यताएँ:

	2022-23	2021-22
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
अवधि के आधार पर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर	1 % to 3 % अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.36 %	7.18 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण । (₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	213.34
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(12.94)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	13.84
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	213.34
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	14.12
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(13.07)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

(₹ लाख में)

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	213.34	177.54
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	(213.34)	(177.54)
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	177.54	158.81
ख)	**अधिग्रहण समायोजन**	-	-
ग)	ब्याज लागत	12.75	10.80
घ)	सेवा लागत	24.89	23.41
ङ)	पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	-	-
च)	भुगतान किए गए लाभ	-	-
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.83)	(15.48)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	213.34	177.54
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	177.54	158.81
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	24.89	23.41
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	12.75	10.80
ङ)	पुनः मापन	(1.83)	(15.48)
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	213.34	177.54
	दायित्व पर वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/हानि		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.89)	(9.12)
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	3.06	(6.36)

ई) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) (सितंबर 2015 से शुरू किया गया)रू इंड एएस–19 के अनुसार, 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) देनदारी का बीमांकिक मूल्यांकन। कंपनी के पास पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना के लिए मान्यताएँ:

	2022-23	2021-22
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
अवधि के आधार पर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर	1 % to 3 % अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.36 %	7.18 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

	क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	921.01
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(12.55)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	13.79

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा के बारे में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

(₹ लाख में)

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	921.02	975.65
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	निवल आस्ति/(देयता) तुलन पत्र में प्रावधान	(921.02)	(975.65)
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	975.65	858.08
ख)	ब्याज लागत	70.05	58.35
ग)	**सेवा लागत**	**55.53**	**79.24**
घ)	भुगतान किए गए लाभ	(12.67)	(2.05)
ङ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(167.55)	(17.96)
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	921.02	975.65
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	975.65	858.08
ख)	सेवा लागत	55.53	79.24
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	70.05	58.35
घ)	पुनः मापन	(167.55)	(17.96)
ङ)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	-
च)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(12.67)	(2.05)
छ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	921.02	975.65

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(21.22)	(10.80)
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(146.33)	(7.17)

घ) प्रत्येक कर्मचारी लाभ के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त राशि निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

कर्मचारी लाभ	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
अर्जित अवकाश पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	39.14	29.17
उपदान पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	8.28	14.87
एलएफसी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(145.48)	(45.12)
पीआरएफसी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	167.55	17.96
एसएल पर बीमांकिक लाभ/(हानि	1.83	15.48
कुल	**71.33**	**32.36**

4. कंपनी का मुख्य व्यवसाय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तपुनर्वित्त प्रदान करना है और कंपनी के पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक–108, ऑपरेटिंग सेगमेंट के संदर्भ में एक से अधिक रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट नहीं है।

5. भारतीय लेखा मानक–24, संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन के खुलासे नीचे दिए गए हैं

ए) प्रबंधकीय पारिश्रमिक और संबंधित पार्टी के खुलासे

(i) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

– श्री पी.आर. जयशंकर – प्रबंध निदेशक (29.05.2020 से)

– श्री पवन के कुमार – उप प्रबंध निदेशक (01.10.2020 से)

निदेशकों के अलावा अन्य

– श्री राजीव मुखीजा – मुख्य महाप्रबंधक–सीएफओ

– श्रीमती मंजरी मिश्रा – उप महाप्रबंधक–कंपनी सचिव

(ii) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कंपनी:

(ए) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड

(बी) आई ए आई एफ सी एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

(सी) आई ए आई एफ सी एल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड।

बी) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लेनदेन (पिछली अवधि 31 मार्च 2022 को समाप्त हुई) संबंधित पक्षों के साथ:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
(क)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक (पूर्णकालिक निदेशक)		
	श्री पी.आर जयशंकर (प्रबंध निदेशक)		
	पारिश्रमिक	53.11	33.77
	श्री पवन के कुमार (उप प्रबंध निदेशक)		
	पारिश्रमिक	49.39	36.29
(ख)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक (निदेशकों के अलावा)		
	(i) श्री राजीव मुखीजा (मुख्य महाप्रबंधक– सीएफओ)		
	पारिश्रमिक	60.63	50.28
	श्रीमती मंजरी मिश्रा (उप महाप्रबंधक–सीएस)		
	पारिश्रमिक	46.05	44.13
(ग)	सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों से प्राप्त/वसूली योग्य किराया		
	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	91.64	80.37
	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	86.99	78.92
(घ)	सहायक कंपनियों से वसूल/वसूली योग्य किराए के अलावा अन्य राशि		
	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	75.05	11.15
	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	11.92	9.77
	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	-	-
(ङ)	वर्ष के दौरान निवेश:		
	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	-	-
(च)	सलाहकार सेवाएं:		
	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	8.34	0.95

आईसीएल-सीएफओ को दिए गए नोट 4 में कंपनी को ऋण के तहत ₹11.08 लाख की ऋण राशि दिखाई गई है, जो संगठन का कर्मचारी है और कंपनी की सेवा में भी कार्य करता है।

ग.) बकाया शेष

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
(क)	**इक्विटी शेयरों में निवेश:**		
	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक:		
	(क) आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	61,180.95	61,180.95
	(ख) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	475.00	475.00
	(ग) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1,250.00	1,250.00
	सहायक/सहयोगी कंपनियों से वसूली योग्य राशि		
	(क) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2.51	45.45
	(ख) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	24.59	49.77
	(ग) आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	0.16	7.50

वर्ष 2022-23 के लिए आईआईएफसीएल के वार्षिक खातों के अंकेक्षित में टिप्पणियों पर ऑडिट के दौरान लेखापरीक्षा, प्रदान और कॉर्पोरेट मामलों के प्रभार निदेशक, नई दिल्ली के कार्यालय को दिए गए आश्वासन/प्रभार के अनुसार यह सूचना वार्षिक रिपोर्ट के डिटेक्ट भाग में प्रदर्शित किया गया है।

डी) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के प्रमुख नियम और शर्तें

ए) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन उन शर्तों के बराबर पर किया जाता है जो हाथ की दूरी के लेन–देन में प्रचलित हैं।

बी) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक कंपनी की मानव संसाधन नीतियों के अनुरूप है।

6. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी इंड एएस–33, प्रति शेयर आय के संदर्भ में, प्रति शेयर आय (मूल और पतला) इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	शेयरों	राशि ₹लाख में	शेयरों	राशि ₹लाख में
शेयर का नामनात्र मूल्य (₹)	10/-		10/-	
इक्विटी शेयर की संख्या (संख्या लाख में)	99,999.16		99,999.16	
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में) (भाजक)	99,999.16		99,999.16	
शुद्ध लाभ (कर के बाद) (अंशांक) (₹लाख में)		1,07,612.88		51,449.77
प्रति शेयर आय (मूल) (₹)				
(निरंतर संचालन के लिए)		1.08		0.51
प्रति शेयर आय (मिश्रित) (₹)				
(निरंतर संचालन के लिए)		1.08		0.51
प्रति शेयर आय (मूल) (₹)				
(बंद किए गए परिचालन के लिए)		-		-
प्रति शेयर आय (मिश्रित) (₹)				
(बंद किए गए परिचालन के लिए)		-		-

7. कंपनी के पास मौजूद अमूर्त संपत्तियों को 'कॉर्पोरेट संपत्ति' के रूप में माना जाता है, न कि 'नकदी पैदा करने वाली इकाइयों' के रूप में, जैसा कि 'संपत्ति की हानि पर इंडस्टीज एएस –36 द्वारा परिभाषित किया गया है। 31 मार्च 2023 तक, ऐसी कोई घटना या परिस्थितियों में बदलाव नहीं हुआ, जो संपत्ति में किसी हानि का संकेत देता हो।

8. (ए) भारतीय लेखा मानक 37 के तहत प्रकटीकरण प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति (इंड एएस–37)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
प्रस्तावित वेतन संशोधन		
प्रारंभिक शेष	**1,315.51**	**966.84**
अवधि के दौरान वृद्धि	640.15	348.67
वर्तमान देनदारियों को भुगतान की गई हस्तांतरित राशि .	-	-
अंतिम शेष	1,955.66	1,315.51
मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	13,751.56	12,604.84
अवधि के दौरान वृद्धि	1,817.02	1,146.72

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
अंतिम शेष	**15,568.58**	**13,751.56**
अवमानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	6,352.64	8,353.21
अवधि के दौरान वृद्धि	880.04	-
प्रावधान वापस लिखें	7,034.20	2,000.57
अंतिम शेष	198.49	6,352.64
पुनर्गठित परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	9,236.15	5,028.08
अवधि के दौरान वृद्धि	1,216.28	4,208.07
प्रावधान वापस लिखें	1,459.29	-
अंतिम शेष	8,993.13	9,236.15
संदिग्ध संपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	1,47,007.81	2,19,613.84
अवधि के दौरान वृद्धि	57,563.07	-
प्रावधान वापस लिखें	63,685.97	72,606.03
अंतिम शेष	71,838.54	1,47,007.81
निवेश में कमी का प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	22,173.36	16,551.64
अवधि के दौरान वृद्धि	-	12,808.34
निवेश की बिक्री के आधार पर प्रावधान समायोजित किया गया	720.21	7,186.62
अंतिम शेष	**21,453.15**	**22,173.36**

(बी) अन्य खुलासे:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
आयकर (शुद्ध)		
प्रारंभिक शेष	(11,500.00)	1,354.35
अवधि के दौरान वृद्धि	11,708.55	-
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	200.00	12,854.35
जमा शेष	408.55	(11,500.00)
किराया दिखावा छोड़ें		
प्रारंभिक शेष	78.59	69.18
अवधि के दौरान वृद्धि	170.81	68.14
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	162.08	58.73
जमा शेष	87.33	78.59
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
प्रारंभिक शेष	975.65	858.08
अवधि के दौरान वृद्धि	-	119.62
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	54.63	2.05
जमा शेष	**921.02**	**975.65**

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
नकदीकरण छोड़े		
प्रारंभिक शेष	227.60	138.80
अवधि के दौरान वृद्धि	8.18	88.80
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	219.42	-
जमा शेष	-	227.60
बीमारी के लिए अवकाश		
प्रारंभिक शेष	177.54	158.81
अवधि के दौरान वृद्धि	35.80	18.73
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	-	-
जमा शेष	**213.34**	**177.54**
डेरिवेटिव पर बाजार घाटे को चिह्नित किया गया		
प्रारंभिक शेष	350.82	876.74
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	350.82	525.92
जमा शेष	-	**350.82**

9. आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है) इस प्रकार हैं:–

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
(क)	**आकस्मिक देनदारियां:**		
	(क) कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:		
	(i) आयकर विभाग द्वारा आकलन वर्ष 2016–17 के लिए आयकर बकाया की मांग। आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2018 द्वारा।	682.33	682.33
	#(ii) आयकर विभाग द्वारा आकलन वर्ष 2016–17 के लिए आयकर बकाया की मांग। आयकर पोर्टल पर दिनांक 30 मार्च 2023।	174.58	-
	(iii) सेवा कर बकाया की मांग – विरोध के तहत ब्याज सहित भुगतान की मांग	71.52	71.52
	(ख) गारंटी	Nil	Nil
	(ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:		
	(i) लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) जारी करने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट (कंपनी ने एलसी की राशि जारी करने के लिए संबंधित प्रायोजकों की ओर से एलसी जारी करने के लिए ऋणदाताओं के संघ में संबंधित अग्रणी बैंकों/सदस्य बैंकों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है। स्वीकृत ऋण सहायता के संवितरण के लिए)	53102.19	30,531.04
	(ii) ऋण वृद्धि योजना के तहत दी गई गारंटी	25,782.50	26,522.00
	प्रतिबद्धताएँ:		
	(क) पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है: पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों का शुद्ध)	839.78	839.78
	(ग) अन्य प्रतिबद्धताएँ:		
	कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों का शुद्ध)	876.13	563.87

वर्ष 2022–23 के लिए आईआईएफसीएल के वार्षिक खातों के अपने नोटिस में टिप्पणियों पर ऑडिट के दौरान लेखापरीक्षा, उद्योग और कॉर्पोरेट मामलों के प्रधान निदेशक, नई दिल्ली के कार्यालय को दिए गए अनुपालन/स्पष्टीकरण के अनुसार यह खुलासा वार्षिक रिपोर्ट के प्रिंट वर्जन में अद्यतन किया गया है।

10. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
(क) विदेशी मुद्रा में कमाई (आईआरएस व्युत्पन्न अनुबंधों के तहत प्राप्त ब्याज को छोड़कर वास्तविक रसीद):		
(i) ब्याज	-	-
(ii) प्राप्त अनुदान	-	-
(iii) प्राप्त लाभांश	-	-
कुल	-	-
(ख) ब्याज और अन्य मामलों के कारण विदेशी मुद्राओं में व्यय (वास्तविक व्यय):		
(i) उधार पर ब्याज	76,606.14	63,370.67
(ii) प्रतिबद्धता शुल्क	50.67	65.70
(iii) विदेश यात्रा	-	-
(iv) अन्य व्यय	-	-
कुल	**76,656.81**	**63,436.37**

11. उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने आईडीएफसी, सिटी बैंक (निवेश की संचयी राशि) के साथ कंपनी द्वारा प्रवर्तित आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट II की वेंचर कैपिटल इकाइयों में शून्य (31 मार्च 2022 तक शून्य) का निवेश किया है। 31 मार्च 2023 को कंपनी द्वारा ₹9,247.56 लाख) है। ₹10,000 लाख की कुल प्रतिबद्धता में से, कंपनी ने उद्यम में निवेशक के रूप में योगदान दिया है और इसका संयुक्त नियंत्रण नहीं है। चूंकि फंड में कोई वितरण योग्य लाभ नहीं है, इसलिए ऐसे निवेशों के संबंध में खातों की किताबों में कोई आय दर्ज नहीं की जाती है। हालांकि, कंपनी को उद्यम के मोचन के संबंध में, समाप्त वर्ष के दौरान ₹328.51 लाख (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹714.87 लाख) की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें कर भुगतान शून्य (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य लाख) पूंजी इकाइयों शामिल है।

12. कंपनी ने समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 8,374.58 लाख की शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति को उलट दिया है

31 मार्च 2023 (आस्थगित कर देनदारी में कोई बदलाव नहीं और आस्थगित कर परिसंपत्ति में कमी)

₹8,374.58 लाख), पिछले वर्ष 31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ, कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹31,319.49 लाख की शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति बनाई (₹36,730.61 लाख की आस्थगित कर देनदारी में कमी और ₹5,411.13 लाख की आस्थगित कर संपत्ति में कमी)।

13. कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, ऐसे आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता हैं जो 31 मार्च 2023 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम के रूप में पंजीकृत हैं। इसलिए कंपनी पर कोई बकाया देनदारी नहीं है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति और इस अधिनियम के तहत निर्धारित की जाने वाली अन्य जानकारी शून्य है।

14. व्युत्पन्न लेनदेन

ए) वर्ष 2007–08 के दौरान, कंपनी ने प्रत्येक ₹5,000 लाख की अनुमानित मूल राशि के दो ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) लेनदेन में प्रवेश किया था (जेपीवाई 2,73,23.62 लाख के अनुमानित मूल्यवान के बराबर) जो 19 तारीख को परिपक्व होगा दिसंबर 2022। इन आईआरएस सौदों के अनुसार, कंपनी 7.46 प्रति वर्ष की दर से ब्याज देगी। अनुमानित जेपीवाई राशि पर (जिसमें कूपन भुगतान एक सौदे में 1 जेपीवाई = ₹0.3658 और दूसरे सौदे में 1 जेपीवाई = ₹0.3662 की दर पर 5 साल के लिए तय रहता है) और 1 काल्पनिक मूल राशियों 8.82 पर प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त होता है।

कंपनी ने उपरोक्त स्वैप लेनदेन पर 31 मार्च 2023 तक शून्य राशि (31 मार्च 2022 तक □ 350.82 लाख) के लिए, काउंटर पार्टी बैंकों द्वारा गणना और अन्य मूल्यांकक द्वारा पुष्टि की गई संपूर्ण मार्क–टू–मार्केट हानि के लिए प्रावधान किया है, जो इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹350.82 लाख का लाभ (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹525.92 लाख का लाभ) शामिल है।

बी) ऊपर नोट 14 (ए) में संदर्भित दो ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) लेनदेन में से 2,000 लाख की अनुमानित मूल राशि, 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान समाप्त हो गई थी। नतीजतन, दो ब्याज दर की कुल अनुमानित मूल राशि उपरोक्त नोट 14(ए) में संदर्भित स्वैप (आईआरएस) लेनदेन को घटाकर शून्य कर दिया गया है।

सी) कंपनी ने बहुपक्षीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा उधार पर फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ–साथ विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से संबंधित जोखिमों से बचाव के लिए समय अनुबंध यानी क्रॉस करेंसी स्वैप (मूलधन और ब्याज) शुरू किया है:

(₹ लाख में)

संस्थान	पारस्परिक मुद्रा स्वैप की राशि	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):		
अमरीकी डालर	12,522.22	13,359.58
भारतीय रुपया	10,29,537.84	10,12,750.90
आईबीआरडी विश्व बैंक:		
अमरीकी डालर	1,357.82	1,451.52
भारतीय रुपया	**1,11,636.08**	**1,10,035.52**

उपरोक्त अनुबंधों पर काउंटर पार्टी बैंकों और अन्य मूल्यांककों द्वारा प्रस्तुत मार्क–टू–मार्केट (एम2एम) मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2023 को शुद्ध एम2एम लाभ हुआ।

₹1,64,636.18 लाख (सकल लाभ ₹1,65,494.59 लाख कम सकल हानि ₹858.41 लाख) और 31 मार्च 2022 को एम2एम लाभ ₹86,713.97 लाख (सकल लाभ ₹90,375.46 लाख कम सकल हानि ₹3,662.29 लाख) है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में लेखांकन उपचार के लिए कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले सही लेखांकन उपचार पर सलाह देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय मांगी। इस तक ईएसी, इस संबंध में, आईसीएआई ने 22 सितंबर 2015 के पत्र के माध्यम से मामले में राय प्रदान की। आईसीएआई ने सितंबर 2015 में व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए लेखांकनार पर मार्गदर्शन नोट भी जारी किया जो 1 अप्रैल 2016 से लागू है और इसे कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। विनिमय दर में कोई भी बदलाव, विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार पिछली रिपोर्टिंग तिथि से और अवधि के दौरान उधार लेने की तिथि से, व्युत्पन्न अनुबंधों के उचित मूल्य के विरुद्ध सेट किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को कैश फ्लो हेज रिजर्व के रूप में मान्यता दी जाती है। व्युत्पन्न अनुबंधों का उचित मूल्य संबंधित काउंटर पार्टियों द्वारा प्रदान किया जाता है

इस संबंध में, एआई आई एफ सी एल ने दिनांक 26 दिसंबर 2016 के पत्र के माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीए आर्किटेक्चर) को सूचित किया कि मार्गदर्शन नोट लागू करते समय बाजार से बाजार/हेज अनुबंधों पर उचित मूल्य से संबंधित आई आई एफ सी एल द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे। डेरिवेटिव्स पर, भारतीय रिजर्व बैंक को एक प्रति के साथ। यह मामला उनके दिनांक 3 मई 2017 के पत्र के अनुसार एआई आर्किटेक्ट्स की अनुसंधान समिति को भेजा गया है।

Ind AS&21 के अनुरूप समापन दर पर पुनर्निर्धारित ऋण के बचाव वाले हिस्से का विवरण इस प्रकार है:

संस्थान	चालचरिक मुद्रा स्वैप की राशि	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):		
अमरीकी डालर	12,522.22	13,359.58
भारतीय रुपया	10,29,537.84	10,12,750.90
आईबीआरडी विश्व बैंक:		
अमरीकी डालर	1,357.82	1,451.52
भारतीय रुपया	**1,11,636.08**	**1,10,035.52**

व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार वित्तीय मुद्रा जोखिम का खुलासा:-

(₹ लाख में)

I. आस्ति विदेशी मुद्रा	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (₹लाख में)	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (₹लाख में)
ऋण (मूलधन एवं ब्याज)		-	-	-	-	-	-
ऋण सीमेंट सम्पत्तियां (जैसे एक्सपी के लिए नए ऋण, इक्विटी/ऋण)		-	-	-	-	-	-
कुल ऋण (ए)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्न अनुबंधों द्वारा हेजेज (बी)		-	-	-	-	-	-
अनहेज ऋण (सी=ए – बी)		-	-	-	-	-	-
II. देयताएं	**विदेशी मुद्रा**	**चालू वर्ष**			**पिछले वर्ष**		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (₹लाख में)	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (₹लाख में)
देय (मूलधन एवं ब्याज)		-	-	-	-	-	-
उधार (इक्विटी और ब्याज)	यूएसडी	82.2169	15,346.63	12,61,752.17	75.8071	15,949.04	12,09,050.65
	यूरो	89.6076	1,843.89	1,65,226.69	84.6599	1,990.52	1,68,517.39
	जेपीवाई	0.618	3,56,295.89	2,20,190.86	0.6223	2,97,738.41	1,85,282.61
कुल देय (डी)	यूएसडी	82.2169	15,346.63	12,61,752.17	75.8071	15,949.04	12,09,050.65
	यूरो	89.6076	1,843.89	1,65,226.69	84.6599	1,990.52	1,68,517.39
	जेपीवाई	0.618	3,56,295.89	2,20,190.86	0.6223	2,97,738.41	1,85,282.61
व्युत्पन्न अनुबंधों द्वारा हेजेज (ई)	यूएसडी	82.2169	13,880.04	11,41,173.92	75.8071	14,811.10	11,22,786.42
	यूरो	89.6076	400.00	35,843.04	84.6599	-	-
	जेपीवाई	0.618	-	-	0.6223	-	-
अनहेज देय (एफ = डी – ई)	यूएसडी	82.2169	1,466.59	1,20,578.24	75.8071	1,137.94	86,264.23
	यूरो	89.6076	1,443.89	1,29,383.65	84.6599	1,990.52	1,68,517.39
	जेपीवाई	0.618	3,56,295.89	2,20,190.86	0.6223	2,97,738.41	1,85,282.61
III. आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ	**विदेशी मुद्रा**	**चालू वर्ष**			**पिछले वर्ष**		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (₹लाख में)	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (₹लाख में)
आकस्मिक देयताएं		-	-	-	-	-	-
प्रतिबद्धताएं		-	-	-	-	-	-
कुल (जी)		-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्न अनुबंधों द्वारा हेजेज (एच)	-	-	-	-	-	-	-
अनहेज देय राशियां (I- G-H)	-	-	-	-	-	-	-
कुल अनहेज एक्सपोजर (I+ गोपनीयता)							-

घ) विदेशी मुद्रा ऋणों की अरक्षित स्थिति इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

संस्थान	पारस्परिक मुद्रा स्वैप की राशि	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):		
अमरीकी डालर	1,445.37	1,115.26
भारतीय रुपया	**1,18,833.93**	**84,544.92**
क्रेडिटनस्टाल्टफुरविडेराउफबाउ (KFW):–		
यूरो	149.61	155.05
भारतीय रुपया	**13,405.82**	**13,126.16**
आईबीआरडी विश्व बैंक:		
यूएसडी	21.22	22.68
आईएनआर	**1,744.31**	**1,719.31**
यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)		
यूरो	1,294.29	1,835.48
भारतीय रुपया	**1,15,977.84**	**1,55,391.23**
जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)		
जेपी	3,56,295.89	2,97,738.41
भारतीय रुपया	**2,20,190.86**	**1,85,282.61**

ङ) लेखांकन नीति 6.6.2 के संदर्भ में, खाते बंद करने की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरें (यानी आरबीआई संदर्भ दरें) इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
1	यूएसडी / आईएनआर	82.2169	75.8071
2	यूरो / आईएनआर	89.6076	84.6599
3	जेपीवाई / आईएनआर	0.618	0.6223

ङ) लेखांकन नीति 6.6.2 के संदर्भ में, खाते बंद करने की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरें (यानी आरबीआई संदर्भ दरें) इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
1	यूएसडी / आईएनआर	82.2169	75.8071
2	यूरो / आईएनआर	89.6076	84.6599
3	जेपीवाई / आईएनआर	0.618	0.6223

15. बांड मोचन रिजर्व का निर्माण

ए) निजी तौर पर रखे गए बांडों के संबंध में चूंकि कंपनी को अधिसूचना संख्या S.143 (ई) (G.S.R.359(E)2006) दिनांक 14 के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(72) के अर्थ में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार के जनवरी 2009, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2013 को जारी परिपत्र संख्या 04/2013 के अनुसार निजी रखे गए बांडों के संबंध में बांड रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है।

बी) सार्वजनिक रूप से रखे गए बांडों के संबंध मेंरू कंपनी ने वित्त वर्ष 2012–13 में ₹1,000 प्रत्येक के अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹3,15,631.89 लाख, वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹6,87,754.25 लाख और दीर्घकालिक अवसंरचना बांड जारी किए। सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल ₹9,096.18 लाख, कुल ₹10,12,482.32 लाख।

कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 18(7)(बी)(एए) के अनुसार, कंपनी आरबीआई (संशोधन) की धारा 45–आईए के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाएगी।) अधिनियम, 1997, वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 के अनुसार डीआरआर की आवश्यकता सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी डिबेंचर के मूल्य का 25% होगी, और निजी तौर पर किसी डीआरआर की आवश्यकता नहीं है। रखे गए डिबेंचर, तदनुसार, कंपनी ने बांड मोचन रिजर्व बनाया है

31 मार्च 2023 तक ₹98,087.76 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹99,995.05 लाख)।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 19–अगस्त–2019 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमों में संशोधन किया है और तदनुसार कंपनी को अब प्रतिदेय गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने पर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है।

स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग समझौते में निहित प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार, यह कहा गया है कि कंपनी ने व्यक्तियों, सहयोगियों और उन कम्पनीकंपनियों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं। इसके अलावा, किसी भी ऋण (लेनदारों) ने कंपनी या उसकी सहायक कंपनी के शेयरों में कोई निवेश नहीं किया है।

16. कंपनी के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2017 से देय है। 1 नवंबर 2017, संचित वेतन संशोधन के लिए 1 नवंबर 2017 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए ₹1,955.66 लाख का अनुमानित प्रावधान किया गया है (₹1,315.51 लाख 31 मार्च 2022 तक)

17. (ए) आरबीआई ने सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय जारी रखने के लिए आईआईएफएल को 9 सितंबर 2013 को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया।

(बी) एनबीएफसी–आईएफसी के लिए आरबीआई द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंड कंपनी पर लागू होते हैं। एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में पंजीकरण पर, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते, कंपनी को सरकार के परामर्श से एनबीएफसी विनियमों के विभिन्न तत्वों के अनुपालन के लिए एक रोडमैप तैयार करना था और इसे भारतीय रिजर्व बैंक (गैर–विभाग) को प्रस्तुत करना था। –बैंकिंग पर्यवेक्षण) जैसा कि आरबीआई द्वारा अधिसूचना संख्या डीएनबीएस द्वारा निर्देशित किया गया है। पीडीएनबीसी नंबर 86/03.02.089/2006–07 दिनांक 12 दिसंबर 2006। आवश्यकता के अनुपालन में, कंपनी ने आरबीआई को दिनांक 21 नवंबर 2014 के पत्र के माध्यम से आरबीआई विनियमन के विभिन्न तत्वों के अनुपालन के लिए रोडमैप प्रस्तुत किया है। 1 जनवरी 2015.

(सी) कंपनी ने 31 मार्च 2023 के दौरान 1 ऋण खातों को पुनर्गठित/पुनर्निर्धारित किया है, जिनमें 31 मार्च 2022 के दौरान ₹24,325.53 लाख बकाया था (31 मार्च 2022 तक 6 ऋण खातों में ₹87,518.17) और इन खातों में सुरक्षा के मूल्य में कोई कमी नहीं है। 31 मार्च 2021 नोट 1(ए)(5.7)(ज) देखें।

18. लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
(i) लेखापरीक्षा शुल्क	9.00	9.00
(ii) कल्याण मामले	1.80	1.80
(iii) प्रमाणन कार्य	0.65	2.50
(iv) लिमिटेड रिव्यू शुल्क	2.70	2.70
कुल	**14.15**	**16.00**

19. विभिन्न निर्धारण वर्ष (वर्षों) के लिए आयकर के लंबित निर्धारण की स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

कर निर्धारण वर्ष	स्थिति
2016-17	धारा 143(3) दिनांक 28.12.2018 के अंतर्गत मूल्यांकन आदेश 28.12.2018 को प्राप्त हुआ। मूल्यांकन आदेश में की गई अस्वीकृति के खिलाफ 25.01.2019 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई और रुपये की 20% कर मांग जमा की गई। विरोध के तहत 137 लाख और रु. 46.71 लाख निर्धारण वर्ष 2011-12 के रिफंड से समायोजित किया गया है। अपील फिलहाल निर्णय के लिए सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित है। धारा 154 के तहत नोटिस जिसमें रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव है। धारा 36(1)(अपपप) के तहत कटौती पर अतिरिक्त दावे पर 519.18 लाख रुपये प्राप्त हुए, जिसके विरुद्ध 20.01.2023 को उत्तर प्रस्तुत किया गया।
2017-18	धारा 154 के तहत नोटिस जिसमें रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव है। धारा 36(1)(अपपप) के तहत कटौती पर अतिरिक्त दावे पर 421.12 लाख प्राप्त हुए, जिसके विरुद्ध 12.12.2022 को उत्तर प्रस्तुत किया गया। आईआईएफसीएल को आयकर विभाग द्वारा दिनांक 17.12.2019 को पारित धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें रुपये के खर्च की मद को अस्वीकार कर दिया गया। 50.67 लाख. आईआईएफसीएल ने देरी की माफी के साथ दिनांक 15.03.2023 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की।

20. अन्य खुलासे:

क. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने 19 ऋण खातों में ₹96,870.95 (37 ऋण खातों में ₹1,75,064.03 लाख) की राशि माफ कर दी थी 31 मार्च 2022) नोट 1(ए)(5.3) देखें।

ख. आई ए एफ सी एल ने वित्त वर्ष 2022-23 में ₹21,453.15 लाख के निवेश में कमी के लिए प्रावधान किया था:

- 2017-18 के दौरान बकाया ऋण मूलधन ₹52,000.00 लाख और उस पर अन्य अतिदेय ब्याज रु. मेसर्स आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (एपीएनआरएल) से 2,545.99 लाख रुपये में एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एकलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी) को बेच दिया गया। 38,884.95 लाख रुपये की अग्रिम वसूली सहित। 108.18 लाख, एपीएनआरएल की इक्विटी शेयर पूंजी रु। 9,710.71 लाख (अर्थात 10 रुपये प्रत्येक के पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयर) और रुपये की सुरक्षा रसीदें। 38,884.95 लाख. ईएआरसी ने एक साथ, एपीएन. आरएल के रुपये के इक्विटी शेयर खरीदे। 10 प्रत्येक कुल मिलाकर 4945.70 लाख रु. 1.2045 प्रति शेयर कुल मिलाकर रु. 596.72 लाख. तदनुसार, आई ए एफ सी एल ने एपीएनआरएल के इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए ईएआरसी द्वारा आई आई एफ सी एल को भुगतान की गई कीमत को उचित मूल्य माना। तदनुसार, 31 मार्च 2018 को एपीएनआरएल में आईएआई एफसी एल द्वारा रखे गए शेष इक्विटी शेयरों का मूल्य रु 1.2045 प्रति शेयर, रुपये के निवेश में 4,191.05 लाख. शुद्ध कमी प्रावधान आईएआई एफसी एल ने नवीनतम उपलब्ध उचित मूल्यांकन के आधार पर इक्विटी शेयर पूंजी का मूल्यांकन किया है।
- मेसर्स टॉपवर्थ टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप। लिमिटेड, रुपये की बकाया ऋण राशि में से। 8,000.00, राशि रु. 8,078.00 लाख को 0.01% कूपन जारी करके वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अतिदेय डिबेंचर जारी किया गया है, जिसमें आने वाली रियायतग्राही यानी बंसल पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड के सालाना 0.01% की दर से कूपन दर है। लिमिटेड का शेष बकाया ऋण 1,922.00 लाख रुपये नई रियायतग्राही बंसल पाथवेज (मनगवां-धाकपाट) प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाएगा। तदनुसार, रुपये की कमी का प्रावधान, बंसल पाथवेज (मनगवां-धाकपाट) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी डिबेंचर द्वारा 5,088.42 लाख रुपये का निवेश बुक किया गया है, जो डिबेंचर प्राप्त होने के 25 साल बाद समकूल्य पर चुकाना होगा।
- 31.03.2021 तक एमईपी नागपुर रिंग रोड 1 प्राइवेट लिमिटेड में आई आई एफ सी एल का कुल मूल बकाया 10,087. 84 लाख रुपये को बंसल पाथवेज नागपुर रिंग रोड 1 प्राइवेट लिमिटेड ने 2811.84 रुपये के सावधि ऋण के रूप में ले लिया है। लाख और 7,276 लाख रुपये के डिबेंचर पर 0.01% की कूपन दर है। तदनुसार, रुपये की कमी का प्रावधान, डिबेंचर पर 5,430.73 लाख रुपये बनाते हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए आईआईएफसीएल के वार्षिक खातों के अंक वार्षिक में रिपोर्टिंग पर ऑडिट के दौरान लेखापरीक्षा, स्टॉक और बोर्डिंग खातों के अलग विवरण, नई दिल्ली के कार्यालय को दिए गए सामान्यकथन के अनुसार यह सुधारात वार्षिक रिपोर्ट के दिए जाने में अंकन किया गया है।

- 31.03.2021 तक एमईपी नागपुर रिंग रोड 2 प्राइवेट लिमिटेड में आई आई एफ सी एल की मूल बकाया राशि 11,184.00 लाख रुपये को बंसल पार्थवेज नागपुर रिंग रोड 2 प्राइवेट लिमिटेड ने 11,184.00 लाख रुपये के डिबेंचर के रूप में ले लिया है। कूपन दर 0.01%, तदनुसार, रुपये की कमी का प्रावधान डिबेंचर पर 8,742.84 लाख रुपये बनते हैं।

31 मार्च 2023 तक निवेश और सुरक्षा रसीद का खुलासा

(₹ लाख में)

विवरण		विगत 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	5 वर्ष से पहले लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	8 साल से पहले जारी किए गए प्रतिभूति रसीदें
(i)	बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य अंतर्निहित	-	22,529.88	-
	धारित प्रावधान हेतु (i)	-	-	-
(ii)	अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य अंतर्निहित के रूप में	-	-	-
	धारित प्रावधान हेतु (ii)	-	-	-
	कुल (i) + (ii)	-	**22,529.88**	-

21. वर्ष के दौरान, कंपनी ने 31 दिसंबर 2022 तक उधारकर्ताओं और बैंकों, पार्टियों आदि द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को शेष राशि की पुष्टि प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए पत्र भेजे हैं। कुछ शेष अवसंरचना ऋण, उधार और अन्य डेबिट और क्रेडिट शेष के अंतर्गत आते हैं 31 मार्च 2023 तक पुष्टि और सुलह के अधीन हैं और प्रबंधन की राय में, इस तरह की पुष्टि और सुलह का कोई भौतिक प्रभाव नहीं है और वित्तीय विवरणों पर कुछ मामलों में ब्याज दरों के लंबित पुनर्निर्धारण के कारण भी अनुमान लगाया गया है। 31 दिसंबर 2022 को बकाया राशि वाले उधारकर्ता ₹31,55,075.52 लाख (पिछले वर्ष ₹30,89,708.73 लाख) (एनपीए खातों को छोड़कर) बकाया राशि का 99.97% (पिछले वर्ष 94.56) का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तविक बकाया राशि वाले बैंकों और अन्य पक्षों ने भी 31 मार्च 2023 तक डेबिट/क्रेडिट की बकाया राशि की पुष्टि दी है, जैसा कि यहां बताया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2021-22	
	शेष पुष्टि राशि (₹ लाख में)	पुष्टिकृत शेष का%	शेष पुष्टि राशि (₹ लाख में)	पुष्टिकृत शेष का%
विदेशी संस्थाओं से उधार	16,47,169.69	100%	15,62,850.67	100%
बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा	8,21,265.84	100%	5,18,811.04	100%
उधार पूंजी इकाइयों में निवेश	601.56	100%	930.07	100%
प्रतिभूति रसीदों में निवेश	22,529.88	100%	32,425.97	100%
सावधि जमा में निवेश	6,36,780.11	100%	7,71,546.12	100%
बांड/सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	529,760.00	100%	529,760.00	100%
म्यूचुअल निधि में निवेश	**28,631.84**	**100%**	**28,453.29**	**100%**

22. 15 मई 2015 को आईसीएआई द्वारा जारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर व्यय के लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट से संबंधित खुलासे:

क) सीएसआर व्यय में शामिल विभिन्न व्ययों का विवरण:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	परियोजना का विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
01	मेसर्स अपेक्षा होमियो सोसैटी (ट्रस्टेस)	महाराष्ट्र के चयनित जिलों में ड्रॉप आउट मुक्त क्षेत्र का निर्माण	-	6.00
02	मेसर्स सोलर एनर्जी कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया (eeeeeeeee)	भारत के पिछड़े जिलों में सौर लालटेन का वितरण	-	9.81
03	मैसर्स अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन	राजस्थान के जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में तीन (03) समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीचासी) का उन्नयन	19.70	
04	योसीसारे में स्थानान्तरित		390.45	269.85
05	प्रशासनिक व्यय और दिखावा		-	0.12
	कुल योग		**410.15**	**285.78**

बी) सीएसआर व्यय के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि– 410.15 लाख (31 मार्च 2022 तक 285.78 लाख)।

द्वितीय. समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	फिर भी नकद भुगतान किया जाना है	कुल	नकद में	फिर भी नकद भुगतान किया जाना है	कुल
(i) किसी आस्ति का निर्माण / अधिग्रहण	19.70	-	19.70	-	-	-
(ii) उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्य पर (i) #	-	-	-	15.93	-	15.93
कुल	**19.70**	**-**	**19.70**	**15.93**	**-**	**15.93**

वित्त वर्ष 2022–23 में ₹390.45 लाख (वित्त वर्ष 2021–22 में ₹269.85 लाख) की राशि यूसीएसआरए को हस्तांतरित कर दी गई है।

iii. वर्ष के अंत में कमी – शून्य (राशि यूसीएसआरए को हस्तांतरित कर दी गई है)

iv. पिछले वर्ष की कुल कमी – शून्य

v. कमी का कारण: उपलब्ध नहीं

vi. संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण जैसे। प्रासंगिक लेखांकन मानकों के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान: शून्य

vii. जहां एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके देय दायित्व के संबंध में प्रावधान किया गया है, वर्ष के दौरान प्रावधान में बदलाव अलग से दिखाया जाएगा: शून्य

23. गैर–बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार या धारण नहीं करने वाली) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2007 के पैराग्राफ 13 के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त जानकारी का विवरण

[₹ लाख में]

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि
देयता पक्ष:				
गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, उस पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया:				
(क) डिबेंचर : प्रतिभूत	13,44,690.95	-	14,88,997.24	
अप्रतिभूत	4,90,000.00	-	5,10,000.00	
(सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने के अलावा)				
(ख) आस्थगित ऋण				
(ग) सावधि ऋण	16,47,169.69	-	15,62,850.67	
(घ) अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और उधार				-
(ङ) वाणिज्यिक पत्र				-
(च) अन्य ऋण (अल्पकालिक बैंक ऋण)	8,23,265.84	-	5,18,811.04	-

[₹ लाख में]

आस्ति पक्ष	बकाया राशि	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
(2) प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का विवरण [नीचे (4) में शामिल के अलावा]		
(क) प्रतिभूत	23,70,470.33	22,98,813.02
(ख) अप्रतिभूत	18,58,130.22	16,37,821.06
(3) पट्टे पर दी गई आस्ति और किराए पर स्टॉक और एएफसी गति. विधियों की गणना करने वाली अन्य आस्तियों की गणना		
(i) विविध देनदारों के तहत पट्टा किराया सहित पट्टा आस्ति		
(क) वित्तीय पट्टा	-	-
(ख) प्रचालन पट्टा	-	-
(ii) विविध देनदारों के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉक		
(क) किराए पर आस्ति	-	-
(ख) जब्त की गई आस्ति	-	-
(iii) एएफसी गतिविधियों के लिए दिये जाने वाले अन्य ऋण		
(क) ऋण जहां आस्ति को पुनः कब्जे में कर लिया गया है	-	-
(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य ऋण	-	-
(4) निवेश की गणना		
वर्तमान निवेश:		
1. उद्धृत:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी		
(ख) अधिमानी	-	-

(₹ लाख में)

आस्ति पक्ष	बकाया राशि	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयां	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-
2. गैर–उद्धृत		
(i) शेयर (क) इक्विटी		
(ख) अधिमानी	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयां	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-
दीर्घकालिक निवेश:		
1. उद्धृत:		
(i) शेयर (क) इक्विटी		
(ख) अधिमानी	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-
2. गैर–उद्धृत		
(i) शेयर (क) इक्विटी	68,081.97	68,081.97
(ख) अधिमानी		
(ii) डिबेंचर और बांड	24,538.00	24,538.00
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयां	28,631.84	28,453.29
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	529,760.00	529,760.00
(v) अन्य (इक्विटी शेयर पूंजी पर ऑप्शन) (उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश)	601.56	930.07
(vi) सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश	22,529.89	32,425.97
कुल	**49,02,743.79**	**46,20,823.38**

(5) उपरोक्त (2) और (3) के अनुसार वित्तपोषित आस्तियों का समूह–वार उधारकर्ता वर्गीकरण :

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2023 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) एक ही समूह में कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	-	-	-
कुल	**21,57,547.17**	**18,30,417.23**	**39,87,964.40**

(₹ लाख में)

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2022 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1.संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां . . .	-	-	-
(ख) एक ही समूह में कंपनियां .	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	19,98,609.83	16,16,039.21	36,14,649.04
कुल	**19,98,609.83**	**16,16,039.21**	**36,14,649.04**
(6) शेयरों और प्रतिभूतियों (ऊबूत और गैर–ऊबूत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का समूह–वार निवेशक वर्गीकरण			

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2023 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1.संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां . . .	-	62,905.95	62,905.95
(ख) एक ही समूह में कंपनियां .	-	28,631.84	28,631.84
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	-	984.97	984.97

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2022 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1.संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां . . .	-	62,905.95	62,905.95
(ख) एक ही समूह में कंपनियां .	-	28,453.29	28,453.29
(ग) अन्य संबंधित पक्ष . . .	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	-	984.97	984.97

(7) अन्य जानकारी		
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(i) सकल अनर्जक आस्तियां		
(क) सहायक कंपनियां . . .	-	-
(ख) संबंधित पक्षों के अलावा	2,01,350.15	3,63,177.58
(ii) निवल अनर्जक आस्तियां		
(क) सहायक कंपनियां . . .	-	-
(ख) संबंधित पक्षों के अलावा	59,440.72	1,35,288.05
(iii) कर्ज चुकाए में अर्जित आस्ति	शून्य	शून्य

24. भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 002/03.10.001/ 2014–15 दिनांक 10 नवंबर 2014 के अनुसार प्रकटीकरण

24.1 पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
टियर I पूंजी	12,55,761.00	11,39,675.93
टियर II पूंजी	594.51	51,283.73
कुल पूंजी	13,15,212.00	11,90,959.65
कुल जोखिम भारित आस्तियां	47,56,089.00	41,02,698.13
पूंजी अनुपात		
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर I पूंजी	26.40	27.78
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर (%)	1.25	1.25
कुल पूंजी (%)	27.65	29.03
तरलता व्याप्ति अनुपात (एलसीआर)	134.12%	1295.67%
टियर–II पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की राशि	-	-
विस्थापी ऋण लिखत जारी करने से जुटाई गई राशि	-	-

24.2 निवेश

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1	निवेश का मूल्य		
(i)	निवेश का सकल मूल्य	6,74,143.26	6,84,189.30
(क)	भारत में	6,12,962.32	6,23,008.36
(ख)	भारत के बाहर	61,180.95	61,180.95
(ii)	मूल्यह्रास के प्रावधान		
(क)	भारत में	21,453.15	22,173.36
(ख)	भारत के बाहर	-	-
(iii)	निवेश का निवल मूल्य	6,52,690.11	6,62,015.94
(क)	भारत में	5,91,509.17	6,00,834.99
(ख)	भारत के बाहर	61,180.95	61,180.95
2	निवेश के मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों में उतार–चढ़ाव		
(i)	प्रारंभिक शेष	22,173.36	16,551.64
	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	12,808.34
	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में	720.21	7,186.62
	अंतिम शेष	21,453.15	22,173.36

24.3 व्युत्पन्नियां

24.3.1 बायदा दर कर/ब्याज दर स्वैप

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1	कल्पित मूलधन का स्वैप करार	-	8000.00
2	हानियाँ जो उपगत होंगी यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे	-	-
3	एनबीएफसी द्वारा प्रवेश करने पर आवश्यक संपार्श्विक अदला-बदली	-	-
4	स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण	-	-
5	स्वैप बही का उचित मूल्य	-	350.82

24.3.2 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर:

गुणात्मक प्रकटीकरण

एनबीएफसी को डेरिवेटिव से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों का विशेष संदर्भ में वर्णन करना आवश्यक है कि किस हद तक डेरिवेटिव का उपयोग किया जाता है, संबंधित जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। 10 नवंबर, 2014 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, इसका खुलासा निम्नानुसार किया जा रहा है:

क) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा उधार के मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है। कंपनी ने हेजिंग नीति लागू की है जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित संसाधन और ट्रेजरी नीति का एक हिस्सा है। कंपनी के व्युत्पन्न लेनदेन इस नीति द्वारा शासित होते हैं जो उन उपकरणों की रूपरेखा तैयार करते हैं जिनका उपयोग अंतर्निहित देनदारियों के अनुसार हेजिंग के लिए किया जाएगा।

ख) विदेशी मुद्रा उधार पर उत्पन्न होने वाली ब्याज दर और मुद्रा जोखिमों (बाजार जोखिम) को कम करने और हेजिंग करने के उद्देश्य से आईएआई एकली एल डेरिवेटिव लेनदेन करता है।

ग) आईआईएफसीआई एल विदेशी मुद्रा उधार के विनिमय और ब्याज दर जोखिम से बचाव के उद्देश्य से डेरिवेटिव लेनदेन करता है, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। व्युत्पन्न लेनदेन की शर्तें निरंतर प्रभावशीलता के लिए संबंधित अंतर्निहित (देनदारियों) से मेल खाती हैं। उक्त प्रभावशीलता का पता मिलान शब्द अवधारणा के माध्यम से हेज की शुरुआत के समय लगाया जाता है।

घ) आईआईएफसीएल मासिक आधार पर वरिष्ठ प्रबंधन को और नौ मासिक आधार पर निदेशक मंडल को डेरिवेटिव लेनदेन और उनके एमटीएम की स्थिति की रिपोर्ट करता है। इसके अलावा एमटीएम की नौ मासिक आधार पर आईआईएफसीएल के आर एंड टी सलाहकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से निगरानी की जा रही है।

ङ) आईआईएफसीएल पुस्तकों पर एक्सपोजर ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव शून्य हैं।

च) आईआईएफसीएल अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने के लिए क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप करता है। मात्रात्मक प्रकटीकरण में दिखाए गए आंकड़ों को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि सौदे मूलधन और ब्याज नकदी प्रवाह के लिए समेकित आधार पर बुक किए जाते हैं।

छ) हेज और गैर-हेज लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की पहचान; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकनय लेखांकन नीति 1(क)(5.2) में प्रावधानीकरण, संपार्श्विक और क्रेडिट जोखिम शमन का खुलासा किया गया है

ज) निदेशक मंडल की प्रबंधन और निवेश समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित संसाधन और ट्रेजरी नीति के अनुसार, आईआईएफसीएल अपनी स्थिति को कुल एक्सपोजर के 65–70% के बीच बनाए रखेगा। इसके अलावा, फॉरवर्ड प्रीमियम की बचत के साथ ओपन पोजीशन के शुद्ध विनिमय में उतार–चढ़ाव का अंतर किसी भी समय कंपनी के निवल मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, यदि पोर्टफोलियो के आधार पर वित्तीय वर्ष के भीतर रुपया 5% या उससे अधिक गिरता है, तो आई ए एफ सी एल अपनी स्थिति को लगभग 75% हेज करके रखेगा।

जोखिम प्रबंधन संरचना

क) आईआईएफसीएल निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचे के अनुसार जोखिम का प्रबंधन करता है। इसके अलावा, आई आई एफ सी एल की संसाधन और ट्रेजरी नीति को बोर्ड की प्रबंधन और निवेश समिति द्वारा सालाना मंजूरी दी जाती है। ये रूपरेखा नीति, मार्गदर्शक पैरामीटर प्रदान करती है जिसके आधार पर आईआईएफएल विदेशी मुद्रा ऋण के कारण सामने आने वाले मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए निर्णय लेता है।

ख) आईआईएफसीएल ने व्यवसाय संचालन में जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड स्तरीय परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ समिति) का भी गठन किया है। अलको तरलता और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी करता है जिसमें परिसंपत्ति प्राप्तियों और ऋण सेवा दायित्वों की अल्पकालिक और दीर्घकालिक तरलता प्रोफाइल का आवधिक विश्लेषण शामिल है। व्युत्पन्न लेनदेन में देनदारियों से बचाव के लिए क्रॉस करेंसी स्वैप और मुद्रा स्वैप शामिल हैं। ये व्युत्पन्न लेनदेन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा उद्देश्य के लिए।

शामिल जोखिमों का प्रकार

क्रेडिट जोखिम – क्रेडिट जोखिम में उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न होने वाले नुकसान के जोखिम के साथ–साथ यह जोखिम भी शामिल होता है कि उधारकर्ता ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान में चूक कर सकता है। आईआईएफसीएल के पास बुनियादी ढांचे के ऋण में क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचा है।

बाजार जोखिम – बाजार जोखिम किसी उपकरण या उपकरणों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य (कीमत) में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान का जोखिम है। बाजार जोखिम में मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल होते हैं। रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर में किसी भी परिवर्तन/उतार–चढ़ाव के कारण मुद्रा जोखिम उत्पन्न होता है। ब्याज दर जोखिम जोखिम मुख्य रूप से समय की अवधि में ब्याज दरों में बदलाव से होता है। आईआईएफसीएल को अपनी व्यावसायिक गतिविधि के एक हिस्से के रूप में बाजार जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

iii. **तरलता जोखिम –** तरलता जोखिम संस्थान की फंडिंग आवश्यकताओं को पूरा करने या उचित मूल्य पर उधार ली गई धनराशि का उपयोग करके लेनदेन निष्पादित करने में विफलता के कारण हानि का जोखिम है। बाजार में तरलता जोखिम या फंडिंग में तरलता जोखिम हो सकता है। आई ए एफ सी एल पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखकर और पर्याप्त मात्रा में संयुक्त क्रेडिट लाइनों के माध्यम से फंडिंग तक पहुंच करके तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है।

iv. **परिचालन जोखिम** परिचालन जोखिम अपर्याप्त प्रणाली और नियंत्रण, सूचना प्रणाली में कमियों, मानवीय त्रुटि या प्रबंधन विफलता के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान का जोखिम है। आई आई एफ सी एल की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति परिचालन जोखिमों का प्रबंधन करना चाहती है।

24.4 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों का विवरण:

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 को		समाप्त वर्ष 31 मार्च 2022 को	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूलधन राशि)	10,11,296.09	10,11,296.09	10,37,924.27	10,37,924.27
	हेजिंग के लिए	10,11,296.09	10,11,296.09	10,37,924.27	10,37,924.27
(ii)	बाजार से बाजार स्थितियां (†)	1,64,636.18	1,64,636.18	84,931.08	84,931.08
	क. आस्ति (+)	1,65,494.59	1,65,494.59	91,394.17	91,394.17
	ख. देयताएं (–)	(858.41)	(858.41)	(6,463.09)	(6,463.09)
(iii)	ऋण एक्सपोजर	-	-	-	-
(iv)	गैर–हेजिंग एक्सपोजर	4,70,152.76	4,70,152.76	4,40,064.23	4,40,064.23

24.4 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(i)	खातों की संख्या	-	-
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल	-	-
(iii)	समस्त प्रतिफल	-	-
(iv)	पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल (लाभ)/हानि	-	-

24.5 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(i)	बेचे गए खातों की संख्या	-	-
(ii)	कुल बकाया	-	-
(iii)	कुल प्राप्त प्रतिफल	-	-

24.6 आस्ति देयता प्रबंधन:

31 मार्च 2023 को आस्ति और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान:

(₹ लाख में)

विवरण	1 महीने तक	1 महीने से 2 महीने तक	2 महीने से 3 महीने तक	3 महीने से 6 महीने तक	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से 5 वर्ष तक	पूरे 5 वर्ष तक	कुल
देयताएं									
बैंक से उधार	8,23,265.84	-	-	-	-	-	-	-	8,23,265.84
बाजार से उधार	-	-	-	1,500.00	3,43,854.45	3,00,791.16	95,251.71	11,92,793.69	18,34,690.95
आस्तियां									
निवेश पोर्टफोलियो के लाभ सहित	27,353.70	33,900.00	91,631.76	1,26,607.52	6,26,718.50	11,01,938.36	10,52,299.26	23,87,434.57	54,29,903.66
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	8,29,760.00	8,29,760.00
निवेशी कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेशी कुल पोर्टफोलियो	9,594.72	4,788.13	36,388.03	9,880.44	31,080.23	2,13,183.77	2,39,732.30	11,02,192.04	16,97,169.64

31 मार्च 2022 को आस्ति और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान:

(₹ लाख में)

विवरण	1 महीने तक	1 महीने से 2 महीने तक	2 महीने से 3 महीने तक	3 महीने से 6 महीने तक	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से 5 वर्ष तक	पूरे 5 वर्ष तक	कुल
देयताएं									
बैंक से उधार	3,33,022.38	215001.00	88,788.66	-	-	-	-	-	5,18,811.04
बाजार से उधार	-	-	-	-	1,66,306.29	3,45,204.45	791.10	1,208,545.4	19,39,997.25
आस्तियां									
निवेश पोर्टफोलियो के लाभ सहित	1,94,943.75	44,241.82	1,53,336.00	1,12,026.36	3,32,035.52	13,50,338.29	12,06,946.51	19,93,922.53	52,25,401.13
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	8,29,760.00	8,29,760.00
निवेशी कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेशी कुल पोर्टफोलियो	21,397.00		29,610.39	8,232.36	41,609.24	1,88,916.36	3,02,649.19	10,88,186.24	15,82,850.67

24.7 एक्सपोजर / जोखिम

24.7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

31 मार्च 2023 (पिछले वर्ष शून्य) तक कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जोखिम नहीं है।

24.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर:

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 तक	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2022 तक
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–उन्मुख म्युचुअल निधि की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है;	-	-
(ii)	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–उन्मुख म्युचुअल निधि की इकाइयों में निवेश के लिए स्पष्ट आधार पर अग्रिम;	-	-

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 तक	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2022 तक
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है;	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति	-	-
(v)	द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, जहां प्राथमिक सुरक्षा शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों के अलावा अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करता है;	-	-
(vi)	स्टॉक ब्रोकर्स को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vii)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों /बांडों / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या स्वयं आधार पर कॉर्पोरेट को स्वीकृत ऋण;	-	-
(viii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को दिए गए ऋणों को कम करना; उद्यम पूंजी निधियों में सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत	601.56	930.07

24.8 अतिरिक्त प्रकटीकरण:प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ लाख में)

क्र.सं.	लाभ और हानि के विवरण में परिलक्षित प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
(i)	एनपीए के लिए प्रावधान	1,41,909.42	2,27,889.54
(ii)	आयकर का प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	20,119.83	7,587.21
(iii)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (पुनर्गठित खातों और एसडीआर खातों सहित)	97,201.91	92,693.40

24.9 अग्रिमों का संकेंद्रण, एक्सपोजर और एनपीए:

(i) अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	26,73,383.17	24,36,226.13
एनबीएफसी के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	63.24%	61.91%
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (पुनर्गठित खातों एवं एसडीआर खातों सहित)	97,201.91	92,693.40

(ii) एक्सपोजर का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल एक्सपोजर	26,73,383.17	24,36,226.13
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	63.24%	61.91%

(iii) एनपीए का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	1,08,879.48	1,41,051.09

(iv) क्षेत्रवार–एनपीए

(₹ लाख में)

क. सं.	विवरण	% एनपीए का सेक्टर उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में	
		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	-	-
2	एमएसएमई	-	-
3	कॉर्पोरेट उधारकर्ता	4.76 %	9.22%
4	सेवाएं	-	-
5	अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण	-	-
6	ऑटो ऋण	-	-
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

(v) एनपीए में उतार–चढ़ाव:

(₹ लाख में)

क. सं.	विवरण		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(i)	निवल एनपीए से निवल अग्रिम		1.41%	3.44%
(ii)	एनपीए में उतार–चढ़ाव (सकल)		1.45%	3.65%
(iii)	एनपीए (सकल) की गतिशीलता			
	(क)	प्रारंभिक शेष	3,63,177.58	5,10,043.88
	(ख)	वर्ष के दौरान जोड़/प्रत्यावर्तन	1,984.87	63,526.39
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौती/बट्टे खाते में डालना	1,63,812.31	2,10,392.69
	(घ)	अंतिम शेष	2,01,350.15	3,63,177.58

क. सं.	विवरण		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(iii)	निवल एनपीए में उतार–चढ़ाव			
	क)	प्रारंभिक शेष	1,35,288.05	1,97,718.20
	(ख)	वर्ष के दौरान जोड़/प्रत्यावर्तन	1,104.83	37,757.57
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौती/बट्टे खाते में डालना	76,952.16	1,00,187.73
	(घ)	अंतिम शेष	59,440.72	1,35,288.05
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार–चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)			
	क)	प्रारंभिक शेष	2,27,889.54	3,12,325.68
	(ख)	वर्ष के दौरान जोड़/प्रत्यावर्तन	880.04	25,768.82
	(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/प्रतिलेखन करना	86,860.16	1,10,204.96
	(घ)	अंतिम शेष	1,41,909.42	2,27,889.54

24.10 ग्राहकों की शिकायतें

(₹ लाख में)

क. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	531	821
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	531	821
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

24.11 अतिरिक्त प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

क. सं.	प्रकटीकरण	टिप्पणी
(i)	अन्य वित्तीय नियामक से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकरण	कॉर्पोरेट पहचान संख्या U67190DL-2006GOI144520 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्राप्त की गई
(ii)	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का स्थानांतरण	कंपनी द्वारा जारी घरेलू बांडों के लिए विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा एएए निर्धारक सौंपा गया है। चालू वर्ष 2021–22 के दौरान रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
(iii)	किसी नियामक द्वारा लगाया गया जुर्माना, यदि कोई हो	शून्य
(iv)	सूचना जैसे, क्षेत्र, देश और संयुक्त उद्यम भागीदार	
	(क) संयुक्त उद्यम	कोई नहीं
	(ख) विदेशी सहायक कंपनी	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी लंदन, यूनाइटेड किंगडम से संचालित होती है और भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है।

4.12 पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार		वित्तीय वर्ष के शुरू	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठन हुए	अल्प (तिमाही में)					कुल (तिमाही में)				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	मानक	उप मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	उप मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण													
1	31.04.2022 को पुनर्गठित खाते	उपारकर्ताओं की संख्या			33	1	16		37	33	1	16		37
		बकाया राशि			1,32,082.30	13,991.37	90,338.11		2,36,011.98	1,32,082.30	13,991.37	90,338.11		2,36,011.98
		उस पर प्रावधान			9,236.36	2,718.31	67,907.00		79,861.47	9,236.36	2,718.31	67,907.00		79,861.47
2	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नए पुनर्गठन	उपारकर्ताओं की संख्या			1				1	1.00				1
		बकाया राशि			24,325.53				24,325.53	24,325.53				24,325.53
		उस पर प्रावधान			1,216.28				1,216.28	1,216.28				1,216.28
3	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	उपारकर्ताओं की संख्या												
		बकाया राशि												
		उस पर प्रावधान												
4	पुनर्गठित मानक आस्ति को वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और/ या अतिरिक्त आस्ति मान की आवश्यकता होने तक देय है और इसलिए चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पुस्तकों में पुनर्गठित मानक आस्तियों के रूप में नहीं दिखाए जाने की आवश्यकता है	उपारकर्ताओं की संख्या												
		बकाया राशि												
		उस पर प्रावधान												
5	कालावधि विस्तार वर्ष 2022-23 के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	उपारकर्ताओं की संख्या												
		बकाया राशि												
		उस पर प्रावधान												
6	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पुनर्गठित खातों का बट्टे खाते में आलेख/ पूर्ण पुनर्भुगतान	उपारकर्ताओं की संख्या				1	10		11		1	10		11
		बकाया राशि			39,761.95	13391.37	30,788.17		69,141.69	1,293.93	13,391.37	30,788.17		43,773.69
		उस पर प्रावधान			1,458.30	2718.31	46,399.23		50,576.84	221.47	2,718.31	46,399.23		49,339.01
7	31.03.2023 को पुनर्गठित खाते (आस्ति आधार)	उपारकर्ताओं की संख्या	11	0	6		17	11	0	6		17		
		बकाया राशि			1,31,645.88	-	59,549.94		1,91,195.82	1,31,645.88	-	59,549.94		1,91,195.82
		उस पर प्रावधान			8,963.13	-	21,537.77		30,500.90	8,963.13	-	21,537.77		30,500.90

24.13 विदेशी आस्ति (विदेश में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के लिए)

(₹ लाख में)

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम में अन्य भागीदार	देश	कुल आस्ति (+ में राशि)
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	कोई नहीं	यूनाइटेड किंगडम	शून्य, आईआईएफसीएल के पास आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड की कोई विदेशी आस्ति नहीं है।

25. एनबीएफसी पर भारतीय रिजर्व बैंक के स्केल आधारित विनियमन के अनुसार प्रकटीकरण:

क) **रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर:** आईआईएफसीएल के रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर का खुलासा नोट 1 (ख) 24.7.1 में किया गया है।

ख) **पूंजी बाजार में एक्सपोजर:** आईआईएफसीएल के पूंजी बाजार में एक्सपोजर का खुलासा नोट 1(ख) 24.7.2 में किया गया है।

ग) क्षेत्रीय प्रदर्शन:

(₹ लाख में)

सेक्टर्स	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
	कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल हैं)	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल हैं)	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत
कॉर्पोरेट क्षेत्र	42,82,009.49	2,01,350.15	4.70%	39,67,716.71	3,63,177.58	9.15%

स्पष्टता के लिए सकल ऋण पर आधारित है

घ) **इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर:** आईआईएफसीएल के इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर का खुलासा नोट 1 (बी) 5 (सी) में किया गया है।

ङ) **अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर:** आईआईएफसीएल के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का खुलासा नोट 1(बी)14(सी) में किया गया है।

च) **संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:** आईआईएफसीएल के संबंधित पक्ष प्रकटीकरण का खुलासा नोट 1(बी) 5(बी) में किया गया है।

छ) **शिकायतों का खुलासा:** आईआईएफसीएल की शिकायतों का खुलासा नोट 1(बी) 24.7.10 में किया गया है। इसके अलावा, शिकायतों के आधारों की संख्या को अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ज) **अनुबंध का उल्लंघन:** शून्य

i) **परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन:** शून्य

26. पूंजी प्रबंधन:

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति, इंड एएस 1 के पैरा 134–136 की आवश्यकता के अनुसार पूंजी प्रबंधन के संबंध में प्रकटीकरण के संदर्भ में, यह उल्लेख किया गया है कि आईआईएफसी एल एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी–आईएफसी) है (), आरबीआई विनियमों के अनुसार, आईआईएफसीएल को पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसे स्वामित्व वाली निधि कहा जाता है।

आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016, स्वामित्व वाले फंड का अर्थ है भुगतान की गई इक्विटी पूंजी, वरीयता शेयर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी, मुक्त भंडार में परिवर्तनीय है, शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि और परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले पूंजीगत भंडार, परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाए गए भंडार को छोड़कर, संचित हानि शेष, अमूर्त संपत्ति के बुक मूल्य और स्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, से घटाया जाता है।

भारत सरकार ने समय-समय पर आई आई एफ सी एल में पूंजी डाली है। इसने आईएआई एफसी एल को आरबीआई द्वारा निर्धारित पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा, आईएआई एफसी एल भारत सरकार के निर्देशों के अधीन पूंजी यानी शुद्ध स्वामित्व वाली निधि पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लाभांश के वितरण पर विचार करता है। रिपोर्टिंग वर्षों के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

27. वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 5/1/2016-नीति दिनांक 27 मई 2016 के माध्यम से सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देश लाभांश के भुगतान, बोनस शेयर जारी करने, शेयरों की वापसी और पीएसयू द्वारा शेयरों के बंटवारे के लिए प्रदान करते हैं। बोनस शेयर जारी करने और शेयरों के बंटवारे के दिशानिर्देश आईआईएफसीएल पर लागू नहीं होते हैं।

लाभांश के भुगतान के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईआईएफसीएल को न्यूनतम वार्षिक लाभांश पीएटी का 30% या निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन भुगतान करना आवश्यक था। हालाँकि, आई आई एफ सी एल ने दिनांक 21 सितंबर 2016 के पत्र के माध्यम से सरकार से कम से कम 3 वर्षों के लिए लाभांश के भुगतान से छूट का अनुरोध किया था, जो वित्त वर्ष 2015-16 में ₹38,323.41 लाख, वित्त वर्ष 2016-17 में ₹37,119.74 लाख,₹31,995.93 है। वित्त वर्ष 2017-18 में लाख और वित्त वर्ष 2018-19 में ₹23,442.79 लाख और वित्त वर्ष 2019-20 में ₹51,528.90। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने दिनांक 19 सितंबर 2019 के पत्र के माध्यम से सरकार से कम से कम लाभांश के भुगतान से छूट का अनुरोध किया था

वित्त वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लाभांश का भुगतान ₹53,272.35 लाख है। आई आई एफ सी एल के पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है। इसके अलावा, आर बी आई परिपत्र RBI/2021-22/59, DOR-ACC-REC-No-23/21-02-067/2021-22 के अनुसार एक न्यूनतम आवश्यकता प्रदान करता है कि एक एनबीएफसी को लाभांश घोषित करना होगा यदि उसका एनएनपीए 6 से कम है। पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में , जिसमें उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति भी शामिल है जिसके लिए लाभांश घोषित किया जाना प्रस्तावित है, शेयरों की वाय बैक के इन दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई जिसकी कुल संपत्ति कम से कम रु. 2000 करोड़ और नकद और बैंक बैलेंस रु. 1000 करोड़ शेयर वापस खरीदने के विकल्प का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने दिनांक 18 सितंबर 2019 के पत्र के माध्यम से सरकार से लाभांश के भुगतान से छूट और कम से कम वित्त वर्ष 2021-22 तक शेयरों की वापस खरीद का अनुरोध किया था। आई आई एफ सी एल के पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है।

28. **वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षकों ने निम्नानुसार संकेत दिया है:**

एक सहायक कंपनी, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड में निवेश का मूल्य कंपनी द्वारा वहन लागत यानी रु. पर लगाया गया है। 611.80 लाख, जैसा कि सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों से पता चलता है, यूके में सहायक कंपनी का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जैसा कि हमें बताया गया है, सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के तहत तैयार किए गए हैं और अपेक्षित क्रेडिट लॉस मॉडल के तहत बड़े प्रावधान बनाए गए हैं। प्रबंधन की राय में, यूके में सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण चालू चिंता के आधार पर तैयार किए जाते हैं और जैसा कि हमें बताया गया है, यूके में सहायक कंपनी में निवेश के उचित मूल्य का आकलन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, सहायक कंपनी यानी आईआईएफसी यूके में निवेश के उचित मूल्यांकन के अभाव में, हम लाभ और हानि खाते, रिजर्व और के विवरण पर हानि के प्रभाव, यदि कोई हो, निवेश (राशि अज्ञात) पर कोई टिप्पणी देने में असमर्थ हैं।

प्रबंधन का उत्तर:

यह प्रस्तुत किया गया है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (आईआईएफसी (यूके)) के पास निर्दिष्ट स्तर पर पूंजी बनाए रखने के लिए कोई नियामक आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2008 से वित्त वर्ष 2010 के दौरान आई आई एफ सी एल ने आईआईएफसी (यूके) में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इक्विटी निवेश की। आईआईएफसी (यूके) ने वित्त वर्ष 2012-13 में 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2015-16 में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभांश घोषित किया। 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर, आईएआई एफसी एल ने वित्त वर्ष 2019-20 में 25 मिलियन अमेरिकी

डॉलर की इक्विटी शेयर पूंजी और उसके बाद वित्त वर्ष 2021–22 में आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था।

इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने इसके परिणामस्वरूप अपनी ऋण पुस्तिका का गहन प्रावधान और सफाई की:

- आरबीआई परिपत्र दिनांक 12 फरवरी 2018 (तनावग्रस्त संपत्तियों का समाधान – संशोधित फ्रेमवर्क) जारी करने के परिणामस्वरूप संकटग्रस्त संपत्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए फ्रेमवर्क, सीडीआर, मौजूदा दीर्घकालिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना, एसडीआर, एसडीआर और S4A; के बाहर स्वामित्व में बदलाव जैसी सभी योजनाएं वापस ले ली गईं।
- दिवाला और दिवालियापन संहिता के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप एनपीए मामलों को समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए अनिवार्य रूप से एनसीएलटी को भेजा जा रहा है।

  वित्त वर्ष 2018–19 में आईआईएफसी एल की तर्ज पर आईआईएफसी (यूके) में ऋण पुस्तिका का समान गहन प्रावधान और सफाई की गई थी। इसके परिणामस्वरूप आईआईएफसी (यूके) की निवल संपत्ति में गिरावट आई।

  आई ए एफ सी एल का इरादा 10 वर्षों की अवधि में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की आईआईएफसी (यूके) की इक्विटी पूंजी की सदस्यता के माध्यम से आईआईएफसी (यूके) को नई पूंजी प्रदान करने का है, जिसमें से वित्त वर्ष 2019 के दौरान 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहले ही सब्सक्राइब किया जा चुका है। 20 और वित्तीय वर्ष 2021–22 जैसा कि ऊपर बताया गया है।

  इसके अलावा, आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2019–20, वित्त वर्ष 2020–21 और वित्त वर्ष 2021–22 में क्रमशः 9.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 4.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 16.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया है। इसके अलावा, 31 मार्च 2022 तक आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड की कुल संपत्ति 2.61 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

  आई ए एफ सी एल ने आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड को एक चालू इकाई के रूप में देखते हुए आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में रखी गई इक्विटी शेयर पूंजी के क्षरण को नुकसान के रूप में मान्यता नहीं दी है और कंपनी द्वारा किया गया नुकसान स्थायी नहीं है।

29. पॉलिसी संख्या के अनुसार– 1(ए)(5.2(ए)(ए)) अग्रिम शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क या कोई अन्य शुल्क जो सीधे ऋण परिसंपत्तियों के लिए जिम्मेदार हैं, जो कुल आय का 0.5% से अधिक नहीं है, शुरू में लाभ और हानि के विवरण में संचय के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

30. आईआईएफसी एल ने एनएच–02 के किमी 398.240 से किमी 521.120 (एनएचडीपी चरण के तहत झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में टोल आधार पर) के मौजूदा चार लेन बरवा अड्डा–पनागढ़ खंड को छह लेन बनाने की परियोजना के आंशिक वित्त पोषण में भाग पांच लिया था। परियोजना के प्रमोटर यानी आईएल एंड एफएस और इसकी समूह कंपनियां एनसीएलएटी में हैं और माननीय एनसीएलएटी ने अपने आदेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ आईएल एंड एफएस और इसकी समूह कंपनियों के खिलाफ किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर रोक लगा दी है और इस पर ऋणदाताओं को बकाया का भुगतान रोक लगा दी है। वर्तमान में, कंपनी ने पुनर्गठन योजना के साथ कंसोर्टियम से संपर्क किया है। ऋणदाताओं के संघ के साथ यह प्रक्रिया चल रही है।

31. आईआईएफसी एल को लीजहोल्ड आधार पर एनबीसीसी लिमिटेड द्वारा किदवई नगर में निर्मित स्थान (वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और पार्किंग स्लॉट) आवंटित किया गया है। आवंटन की शर्तों के अनुसार, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, बिक्री पर जीएसटी, प्रतिफल/अन्य संबद्ध शुल्क, ग्राउंड रेंट और संपत्ति कर का भुगतान एनबीसीसी द्वारा मांगे जाने पर किया जाना है।

32. भारत सरकार ने दिनांक 9 फरवरी 2012 के पत्र द्वारा आईआईएफसीएल को सूचित किया कि यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) की इक्विटी, पूर्ववर्ती दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) 41% की सीमा तक आईआईएफसीएल द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा, इसके बावजूद कि आईआईएफसीएल को व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना, सिफ्टी के अनुसार इक्विटी शेयर हासिल करने का आदेश नहीं है, जिसके तहत आईआईएफसीएल अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। एनआईसीडीसी की इक्विटी में और निवेश के बाद, वित्त वर्ष 2012–13 में आईआईएफसीएल की शेयरधारिता को 4.1% में बदल दिया गया। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने लागत पर निवेश का मूल्यांकन किया है।

33. 27 मार्च 2020 और 17 अप्रैल 2020 के कोविड –19 नियामक पैकेज से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, आर बी आई ने वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एन बी एफ सी को किस्तों के भुगतान पर 3 महीने की मोहलत देने की अनुमति दी। सभी सावधि ऋण जो 29 फरवरी 2020 तक मानक संपत्ति थे। इसका उद्देश्य उधारकर्ताओं की कठिनाई को कम करने में मदद करना था जो राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण हुई थी। 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच आने वाली मूलधन/या ब्याज घटकों आदि सहित सभी किस्तों के भुगतान पर शुरुआत में तीन महीने के लिए रोक दी गई थी। 22 मई 2020 को, आरबीआई ने इस रोक की अवधि को 3 महीने यानी 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया। अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज लगता रहा। उन सभी खातों के लिए जहां स्थगन दिया गया था, स्थगन अवधि के दौरान खातों की उम्र बढ़ने की स्थिति स्थिर रही। ऋणदाताओं को अपने ग्राहकों को अधिस्थगन की पेशकश करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करने की आवश्यकता थी। ऋणदाताओं ने 'ऑप्ट–इन' या 'ऑप्ट–आउट' संरचना में अधिस्थगन की पेशकश करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया है।

आईआईएफसीएल ने आरबीआई परिपत्रों के अनुसार मार्च 2020 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए दिए गए टर्म लोन के पात्र मामलों में ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए अधिस्थगन बढ़ा दिया है। ऐसे मामलों में बनाई गई सुविधा का पुनर्भुगतान मूल सावधि ऋण की पुनर्भुगतान अवधि के भीतर निर्धारित किया गया है। 31 दिसंबर 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल ने निर्देश संख्या डीसीबी.बीपीडी (पीसीबी) एमसी संख्या 12/09.14.000/2015–16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 आईआईएफसीएल ने 12 नवंबर 2020 के पत्र के माध्यम से आरबीआई के संदर्भ में पुनर्गठन के रूप में इसे माने बिना अधिस्थगन ऋण मामलों में आस्थगित ब्याज आय को मान्यता दी। से यह मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया कि आईआईएफसीएल द्वारा ब्याज आय की पहचान नियामक अनुरूपता के अनुरूप है। इस संबंध में आरबीआई का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है। नतीजतन, 31 मार्च 2021 को, आईआईएफसीएल ने रुपये की अग्रत ब्याज आय की मान्यता को रूढ़िवादी रूप से स्थगित कर दिया है। बाद में वसूली तक अधिस्थगन ऋण मामलों पर अधिस्थगन अवधि के लिए 45,914.50 लाख रु.।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल को ₹10,552.55 लाख की पुनर्भुगतान राशि प्राप्त हुई है।

34. 'कोविड 19 नियामक पैकेज की समाप्ति के बाद संपत्ति वर्गीकरण और आय पहचान' पर आरबीआई परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देशों के अनुसार, बैंक उन सभी उधारकर्ताओं से वसूले गए 'ब्याज पर ब्याज' को वापस/समायोजित करेगा, जिनसे इसका लाभ उठाया गया था। स्थगन अवधि यानी 01.03.2020 से 31.08.2020 के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाएं, भले ही स्थगन का पूरी तरह या आंशिक रूप से लाभ उठाया गया हो, या नहीं लिया गया हो। इन निर्देशों के अनुसार, विभिन्न सुविधाओं के लिए वापस की जाने वाली/समायोजित की जाने वाली राशि की गणना की पद्धति को सभी ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा अपनाने के लिए अन्य उद्योग प्रतिभागियों/निकायों के परामर्श से भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। तदनुसार, आईबीए ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार रिफंड/समायोजन के लिए अंतिम रूप दी गई कार्यप्रणाली की जानकारी दी है। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान 2,500 लाख रुपये की ब्याज आय पर ब्याज की अनुमानित राशि को मान्यता नहीं दी है। ब्याज आय का क्रेडिट अभी तक उधारकर्ताओं को नहीं दिया गया है।

35. ऋण में शामिल 2,998.21 लाख रुपये रुपये का समायोजन लंबित है । एसएपी सिस्टम में रूटिंग लेजर में स्वचालित रूप से उत्पन्न शेष राशि है जिसके माध्यम से एक लेनदेन सीएसएन मॉड्यूल से एसएपी के एफआईसीओ मॉड्यूल में रूट किया जाता है। हालांकि यह कोई वास्तविक अंतर नहीं है और प्रकृति में तकनीकी होने के कारण, लेनदेन को एसएपी सलाहकार द्वारा प्रदान किए गए समाधान के आधार पर संबंधित बहीखातों में पार्क किया जाएगा। यह रकम कोई खास नहीं है.

24.10 ग्राहक शिकायत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर पूर्व लाभ	1,27,679.34	59,012.76
सांविधिक आयकर दर	25.17%	25.17%
अपेक्षित आयकर व्यय	32,134.34	14,852.33
आयकर समायोजन का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम की धारा 36(1) के तहत कटौती का लाभ –	-	-
निवल प्रावधान अस्वीकृत	(20,504.77)	(20,610.64)
आयकर की गैर–अनुमति	1,372.63	6,080.66
विगत वर्ष के आयकर	(54.68)	(2,184.42)
अन्य	(322.36)	(322.36)
आस्थगित कर	(8,356.60)	(5,402.78)
कर व्यय	(20,119.83)	(7,587.21)

37. परिशोधन लागत/उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य माप पदानुक्रम

ए. उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी व्युत्पन्न रूप की कीमतों) देखने योग्य हैं।

स्तर 3: परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अवलोकन योग्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्तियां:			
परिशोधन लागत	-	-	56,62,191.16
एफवीटीपीएल	-	51,161.73	1,73,498.62
वित्तीय देयताएं:			
परिशोधन लागत	19,15,158.70	-	24,70,435.53

विवरण	31.03.2022		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्तियां:			
परिशोधन लागत	-	-	54,41,778.80
एफवीटीपीएल	-	60,879.26	93,752.63
वित्तीय देयताएं:			
परिशोधन लागत	19,98,997.24	-	21,57,686.03

ख. वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023		31.03.2022	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय आस्ति	58,86,851.51	58,86,851.51	55,96,410.69	55,96,410.69
वित्तीय देयताएं	43,85,594.23	43,85,594.23	41,56,683.27	41,56,683.27

38. चरण–वार एक्सपोजर और हानि क्षति का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
31 मार्च 2023 तक				
कुल एक्सपोजर	39,58,453.03	65,337.48	2,01,350.15	42,25,140.66
हानि भत्ता	61,277.68	35,924.34	1,41,909.42	2,39,111.45
ईसीएल%	1.55%	54.98%	70.48%	5.66%
31 मार्च 2022 तक				
कुल एक्सपोजर	**34,72,279.25**	**97,694.24**	**3,63,177.58**	**39,33,151.08**
हानि भत्ता	53,064.75	39,628.65	2,27,889.54	3,20,582.94
ईसीएल%	1.53%	40.56%	62.75%	8.15%

39. आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानों के समाधान के लिए प्रकटीकरण और चरणवार अपेक्षित ऋण हानि:

(₹ लाख में)

भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखाकंन मानक 109 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखाकंन मानक के अनुसार सकल बालेंस राशि	भारतीय लेखाकंन मानक 109 में अपेक्षित हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल बालेंस राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भारतीय लेखाकंन मानक 109 के प्रावधानों एवं आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
-1	-2	-3	-4	(5=(3)-(4))	-6	(7 = (4)-(6))
प्रदर्शक आस्तियां						
मानक	चरण 1	39,58,453.03	61,277.68	38,97,175.35	15,368.58	45,909.10
	चरण 2	65,337.48	35,924.34	29,413.14	8,993.13	26,931.21
	एक्सपोजरएल	3,766.67	3,766.67	-	3,766.67	-
उप–योग		**40,27,557.19**	**1,00,968.70**	**39,26,588.49**	**28,328.38**	**72,640.32**
अप्रदर्शक आस्तियां (एनपीए)						
उपमानक	चरण 3	1,984.87	880.04	1,104.83	198.49	681.56
संदिग्ध –1 वर्ष	चरण 3	97,863.07	55,522.03	42,341.04	11,512.61	14,009.41
1 से 3 वर्ष तक	चरण 3	65,685.97	46,191.52	19,494.45	19,105.79	29,085.73
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	76,116.24	67,315.83	10,800.40	41,220.14	26,095.70
संदिग्ध का उप–योग		1,99,365.27	1,41,029.38	58,335.89	1,838.54	69,190.84
हानि	चरण 3	-	-	-	-	-
एनपीए का उप–योग		2,01,350.15	1,41,909.42	59,440.72	72,037.03	69,872.40
अन्य कई जैसे कि गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं आदि जो भारतीय लेखाकंन मानक 109 के कार्यक्षेत्र में आते हैं।	चरण 1					
	चरण 2					
	चरण 3					

भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखाकंन मानक 109 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखाकंन मानक के अनुसार सकल बालीय राशि	भारतीय लेखाकंन मानक 109 में अर्जित हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल बालीय राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भारतीय लेखाकंन मानक 109 के प्रावधानों एवं आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)-(4)	-6	(7) = (4)-(6)
उच्च- कोर		0	0	0	0	0
	चरण 1	39,58,453.03	61,277.68	38,97,175.35	13,968.58	48,709.10
	एनआईएसएल	3,766.67	3,766.67	-	3,766.67	-
	चरण 2	65,337.46	35,924.34	29,413.14	8,993.13	26,931.21
कोर	चरण 3	**3,01,350.15**	**1,41,909.42**	**59,440.73**	**72,037.03**	**69,872.40**
	कुल	**43,28,907.33**	**2,42,879.12**	**39,86,028.21**	**1,00,365.41**	**1,42,513.71**

40. तरलता जोखिम पर सार्वजनिक प्रकटीकरण:

i.. महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा और उधार दोनों) पर आधारित फंडिंग सकेन्द्रता:

[₹ लाख में]

क्र.सं.	महत्वपूर्ण पक्षों की संख्या	राशि (लाख ₹ में)	कुल जमाओं का %	कुल देयताओं का %
1.	एशियन डेवलपमेंट बैंक	11,48,371.73	-	24.64%
2.	विश्व बैंक	1,13,380.39	-	2.43%
3.	यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक	1,51,820.88	-	3.26%
4.	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी	2,20,190.86	-	4.72%

ii. शीर्ष 20 बड़ी जमाराशियाँ (राशि करोड़ में और कुल जमा का %) – शून्य क्योंकि आईआईएफसीएल सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय शुरू करने/चलाने के लिए पंजीकृत है।

iii. शीर्ष 10 उधार (राशि करोड़ में और कुल उधार का %) – 43,05,128.48 लाख और 100%.

iv. महत्वपूर्ण उपकरण/उत्पाद पर आधारित फंडिंग सकेन्द्रता:

[₹ लाख में]

क्र.सं.	महत्वपूर्ण पक्षों की संख्या	राशि (लाख ₹ में)	कुल देयताओं का %
1.	सुरक्षित बॉन्ड्स	13,44,690.95	28.85%
2.	असुरक्षित बॉन्ड्स	4,90,000.00	10.51%
3.	विदेशी मुद्रा उधारियां	16,47,169.69	35.34%
4.	बैंक ओवरड्राफ्ट/बैंक से एसटीएल	8,23,265.84	17.66%

v. **स्टॉक अनुपात:**

(क) कुल सार्वजनिक धन, कुल देनदारियों और कुल संपत्ति के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र –शून्य

(ख) कुल सार्वजनिक निधि, कुल देनदारियों और कुल संपत्ति के % के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता) –शून्य

(ग) कुल सार्वजनिक निधि के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देनदारियां – शून्य

कुल देनदारियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देनदारियाँ – 37.50%।

कुल संपत्ति के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देनदारियां –29.38%।

vi. तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था:

आईआईएफसीएल आईआईएफसीएल की संसाधन और ट्रेजरी नीति के अनुसार अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं का ख्याल रखने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखने का प्रयास करता है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल का तरलता जोखिम प्रबंधन आईआईएफसी एल (एएलएम पॉलिसी) के एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के माध्यम से किया गया है और इसके लिए संगठनात्मक सेटअप नीचे दिया गया है:

- निदेशक मंडल
- जोखिम प्रबंधन समिति
- परिसंपत्ति–देयता प्रबंधन समिति
- जोखिम प्रबंधन विभाग
- एएलएम सहायता समूह

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति, जो बोर्ड को रिपोर्ट करती है और इसमें निदेशक, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक शामिल होते हैं, तरलता जोखिम सहित आईआईएफसीएल द्वारा सामना किए जाने वाले समग्र जोखिम के लिए जिम्मेदार है।

इसके अलावा, आईआईएफसीएल न केवल निरंतर आधार पर तरलता की स्थिति को मापता है बल्कि यह भी जांच करता है कि निम्नलिखित उपकरणों/तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न मान्यताओं के तहत तरलता की आवश्यकताएं कैसे विकसित होने की संभावना हैं:

- बकेटिंग और बकेटिंग धारणाएँ
- नकदी प्रवाह मैप – संरचनात्मक तरलता रिपोर्ट
- गतिशील तरलता रिपोर्ट
- ब्याज दर जोखिम
- वापस परीक्षण
- निगरानी को सीमित करता है
- स्टॉक आधारित दृष्टिकोण – तरलता अनुपात
- तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)
- तरलता जोखिम के लिए तनाव परीक्षण ढांचा
- फंडिंग रणनीति
- मुद्रा जोखिम
- आकस्मिक निधि योजना

41. तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) से संबंधित प्रकटीकरण:

आरबीआई ने 4 नवंबर, 2019 के परिपत्र के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक की संपत्ति वाले सभी गैर–जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन को कवर करने वाले दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके एलसीआर के संदर्भ में तरलता बफर बनाए रखना है कि उनके पास अगले 30 दिनों तक चलने वाले किसी भी तीव्र तरलता तनाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) है। आरबीआई द्वारा एचक्यूएलए को ऐसी तरल संपत्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है या मूल्य में कम/बिना किसी हानि के तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है या तनाव की स्थिति में धन प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, एलसीआर आवश्यकता 1 दिसंबर, 2020 से एनबीएफसी पर बाध्यकारी होगी। 1 दिसंबर, 2020 से, न्यूनतम एचक्यूएलए एलसीआर का 50% होगा, जो 1 दिसंबर 2024 तक उत्तरोत्तर 100% के आवश्यक स्तर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा, आरबीआई द्वारा 1 दिसंबर, 2022 तक न्यूनतम 70% एलसीआर निर्धारित किया गया है।

जैसा कि स्पष्ट है, वर्तमान में आईआईएफसीएल का तरलता कवरेज अनुपात 70% की नियामक सीमा के अनुसार है।

ख) पालिसी कवरेज अनुपात (एलसीआर) से संबंधित विगतवार प्रकटीकरण:

(₹ लाख में)

विवरण		जून 2022 को समाप्त तिमाही		सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही		दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही		मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	
		कुल आस्तियां मूल्य (औसत)	कुल पात्रिक कुल (औसत)	कुल आस्तियां मूल्य (औसत)	कुल पात्रिक मूल्य (औसत)	कुल आस्तियां मूल्य (औसत)	कुल पात्रिक मूल्य (औसत)	कुल आस्तियां मूल्य (औसत)	कुल पात्रिक मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां									
1.	उच्च गुणवत्ता वाली एलए आस्तियां (HQLA)	3,99,889.67	3,99,889.67	8,06,171.73	8,06,171.73	4,66,338.36	4,66,338.36	5,13,966.00	5,13,966.00
नकदी निकासी									
2	जमा (छोटे खुदरा जमा कर्ता समेत) के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-
3	असुरक्षित थोक फंडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सुरक्षित थोक फंडिंग	76,424.00	87,887.60	86,989.00	101,762.10	1,05,270.00	1,23,264.20	1,46,123.00	1,93,341.43
5	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिनमें से								
6	डेरिवेटिव एक्सपोज़र और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित नकदी निकासी								
7	ऋण जारतों पर ऋण की हानि से संबंधित नकदी निकासी	-	-	-	-	-	-	-	-
8	संविदा और तरलता सुविधाएं	30,000.00	37,500.00	164,848.75	191,899.86	1,31,824.00	1,74,397.60	1,14,300.00	1,31,875.00
9	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	9,964.00	11,160.00	17,672.94	20,323.84	44,972.34	51,718.19	11,334.00	13,267.10
10	अन्य आकस्मिक वित्त पोषण दायित्व	-	-	-	-	-	-	-	-
11	कुल नकदी बहिर्वाह	1,16,341.00	136,041.60	2,75,682.74	3,13,996.13	6,80,091.34	7,75,382.04	2,94,757.00	3,39,303.53
नकदी अंतर्वाह									
12	पात्रिक ऋण								
13	पूर्ण प्रदर्शन करने एक्सपोज़र से अंतर्वाह	26,432.00	19,824.00	8,192.47	4,644.10	5,622.00	4,367.16	7,230.34	5,423.76
14	अन्य नकदी अंतर्वाह	23.81	18.36	4,413.00	3,308.75	13,084.00	10,173.00	4,422.00	3,316.71
15	कुल नकदी अंतर्वाह	26,457.81	19,843.36	12,606.47	7,952.85	18,706.00	14,540.16	11,652.70	8,739.53
	कुल समायोजित मूल्य								
16	कुल एचक्यूएलए	3,99,889.67	3,99,889.67	8,06,171.73	8,06,171.73	4,66,338.36	4,66,338.36	5,13,966.00	5,13,966.00
17	कुल कुल नकदी बहिर्वाह	136,998.24	136,998.24	3,06,921.30	3,06,921.30	3,65,041.94	3,65,041.94	3,29,564.63	3,29,564.63
18	तरलता कवरेज अनुपात (%)	430.44%	430.44%	263.62%	263.62%	128.36%	128.36%	134.72%	134.72%

42. धोखाधड़ी ऋण आस्तियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

क्रम	परियोजना का नाम	विवरण
1.	मेसर्स एसईडब्ल्यूएल एक्सप्रेस हाईवे लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने 240 करोड़ रुपये के सावधि ऋण को मंजूरी दी थी और 89.45 करोड़ रुपये के कुल ऋण के आंशिक वित्तपोषण के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य में एसएच 57 के दिल्ली–सहारनपुर–यमुनोत्री खंड को चार लेन का बनाने वाली परियोजना के लिए 1700 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया था। फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, पीएनबी (अग्रणी उधारकर्ता) ने 27.03.2019 को खाते को धोखाधड़ी घोषित किया और अन्य ऋणदाताओं से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। मई 2019 में अग्रणी बैंक द्वारा कथित परियोजना खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किए जाने के बाद, अग्रणी बैंक ने एक शिकायत/एफआईआर दर्ज की है, जिसे सीबीआई द्वारा 19.08.2019 को प्रस्तुत किया गया और विधिवत प्राप्त किया गया। यह मामला आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल के समक्ष 29 फरवरी, 2020 को हुई अपनी बैठक में रखा गया था और बोर्ड ने अन्य बातों के साथ–साथ खाते को धोखाधड़ी घोषित करने का संकल्प लिया था। ऋणदाताओं ने 10.08.2017 को अपनी सुविधा वापस ले ली थी और डीआरटी, हैदराबाद में वसूली आवेदन दायर किया था।
2.	मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने 140 करोड़ रुपये के सावधि ऋण को मंजूरी दी थी और 126.04 करोड़ रुपये के परियोजना ऋण के आंशिक वित्तपोषण के लिए। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण III के तहत बीओटी (वार्षिक) आधार पर झारखंड राज्य में रांची–रारगांव–जमशेदपुर खंड के चार लेन वाली परियोजना के लिए 1111.60 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया था।

		माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.11.2017 के आदेश के माध्यम से गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को जांच करने और यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या इस मामले में धोखाधड़ी का गंभीर मामला शामिल है जिसकी जांच की आवश्यकता है। एसएफआईओ ने जांच की और उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार, उधारकर्ता ने कुल 264.01 करोड़ रुपये परियोजना कार्य के लिए निर्धारित है। एसएफआईओ रिपोर्ट के निष्कर्षों/निष्कर्ष के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच करने का आदेश दिया और सीबीआई, रांची ने 12 मार्च, 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी और मामले की जांच की जा रही है। फोरेंसिक लेखापरीक्षा ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह भी देखा है कि प्रवर्तक द्वारा निधि के राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से इक्विटी / असुरक्षित ऋण का संचार किया गया था। साथ ही, ईपीसी अग्रिम/भुगतान के लिए प्रदान की गई धनराशि का उपयोग परियोजना कार्य के लिए नहीं किया गया था। इसके अलावा, प्रवर्तकों द्वारा दिए गए इक्विटी/असुरक्षित ऋण को संबंधित कंपनियों को मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों के डायवर्जन/साइफनिंग के समान डायवर्ट कर दिया गया था। मामला आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल के समक्ष 29 फरवरी, 2020 को हुई अपनी बैठक में रखा गया था और बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ खाते को धोखाधड़ी घोषित करने का संकल्प लिया था। ऋणदाताओं ने अपनी सुविधा वापस ले ली थी और 15.06.2020 को डीआरटी, हैदराबाद में वसूली आवेदन दायर किया था।
3.	मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम)	आईआईएफसीएल ने रुपये के सावधि ऋण को 250 करोड़ रुपये मंजूर किया था और होल्डिंग कंपनी/सहायक कंपनियों में सूचित की जाने वाली प्रस्तावित आस्तियों के अभिन्न अंग के रूप में पूंजीगत व्यय के हिस्से के रूप में आरकॉम में आस्तियों के निर्माण के लिए खाते में 248 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया था। फोरेंसिक लेखापरीक्षा ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह भी देखा है कि उधार ली गई धनराशि रुपये की सीमा तक है। 16.436 करोड़ का हेराफेरी किया गया था और यह स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुपालन में नहीं है और इसे धन का डायवर्जन माना जाता है। चालान विलंबन/छूट का उपयोग संबंधित पक्षों को और/या ऋणों की राउंड-ट्रिपिंग के लिए किया गया था। प्रबंधन से सहायक दस्तावेजों के अभाव में, ये लेन-देन दुर्विनियोजन प्रतीत होते हैं और इन्हें मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण निधियों के विचलन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मार्च 2021 को हुई बैठक के दौरान आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल के समक्ष मामला रखा गया था और बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ खाते को एसबीआई के अनुरूप धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने का संकल्प लिया था। खाते को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत, 21/05/2018 से शुरू किया गया।
4	जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने जनवरी 2011 में 525.00 करोड़ रु और सुपरक्रिटिकल पैरामीटर सीरिया, बैक जिला, बिहार के साथ 2 x 660 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए जून 2012 में 14.13 करोड़ रुपये का सावधि ऋण मंजूर किया था। इस परियोजना का प्रचार अभिजीत पावर लिमिटेड और कॉरपोरेट इस्पात एलॉयज लिमिटेड द्वारा किया गया था। आईआईएफसीएल के साथ खाता 30.10.2013 को घटिया श्रेणी में फिसल गया, क्योंकि 2012 के दौरान महुआगढ़ी कोयला ब्लॉक, परियोजना को आवंटित कैप्टिव ब्लॉक अगस्त, 2012 में कोयला ब्लॉक आवंटन पर सीएजी की रिपोर्ट में दिखाई दिया।,

		फोरेंसिक लेखापरीक्षार ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ कहा है कि उधार ली गई धनराशि को उधारकर्ता कंपनी से समूह कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया है, बिना कोई आस्ति बनाए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार ली गई धनराशि को अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा अन्य उद्देश्यों आदि के लिए उपयोग किया गया था। पीएनबी (दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता) ने खाते को धोखाधड़ी घोषित किया है और मार्च 2019 में सीबीआई के पास शिकायत दर्ज की है। आईआईएफसीएल के बोर्ड ने 29 जून, 2020 को हुई अपनी बैठक में खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी है।
5.	टॉपवर्थ टोलवेज (बेला) प्रा.लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने 40.00 करोड़ रुपये के कुल ऋण के आंशिक वित्तपोषण के लिए मध्य प्रदेश राज्य में सतना से बेला रोड (एनएच–75) के निर्माण, विकास, रखरखाव और प्रबंधन से संबंधित परियोजना के लिए 315.74 करोड़ रुपये का सावधि ऋण मंजूर किया था। चूंकि रियायतग्राही परियोजना को पूरा करने के लिए आधार हासिल करने में विफल रहा। रियायती प्राधिकरण अर्थात मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्णय के अनुसार दिनांक 11.05.2015 को छूटग्राही को समाप्ति नोटिस जारी किया था। फोरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अवलोकन पर उचित विचार–विमर्श के बाद और आवश्यक जानकारी प्रस्तुत न करने पर, फोरेंसिक लेखापरीक्षा के साथ–साथ ऋणदाताओं द्वारा बार–बार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, सहायक संघ ऋणदाताओं ने खाता धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, अग्रणी बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) ने खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित कर दिया था। 07.12.2019 और आरबीआई को मामले की सूचना दी। इसके बाद, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 21.12.2019 को आयोजित अपनी बैठक में उक्त परियोजना खाते को धोखाधड़ी घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की। आईआईएफसीएल ने जनवरी 2019 में कंपनी के खिलाफ डीआरटी मुंबई में वसूली का मुकदमा दायर करने के बाद 26.09.2017 को उधारकर्ता कंपनी को रिकॉल नोटिस जारी किया था।
6.	इंड–भरत पावर (मद्रास) लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने पीएफसी (अग्रणी ऋणदाता) और आरईसी के साथ सहायक संघ में इंड–भरत पावर (मद्रास) लिमिटेड (आईबीपीएमएल) को तूतीकोरिन, तमिल में 1 × 660 मेगावाट कोयला आधारित थर्म पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए आंशिक रूप से वित्त पोषित किया है। आईआईएफसीएल ने 280 करोड़ रुपये के आरटीएल को मंजूरी दी थी और एक्सिस बैंक के साथ रखे गए टीआरए खाते में 89.24 करोड़ रुपये का वितरण किया था।
		टीआरए से धन को उधारकर्ता द्वारा डायवर्ट किया गया था। सहायक ने ऋण वापस ले लिया था और 08 फरवरी, 2018 को ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी, जिसकी जांच की जा रही है। 22 मार्च, 2018 को हुई बैठक में आईआईएफसीएल के बोर्ड को खाते के घटनाक्रम की सूचना दी गई थी और 28 मार्च, 2018 को आरबीआई को धोखाधड़ी की घटना की सूचना दी गई थी। कंपनी को 14.08.2017 को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत संदर्भित किया गया था और वर्तमान में परिसमापन के तहत। कंपनी के कॉर्पोरेट पार्टनर को भी 19.10.2022 को एनसीएलटी में भर्ती कराया गया है।

7.	गंगोत्री झाबुआ जोबट कुक्षी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने मध्य प्रदेश राज्य में निर्माण–परिचालन–अंतरण (बीओटी) के आधार पर 92.42 कि.मी. (96.00 कि.मी. लम्बी) सड़क के झाबुआ जोबट कुक्षी खंड (राज्य राजमार्ग–38) को 0.00 कि.मी. तक दो लेन का बनाने हेतु मैसर्स गंगोत्री इंटरप्राईजेज लि0 द्वारा प्रवर्तित परियोजना आंशिक वित्तपोषण के लिए 38.11 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत और वितरित किया था। कॉर्पोरेट लेखापरीक्षा ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया था कि कर्जदार टोल से प्राप्त राशि एस्क्रो खाते में जमा नहीं कर रहा है। आईआईएफसीएल ने अधीन बैंक और प्राधिकरण जैसे एनपीआरडीसीके साथ टोल जमा न करने का मामला उठाया है। ऋणदाताओं और एनपीआरडीसी ने भी ऋणी को अनुबंध के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया था, जिसमें विफल रहने पर उधारकर्ता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपरोक्त गैर–अनुपालन के कारण खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया गया था और फरवरी उपरोक्त गैर–अनुपालन के कारण खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया गया था और फरवरी 2020 में आरबीआई को इसकी सूचना दी गई थी। आईआईएफसीएल ने डीआरटी, नई दिल्ली में वसूली का मुकदमा दायर किया है। निजी क्षेत्र का बैंक होने के नाते लीड बैंक ने आर्थिक अपराध शाखा, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच ईओडब्ल्यू, नई दिल्ली द्वारा की गई और बंद कर दी गई।
8.	ट्रांसस्ट्रॉय ओबेदुल्लागंज बैतूल टोलवेज प्रा. लिमिटेड	कंसोर्टियम में आईआईएफसीएल ने मध्य प्रदेश (एम पी) राज्य में एन एच –69 के ओबेदुल्लागंज से बैतूल खंड को बी ओ टी (टोल) के रूप में निष्पादित करने के लिए फोर लेनिंग परियोजना को आंशिक रूप से वित्त पोषित किया है। फोरेंसिक ऑडिटर (मैसर्स सात्य एसोसिएट्स) ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पाया है कि– • प्रमोटर के योगदान और कुल 453.48 करोड़ रुपये के बैंक ऋण के अंतिम उपयोग को पूरी तरह से सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि उधारकर्ता ने पूरी धनराशि ईपीसी ठेकेदार यानी ट्रांसस्ट्रॉय इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी थी और ईपीसी ठेकेदार ने इसके लिए सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं किया था। ओबेदुल्लागंज और बैतूल रोड परियोजना पर इसके द्वारा किया गया खर्च। • आईडीसी शुल्क के भुगतान में 90.93 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया। साइट पर किए गए खर्च के रूप में 38.48 करोड़ रुपये का दावा किया गया था लेकिन ऐसे खर्चों के सत्यापन में कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था। 324.07 करोड़ रुपये की शेष राशि को किसी भी सत्यापन दस्तावेज के साथ स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका।
		उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, लीड बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) ने 05.12.2020 को उपरोक्त खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया। तदनुसार, लीड बैंक के अनुरूप, आईआईएफसीएल ने 21/06/2021 को उपरोक्त खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया। इसके अलावा, कंपनी और निदेशकों के खिलाफ संशोधित सीबीआई शिकायत 01.02.2023 को सीबीआई, नई दिल्ली को प्रस्तुत की गई है। संयुक्त वसूली मुकदमा अक्टूबर 2017 में डीआरटी, हैदराबाद में दायर किया गया है।

9.	ट्रांसस्ट्रॉय होसकोटे डोब्बासपेट टोलवेज प्रा. लि. लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने कंसोर्टियम में डीबीएफओटी आधार पर कर्नाटक राज्य में एनएच–207 के होसकोटे–डोब्बासपेट खंड पर मौजूदा सड़क को चार लेन करने की परियोजना को आंशिक रूप से वित्त पोषित किया है। फोरेंसिक ऑडिटर (मैसर्स सत्य एसोसिएट्स) ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि– • फोरेंसिक ऑडिट के दौरान इसे प्रस्तुत करने के बार–बार प्रयास के बावजूद, ईपीसी ठेकेदार (ट्रांसस्ट्रॉय इंडिया) खर्चों के साक्ष्य के रूप में एसपीवी द्वारा हस्तांतरित धन के रिकॉर्ड और सहायक दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहा। इसके अलावा, यह उन कारणों को भी उचित ठहराने में विफल रहा कि कुल परियोजना लागत के 44.70% फंड उपयोग के मुकाबले कुल प्रोजेक्ट का केवल 11.34% ही क्यों पूरा हुआ और काम पूरा होने की तुलना में फंड उपयोग में भारी अंतर था। ईपीसी ठेकेदार द्वारा धन का डायवर्जन संभव है। इसके अलावा किए गए खर्चों का कोई उचित औचित्य नहीं था और आवश्यक जानकारी जमा करने में भी असहयोग किया गया था। उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, लीड बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) ने 17.03.2021 को उपरोक्त खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया। तदनुसार, लीड बैंक के अनुरूप, आईआईएफसीएल ने 21/06/2021 को उपरोक्त खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया। इसके अलावा, कंपनी और निदेशकों के खिलाफ संशोधित सीबीआई शिकायत 19.01.2023 को सीबीआई, नई दिल्ली को प्रस्तुत की गई है। संयुक्त वसूली मुकदमा 15.12.2018 को डीआरटी, हैदराबाद में दायर किया गया है
10.	ट्रांसस्ट्रॉय भोपाल धावरा टोलवेज लिमिटेड	कंसोर्टियम में आईआईएफसीएल ने टोल आधार पर मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के भोपाल बिरोना खंड के फोर लेनिंग के लिए परियोजना को आंशिक रूप से वित्त पोषित किया है। फोरेंसिक ऑडिटर (मैसर्स सत्य एसोसिएट्स) ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि– • कुल परियोजना अनुमानित लागत 711.59 करोड़ रुपये में से रु. 499.92 करोड़ रुपये जो कि 70.25% के बराबर है, उधारकर्ता द्वारा खर्च किया गया था, हालांकि एसआईई रिपोर्ट के अनुसार केवल 43.15% काम पूरा हुआ था। एनएचआरडीसीएल के पत्र में आईई द्वारा प्रमाणित 18.64% पूर्णता। ईपीसी ठेकेदार इस अंतर को उचित नहीं ठहरा सका और परियोजना के लिए ऐसे खर्चों को खर्च करने के लिए सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में भी विफल रहा। • ईपीसी ठेकेदार फोरेंसिक ऑडिट के दौरान किए गए खर्चों के साक्ष्य के रूप में एसपीवी द्वारा हस्तांतरित धन के रिकॉर्ड और सहायक दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहा। इसके अलावा, यह उन कारणों को भी उचित ठहराने में विफल रहा कि क्यों कुल परियोजना लागत के 70.25% फंड उपयोग के मुकाबले कुल परियोजना का केवल 43.15% ही पूरा किया गया और काम पूरा होने की तुलना में फंड उपयोग में भारी अंतर था। यह ईपीसी ठेकेदार द्वारा धन का संभावित विपथन है, इसके अलावा किए गए खर्चों का कोई उचित औचित्य नहीं था और आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में भी असहयोग किया गया था।
		उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, लीड बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) ने 17.03.2021 को उपरोक्त खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया। तदनुसार, लीड बैंक के अनुरूप, IIFCL ने 21/06/2021 को उपरोक्त खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया। इसके अलावा, कंपनी और निदेशकों के खिलाफ संशोधित सीबीआई शिकायत 04.02.2023 को सीबीआई, नई दिल्ली को प्रस्तुत की गई है। संयुक्त वसूली मुकदमा 16.10.2017 को डीआरटी, हैदराबाद में दायर किया गया है।

11.	किरतपुर नेर चौक एक्सप्रेसवे लिमिटेड	आईआईएफसीएल ने एनएचडीपी चरण III टोल आधार के तहत पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएच–21 के किरतपुर–नेर–चौक खंड के चार लेन के विकास और निर्माण के लिए परियोजना को आंशिक रूप से वित्त पोषित किया है। कंसोर्टियम में IIFCL ने NHDP चरण III टोल आधार के तहत पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य में NH–21 के किरतपुर–नेर–चौक खंड के विकास और निर्माण के लिए परियोजना को आंशिक रूप से वित्त पोषित किया है। फोरेंसिक ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला है – समूह खातों के संबंध में आरबीआई की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई विभिन्न जांचों के अनुसार यह देखा गया है कि वित्तपोषण में लगी इसकी समूह कंपनी आईएलआईएन में से एक, विभिन्न संस्थाओं/समूह कंपनियों को धन उधार देती है, जो बदले में आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड को ऋण देती है। किसी एकल कंपनी या समूह कंपनी में ऋण के संकेंद्रण पर आरबीआई के निर्देश पारित करना। ये समूह कंपनियां, जो एक मध्यस्थ के रूप में काम करती थीं, यह आश्वासन दे रही थीं कि आईएलआईएन से ऋण तब तक नहीं चुकाना होगा जब तक कि आईटीएनएल उन्हें वापस भुगतान नहीं कर देता। निष्कर्षों के अनुसार मूल रूप से आईटीएनएल को दिए गए ऋण के असाइनमेंट द्वारा आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड के विशेष प्रयोजन वाहनों पर एक्सपोजर लिया गया था। उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, लीड बैंक (इंडियन बैंक) ने 22.09.2021 को उपरोक्त खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया। तदनुसार, लीड बैंक के अनुरूप, IIFCL ने 12/11/2021 को उपरोक्त खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया। इसके अलावा, लीड बैंक (इंडियन बैंक) ने 07.07.2022 को सीबीआई के पास एक संयुक्त शिकायत दर्ज की है। एनएचएआई ने रुपये की राशि जारी की थी। 31.03.2021 को निपटान राशि के लिए एस्क्रो खाते में 862.53 करोड़ रुपये। IIFCL को आनुपातिक रूप से 09.04.2021 को 122.80 करोड़ रु. का शेयर प्राप्त हुआ था।

43. जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते निदेशक मंडल के लिए और उसकी
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कृते अग्रवाल और सक्सेना
(फर्म पंजीकरण संख्या: 002405सी)

ह./–
अक्षय सेठी
साथी
सदस्यता संख्या: 539439

ह./–
पवन कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398

ह./
पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8711526

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.05.2023

ह./
मंजरी मिश्रा
(डीजीएम और कंपनी सचिव)

ह./
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक–सीएफओ)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित है। ऐसा कहा गया है कि यह उनके द्वारा 13 सितंबर 2023 की संशोधित ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो 15 मई 2023 की उनकी पिछली ऑडिट रिपोर्ट का स्थान लेता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षक के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है। पूरक ऑडिट के दौरान उठाई गई मेरी चार ऑडिट टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए वैधानिक ऑडिटर द्वारा ऑडिट रिपोर्ट को संशोधित किया गया है।

इसके अलावा, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित ऑडिट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए प्रतिवेदन आवश्यक हैं:

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क.1 बैलेंस शीट

क.1.1 देनदारियां और इक्विटी

गैर-वित्तीय देनदारियाँ – अन्य गैर-वित्तीय देनदारियाँ (नोट संख्या 17)

विविध देनदारियाँ खाता (ब्याज पूंजीकरण): ₹301.03 करोड़

ब्याज आय (नोट संख्या 20): ₹4,031.36 करोड़

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5.3 (ए) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जो यह निर्धारित करता है कि, जिन परियोजनाओं में परियोजना प्राधिकरण द्वारा रियायत समझौते (सीए) को समाप्त कर दिया गया है, ऋण खाते को वित्तीय वर्ष में मान्यता रद्द कर दी जाती है। जिससे अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा नीति 5.3 (डी) में कहा गया है कि, 'रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना (एसडीआर), तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की सतत संरचना के लिए योजना (एस4ए), बाहरी रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) योजना के तहत मामलों के अलावा एक ऋण परिसंपत्ति आरबीआई विनियमों के अनुसार लागू होती है और 12 फरवरी 2018 की आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/131 डीबीआर संख्या बीपी. बीसी.101/21.04.048/2017–18 या किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत पुनर्गठन/निपटान प्रक्रिया के अनुसार

ऋण परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। 5 वर्ष से अधिक समय से गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है या परियोजना के निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन में 4 वर्ष से अधिक की देरी हुई है, जब तक कि ऋण परिसंपत्ति की निष्पादनता के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध न हो।

(क) मेसर्स इंदौर देवास टोलवेज लिमिटेड (आईडीटीएल) का ऋण खाता आईआईएफसीएल (कंपनी) के साथ अतिदेय था और 31 दिसंबर 2019 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। आईडीटीएल के खिलाफ मूल बकाया 31 मार्च 2023 तक ₹116.02 करोड़ है। जिसमें ₹93.61 करोड़ (80.68 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। परियोजना प्राधिकरण (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने भी रियायतग्राही (आईडीटीएल) की ओर से विभिन्न दोषों का हवाला देते हुए 16 दिसंबर 2022 को परियोजना को समाप्त कर दिया। ऋणदाताओं ने ऋण वसूली के लिए एक संयुक्त मुकदमा दायर किया है जो ऋण वसूली न्यायाधिकरण, हैदराबाद में लंबित है।

यद्यपि ऋण परिसंपत्ति की वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध नहीं था, लेकिन इसकी मान्यता रद्द नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीति और लेखांकन के रूढ़िवाद सिद्धांत का अनुपालन नहीं हुआ।

इसके परिणामस्वरूप ऋणों में ₹116.02 करोड़, प्रावधान में ₹93.61 करोड़ और वर्ष के लिए लाभ में ₹22.41 करोड़ (₹116.02 करोड़ घटाकर) अधिक बताया गया है

(ख) आईआईएफसीएल (कंपनी) ने पश्चिम में कृष्णानगर से बहरामपुर तक 78 किमी लंबे खंड के विकास के लिए मेसर्स एसईडब्ल्यू कृष्णानगर बहरामपुर हाईवे लिमिटेड (एसकेबीएचएल) को ₹100 करोड़ (₹99.82 करोड़ वितरित) का ऋण स्वीकृत किया (मई 2011)। जुलाई 2014 की निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) के साथ डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण कार्विकी आधार पर बंगाल। हालांकि, परियोजना में पर्याप्त देरी के कारण एसकेबीएचएल आईआईएफसीएल के बकाया का भुगतान नहीं कर सका और ऋण खाता गैर–निष्पादित में बदल गया। 30 जून 2018 को संपत्ति। अनंतिम सीओडी साढ़े पांच साल की देरी से फरवरी 2020 में हासिल की गई थी और सीओडी अभी तक हासिल नहीं हुई है। 31 मार्च 2023 तक एसकेबीएचएल पर मूल बकाया ₹99.82 करोड़ है, जिसके विरुद्ध ₹79.99 करोड़ (79.13 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक (अग्रणी बैंक) ने अपना हिस्सा एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (मेसर्स एसीआरई) को बेच दिया है (जुलाई 2023)। आईआईएफसीएल भी इसी तर्ज पर अपना शेयर बेचने की संभावना तलाश रही है।

यद्यपि ऋण परिसंपत्ति की वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध नहीं था, लेकिन इसकी मान्यता रद्द नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीति और लेखांकन के रूढ़िवाद सिद्धांत का अनुपालन नहीं हुआ।

इसके परिणामस्वरूप ऋणों में ₹99.82 करोड़, प्रावधानों में ₹78.99 करोड़ और वर्ष के लिए लाभ में ₹20.83 करोड़ (₹99.82 करोड़ घटा ₹78.99 करोड़) से अधिक वृद्धि हुई है।

(ग) आईआईएफसीएल (कंपनी) ने ईस्ट हैदराबाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (ईएचईएल) को डिजाइन, निर्माण, विकास, वित्त, के लिए ₹109.23 करोड़ (₹प्रत्यक्ष ऋण के तहत ₹44 करोड़ और टेक–आउट वित्त योजना के तहत

₹65.23 करोड़) का ऋण स्वीकृत किया। हैदराबाद में आठ लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे परियोजना का संचालन और रखरखाव। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लगाई गई रोक के कारण खाता (31 मार्च 2019) गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गया।

IIFCL ने अपने हिस्से के ₹37.38 करोड़ के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया (17 जून 2022), जिसमें से ₹27.38 करोड़ पहले ही वसूल किए जा चुके थे और शेष 10 करोड़ एस्क्रो खाते में उपलब्ध धनराशि से वसूल किए जाने थे। कंपनी को 29 सितंबर 2022 को यह प्राप्त हुआ और 01 दिसंबर 2022 को ईएचईएल को रनो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया गया।

हालांकि, ₹4.74 करोड़ की मूल राशि अभी भी 31 मार्च 2023 तक ईएचईएल के खिलाफ बकाया के रूप में दिखाई गई है, जिसके विरुद्ध ₹2.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप ऋण में ₹4.74 करोड़, प्रावधान में ₹2.10 करोड़ और वर्ष के लिए लाभ में ₹2.64 करोड़ (₹4.74 करोड़ में से ₹2.10 करोड़) अधिक बताया गया है।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

ह/-
(एस अहलादिनी पांडा)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
(उद्योग और कॉर्पोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 सितंबर 2023

1 एक्सीलराटी ने दिनांक 16.10.2018 के आदेश के तहत आईएल एंड एफएस और इसकी 348 समूह कंपनियों की संपत्तियों पर लगाए गए किसी भी दुष्कर्म हित को लागू करने, पुनर्गठन करने या लागू करने की किसी भी कार्यवाही पर रोक लगा दी।

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट*

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को
(भारत के सीएंडएजी की टिप्पणियों के आधार पर संशोधित)
समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट

राय

हमने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ समूह के रूप में जाना जाता है) के समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें समेकित शेष शामिल हैं। 31 मार्च 2023 की शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समाप्त वर्षों के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण, और सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर नोट्स महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद समेकित वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित)।

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी, के वित्तीय विवरणों पर दिनांक 27 जून 2023 को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी की थी, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल ने 27 जून 2023 को हुई बैठक में अनुमोदित किया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हम पिछली ऑडिट रिपोर्ट के खंड 3 (एफ) और अनुबंध में संशोधन करके यह संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। यह रिपोर्ट 27 जून 2023 की पिछली ऑडिट रिपोर्ट का स्थान लेती है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अलग-अलग लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों/सहायक कंपनियों की वित्तीय जानकारी पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण जानकारी देते हैं कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित तरीके से और कंपनी (भारतीय लेखा मानक, 2015) नियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है, यथासंशोधित, (इंड एएस) और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत, 31 मार्च 2023 तक कंपनी के मामलों की समेकित स्थिति, समेकित लाभ और समेकित कुल व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसका समेकित नकदी प्रवाह।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं। इसके तहत बनाया गया है, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य और अन्य ऑडिटरों द्वारा नीचे दिए गए "अन्य मामले" पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

संशोधन को* के रूप में चिह्नित किया गया है

मामले का जोर

1. हम समेकित वित्तीय विवरण के नोट 5 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो 2998.21 लाख रुपये के लंबित समाधान की व्याख्या करता है जो ईआरपी/एसएपी में तकनीकी गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हुआ है, प्रबंधन इसे हल करने की प्रक्रिया में है। उपरोक्त लंबित सुलह का वित्तीय प्रभाव (यदि कोई हो) केवल सुलह के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। प्रबंधन की राय में, प्रभाव, यदि कोई हो, ऐसे सुलह के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण नहीं होगा।

2. हम आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार ऋण परिसंपत्तियों की राशि से ऋण परिसंपत्तियों पर प्रावधान/हानि की गैर-नोटिंग के संबंध में ऋण परिसंपत्तियों के नोट नंबर 5 में दिए गए फुट नोट पर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

इस मामले के संबंध में मेरी राय को संशोधित नहीं किया गया।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख ऑडिट मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र सं	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारे ऑडिट ने मुख्य लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया
1	ग्राहकों को ऋण और अग्रिम की हानि	
	कृपया स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 1 (ए) 5.7 में लेखांकन नीतियों को देखें वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट नंबर 1 (ए) 18 : महत्वपूर्ण लेखांकन धारणाएं और अनुमान और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 5 पर है।	
	ऋणों की हानि इंड एएस 109– वित्तीय लिखतों के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल पर आधारित है। कंपनी का हानि भत्ता ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों और हानि अनुपात सहित कुछ प्रबंधन अनुमानों पर आधारित है।	मामले के महत्व को देखते हुए, हमने पर्याप्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में निम्नलिखित ऑडिट प्रक्रियाओं को लागू किया है:
	ऋणों और अग्रिमों की क्षति हानि की पहचान और माप में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल हैं। ये क्षेत्र जहां प्रबंधन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं वे हैं:	हमने नीचे निर्धारित ऑडिट प्रक्रियाएं निष्पादित कीं:
	• ऋण निर्धारण मानदंड • डिफॉल्ट दिए जाने पर डिफॉल्ट/नुकसान की संभावना की गणना • डिफॉल्ट के जोखिम का निर्धारण • संभाव्यता भारित परिदृश्यों और भविष्योन्मुखी व्यापक आर्थिक कारकों पर विचार। ईसीएल मॉडल की प्रयोज्यता के लिए विशाल डेटा इनपुट की आवश्यकता होती है। इससे उस डेटा की पूर्णता और सटीकता का जोखिम बढ़ जाता है जिसका उपयोग मॉडल में धारणाएँ बनाने के लिए किया गया है।	डिजाइन/नियंत्रण • व्यवसाय और उद्योग अभ्यास के बारे में हमारी समझ, इंडस्ट्रीज एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा उपयोग किए जाने वाले हानि सिद्धांतों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया। • हानि शुल्क की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली ऋण हानि प्रक्रिया पर प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया गया। • प्रबंधन ओवरले के लिए अनुमान निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक जानकारी के संयोजन पर प्रबंधन के नियंत्रण का मूल्यांकन किया गया। • वित्तीय विवरणों में हानि भत्ते और प्रकटीकरण के माप पर परिशोधित समीक्षा नियंत्रण।
2.	व्युत्पन्न उपकरणों और हेज लेखांकन का मूल्यांकन।	
	कृपया स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 1(ए)5.2 में लेखांकन नीतियों को देखें व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 3: व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	

	कंपनी उधार पर विदेशी विनिमय दर जैसे जोखिमों का प्रबंधन और बचाव करने के लिए व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करती है। जोखिम से बचाव के आधार पर कंपनी कैश फ्लो हेजेज या उचित मूल्य हेजेज में प्रवेश करती है। हेज अकाउंटिंग का अनुप्रयोग और हेज प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना जटिल और परिचालन रूप से बोझिल है और इसके लिए कंपनी प्रबंधन से करीबी निगरानी की आवश्यकता होती है।	हमारी प्रक्रिया में शामिल है **डिजाइन / नियंत्रण** जोखिम प्रबंधन नीतियों की समझ प्राप्त की और प्रमुख नियंत्रणों का परीक्षण किया (i) समिति प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण सहित हेज संबंध में प्रवेश के समय। हेज लेनदेन की शुरुआत में प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज, (ii) हेज प्रभावशीलता के परीक्षण सहित प्रबंधन द्वारा हेज संबंध की चल रही निगरानी और समीक्षा के संबंध में। **पर्याप्त जांच** • इंड एएस 109 के अनुसार, निर्धारित नमूनों के लिए डेरिवेटिव उपकरणों की पहचान और माप की जाँच की गई • इंड एएस 109 आवश्यकताओं के साथ हेज दस्तावेज की जांच की गई • तीसरे पक्ष से प्राप्त स्वतंत्र पुष्टि के लिए व्युत्पन्न उपकरणों के मिलान के नमूने के आधार पर परीक्षण किया गया • नमूना आधार पर हेज अकाउंटिंग की प्रयोज्यता और सटीकता की जांच की गई • स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में वित्तीय जोखिम प्रबंधन, व्युत्पन्न उपकरणों और हेज अकाउंटिंग के संबंध में प्रकटीकरण की उपयुक्तता पर विचार किया गया।
3.	कंपनी का आईटी वातावरण जटिल है और इसमें कई मात्रा में लेनदेन के प्रसंस्करण और रिकॉर्डिंग के लिए कंपनी के संचालन में उपयोग की जाने वाली कई स्वतंत्र और अन्योन्याश्रित आईटी प्रणालियां शामिल हैं। परिणामस्वरूप, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए ऐसी आईटी प्रणालियों पर उच्च स्तर की निर्भरता और निर्भरता है। उपयुक्त आईटी सामान्य नियंत्रण और आईटी अनुप्रयोग नियंत्रण की आवश्यकता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी आईटी सिस्टम आवश्यकतानुसार डेटा को संसाधित करने में सक्षम हैं वित्तपोषित वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पूरी तरह से सटीक और उपयोग। हमने कुछ प्रमुख आईटी प्रणालियों की पहचान की है जिनका वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है उच्च स्तर के स्वचालन, वित्तीय लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए कंपनी द्वारा उपयोग की जा रही प्रणालियों की महत्वपूर्ण संख्या, आईटी आर्किटेक्चर की जटिलता और इसके प्रभाव के कारण सक्षमित नियंत्रण परीक्षण एक प्रमुख ऑडिट मामला है।	हमारी प्रक्रियाओं में शामिल हैं: • डिजाइन का मूल्यांकन किया गया और प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं के भीतर प्रमुख आईटी एप्लिकेशन नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया, जिसमें स्वचालित गणना, स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाओं, सिस्टम इंटरफेस, सिस्टम सुलह नियंत्रण का परीक्षण शामिल था। • कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों और कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक के रूप में पहचाने गए आईटी सिस्टम के प्रासंगिक आईटी सामान्य नियंत्रण और आईटी अनुप्रयोग नियंत्रण का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में उसके अनुलग्नकों सहित शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या ऑडिट में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रतीत होता है भौतिक रूप से गलत बताया गया।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें महत्वपूर्ण गलतबयानी है, तो हमें शासन के प्रभारी लोगों को मामले के बारे में सूचित करना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के तहत कार्रवाई निर्धारित करनी होगी।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए , भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की इकाइयों और समेकित नकदी प्रवाह में समेकित परिवर्तन मामलों के लिए जिम्मेदार है जो समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैंय उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण होय और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री से मुक्त होते हैं। गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जिसका उपयोग उपरोक्तानुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल संबंधित संस्थाओं की एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर, चालू चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और चालू कंपनी का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं। लेखांकन का चिंता आधार, जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल या तो अपनी संबंधित संस्थाओं को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का

या लगाना। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन समेकन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- समेकन वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(ए) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के चालू चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में समेकन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित समेकन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता समेकन वित्तीय विवरणों में गलतबयानी की संभावना है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावित बनाती है कि समेकन वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं

(i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और
(ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय, पर असर डालने वाले हो सकते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकन वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित रूप से अपेक्षित होंगे। ऐसे संचार के जनहित लाभ कहीं अधिक हैं।

अन्य मामले

(क) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई के दायरे में संचालित एक वित्तीय संस्थान है। हमने दो सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 तक 6,098.74 लाख रुपए कुल राजस्व की कुल संपत्ति दर्शाते हैं। जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 1,892.46 लाख रुपये और शुद्ध नकदी प्रवाह 293.72 लाख रुपये था। इन वित्तीय विवरणों का ऑडिट अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3), जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनी से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(ख) समेकित वित्तीय परिणामों में एक सहायक कंपनी (इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस (यूके) लिमिटेड) के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम शामिल हैं, जिनके वित्तीय परिणाम 31 मार्च 2023 तक रु.12,50,702.39 लाख, रुपये की कुल संपत्ति में कुल राजस्व समूह की हिस्सेदारी में 86,548.30 लाख रुपये समूह की हिस्सेदारी को दर्शाते हैं। शुद्ध नकदी प्रवाह में समूह की हिस्सेदारी जैसा कि समेकित वित्तीय परिणामों में माना गया है, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः रु.85.87 लाख है । यह वित्तीय जानकारी अनऑडिटेड है और प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इस सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसी अनऑडिटेड वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और वित्तीय विवरणोंवित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है। प्रबंधन द्वारा प्रमाणित.

(ग) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई के दायरे में संचालित एक वित्तीय संस्थान है। आरबीआई द्वारा 29 दिसंबर 2022 को जारी मास्टर डायरेक्शन DNBR-PD-008/03-10-119/2016&17, पैरा 3 (xvi) के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को इस प्रकार परिभाषित करता है:

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का अर्थ जमा न लेने वाली एनबीएफसी है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है:

(क) इसकी कुल संपत्ति का न्यूनतम 75% "बुनियादी ढांचा ऋण" में तैनात किया गया है:

(ख) 300 करोड़ रु. या उससे अधिक की शुद्ध स्वामित्व वाली निधि:

(ग) सेबी–पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से किसी द्वारा जारी की गई 'ए' की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग; और

(घ) 15 प्रतिशत का सीआरएआर (न्यूनतम 10 प्रतिशत की टियर पूंजी के साथ)।

वर्ष के लिए की गई हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं, वर्ष के अंत में ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और उसके लिए आवश्यक गणनाओं के आधार पर, हमने देखा है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने रखरखाव के संबंध में प्रमुख व्यावसायिक मानदंडों का अनुपालन किया है। आरबीआई द्वारा 29 दिसंबर 2022 को अपडेट किए गए मास्टर डायरेक्शन डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016–17 के पैरा 3 (xvi) के अनुसार परिभाषित अपनी कुल संपत्ति का न्यूनतम 75% बुनियादी ढांचा ऋण में लगाया गया है। पुनर्पूंजीकरण बांड में निवेश और बैंक जमा के मुकाबले ओवरड्राफ्ट को कम करने पर गणना में विचार किया जा रहा है।

यदि पुनर्पूंजीकरण बांड और बैंक जमा के खिलाफ ओवरड्राफ्ट में निवेश पर विचार किया जाता है, तो कंपनी उपरोक्त पैराग्राफ में परिभाषित निर्दिष्ट मानदंड 3(xvi) को बैलेंस शीट की तारीख यानी 31 मार्च 2023 को पूरा नहीं करेगी। इस मामले में, कंपनी ने 75% की निर्धारित नियामक सीमा के मुकाबले बुनियादी ढांचे के ऋण में तैनात कुल संपत्ति का 71.08% बनाए रखा है।

घ) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के तहत अपेक्षित संख्या में महिला निदेशकों की नियुक्ति वित्त मंत्रालय से अपेक्षित है। इसलिए। उपरोक्त धारा की आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना बोर्ड का गठन किया गया। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति 10 मई 2023 को वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या F-NO-18/7/2022&IF-I के माध्यम से की गई थी।

ङ.) निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को कर के बाद लाभ का न्यूनतम 30% या सीपीएसई के निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होता है, जो मौजूदा कानूनी के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन है। प्रावधान, हालांकि, आईआईएफसीएल ने 19 सितंबर 2019 के पत्र के माध्यम से सरकार से वित्तीय वर्ष 2021–22 तक लाभांश के भुगतान से छूट का अनुरोध किया है। सरकार की ओर से पत्र के जवाब का इंतजार है. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की आवश्यकता के अनुसार, हम 'अनुलग्नक ए' में देते हैं। आदेश के पैराग्राफ 3(xxi) में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर और सहायक कंपनियों के अलग–अलग वित्तीय विवरणोंवित्तीय जानकारी पर अन्य ऑडिटरों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, ऊपर अन्य मामले अनुभाग में संदर्भित हम रिपोर्ट करते हैं, लागू सीमा तक, कि:

क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित पुस्तकें (बहियाँ) अब तक रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

ग) समेकित बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का समेकित विवरण, नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और इस रिपोर्ट से संबंधित इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण तैयारी के उद्देश्य से बनाए गए खाते की पुस्तकों के साथ समेकित वित्तीय विवरण का मेल खाता है।

घ) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ.) अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून 2015 को 463(ई), निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है:

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

छ) कंपनी एक सरकारी कंपनी है, अधिनियम की अनुसूची ट के साथ पढ़ी गई धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

3. कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

क) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 1(बी)(11) में बताया गया है।

ख) कंपनी ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षित महत्वपूर्ण नुकसान, यदि कोई हो, के लिए डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर प्रावधान किया है।

ग) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

क) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 1(बी)(11) में बताया गया है।

ख) कंपनी ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षित महत्वपूर्ण नुकसान, यदि कोई हो, के लिए डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर प्रावधान किया है।

ग) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

घ) (1) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से)। या संस्थाएँ, जिनमें विदेशी संस्थाएँ ("मध्यस्थ") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या कंपनी की ओर से या अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करता है।

(ii) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा , कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थियों") को उधार देगी या निवेश करेगी या उनकी ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगी। अंतिम लाभार्थी; और

(iii) ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना जाता है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (vi) (i) और (vi) (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण विवरण गलती है।

ix) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

x) अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खातों की किताबें (बहियों) बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है, और तदनुसार, संशोधित* कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर हमारी अलग रिपोर्ट अनुबंध 'ग' के रूप में संलग्न है।

कृते अग्रवाल और सक्सेना
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफ आर एन –002405C)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13.09.2023

ह./–
अक्षय सोती
साथी/पार्टनर
सदस्यता संख्या: 539439
यू डी आई एन: 23539439BGUQFU4978

* यथा संशोधित शब्द जोड़ा गया

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(लेख दिनांक की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित) पैराग्राफ 3(xxi) समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कंपनी (ऑडिटर रिपोर्ट) ऑर्डर (सीएआरओ) रिपोर्ट में संबंधित ऑडिटर द्वारा योग्यताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां हैं:

क स	नाम	सी आई एन	होल्डिंग कंपनी/ सहायक कंपनी/ सहयोगी	होल्डिंग कंपनी/ सहायक कंपनी/ सहयोगी/ संयुक्त उद्यम
1.	आई आई एफ सी एल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	यू 65991डीएल2012जीओआई233801		सहायक कंपनी

कृते अग्रवाल और सक्सेना
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफ आर एन –002405C)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13.09.2023

ह./–
अक्षय रोही
साथी/पार्टनर
सदस्यता संख्या: 539439
यू डी आई एन: 23539439BGUQFU4978

* यथा संशोधित शब्द जोड़ा गया

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के लिए अनुबंध "ख" 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

(इस तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के तहत पैराग्राफ 2 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए होल्डिंग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ, हमने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद होल्डिंग के रूप में संदर्भित) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है। उसकी सहायक कंपनियां (होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां मिलकर "समूह" कहलाती हैं उस तारीख तक भारत में शामिल हो गईं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल, इसकी सहायक कंपनियां जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोट) में। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया और अनुभाग के तहत निर्धारित माना जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10), आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और, दोनों भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन

प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य और सहायक कंपनियों के अन्य ऑडिटरों द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में, प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय का आधार।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रणों की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है। निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है और उन्हें प्रबंधन के मूल्यांकन में शामिल किया गया है।

ईआरपी सभी लेखांकन लेनदेन को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए स्थिरीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया में है, जिसके कारण कुछ लेनदेन जैसे, हानि हानि की गणना और ऋणों पर संदिग्ध ऋणों का प्रावधान, अग्रिमों का वर्गीकरण परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार होता है। आरबीआई, विदेशी मुद्रा लेनदेन में विदेशी मुद्रा लाभहानि की गणना, हेज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की गणना एसएपी (ईआरपी) से डेटा निकालने के बाद की जाती है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और नीचे अन्य मामलों के पैराग्राफ में उल्लिखित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग पर विचार के आधार पर, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां, जो इसमें शामिल कंपनियां हैं भारत में मोटे तौर पर, उपर्युक्त पैराग्राफ को छोड़कर, सभी भौतिक मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय

नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड विचार करते हुए।

अन्य मामलों

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक इसका संबंध है, भारत में निगमित, लेखा परीक्षित 2 सहायक कंपनियों पर आधारित है। अन्य लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर और जहां तक इसका संबंध है, भारत के बाहर निगमित एक अनऑडिटेड सहायक कंपनी प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन पर आधारित है।

कृते अग्रवाल और सक्सेना
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफ आर एन –002405C)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13.09.2023

ह./–
अक्षय रोहतगी
साथी/पार्टनर
सदस्यता संख्या: 539439
यू डी आई एन: 23539439BGUQFU4978

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ग", सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 4 में संदर्भित अनुलग्नक

क्र सं	दिशानिर्देश	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है, जिसमें लेनदेन एसएपी, एक ईआरपी सॉफ्टवेयर में दर्ज किए जाते हैं। ईआरपी स्थिरीकरण की प्रक्रिया में है। और सभी लेखांकन लेनदेन को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए एकीकरण जिसके कारण कुछ लेनदेन जैसे, हानि हानि की गणना और ऋण पर संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, ब्याज का उलटा होना, एफआईटीएल बनाने के कारण आय, विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण व परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी, विदेशी मुद्रा लेनदेन में विदेशी मुद्रा लाभहानि की गणना, हेज्ज अनुबंध, अधिस्थगन के तहत ब्याज गणना पर ब्याज की गणना लेखांकन प्रणाली से स्वतंत्र की जाती है। इसके अलावा, कृपया हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मामले पर और पैरा को देखें जिसमें हमने 2998.21 लाख रुपये की राशि के लंबित समाधान पर प्रकाश डाला है जो प्रबंधन द्वारा हल करने की प्रक्रिया में है। हालांकि इस तरह के सुलह के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता है, प्रबंधन की राय है कि प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान, कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋण आदि के संबंध में किसी भी मौजूदा ऋण/ऋण/ब्याज को पुनर्गठित करने या माफ करने बट्टे खाते में डालने का कोई मामला सामने नहीं आया है।

3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	लागू नहीं

*रिपोर्ट में दिशा निर्देश जोड़ दिए गए हैं।

कृते अग्रवाल और सक्सेना
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफ आर एन –002405C)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13.09.2023

ह./–
अक्षय सेठी
साथी/पार्टनर
सदस्यता संख्या: 539439
यू डी आई एन: 23539439BGUQFU4978

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने कंपनियों की धारा 143(5) के तहत भारत के सीएंडएजी द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए मेसर्स इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वार्षिक स्टैंडअलोन खातों का ऑडिट किया है। अधिनियम 2013 और प्रमाणित करें कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते अग्रवाल और सक्सेना
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफ आर एन –002405C)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.09.2023

ह./–
अक्षय सेठी
साथी/पार्टनर
सदस्यता संख्याः 539439
यू डी आई एनः 23539439BGUQFU4978

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईएफसीएल)
31 मार्च 2021 वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र का विवरण
सीआईएन संख्या: U67190DL2006GOI144520

(राशि ₹)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2021 तक (लेखापरीक्षित किये हुए)	31.03.2020 तक (लेखापरीक्षित किये हुए)
I	आस्तियां			
1.	वित्तीय आस्ति			
(क)	नकद और नकदी के समतुल्य	2	161,639.91	172,586.43
(ख)	एजेंसी के अलावा बैंक में शेष		1,010,462.47	1,021,988.64
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	3	164,636.18	85,281.90
(घ)	प्राप्तियां	4	685.75	265.84
(ङ)	ऋण	5	5,082,333.83	4,891,812.37
(च)	निवेश	6	589,838.73	599,133.21
(छ)	अन्य वित्तीय आस्ति	7	64,206.12	34,032.27
2	उप योग (1)		7,072,772.99	6,805,100.66
(क)	गैर-वित्तीय आस्ति			
(ख)	वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)	8	5,219.23	33,753.81
(ग)	आस्थगित कर आस्ति (शुद्ध)	9	33,683.04	41,042.44
(घ)	सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	10	23,819.09	24,911.30
(ङ)	पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	11	150.32	168.80
(च)	अन्य अमूर्त आस्ति	12	7,670.37	1,005.65
(छ)	अन्य गैर-वित्तीय आस्तियां	13	69,501.05	100,882.20
	उप योग (2)		**7,142,274.04**	**6,905,962.86**
	कुल आस्ति (1+2)			
II	देयता एवं इक्विटी			
(क)	देयताएं			
1.	वित्तीय देयताएँ	14	7.98	87.38
(क)	ऋण प्रतिभूतियाँ	15	2,790,873.50	3,090,619.48
(ख)	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	16	**2,592,449.66**	**2,131,008.76**
(ग)	अन्य वित्तीय देयताएं	16	**84,810.58**	**76,965.95**
	उप योग (क-1)		**5,468,141.72**	**5,288,681.77**
2	गैर-वित्तीय देयताएं			
(क)	वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	17	15,081.81	13,977.21
(ख)	प्रावधान	18	**376,694.68**	**443,873.46**
(ग)	आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	9	-	-
(घ)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	19	**31,565.62**	**41,704.42**
	उप योग (क-2)		**423,312.11**	**499,555.11**
	उप योग (क)		**5,891,453.83**	**5,788,236.89**
(ख)	इक्विटी			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	20	**999,991.62**	**999,991.62**
(ख)	अन्य इक्विटी	21	**250,828.59**	**117,784.35**
	उप योग (ख)		**1,250,820.21**	**1,117,775.97**
	कुल देयताएं और इक्विटी (क+ख)		**7,142,274.04**	**6,905,962.86**

1 से 21 तक के नोट खातों का अभिन्न अंग हैं।

इस रिपोर्ट की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते अग्रवाल और सक्सेना
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: 002466सी)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी
लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

ह./-
अंकुर सेठी
साथी
सदस्यता संख्या 539439

ह./
मनन कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8601388

ह./
पीयूष जयसांकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8711526

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: **27.06.2023**

ह./
अभिनव सिंह
(एजीएम और कंपनी सचिव)

ह./
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-वित्तपोषण)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि का विवरण
सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144820

(राशि ₹)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	31-03-2023 तक (लेखापरीक्षित किये हुए)	31-03-2022 तक (लेखापरीक्षित किये हुए)
I	आय			
क	संचालन से आय	22	468,016.56	411,539.48
(ख)	अन्य आय	23	7,959.97	6,838.72
(ग)	शुल्क और कमीशन आय		**475,976.53**	**418,378.20**
	संचालन से कुल राजस्व (क)	24	57,696.09	59,292.08
ख	अन्य कमाई		533,572.62	477,670.28
	कुल आय (I) (क+ख)			
II	खर्च	25	305,789.97	342,115.45
(क)	वित्तीय लागत	26	12,238.68	13,098.58
(ख)	शुल्क और कमीशन व्यय	27	2,296.15	(1,511.69)
(ग)	वित्तीय कुल परिचालन पर कुल घाटा	**28**	**(78,107.23)**	**(49,958.80)**
(घ)	कर्मचारी लाभों प्रावधान व्यय	**29**	**6,682.36**	**5,057.13**
(ङ)	वित्तीय गिरवी पर हानि	**10,11**	**1,212.90**	**1,337.62**
(च)	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि		410.15	285.78
(छ)	अन्य परिचालन व्यय	30	136,772.13	195,529.39
(ज)	अन्य खर्च		**387,295.11**	**405,953.46**
	कुल व्यय II		**146,277.51**	**71,716.82**
	असाधारण मदों और लागू कर से पहले का लाभ (III-IV)		-	-
	असाधारण मदें		**146,277.51**	**71,716.82**
	लाभ/(हानि) कर लागू होने से पूर्व (I-II)			
	कर व्यय:		(12,280.16)	(234.75)
	(1) वर्तमान कर		(3,938.00)	(2,169.92)
	– वर्तमान वर्ष		(8,342.16)	(5,395.94)
	विलंबित व्यय		**(20,677.20)**	**(7,800.61)**
	(II) आस्थगित कर		**125,600.31**	**63,916.21**
	कुल कर व्यय (II (I+II)		-	-
	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		-	-
	(I) से अधिक तिथि लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	लाभ/(हानि) परिभाषित लाभ आस्थगित का पुनर्मूल्यांकन		**125,600.31**	**63,916.21**
	(II) परिभाषित लाभ के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित आयकर			
	अभिलेखन			
	कर व्यापक आय (क)		71.29	72.28
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		(17.95)	(18.19)
	प्रति इक्विटी शेयर की आय (चालू संचालन के लिए)		53.34	54.09
	बेसिक (रु.)		**135,653.65**	**63,970.30**
	डाइलूटेड (रु.)			
	1. निरंतर संचालन के लिए (रु.)	10(A)(b)	1.36	0.65
	2. बंद किए गए परिचालन के लिए (रु.)		-	-
	3. जारी रखने एवं बंद किए गए के परिचालन के लिए (रु.)		1.36	0.65

1 से 30 तक के नोट खातों का अभिन्न अंग हैं।

हमारे दिनांक की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते अग्रवाल और बसोला
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: 002405सी)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
अंशु बंसी
साझी
सदस्यता संख्या: 526438

ह./
पवन कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8601398

ह./
पीयूष जयसांकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 6711526

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: **27.06.2023**

ह./
अखिलेश सिंह
(एचोएम और कंपनी सचिव)

ह./
राजीव सुसीला
(मुख्य महाप्रबंधक–सीएफओ)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 दिसंबर 2020 वर्ष के नौ महीनों के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण
सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(राशि ₹)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2023 तक (लेखापरीक्षित किये हुए	31.03.2022 तक (लेखापरीक्षित किये हुए
क.	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
(i)	कर पूर्व शुद्ध लाभ		146,277.51	71,716.84
	समायोजन			
(ii)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		1,212.90	1,337.62
(iii)	प्रावधान/बट्टे खाते में डाले गए व्यय		30,552.78	42,179.95
(iv)	प्रावधान/राशि जो व्यवस्था किसी नहीं		(86.62)	(227.73)
(v)	लाभ या विदेशी मुद्रा के लाभ-नुकसान हानि/ (लाभ)		-	0.49
(vi)	लाभ/ अलाभ आस्तियों की बिक्री पर हानि		122.12	3,866.10
(vii)	ऋण और अग्रिमों पर अर्जित और देय ब्याज		7,646.06	3,950.89
(viii)	ब्याज उपार्जित लेकिन व्यवस्था पर देय नहीं		**185,724.75**	**142,824.16**
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		(221,835.15)	(292,925.54)
(i)	ऋण संवितरण में नकदी प्रवाह		9,896.07	8,727.16
(ii)	निवेशों में/ (लाभ) की बिक्री		(419.91)	673.47
(iii)	व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि/ कमी		(81,419.10)	14,881.31
(iv)	अन्य परिचालन आस्तियों में वृद्धि/ कमी		11,539.17	339,796.65
(v)	अन्य देय तंत्र में वृद्धि/ कमी		(75,764.74)	53,164.03
(vi)	अन्य परिचालन देयताओं में वृद्धि/ (कमी)		**(173,291.91)**	**257,141.22**
	कर से पहले के कार्यों से नकदी प्रवाह		**(12,334.86)**	**(2,404.67)**
	भुगतान किए गए कर (शुद्ध)	ग	**(184,626.77)**	**254,736.55**
	प्रचालन से शुद्ध नकद			
(ख)	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		(68.59)	(65.42)
(i)	संयंत्र, आस्ति और उपकरण की खरीद		6.54	(3.51)
(ii)	संयंत्र, आस्ति और उपकरण की बिक्री		148.61	(1,129.05)
(iii)	पूंजीगत कार्य इन प्रोग्रेस कार्य में कमी/ (वृद्धि)	घ	**86.56**	**(1,197.98)**
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद			
(ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		-	-
(i)	शेयर पूंजी के निर्गम/ आवंटन से प्राप्त आय		471,440.90	(57.38)
(ii)	उधार से आय		(299,745.98)	(127,770.32)
(iii)	ऋण प्रतिभूतियों से प्राप्त/ (चुकौती)	च	**171,694.92**	**(127,827.70)**
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद	च	**898.76**	**(369.30)**
	विदेशी मुद्रा में अनुवाद अंतर का प्रभाव		(11,946.53)	125,341.57
	नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध परिवर्तन (ख+ग+घ+ङ)		172,586.43	47,244.85
	जोड़ें: नकद और तरलीय नकद शेषें		-	-
	समापन पर शेषें		160,639.90	172,586.42
	तरलीय नकद और नकद समतुल्य			
(i)	नकद हाथ में		0.69	0.91
(ii)	बैंक अकाउंट		160,360.81	172,373.51
(iii)	फोलियो जमा खाते		278.40	213.00
	कुल		**160,639.90**	**172,586.42**

ग) किसी अवधि (अवधियों) के दौरान की गतिविधियों को वित्तीय अवधि के अंत तुलनपत्र बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनर्वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है हेजिंग

घ) निम्नलिखित बैंक बैलेंस कंपनी द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है:

(वृद्धि)/ 31 मार्च 2021 को ₹ 2,228.16 लाख के अन्य बैंक बैलेंस में कमी (₹ 571,888.01 लाख) 31 मार्च 2020 तक) में शामिल है 31 मार्च 2021 को ₹ 46,600 लाख (31 मार्च 2020 को ₹ 21,600.00 लाख) जिसे एक वर्ष के भीतर भुगतान के लिए उपलब्धिकरण चिह्नित किया गया है और 31 मार्च 2021 को ₹ 6,43,205.00 लाख (31 मार्च 2020 को ₹ 3,73,008.00 लाख) जिसे एक अतिदेयता के लिए उपलब्धिकरण चिह्नित किया गया है

वर्ष दिनांक की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते अग्रवाल और सहयोग
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: 000406सी)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

ह./-
आशु गोयल
साझी
सदस्यता संख्या: 529420

ह./
राजन कुमार
(गैर कार्य निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8681398

ह./
नीलम अवस्थी
(कार्य निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8771528

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: **27.06.2023**

ह./
अजित सिंह
(वित्तीय और कंपनी सचिव)

ह./
राजीव कुमोलिया
(मुख्य महाप्रबंधक-वित्तकर्मी)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹लाख में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि	999,991.62
पूर्व अवधि की त्रुटि के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
1 अप्रैल 2022 को पुनर्स्थापित शेष राशि	999,991.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2023 तक शेष राशि	999,991.62

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष											कुल
	पूंजीगत कुल आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	डिबेंचर मोचन/ रिडेम्पशन आरक्षित निधि	स्कालरशिप प्रदान हेतु आरक्षित निधि	लाभांश प्रतिकरण कर की मद [धारा 115बीबीडी के तहत विहित दरों]	बाजार विनियम आरक्षित निधि	अधिशेष समायोजित उपलब्धियां आरक्षित निधि	निधि (आरक्षित निधि बिना अधिशेष खाते की मद को-आइटी के खाते)	अन्य व्यापक आय	अधिशेष आय	अधिशेष आय	
पूर्व अवधि की त्रुटियां	585.14	225.50	99,995.00	17,560.96	143,940.93	337.19	122.43	14,232.34	43,155.93	19,082.47	(200,351.66)	117,784.33
पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिपोर्टेड अवधि की शुरुआत में	585.14	225.50	99,995.00	17,560.96	143,940.93	337.19	122.43	14,232.34	43,155.93	19,082.47	(200,351.66)	117,784.33
पुनर्निवेश के राशि											125,600.29	125,600.29
कुल पंजी का पुनर्गठन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-			125,600.29	125,600.29
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि						(337.19)					(85,044.81)	(85,382.00)
अवधि के दौरान स्कालरशिप प्रदान करना				6,495.60								6,495.60
लाभांश आरक्षित निधि								898.76				898.76
कर्मचारी स्टॉक गई कम्पनी में लाभांशदान			1,907.29								1,939.34	3,846.63
अधिशेष कम्पनी से लाभांशदान					7,508.90				56,064.83	21,932.56		85,506.30
31 मार्च 2022 को शेष राशि	585.14	225.50	98,087.71	11,065.36	151,449.83	322.36	122.43	15,131.10	101,220.76	40,985.03	(157,856.84)	190,618.61
रिपोर्टेड अवधि में पुनर्गठन												
अधिशेष कम्पनी से लाभांशदान												
31 मार्च 2023 तक शेष राशि												

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	999,991.62
पूर्व अवधि की त्रुटि के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
1 अप्रैल 2022 को पुनर्स्थापित शेष राशि	999,991.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	999,991.62
31 मार्च 2022 तक शेष राशि	

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष											कुल
	पूंजीगत पूंजी आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	विलय का/ विलयन आरक्षित निधि	स्वतंत्र प्रवाह ऋण आरक्षित निधि	[illegible]	[illegible]	[illegible] आरक्षित निधि	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
पूर्व अवधि की त्रुटियां	585.14	235.50	99,965.05	(27,653.15)	145,940.91	75.12	122.45	14,621.64	-	8,772.52	(245,373.00)	(2,677.82)
पूर्व अवधि की त्रुटियां	-											-
पिछले अवधि की पुनर्स्थापित शेष	585.14	235.50	99,965.05	(27,653.15)	145,940.91	75.12	122.45	14,621.64	-	8,772.52	(245,373.00)	(2,677.82)
पुनर्निर्धारित लाभ राशि	-										63,916.21	63,916.21
कुल लाभ का पुनर्गठन											-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-				63,916.21	63,916.21
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि						(12.11)	-				(55,702.10)	(55,714.35)
अवधि के दौरान स्वतंत्र प्रवाह ऋण				20,072.18								20,072.18
व्यापक उपयोग निधि								(369.35)				(369.35)
व्यापक रखी गई राशियों में स्थानांतरण						-					36,807.22	36,807.22
अधिशेष राशियों से स्थानांतरण			-		-	294.17			45,165.93	10,289.95		55,750.06
31 मार्च 2023 को शेष राशि	585.14	235.50	99,965.05	(7,581.97)	145,940.91	357.18	122.45	14,252.34	45,165.93	19,062.47	(200,351.67)	117,794.35

इस रिपोर्ट की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते अरोरा और सक्सेना
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या: [illegible])

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से

ह./-
[illegible]
[illegible]
सदस्यता संख्या: [illegible]

ह./
[illegible]
(पूर्ण समय निदेशक)
डीआईएन संख्या: [illegible]

ह./
[illegible]
(स्वतंत्र निदेशक)
डीआईएन संख्या: [illegible]

ह./
[illegible]
(सीईओ और कंपनी सचिव)

ह./
[illegible]
(मुख्य [illegible])

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: **27.06.2023**

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए परिवर्तन का विवरण

नोट 2: नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क)	नकद और नकदी के समतुल्य		
(i)	नकदी हाथ में	0.69	0.91
(ii)	बैंकों के साथ संतुलन	160,360.81	172,372.51
(iii)	बैंकों में सावधि राशि (भार रहित)	278.40	213.00
	कुल	**160,639.91**	**172,586.43**

नोट 2(ख): उपरोक्त 2क के अलावा अन्य बैंक बैलेंस

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	अन्य बैंक शेष		
(i)	बैंकों में सावधि जमा (भार रहित)	654,522.48	341,233.05
	(मूल परिपक्वता तीन से अधिक और बारह महीने तक)		
(ii)	बैंकों में सावधि जमा (भार रहित)	2,945.30	248,524.30
	(मूल परिपक्वता बारह महीने से अधिक)		
(iii)	बांड पर दावा न किए गए ब्याज के लिए बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि	0.69	0.69
(iv)	बांड के ब्याज भुगतान के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में रखा गया	8,000.00	8,000.00
(v)	बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने का वचन दिया	344,994.00	424,230.60
	कुल	**1,010,462.47**	**1,021,988.64**

नोट 3: व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023		31.03.2022	
		काल्पनिक राशि	उचित मूल्य	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य
	आस्तियां				
	अन्य व्युत्पन्न:				
	क्रॉस करेंसी डिरेवेटिव और ब्याज दर स्वैप	999,203.47	164,636.18	1,037,924.27	85,281.90
	(देखें नोट सं. 23.3.2)				
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	**999,203.47**	**164,636.18**	**1,037,924.27**	**85,281.90**

नोट 4: व्यापार प्राप्तियां

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
	पुनर्प्राप्ति योग्य वस्तुएं अच्छी मानी जाती हैं, असुरक्षित:		
	संबंधित पार्टियां	-	6.38
	अन्य	685.75	259.46
	कुल	**685.75**	**265.84**
	व्यापार प्राप्तियों का आयु अनुसार विश्लेषण	31.03.2023	31.03.2022
(क)	6 महीने से कम	685.75	259.46
(ख)	6 महीने से 1 साल तक	-	-
(ग)	1 – 2 वर्ष	-	-
(घ)	2 – 3 वर्ष	-	-
(ङ)	3 वर्ष से अधिक	-	-

नोट 5: ऋण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
(क)	ऋण		
(i)	सावधी ऋण		
(i)	अवसंरचनात्मक ऋण मानक आस्तियां	1,768,625.81	2,085,477.43
क.	प्रत्यक्ष उधार	121.24	147.31
ख.	समेकित नगर पालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) योजना	648,233.38	548,914.87
ग.	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	1,590,864.33	1,587,733.33
घ.	पुनर्वित्त योजना	617,175.88	97,500.00
(ii)	अवसंरचनात्मक ऋण उप-मानक आस्तियां		
क.	प्रत्यक्ष उधार	6,032.58	49,478.08
ख.	समेकित नगर पालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) योजना	-	-
ग.	**टेकआउट फाइनेंसिंग योजना**	-	**42,684.52**
(iii)	अवसंरचनात्मक ऋण: संदिग्ध आस्ति		
क.	प्रत्यक्ष उधार	403,840.89	536,259.81
ख.	समेकित नगर पालिका ऋण दायित्व (पीएमडीओ) योजना	-	**0.14**
ग.	**टेकआउट फाइनेंसिंग योजना**	**42,866.09**	**6,600.51**
(iv)	कर्मचारियों को ऋण	1,575.43	1,355.26
(v)	अन्य		
I	संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम प्रदान		
(क)	सहायक कंपनियों के लिए किए गए खर्च	-	**87.72**
	कुल (क) सकल	**5,079,335.63**	**4,956,238.99**
	घटाएं: हानि हानि भत्ता:	-	-
	घटाएं: विनियोग लंबित राशि	**(2,998.21)**	**64,426.62**
	कुल (क) निवल	5,082,333.83	4,891,812.38
(ख)	(i) मूर्त आस्ति और अमूर्त आस्ति द्वारा सुरक्षित।		
	स्वस्थ समझा गया	**3,035,731.74**	**2,733,394.87**
	वर्गीकृत संदिग्ध	452,739.56	635,023.06
	(ii) असुरक्षित	1,590,864.33	1,587,821.06
	कुल (ख) सकल	**5,079,335.63**	**4,956,238.99**
	घटाएं: हानि हानि भत्ता	-	-
	घटाएं: विनियोग लंबित राशि	(2,998.21)	64,426.62
	कुल (ख) निवल	**5,082,333.83**	**4,891,812.37**
(ग)	भारत में ऋण		
	(i) सार्वजनिक सेक्टर	**1,312,706.07**	**1,312,733.33**
	(ii) सार्वजनिक सेक्टर के	**3,766,629.56**	**3,643,505.66**
	कुल (ग) सकल	**5,079,335.63**	**4,956,238.99**
	घटाएं: हानि हानि भत्ता	-	-
	घटाएं: विनियोग लंबित राशि	**(2,998.21)**	**64,426.62**
	कुल (ग) निवल	**5,082,333.83**	**4,891,812.37**
	कुल	**5,082,333.83**	**4,891,812.37**

फुटनोट:

क्षेत्र	सुरक्षा के क्षेत्र का विवरण #	राशि (₹ लाख में)	
बिजली एवं अन्य क्षेत्र	बिजली और अन्य क्षेत्र बंधक: उधारकर्ता की सभी अचल आस्तियों, वर्तमान और भविष्य के बंधक के रूप में पहला परी–पासु प्रभार।	1,987,536.22	2,196,881.16
	दृष्टिबंधक: संयंत्र और मशीनरी आदि सहित ऋणी की सभी चल आस्तियों को दृष्टिबंधक के रूप में पहला परी–पासु प्रभार।		
	शेयरों की गिरवी न्यूनतम 51%		
	एस्क्रो खाता और उधारकर्ताओं के सभी अधिकार और शीर्षक और हित परी–पासु प्रभार।		
सड़क और हवाई अड्डा (पीपीपी)	वार्षिकी और टोल संग्रह प्राप्त करने का अधिकार	1,232,121.02	1,120,181.52
	एस्क्रो खाता और ऋण लेने वाले के सभी अधिकार और शीर्षक और हित समान हैं		
	दृष्टिबंधक: उधारकर्ता की सभी चल आस्तियों के दृष्टिबंधक के रूप में पहला परी–पासु प्रभार।	1,858,102.96	1,637,733.33
पुनर्वित्त योजना के तहत वित्तीय संस्थान और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बांड	सत्युरक्षित		
	कुल	**5,077,760.19**	**4,954,796.01**

\# उपरोक्त सुरक्षा विवरण देने वाले फुटनोट में इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण राशि में 31 मार्च 2023 को 7,76,620.72 लाख (31 मार्च 2022 को 6,36,896.84 लाख) शामिल हैं, जो एक वर्ष के भीतर देय ऋण की राशि और मूल अतिदेय राशि है। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक कुल अदिनों के मुकाबले 3,72,086.62 लाख का कुल प्रावधान किया गया है (31 मार्च 2022 तक 4,39,856.39 लाख)।

* भारतीय रिजर्व बैंक के 22 सितंबर 2021 के पत्र के अनुसार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बांड में निवेश को ऋण और अग्रिम के रूप में माना जाता है, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बांड & डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से पुनर्वित्त सहित निवेश की अनुमति है, चाहे वह कार्यान्वयन के तहत परियोजना में हो। या पूरी हो चुकी परियोजनाओं को आईआईएफसीएल द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण के लिए कुल संपत्ति का न्यूनतम 75% तैनात करने के उद्देश्य से इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण के रूप में माना जाएगा।

** कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की प्रयोज्यता के अनुसार 1.4.2013 से 1 अप्रैल 2014 और 20 मई 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में मुख्य महाप्रबंधक– मुख्य वित्तीय अधिकारी को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक माना गया। तदनुसार, उन्हें दिए गए गृह निर्माण ऋण को संबंधित वर्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2023 को ऋण की कुल राशि 11.05 लाख थी (31 मार्च 2022 तक शून्य लाख)।

** कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण में 11.05 लाख की राशि उपरोक्त नोट 4(ए)ए में शामिल है।

* नोट: आरसीआई मास्टर डायरेक्शन डीएनबीआर के संदर्भ में। पी.डी. 008/03.10.119/2016–17 दिनांक 1 सितंबर 2016 को 29 दिसंबर 2022 को अपडेट किया गया, आईआईएफसीएल ने ईसीएल के अनुसार प्रावधान सहित ऋण परिसंपत्तियों पर अलग से प्रावधान का खुलासा किया है, (नोट 18) जबकि बुनियादी ढांचे के मूल्य से घटाए बिना बनाया गया है ऋण परिसंपत्तियाँ (नोट 5)।

** विनिवेश के लिए लंबित राशि ऋण खाते में निवेश तारीख पर मार्जनमूल्यन औसत ऋण खाते में पूंजी भुगतान के लिए समायोज्य है।

वर्ष 2022-23 के लिए आईआईएफसीएल के वार्षिक खातों के अंकेक्षित में टिप्पणियों पर लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा, उद्योग और कॉर्पोरेट मामलों के महानिदेशक, नई दिल्ली के कार्यालय को दिए गए आश्वासनपत्र के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट के बिट चरण में यह खुलासा अपडेट किया गया है।

नोट 8: निवेश

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2023 तक				31-03-2022 तक			
		एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	अन्य	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	अन्य	कुल
	म्यूचुअल फण्ड								
(i)	आईआईएफसीएल म्यूचुअल निधि आईडीएफसी सीरीज I	19,681.00	-	-	19,681.00	19,196.30	-	-	19,196.30
(ii)	आईआईएफसीएल म्यूचुअल निधि आईडीएफसी सीरीज II	8,950.84	-	-	8,950.84	9,306.79	-	-	9,306.79
(iii)	IAMCL द्वारा एमएफ्यूचुअल फण्ड निवेश	34.57	-	-	34.57	33.22	-	-	33.22
		28,666.41	-	-	28,666.41	28,476.31	-	-	28,476.31
	सरकारी प्रतिभूतियां								
	6.29% (अप्रत्यावर्तनीय) निवेश बाजा सरकार प्रतिभूति-2020	-	88,760.00	-	88,760.00	-	88,760.00	-	88,760.00
	6.34% (अप्रत्यावर्तनीय) निवेश बाजा सरकार प्रतिभूति-2021	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00
	6.34% (अप्रत्यावर्तनीय) निवेश बाजा सरकार प्रतिभूति-2022	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00
	6.39% (अप्रत्यावर्तनीय) निवेश बाजा सरकार प्रतिभूति-2023	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00
	6.39% (अप्रत्यावर्तनीय) निवेश बाजा सरकार प्रतिभूति-2024	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00
	6.44% (अप्रत्यावर्तनीय) निवेश बाजा सरकार प्रतिभूति-2025	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00	-	88,200.00
		-	529,760.00	-	529,760.00	-	529,760.00	-	529,760.00
	ऋण प्रतिभूतियां								
	डिबेंचर में निवेश (स्थगित नहीं हुई पुनरावर्त किया गया)								
	बंधपत्र पात्रपत्र में निवेश बंधपत्र-बाजारगत) ब्राइनेट लिमिटेड	6,078.00	-	-	6,078.00	6,078.00	-	-	6,078.00
	बंधपत्र पात्रपत्र में निवेश एन आर आर-() ब्राइनेट लिमिटेड	7,276.00	-	-	7,276.00	7,276.00	-	-	7,276.00
	बंधपत्र पात्रपत्र में निवेश एन आर आर-(2) ब्राइनेट लिमिटेड	11,184.00	-	-	11,184.00	11,184.00	-	-	11,184.00
		24,538.00	-	-	24,538.00	24,538.00	-	-	24,538.00
	इक्विटी लिखत								
क	गैर-स्थगित इक्विटी लिखत								
	दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास कारपोरेशन लिमिटेड	411.03	-	-	411.03	411.03	-	-	411.03
	आधुनिक फायर एंड म्यूचुअल लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से सूचना इकाई द्वारा आवंटित)	4,765.00	-	-	4,765.00	4,765.00	-	-	4,765.00
		5,176.03	-	-	5,176.03	5,176.03	-	-	5,176.03
	अन्य								
क	अन्य सूची में निवेश (स्थगित नहीं हुई लाभ में पुनरावर्त किया गया)								
(i)	आईडीएफसी प्रोफेशनल इक्विटी फोकस्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (II) हुई लाभ में पुनरावर्त किया गया)	601.56	-	-	601.56	930.07	-	-	930.07
ख	सिक्योरिटी इक्विटी में निवेश (स्थगित नहीं हुई लाभ में पुनरावर्त किया गया)			-					
(i)	एसआरएफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	एसआरएफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इक्विटी एफए-एसी आर-सीरीज I	-	-	-	-	5,958.66	-	-	5,958.66
(iii)	एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (सीरीज-एसी-एफए-इक्वि)	-	-	-	-	2,476.05	-	-	2,476.05

क्र. सं.	विवरण	31-03-2023 तक				31-03-2022 तक			
		एक्विटीशेयर	परिवर्तित लागत	अन्य	कुल	एक्विटीशेयर	परिवर्तित लागत	अन्य	कुल
(iv)	पीएसबी एसएमई ग्रोथ फंड लिमिटेड (पीएसबी ट्रस्ट सिरीज वर्ष 16-20)	-	-	-	-	946.56	-	-	946.56
(v)	इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड विनिवेश कंपनी लिमिटेड (ईएसएसी ट्रस्ट-एसएसी 236- सीरीज I)	22,529.88	-	-	22,529.88	23,044.69	-	-	23,044.69
		22,529.89	-	-	22,529.89	22,425.96	-	-	22,425.97
	कुल (iv) लागत	91,501.88	529,760.00	-	611,261.88	91,946.57	529,760.00	-	621,306.57
(v)	निवेशों निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi)	लागत में निवेश	91,501.88	529,760.00	-	611,261.88	91,946.57	529,760.00	-	621,306.57
	कुल (iv)	91,501.88	529,760.00	-	611,261.88	91,946.57	529,760.00		621,306.57
	कुल (iv) के साथ मिलान करने के लिए (v)	31,453.15	-	-	31,453.15	32,173.36	-	-	32,173.36
	कुल निवेश V – (iv) – (v)	60,048.73	529,760.00		589,606.73	59,773.20	529,760.00	-	589,133.21

शति हानि के लिए भत्ते का विवरण

विवरण	31-03-2023 तक				31-03-2022 तक			
	एक्विटीशेयर	परिवर्तित लागत	अन्य	कुल	एक्विटीशेयर	परिवर्तित लागत	अन्य	कुल
(i) आईएल एंड एफ नेशनल रिसर्जेंस लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से गुजरा ट्रस्टी द्वारा आयोजित)	4,191.03	-	-	4,191.03	4,191.03	-	-	4,191.03
(ii) बकाया पारदर्शिता (स्पष्ट-बकाया) म्यूचुअल लिमिटेड में निवेश	3,088.42	-	-	3,088.42	3,173.97	-	-	3,173.97
(iii) बकाया पारदर्शिता (एनआरएसए-I) म्यूचुअल लिमिटेड में निवेश	5,430.73			5,430.73	5,617.32	-	-	5,617.32
(iv) बकाया पारदर्शिता (एनआरएसए-II) म्यूचुअल लिमिटेड में निवेश	6,742.94			6,742.94	7,191.02	-	-	7,191.02
कुल	31,453.15	-	-	31,453.15	32,173.36	-	-	32,173.36

*वित्तीय लिखतों को लागत पर मापा गया है।

फुटनोट

(a) सहायक निवेश की कुल राशि :

(i) लागत/बही मूल्य

(ii) बाजार मूल्य - -

(b) गैर-सहायक निवेश की कुल राशि–लागत/बही मूल्य 589,606.73 589,133.21

(c) अंकित निवेश के मूल्यांकन के लिए नोट 1(ए)(ii.2) देखें.

(d) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का स्थानांतरण:
आईआईएफसीएल के परेशू ऋण लिखतों में "AAA" रेटिंग है– CRISIL, CARE, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, ICRA और क्रिसिल– क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई घरेलू रेटिंग. कंपनी को दी गई रेटिंग को स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा सीसीसी–/नेगेटिव/ए–3 के रूप में पुष्टि की गई थी जो कि सॉवरेन रेटिंग के बराबर है. वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

* निम्नलिखित निवेश की प्रति यूनिट एनएवी (रुपये में) इस प्रकार है:

(i)	आईआईएफसीएल म्यूचुअल निधि आईडीएफ सीरीज I	1,513,923.68	1,472,808.24
(ii)	आईआईएफसीएल म्यूचुअल निधि आईडीएफ सीरीज II	895,084.44	930,679.41
(iii)	ईएसएसी ट्रस्ट–एसएसी 207–श्रृंखला	-	764.58
(iv)	ईएसएसी ट्रस्ट–एसएसी 236–श्रृंखला	585.99	250.00
(v)	आईएल–एएनडी–VIII–ट्रस्ट	-	225.00
(vi)	पीएसबी ट्रस्ट सिरीज वर्ष 16-20	-	246.00

लागत/बही मूल्य

एनएवी में उतार–चढ़ाव को अस्थायी माना जाता है।

नोट 7: अन्य वित्तीय आस्तियां

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
(क)	अग्रिमों		
	कर्मचारियों से वसूली योग्य अग्रिम	95.97	51.16
	प्रतिभूति के रूप में जमा राशि का भुगतान	46.13	42.48
	अन्य	10,485.74	1,540.06
	उप–कुल (क)	**10,627.85**	**1,633.70**
(ख)	ऋण और अग्रिमों पर अर्जित और देय ब्याज	**1,831.57**	**1,953.69**
	उप–कुल (ख)	**1,831.57**	**1,953.69**
(ग)	अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं:		
	बांड	26,617.18	9,665.20
	बैंकों के साथ सावधि जमा	6,004.05	66.30
	सरकारी प्रतिभूतियां	93.66	93.66
	ऋण और अग्रिम	19,031.81	20,619.72
	उप–कुल राशि (ग)	**51,746.70**	**30,444.88**
	कुल (क)+(ख)+(ग)	**64,206.11**	**34,032.26**

नोट 8: वर्तमान कर आस्ति

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
(i)	निवल आयकर वसूली योग्य	4,309.27	22,131.33
(ii)	वसूली योग्य जीएसटी कर	843.03	111.17
(iii)	निवल अग्रिम कर वसूली योग्य	66.93	11,511.30
	कुल	**5,219.23**	**33,753.80**

नोट 9: आस्थगित कर आस्ति

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
(I)	आस्थगित कर आस्तियों के कारण:		
(i)	कर के लिए प्रस्तावित विधि देयता खाते (ब्याज पूंजीकरण) में जमा किए गए ब्याज	7,597.76	11,070.69
(ii)	अर्जित ऋण का हानि	20,854.29	27,079.65
(iii)	बुरी नकदीकरण का प्रावधान	13.79	69.07
(iv)	मूल्यह्रास	1,397.13	514.18
(v)	बीमारी अवकाश के लिए प्रावधान	53.69	44.68
(vi)	अन्य	2,412.09	1,827.73
(vii)	चिकित्सा सहायता योजना का प्रावधान	245.13	256.88
(viii)	लेखा मानकों का प्रावधान	44.16	36.17
(ix)	अवकाश किराया रियायत का प्रावधान	27.68	29.58
(x)	उपदान के लिए प्रावधान	13.59	11.59
(xi)	आईएनसीएल की आस्थगित कर आस्ति	16.19	13.93
(xii)	निवल अग्रिम कर वसूली योग्य	6.54	-
(xiii)	आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	-	88.29
	आस्थगित कर आस्तियां	32,682.04	41,042.44
(II)	आस्थगित कर देयता के कारण:		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(अरपप) के तहत गुणित विधि अवमूल्यन अर्जित निधि	-	-
(ii)	धारा लिज पर टीडीएस नहीं काटा गया	-	-
	निलम्बित टैक्स देयता	-	-
	आस्थगित कर आस्ति/(देयता) (नेट)	32,682.04	41,042.44

नोट 10 : अचल आस्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	दिनांक 01.04.2022	जोड़	निपटान/समायोजन	दिनांक 31.03.2023	दिनांक 01.04.2022	अवधि	अचलित/समायोजन के लिए	दिनांक 31.03.2023	दिनांक 31.03.2023	दिनांक 31.03.2022
भूमि आस्ति										
फ्रीहोल्ड और लीज़होल्ड	27,479.83			**27,479.83**	1,154.75	908.37	-	**2,063.12**	25,416.69	26,325.08
भवन	141.26	3.71	-	**144.97**	120.90	10.16	-	**131.06**	13.91	20.36
आस्तियां प्रचालन	623.83	13.25	-	**637.07**	399.51	58.78	-	**458.29**	178.78	224.33
प्लांट व मशीनरी	103.16	-	8.60	**94.57**	47.65	16.90	5.29	**59.26**	35.31	55.51
कम्प्यूटर हार्डवेयर	347.15	9.42	-	**347.78**	289.81	25.30	-	**315.11**	32.67	57.35
ऑफिस फर्नीचर	320.08	48.66	72.71	**196.04**	132.97	37.91	69.47	**121.39**	74.64	87.11
विद्युत संस्थापन	95.88	7.87	-	**103.92**	58.00	5.80	-	**63.81**	39.11	41.88
विद्युत उपकरण	346.43	-	-	**346.43**	285.49	32.94	-	**318.44**	27.97	50.92
कुल	**29,356.97**	**73.92**	**81.30**	**29,349.57**	**4,445.48**	**1,159.75**	**74.76**	**5,530.48**	**23,819.09**	**24,911.49**
पिछले वर्ष	28,294.40	68.02	5.45	29,356.96	3,324.37	1,130.02	8.90	4,445.47	24,911.50	26,070.02

नोट 11 : पूंजीगत कार्य में प्रगति

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	दिनांक 01.04.2022	जोड़	निपटान/समायोजन	दिनांक 31.03.2023	दिनांक 01.04.2022	अवधि	अचलित/समायोजन के लिए	दिनांक 31.03.2023	दिनांक 31.03.2023	दिनांक 31.03.2022
अभूत परियोजना*	1,052.59	-	-	1,052.59	883.79	58.48	-	942.27	110.32	168.80
कुल	**1,052.59**	-	-	**1,052.59**	**883.79**	**58.48**	-	**942.27**	**110.32**	**168.80**
पिछले वर्ष	1,052.20	0.39	-	1,052.59	772.75	111.04	(0.00)	883.79	168.80	279.45

***कंपनी द्वारा धारित अभूत आस्ति आंतरिक रूप से उत्पन्न अभूत आस्ति के अलावा अन्य है:**

नोट: आईआईएफसीएल का कार्यालय 1 जनवरी 2019 से नए परिसर में स्थानांतरित हो गया है। परिसर के अभिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि को लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत किया गया है। चूंकि पट्टा एग्रीमेंट अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है, इसलिए आईआईएफसीएल ने 30 साल की पट्टा अवधि में राशि का परिशोधन किया है।

नोट 12: अभूत आस्ति

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
(i)	पूर्व भुगतान व्यय	6,806.55	45.33
(ii)	अन्य अधिग्रहण	845.89	952.33
(iii)	पूर्व स्टाफ लागत	17.93	8.00
	कुल	**7,670.37**	**1,005.65**

नोट 13: देय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
	व्यापार देय		
	सूक्ष्म उद्यमियों एवं लघु उद्यमियों के अलावा उधारदाताओं का कुल देय	7.98	57.58
	कुल	**7.98**	**57.58**

	व्यापार प्राप्तियों का आयु अनुसार विश्लेषण	31.03.2023	31.03.2022
(क)	1 वर्ष से कम	7.98	57.58
(ख)	1–2 वर्ष	-	-
(ग)	2–3 वर्ष	-	-
(घ)	3 वर्ष से अधिक	-	-

नोट 14: ऋण प्रतिभूतियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(क)	ऋण				
I	सुरक्षित बांड^				
(i)	600(31 मार्च तक 600)7.20% का मूल्य का श्रृंखला III-I ए अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 15/11/2023 को देयि किया जा सकता है।	-	-	6,000.00	6,000.00
(ii)	2,140 (31 मार्च तक 2,140) 7.21% का मूल्य का श्रृंखला I ए अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 15/11/2023 को देयि किया जा सकता है।	-	-	21,400.00	21,400.00
(iii)	11,18,644 (31 मार्च 2022 तक 11,18,644) ₹ 1000, अंकित मूल्य के 7.69% का मूल्य का, 20/01/2023 को देयि किया जा सकता है।	-	-	11,186.44	11,186.44
(iv)	84,46,348 (31 मार्च 2022 तक 84,46,348) 7.19% का मूल्य का, 20/01/2023 को देयि किया जा सकता है।	-	-	85,463.48	85,463.48
(v)	98,318 (31 मार्च 2022 तक 84,46,348)₹ 1000, अंकित मूल्य के 7.19% का मूल्य का, 20/01/2023 को देयि किया जा सकता है।	-	-	983.18	983.18
(vi)	19,27,319 (31 मार्च 2022 तक 19,27,319)₹ 1000, अंकित मूल्य के 6.86% का मूल्य का, 20/01/2023 को देयि किया जा सकता है।	-	-	19,273.19	19,273.19
(vii)	100 (31 मार्च 2022 तक 100)₹ 10 लाख, अंकित मूल्य के 6.86% का मूल्य का, 30/08/2023 को देयि किया जा सकता है।	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
(viii)	50 (31 मार्च 2022 तक 50) 8.11% का मूल्य का श्रृंखला VII अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 05/09/2023 को देयि किया जा सकता है।	500.00	500.00	500.00	500.00
(ix)	12,31,739 (31 मार्च 2022 तक 12,31,739) 8.26% का मूल्य का श्रृंखला VII अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक, 12/11/2023 को देयि किया जा सकता है।	12,317.39	12,317.39	12,317.39	12,317.39
(x)	27,719 (31 मार्च 2022 तक 27,719) 8.01% का मूल्य का श्रृंखला III अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 12/11/2023 को देयि किया जा सकता है।	277.19	277.19	277.19	277.19
(xi)	17,26,340 (31 मार्च 2022 तक 17,26,340) 8.01% का मूल्य का श्रृंखला III अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 12/11/2023 को देयि किया जा सकता है।	17,263.40	17,263.40	17,263.40	17,263.40
(xii)	79,57,885 (31 मार्च 2022 तक 79,57,885) 8.41% का मूल्य का श्रृंखला IV अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 22/01/2024 को देयि किया जा सकता है।	79,578.85	79,578.85	79,578.85	79,578.85

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(xiii)	41,69,571 (31 मार्च 2022 तक 41,69,571) 8.66% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 22/01/2024 को देयि किया जा सकता है।	40,665.71	40,665.71	40,665.71	40,665.71
(xiv)	1,91,778 (31 मार्च 2022 तक 1,91,778) 8.41% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 22/01/2024 को देयि किया जा सकता है।	1,917.78	1,917.78	1,917.78	1,917.78
(xv)	12,80,511 (31 मार्च 2022 तक 12,80,511) 8.41% कर मुक्त बांड श्रेणी III श्रृंखला VII अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 27/03/2024 को देयि किया जा सकता है।	12,805.11	12,805.11	12,805.11	12,805.11
(xvi)	41,188 (31 मार्च 2022 तक 41,188) 8.16% कर मुक्त बांड श्रृंखला III अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 27/03/2024 को देयि किया जा सकता है।	411.88	411.88	411.88	411.88
(xvii)	38,58,714(31 मार्च2022 तक38,58,714) 8.16% कर मुक्त बांड किस्त III श्रृंखला IX अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 27/03/2024 को देयि किया जा सकता है।	38,587.14	38,587.14	38,587.14	38,587.14
(xviii)	79,110 (31 मार्च 2022 तक 79,110) 8.10% अंकित मूल्य वाले ₹ 1000 प्रत्येक, 28/03/2026 को देयि किया जा सकता है।	791.10	791.10	791.10	791.10
(xix)	1,000 (31 मार्च 2022 तक 1,000) 7.38% कर मुक्त बांड श्रृंखला III- बी अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 15/11/2027 को देयि किया जा सकता है।	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
(xx)	500 (31 मार्च 2022 तक 500) 7.38% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV- बी अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 27/11/2027 को देयि किया जा सकता है।	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(xxi)	67,41,162 (31 मार्च 2022 तक 67,41,162) 7.36% कर मुक्त बांड अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 22/01/2028 को देयि किया जा सकता है।	67,411.62	67,411.62	67,411.62	67,411.62
(xxii)	8,68,391,501 (31 मार्च 2022 तक 8,68,391,501) 7.86% कर मुक्त बांड अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 22/01/2028 को देयि किया जा सकता है।	8,683.91	8,683.91	8,683.91	8,683.91
(xxiii)	3,51,554 (31 मार्च 2022 तक 3,51,554) 7.02% कर मुक्त बांड अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 26/03/2028 को देयि किया जा सकता है।	3,515.54	3,515.54	3,515.54	3,515.54
(xxiv)	1,04,064 (31 मार्च 2022 तक 1,04,064) 7.52% कर मुक्त बांड अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक, 26/03/2028 को देयि किया जा सकता है।	1,040.64	1,040.64	1,040.64	1,040.64
(xxv)	6,303 (31 मार्च 2022 तक 6,303) 8.26% कर मुक्त बांड अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 23/08/2028 को देयि किया जा सकता है।	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(xxxvi)	11,597 (31 मार्च 2022 तक 11,597) 8.46% का पुट बांड श्रृंखला VI अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 30/08/2028 को देयित्व किया जा सकता है।	115,970.00	115,970.00	115,970.00	115,970.00
(xxxvii)	11,297 (31 मार्च 2022 तक 11,597) 8.48% का पुट बांड श्रृंखला VII अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 05/09/2028 को देयित्व किया जा सकता है।	112,970.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00
(xxxviii)	89,009 (31 मार्च 2022 तक 89,009) 8.38% का पुट बांड श्रृंखला III अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 12/11/2028 को देयित्व किया जा सकता है।	890.09	890.09	890.09	890.09
(xxxix)	30,35,330 (31 मार्च 2022 तक 30,35,330) 8.38% का पुट बांड अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 12/11/2028 को देयित्व किया जा सकता है।	30,353.30	30,353.30	30,353.30	30,353.30
(xxx)	15,71,311 (31 मार्च 2022 तक 15,71,311) 8.63% का पुट बांड अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 12/11/2028 को देयित्व किया जा सकता है।	15,713.11	15,713.11	15,713.11	15,713.11
(xxxi)	67,908 (31 मार्च 2022 तक 67,908) 8.48% का पुट बांड श्रृंखला IV अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 22/01/2029 को देयित्व किया जा सकता है।	679.08	679.08	679.08	679.08
(xxxii)	27,98,922 (31 मार्च 2022 तक 27,98,922) 8.48% का पुट बांड श्रृंखला IV अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 22/01/2029 को देयित्व किया जा सकता है।	27,989.22	27,989.22	27,989.22	27,989.22
(xxxiii)	14,10,950 (31 मार्च 2022 तक 14,10,950) 8.73% का पुट बांड श्रृंखला IV अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 22/01/2029 को देयित्व किया जा सकता है।	14,109.50	14,109.50	14,109.50	14,109.50
(xxxiv)	1,22,807 (31 मार्च 2022 तक 1,22,807) 8.55% का पुट बांड श्रृंखला III अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 27/03/2029 को देयित्व किया जा सकता है।	1,228.07	1,228.07	1,228.07	1,228.07
(xxxv)	1,59,58,486 (31 मार्च 2022 तक 1,59,58,486) 8.55% का पुट बांड श्रृंखला 2A अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 27/03/2029 को देयित्व किया जा सकता है।	156,584.86	156,584.86	156,584.86	156,584.86
(xxxvi)	27,11,062 (31 मार्च 2022 तक 27,11,062) 8.80% का पुट बांड श्रृंखला III- सी अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 15/11/2032 को देयित्व किया जा सकता है।	27,110.62	27,110.62	27,110.62	27,110.62
(xxxvii)	3,400 (31 मार्च 2022 तक 3,400) 7.41% का पुट बांड श्रृंखला 2 सी अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 27/03/2029 को देयित्व किया जा सकता है।	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(xxxviii)	210 (31 मार्च 2022 तक 210) 7.41% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV-सी अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 27/11/2032 को देयि किया जा सकता है।	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
(xxxix)	1,01,62,809 (31 मार्च 2022 तक 1,01,62,809) 7.40% कर मुक्त बांड श्रृंखला अंकित मूल्य ₹ 1000 लाख प्रत्येक 27/11/2032 को देयि किया जा सकता है।	101,628.09	101,628.09	101,628.09	101,628.09
(xLi)	14,01,415 (31 मार्च 2022 तक 14,01,415) 7.90% कर मुक्त बांड अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 22/01/2033 को देयि किया जा सकता है।	14,014.15	14,014.15	14,014.15	14,014.15
(xLii)	42,472 (31 मार्च 2022 तक 42,472) 7.08% कर मुक्त बांड अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 26/03/2033 को देयि किया जा सकता है।	424.72	424.72	424.72	424.72
(xLiii)	1,90,693 (31 मार्च 2022 तक 1,90,693) 7.58% कर मुक्त बांड अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 26/03/2033 को देयि किया जा सकता है।	1,906.93	1,906.93	1,906.93	1,906.93
(xLiii)	20 (31 मार्च 2022 तक 20) 7.58% कर मुक्त बांड श्रृंखला V अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 23/08/2033 को देयि किया जा सकता है।	200.00	200.00	200.00	200.00
(xLiv)	265(31 मार्च2022 तक 265)8.37% कर मुक्त बांड श्रृंखला VI अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 30/08/2033 को देयि किया जा सकता है।	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
(xLv)	1,59,113 (31 मार्च 2022 तक 1,59,113) 8.50% कर मुक्त बांड श्रृंखला III अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 12/11/2033 को देयि किया जा सकता है।	1,591.13	1,591.13	1,591.13	1,591.13
(xLvi)	18,68,982 (31 मार्च 2022 तक 18,68,982) 8.50% कर मुक्त बांड श्रृंखला III अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 12/11/2033 को देयि किया जा सकता है।	18,689.82	18,689.82	18,689.82	18,689.82
(xLvii)	24,20,508 (31 मार्च 2022 तक 24,20,508) 8.75% कर मुक्त बांड अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 12/11/2033 को देयि किया जा सकता है।	24,205.08	24,205.08	24,205.08	24,205.08
(xLviii)	5,15,765 (31 मार्च 2022 तक 5,15,765) 8.66% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 12/11/2033 को देयि किया जा सकता है।	5,157.65	5,157.65	5,157.65	5,157.65
(xLix)	75,43,989 (31 मार्च 2022 तक 75,43,989) 8.66% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 22/11/2034 को देयि किया जा सकता है।	75,439.89	75,439.89	75,439.89	75,439.89

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(L)	54,43,232 (31 मार्च 2022 तक 54,43,232) 8.91% कर मुक्त बांड श्रृंखला IV अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 22/11/2034 को देयित किया जा सकता है।	54,432.32	54,432.32	54,432.32	54,432.32
(Li)	12,59,825 (31 मार्च 2022 तक 12,59,825) 8.55% कर मुक्त बांड श्रृंखला III के अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 27/03/2034 को देयित किया जा सकता है।	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25
(Lii)	12,87,311 (31 मार्च 2022 तक 12,87,311) 8.80% कर मुक्त बांड श्रृंखला III के अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 27/03/2034 को देयित किया जा सकता है।	12,873.11	12,873.11	12,873.11	12,873.11
(Liii)	125,470 (31 मार्च 2022 तक 125,470) 8.55% कर मुक्त बांड सिरीज III अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रत्येक 27/03/2034 को देयित किया जा सकता है।	1,254.70	1,254.70	1,254.70	1,254.70
(Liv)	10,500 (31 मार्च 2022 तक 125,470) 8.55% कर मुक्त बांड सिरीज III अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 27/07/2037 को देयित किया जा सकता है।	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
(Lv)	500 (31 मार्च 2022 तक 500) 9.36% कर मुक्त बांड अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 27/07/2042 को देयित किया जा सकता है।	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		1,344,690.90	**1,344,690.90**	**1,488,997.24**	**1,488,997.24**
II	**अप्रतिभूत बांड**				
(i)	2,000 8.82% अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 19/12/2022 को देयित किया जा सकता है। #	-	-	20,000.00	20,000.00
(ii)	2,000 9.35% अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 17/11/2023 को देयित किया जा सकता है। #	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(iii)	2,000 8.68% अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 18/12/2023 को देयित किया जा सकता है। #	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(iv)	5,000 8.10% अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 08/04/2024 को देयित किया जा सकता है। #	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(v)	5,000 7.90% अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 08/04/2024 को देयित किया जा सकता है। #	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(vi)	6,000 8.12% अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 12/08/2024 को देयित किया जा सकता है। #	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
(vii)	4,000 अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 24/08/2024 को देयित किया जा सकता है। #	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
(viii)	10,000 अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक 03/11 /2024 को देयित किया जा सकता है। #	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(ix)	15,000 7.17% अंकित मूल्य ₹ 10 लाख प्रत्येक, 12/03/2032 को रिडीम किया जा सकता है। #	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
(x)	400 बचत मूल्य डीलर से जुड़ा हुआ 6 महीने लीकेज बांड, अंकित मूल्य डीलर 1 मिलियन प्रत्येक, आईआईएफ द्वारा समाप्तयोग्य किया गया, 29/01/2029 को समयपूर्व पर रिडीम किया जा सकता है #	326,367.60	326,367.60	303,226.40	303,226.40
(xi)	532 मूल्य डीलर से जुड़ा हुआ बचत 6 महीने लीकेज बांड गैर-परिवर्तनीय, अंकित मूल्य डीलर 1 मिलियन आईआईएफ द्वारा समाप्तयोग्य किया गया, 26/03/2025 को समयपूर्व पर रिडीम किया जा सकता है #	437,260.91	437,260.91	403,260.77	403,260.77
(xii)	231 मूल्य डीलर से जुड़ा हुआ बचत 6 महीने लीकेज बांड गैर-परिवर्तनीय, अंकित मूल्य डीलर 1 मिलियन आईआईएफ द्वारा समाप्तयोग्य किया गया, 06/03/2024 को समयपूर्व पर रिडीम किया जा सकता है #	189,921.04	189,921.04	175,119.40	175,119.40
(xiii)	160 मूल्य डीलर से जुड़ा हुआ बचत 6 महीने के लीकेज बांड गैर-परिवर्तनीय, अंकित मूल्य डीलर 1 मिलियन आईआईएफ द्वारा समाप्तयोग्य किया गया, 04/03/2023 को समयपूर्व पर रिडीम किया जा सकता है #	-	-	131,291.36	131,291.36
(xiv)	117 मूल्य डीलर से जुड़ा हुआ बचत 6 महीने के लीकेज बांड गैर-परिवर्तनीय, अंकित मूल्य डीलर 1 मिलियन आईआईएफ द्वारा समाप्तयोग्य किया गया, 05/07/2022 को समयपूर्व पर रिडीम किया जा सकता है #	-	-	98,994.31	98,994.31
		1,446,182.55	1,446,182.55	1,601,822.24	1,601,822.24
	कुल सकल (क)	**2,790,873.50**	**2,790,873.50**	**3,090,619.48**	**3,090,619.48**
	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	**1,684,690.95**	**1,684,690.95**	**1,848,997.24**	**1,848,997.24**
	भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियां	**956,182.55**	**956,182.55**	**1,091,622.24**	**1,091,622.24**
	कुल सकल (ख)	**2,640,873.50**	**2,790,873.50**	**2,940,619.48**	**2,940,619.48**
	कुल (ख) (क) के साथ मिलान करने के लिए	**2,790,873.50**	**2,790,873.50**	**3,090,619.48**	**3,090,619.48**

एक्सीडीसीएल और एक्सीडीसीसीआई में कोई ऋण प्रतिभूतियां गारी और निर्दिष्ट नहीं है।

^ आईआईएफसीएल द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित और असुरक्षित बांड गैर–परिवर्तनीय और समयपूर्व पर प्रतिदेय है। इसके अलावा, सुरक्षित बांड कंपनी के खातों के सभी अधिकारों, शीर्षकों, हितों, लाभ, दावों और मांगों के आधार पर सुरक्षित है, जिसमें कंपनी की किसी भी प्रकृति, वर्तमान और भविष्य की प्राप्य राशि भी शामिल है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और वर्ष के दौरान रेटिंग का स्थानांतरण

आईआईएफसीएल के परेतू ऋण उपकरणों को व्यष्टिक रेटिंग प्राप्त है – क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, आईसीआरए और डिस्कवरी– क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उपयुक्त रेटिंग।

वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

असुरक्षित बांड की गारंटी होती है

भारत सरकार अर्थात में शून्य सहित

31 मार्च 2023 (31 मार्च 2022 तक शून्य)

1 वर्ष के भीतर देय राशि होने के नाते

रिडीमिंग अवधि की समाप्ति: 1,296,182.55 1,296,182.55 1,601,822.24 1,601,822.24

बांड का डिबेंचर धारक जिसे आईआईएफसीएल के पास दोबारा जारी करने की शक्ति है। शून्य शून्य

लंबी अवधि के ऋणों की चुकौती की शर्तें

i) एशियाई विकास बैंक

अंश	अनुबंध के अनुसार ऋण राशि (अल्पावधि सहित) (लाख में)	ब्याज की दर	चुकौती कि शुरुआत	उस अवधि तक चुकौती	चुकौती की आवृत्ति	चुकौती राशि
I	3000	6 मिलियन अमरीकी डॉलर लिबोर +[illegible]	15.12.2012	15.06.2032	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि के [illegible]% की प्रत्येक किस्त है
II	2000	6 मिलियन अमरीकी डॉलर लिबोर +[illegible]	15.06.2014	15.12.2033	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि के [illegible]% की प्रत्येक किस्त है
III	2100	6 मिलियन अमरीकी डॉलर लिबोर +[illegible]	15.12.2014	15.06.2034	अर्द्ध वार्षिक	मयूनिख किस्तें [illegible]% से मूल डॉलर ऋण राशि के [illegible]% तक
IV	2500	6मिलियन अमरीकी डॉलर लिबोर +[illegible]	15.12.2015	15.06.2035	अर्द्ध वार्षिक	
V	2400	6 मिलियन अमरीकी डॉलर लिबोर +[illegible]	15.12.2016	15.06.2036	अर्द्ध वार्षिक	
VI	4000	6 मिलियन अमरीकी डॉलर लिबोर +[illegible]	15.03.2018	15.03.2037	अर्द्ध वार्षिक	मयूनिख किस्तें [illegible]% से मूल डॉलर ऋण राशि के [illegible]% तक
VII	3000	6 मिलियन अमरीकी डॉलर लिबोर +[illegible]	01.05.2023	01.05.2038	अर्द्ध वार्षिक	मयूनिख किस्तें [illegible]% से मूल डॉलर ऋण राशि के [illegible]% तक
कुल	19000					

ii) आईबीआरडी (विश्व बैंक)

अंश	ब्याज की दर	चुकौती कि शुरुआत	उस अवधि तक चुकौती	चुकौती की आवृत्ति	चुकौती राशि
1950*	6 मिलियन अमरीकी डॉलर लिबोर + वेरिएबल स्प्रेड	15.04.2017	15.04.2037	अर्द्ध वार्षिक	15.10.2036 तक ऋण राशि का 2.44% और 15.04.2037 को 2.40% की किस्तें

*आईबीआरडी (विश्व बैंक) की ऋण राशि 18 दिसंबर 2013 को अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट के पुनर्गठन के कारण 1,950 लाख डॉलर तक कम हो गई है, जिसमें 18,000 लाख डॉलर की ऋण राशि को रद्द करने का विकल्प दिया गया है।

iii) क्रेडीटैंसटाल्ट फर वीडेरौफबाउ (केएफडब्लयू)

अंश	अनुबंध के अनुसार ऋण राशि (अल्पावधि सहित) (लाख में)	ब्याज की दर	चुकौती की शुरुआत	उस अवधि तक चुकौती	चुकौती की आवृत्ति	चुकौती राशि
I	165.89	0.75%	30.06.2020	30.06.2050	अर्द्ध वार्षिक	- पूरी 271,000 30.06.2020 तक 30.12.2021 - पूरी 272,000 से 30.06.2022 तक 30.12.2049 और पूरी 272581.03 को 30.06.2050
II	334.11	4.99%	30.06.2015	30.06.2020	अर्द्ध वार्षिक	- पूरी 3,037,000 तक 30.06.2015 से 30.06.2018 - पूरी 3,038,000 तक 30.12.2018 से 30.12.2019 और पूरी 3,038,418.97 को 30.06.2020
कुल	500.00					

iv) यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (विश्व बैंक)

अंश	अनुबंध के अनुसार ऋण राशि (अल्पावधि सहित) (लाख में)	ब्याज की दर	चुकौती कि शुरुआत	उस अवधि तक चुकौती	चुकौती की आवृत्ति	चुकौती राशि
I	350.00	6 मिलियन यूरोबोर+ 0.75% का संपूर्ण स्प्रेड	22.06.2020	30.12.2034	अर्द्ध वार्षिक	पूरी की प्रत्येक किस्त 11,66,666.67
II	400.00	6 मिलियन यूरोबार + 0.40% का संपूर्ण स्प्रेड	21.06.2021	30.12.2034	अर्द्ध वार्षिक	प्रत्येक किस्त 14,28,571.43 पूरी की
III	400.00	6 मिलियन यूरोबार + 0.40% का संपूर्ण स्प्रेड	21.06.2021	30.12.2034	अर्द्ध वार्षिक	प्रत्येक किस्त 14,28,571.43 पूरी की
IV	850.00	6 मिलियन यूरोबार + 0.34% का संपूर्ण स्प्रेड	21.06.2021	30.12.2034	अर्द्ध वार्षिक	पूरी 30,35,714.29 की प्रत्येक किस्त
कुल	2000.00					

(v) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी

अंश	अनुबंध के अनुसार ऋण राशि (अल्पावधि सहित) (लाख में)	ब्याज की दर	पुकौती कि शुरुआत	उस अवधि तक पुकौती	पुकौती की आवृत्ति	पुकौती राशि
भाग–I	10,000.00	6 लिबोर+ 0.35% का संपूर्ण योग	20.03.2022	20.03.2036	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि की पहली किस्त 3.44832% और उसके बाद ऋण राशि के 3.44827% की किस्तें
भाग–II	90,000.00	6 लिबोर+ 0.35% का संपूर्ण योग	20.03.2022	20.03.2036	अर्द्ध वार्षिक	ऋण राशि की पहली किस्त 3.44832% और उसके बाद ऋण राशि के 3.44827% की किस्तें

नोट 15: उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(क)	**सावधि ऋण**				
(i)	बैंकों से				
क.	बैंकों से वन अंश के लिए ऋण	570,000.00	570,000.00	363,788.46	363,788.46
ख.	अन्य ऋण – आईआईएफसी मूले	122,014.13	122,014.13	39,347.05	39,347.05
(ii)	अन्य पक्षों से				
	असुरक्षित ऋण				
क.	एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	1,148,371.73	1,148,371.73	1,097,295.83	1,097,295.83
ख.	आईबीआरडी (विश्व बैंक)	113,380.39	113,380.39	111,754.83	111,754.83
ग.	यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी)	151,820.88	151,820.88	155,391.23	155,391.23
घ.	केएफडब्लू फॉर बीएमजेएचयू (केएफडब्लू)	13,405.82	13,405.82	13,126.16	13,126.16
ङ.	जापान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी	220,190.86	220,190.86	185,282.61	185,282.61
ख.	**के मांग पर चुकाने योग्य ऋण**				
	सुरक्षित ऋण				
(i)	बैंकों से	253,265.84	253,265.84	155,022.58	155,022.58
	31 मार्च 2021 को ₹ 6,43,318.55 लाख की सावधि जमा रसीदों को गिरवी रखकर सुरक्षित (31 मार्च 2020 तक ₹ 5,00,198.50 लाख))				
	कुल (क)	**2,592,449.66**	**2,592,449.66**	**2,121,008.76**	**2,121,008.76**
	भारत में लिया गया उधार	823,265.84	823,265.84	518,811.04	518,811.04
	भारत में लिया गया उधार	1,769,183.81	1,769,183.81	1,602,197.72	1,602,197.72
	भारत–एफसी ऋण के बाहर उधार	**2,592,449.66**	**2,592,449.66**	**2,121,008.76**	**2,121,008.76**
	कुल (ख) (क) के साथ मिलान करने के लिए				

ऋण प्रतिभूति से सभी असुरक्षित सावधि ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है जिसमें से ₹80,000.00 लाख, ₹80.28 लाख, ₹3,004.71 लाख, ₹11,075.80 लाख और ₹31 मार्च 2021 को कुल राशि (₹47,342.07 लाख, ₹3,198.59 लाख) , ₹7,173.73 लाख और ₹31 मार्च 2020 को ₹11,073.39 लाख) रिलेटिंग अवधि के आर से 1 वर्ष के भीतर क्रमशः एडीबी, केएफडब्लू, विश्व बैंक, ईआईबी और जेआईसीए को देय राशि है।

* डेबिट बैलेंस का निपटान

0.14	0.14	0.15	0.15

नोट 16: अन्य वित्तीय देनदारियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	ब्याज उपर्जित		
	बांड और सावधि ऋण पर	81,780.58	74,134.52
	अन्य		
(i)	प्राप्त प्रतिभूति जमाएं	7.63	2.15
(ii)	अन्य	3,022.37	2,829.28
	कुल	**84,810.58**	**76,965.95**

नोट 17: वर्तमान कर देनदारियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i)	आयकर के लिए प्रावधान	14,643.27	13,977.24
(ii)	आयकर (तुल्य)	**408.55**	-
	कुल	**15,051.81**	**13,977.24**

नोट 18: प्रावधान

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(i)	अवकाश नकदीकरण	74.05	290.13
(ii)	बीमारी के लिए अवकाश	213.34	177.54
(iii)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	994.49	1,047.08
(iv)	अवकाश किराया छूट	111.62	117.79
(v)	वेतन संशोधन	2,184.73	1,501.35
(vi)	उपदान	71.78	51.66
(vii)	पूर्णकालिक निदेशकों हेतु निष्पादन लिंक्ड लाभांश	26.00	-
	अन्य		
(i)	डेरिवेटिव्स पर बाजार के मार्क टू मार्केट हानि	-	350.82
(ii)	मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान	17,965.76	16,742.44
(iii)	अवमानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	198.49	6,352.64
(iv)	संदिग्ध आस्तियों के विरुद्ध प्रावधान	297,696.38	302,347.62
(v)	पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	8,993.13	9,236.15
(vi)	एनपीए के व्यय	932.04	680.78
(vii)	वास्तविक लेखा मानक के अनुसार अर्जित ऋण हानि	47,432.87	104,977.45
	कुल	**376,694.68**	**443,873.46**

नोट 19 : अन्य गैर-वित्तीय दायित्व

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क)	अन्य देनदारियां		
(i)	सांविधिक देय देय	404.43	303.03
(ii)	बांड पर दावा न किया गया ब्याज	0.69	0.69
(iii)	देय प्रतिबद्धता शुल्क	23.63	22.89
(iv)	विविध देयताएं खाता (ब्याज पूंजीकरण)	30,103.40	40,804.76
(v)	अन्य	1,033.47	573.05
	कुल	**31,565.62**	**41,704.42**

नोट 20: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क)	₹ 10/- के 10,000,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020 तक प्रत्येक ₹ 10/- के 10,000,000,000 इक्विटी शेयर)	1,000,000.00	600,000.00
	जारी, अभिदत्त एवं चुकता		
(ख)	9,999,916,230 (31 मार्च 2020 तक 9,999,916,230) ₹ 10/- प्रत्येक	999,991.62	999,991.62
	के पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयर	**999,991.62**	**999,991.62**
	कुल		

टिप्पणियां/फुटनोट

क) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2023		वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2022	
	शेयरों की संख्या	₹ लाख में	शेयरों की संख्या	₹ लाख में
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बकाया शेयर	9,999,916,230	999,991.62	9,999,916,230	999,991.62
शेयर रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इशू किये गए शेयर	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की अंतिम में बकाया शेयर	9,999,916,230	999,991.62	9,999,916,230	999,991.62

ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता का खुलासा

(₹ लाख में)

प्रमोटर का नाम	31 मार्च 2023 को प्रमोटरों के पास मौजूद शेयर		31 मार्च 2022 को प्रमोटरों के पास मौजूद शेयर		वर्ष के दौरान परिवर्तन%
	शेयरों की संख्या	% कुल शेयरों का	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का%	
भारत के राष्ट्रपति	9,999,916,230	100.00%	9,999,916,230	100.00%	-

कंपनी की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी भारत सरकार और उसके नामांकित व्यक्तियों के पास है।

नोट 21: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क)	कैपिटल रिज़र्व (गैर-कॉमन प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ)		
	प्रारंभिक शेष रकम	585.14	585.14
	समाप्ति के समय शेष रकम	585.14	585.14
(ख)	प्रतिभूति प्रीमियम खाता (बॉन्ड पर)		
	प्रारंभिक शेष रकम	235.50	235.50
	समाप्ति के समय शेष रकम	235.50	235.50
(ग)	डिबेंचर/बांड रिडेम्पशन आरक्षित निधि		
	प्रारंभिक शेष रकम	99,995.05	99,995.05
	जोड़े: लाभ और हानि विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण	1,907.29	-
	समाप्ति के समय शेष रकम	98,087.76	99,995.05
(घ)	कैश फ्लो हेज आरक्षित निधि		
	प्रारंभिक शेष रकम	(7,580.98)	(27,653.15)
	जोड़े: अवधि के दौरान कैश फ्लो हेज आरक्षित निधि	6,495.60	20,072.18
	समाप्ति के समय शेष रकम	(1,085.38)	(7,580.98)
(ङ)	अन्य रिज़र्व		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिज़र्व, (फुटनोट 1)		
	प्रारंभिक शेष रकम	145,940.91	145,940.91
	जोड़े: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण (शुद्ध)	7,508.90	-
	समाप्ति के समय शेष रकम	153,449.81	145,940.91
(ii)	कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि (फुटनोट 2)		
	प्रारंभिक शेष रकम	357.19	75.12
	जोड़े: लाभ और हानि खाते के अधिशेष से स्थानांतरण	-	294.17
	घटाए: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि और लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष को हस्तांतरित	33.93	12.11
	समाप्ति के समय शेष रकम	323.26	357.19
(iii)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि (फुटनोट 3)		
	प्रारंभिक शेष रकम	122.45	122.45
	घटाए: उपयोग की गई राशि	-	-
	समाप्ति के समय शेष रकम	122.45	122.45
(iv)	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर आरक्षित निधि		
	प्रारंभिक शेष रकम	14,252.34	14,621.64
	जोड़े / घटाए: वर्ष के दौरान समायोजन	898.76	(369.30)
	समाप्ति के समय शेष रकम	15,151.10	14,252.34
(v)	इम्प्लॉयरमेंट आरक्षित निधि (फुटनोट 4)		
	प्रारंभिक शेष रकम	45,165.93	-
	जोड़े / घटाए: वर्ष के दौरान समायोजन	56,064.83	45,165.93
	समाप्ति के समय शेष रकम	101,230.76	45,165.93
(vi)	भारतीय आरक्षित निधि बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि (फुटनोट 5)		
	प्रारंभिक शेष रकम	19,062.47	8,772.52

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अधिशेष से स्थानांतरण	21,522.58	10,289.95
	समाप्ति के समय शेष रकम	40,585.05	19,062.47
(घ)	लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
	प्रारंभिक शेष रकम	(200,351.66)	(245,373.00)
	जोड़ें: कर पश्चात लाभ	125,600.29	63,916.21
	जोड़ें: स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि से स्थानांतरण	32.06	7.31
	जोड़ें: कर समायोजन	1,907.29	-
	घटाएं: प्रारंभिक बैलेंस में अंतर के कारण समायोजन	-	36,730.41
	घटाएं: स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि में स्थानांतरण	-	69.51
	घटाएं: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में स्थानांतरण	-	294.17
	घटाएं: क्षति मूल्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	7,508.90	-
	कम: पूर्व अवधि का आइटम	56,064.94	45,165.93
	घटाएं: परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप लाभ / (हानि)	1.74	6.12
	घटाएं: धारा 45–आईसी के तहत आरक्षित निधि में ट्रांसफर	(53.33)	(54.08)
	समाप्ति के समय शेष रकम	21,522.58	10,289.95
		(157,856.86)	(200,351.66)
	कुल	**250,828.59**	**117,784.35**

फुटनोट

1 विशेष आरक्षित निधि भारत में बुनियादी ढांचे की सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने वाली कंपनियोंद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक वैधानिक आरक्षित है।

2 स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि को कर्मचारियों, खेल, सांस्कृतिक और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के बीच बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

3 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष से, आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक सीएसआर व्यय के लिए सीएसआर आरक्षित निधि नहीं बनाया है और 3 जुलाई 2015 के पत्र के माध्यम से इस मुद्दे को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) को संदर्भित किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर के अंतर्गत खर्च की जाने वाली राशि के अलावा सीएसआर आरक्षित निधि बनाने और इसके उपयोग को जारी रखने पर स्पष्टीकरण के लिए उद्धृत किया है। डीपीई के जवाब का अभी इंतजार है।

4 इंपेयरमनेंट अलाउंस आरक्षित निधि आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2019–20/170 दिनांक 13 मार्च 2020 के अनुसार इंड एएस के अनुसार ऋण आस्तियों पर हानि के लिए आरबीआई की आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के प्रावधानों से कम है।

5 आरक्षित निधि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45–आईसी के अनुसार बनाया गया है।

नोट 22: ब्याज आय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों पर	
		31.03.2023	31.03.2022
क)	ऋण पर ब्याज		
(i)	प्रत्यक्ष ऋण के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	200,465.28	202,183.65
(ii)	पीएमईजी योजना के तहत ऋण पर ब्याज	15.34	128.63
(iii)	पुनर्वित्त योजना के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	91,455.95	81,251.93
(iv)	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	54,077.80	52,063.69
(v)	दंडात्मक ब्याज	2,234.35	1,037.13
(vi)	इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड पर ब्याज	17,428.63	454.53
ख)	निवेश से ब्याज आय		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	33,718.80	33,720.18
ग)	बैंकों में जमा पर ब्याज	**68,620.40**	**40,699.74**
	कुल	**468,016.56**	**411,539.48**

नोट 23: शुल्क और कमीशन आय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	विवरण	
		31.03.2023	31.03.2022
(i)	अग्रिम शुल्क	2,035.35	1,746.80
(ii)	प्रक्रमण संसाधन शुल्क	103.50	266.68
(iii)	पूर्व भुगतान शुल्क	761.23	585.32
(iv)	क्रेडिट संवर्धन से शुल्क	518.93	539.34
(v)	परामर्श एवं सेवा शुल्क	1,109.27	613.20
(vi)	निवेश प्रबंधन शुल्क	567.28	572.68
(vii)	अन्य शुल्क	2,864.40	2,514.70
	कुल	**7,959.97**	**6,838.72**

नोट 24: अन्य आय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	विवरण	
		31.03.2023	31.03.2022
	अन्य		
(i)	बट्टे खाते में डाले गए ऋण की वसूली	35,815.91	29,313.67
(ii)	ऋण परिसंपत्तियों पर प्रावधान के अलावा अन्य राशियों / प्रावधान वापस लिखे गए	86.62	227.73
(iii)	विविध आय	108.25	75.20
(iv)	अनवाइंडिंग ब्याज आय कर्मचारी ऋण (आय)	5.14	3.14
(v)	स्वैप सौदों पर लाभ	20,743.03	28,238.08
(vi)	डेरिवेटिव पर मार्क टू मार्केट (लाभ)–हानि	350.82	525.92
(vii)	आपकर रिफंड पर ब्याज	486.32	908.34
	कुल	**57,596.09**	**59,292.08**

नोट 25: वित्त लागत

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्त परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय देनदारियों पर	
		31.03.2023	31.03.2022
क)	उधार पर ब्याज		
(i)	बैंक उधार पर ब्याज	67,616.45	25,027.39
(ii)	एडीबी से ऋण पर ब्याज	70,473.90	52,649.83
(iii)	आईबीआरडी (विश्व बैंक) से ऋण पर ब्याज	3,867.68	10,425.09
(iv)	केएफडब्लू से ऋण पर ब्याज	99.34	102.18
(v)	ईआईबी से ऋण पर ब्याज	1,991.73	-
(vi)	जेआईसीए से ऋण पर ब्याज	173.49	193.56
ख)	ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	**161,567.37**	**153,686.90**
ग)	अन्य ब्याज व्यय		
(i)	आयकर पर ब्याज	-	30.50
	कुल	**305,789.97**	**242,115.45**

नोट 26: शुल्क और कमीशन व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्त	
		31.03.2023	31.03.2022
(i)	सरकारी गारंटी शुल्क	12,076.99	12,883.12
(ii)	बांड सर्विसिंग व्यय	111.03	149.75
(iii)	प्रतिबद्धता शुल्क	50.67	65.70
	कुल	**12,238.68**	**13,098.58**

नोट 27: उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्त	
		31.03.2023	31.03.2022
	क) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर नेट लाभ/(हानि)		
	(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर		
	(ii) उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय लिखतों पर लाभ या हानि के माध्यम से	2,296.15	(1,511.69)
	उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल निवल लाभ/(हानि) (ख)	**2,296.15**	**(1,511.69)**
	उचित मूल्य परिवर्तन: (ग)		
	प्राप्य	-	-
	अप्राप्य	2,296.15	(1,511.69)
	उचित मूल्य परिवर्तन (ख) में कुल निवल लाभ/(हानि) के साथ (ग) मिलान करने के लिए	**2,296.15**	**(1,511.69)**
	* इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन ब्याज आय/व्यय के होने वाले परिवर्तनों के अलावा है		

नोट 28: वित्तीय लिखतों पर क्षति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	
		परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय लिखतों पर	
		31.03.2023	31.03.2022
(i)	ऋण आस्ति	(77,637.82)	(55,650.75)
(ii)	निवेश	(720.21)	5,621.72
(iii)	एनपीए के लिए	250.80	70.22
	कुल	**(78,107.23)**	**(49,958.80)**

नोट 29: कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्त	
		31.03.2023	31.03.2022
(i)	वेतन और पारिश्रमिक	6,146.90	4,657.27
(ii)	भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	351.50	238.57
(iii)	कर्मचारी कल्याण खर्च	182.47	160.38
(iv)	ग्रैचुइटी स्टाक लागत	1.50	0.91
	कुल	**6,682.36**	**5,057.13**

नोट 30: अन्य व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष समाप्त	
		31.03.2023	31.03.2022
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागत	196.83	178.74
(ii)	मुद्रण और छपाई	28.24	18.19
(iii)	विज्ञापन और प्रचार	20.47	14.54
(iv)	निदेशक की फीस, भत्ते और खर्चे	8.90	5.29
(v)	लेखा परीक्षक की फीस और खर्चे	108.69	126.72
(vi)	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	384.05	312.84
(vii)	बीमा	1	22.69
(viii)	अन्य		
(क)	विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर निवल हानि	34,476.92	18,334.43
(ख)	अन्य खर्चे	2,656.42	1,452.88
(ग)	बट्टे खाते में डाली गई ऋण राशि [नोट 1(ख)(20(ख)) देखें]	98,870.95	175,063.08
	कुल	**136,772.13**	**195,529.39**

नोट 1: 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और अन्य नोट

आईआईएफसीएल कंपनियों के प्रावधानों के तहत भारत में अधिवासित और निगमित एक सार्वजनिक कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, फ्लेट ए और बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी टॉवर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली, भारत में स्थित है।

आईआईएफसीएल की स्थापना व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 सितंबर 2013 को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी –गैर जमा –इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (NBFC-ND-IFC) के रूप में पंजीकरण संख्या N–14.03288 का प्रमाण पत्र जारी किया है आरबीआई ने आईआईएफसीएल को सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. तैयारी का आधार

1.1 समेकित वित्तीय विवरणों में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (मूल कंपनी) के व्यक्तिगत वित्तीय विवरण और इसकी सहायक कंपनियों, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड), आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और आईआईएफसीएल एसेट के वित्तीय विवरण शामिल हैं. 31 मार्च 2019 को प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (एक साथ समूह के रूप में गठित) और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए, समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

(i) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समूह के भीतर लेनदेन को समाप्त करने के बाद आस्ति, देनदारियों, आय और व्यय की समान वस्तुओं के बुक वैल्यू को एक साथ जोड़कर लाइन दर लाइन आधार पर समेकित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप "समेकित वित्तीय विवरण" पर इंड एएस 110 के तहत अज्ञात लाभ या हानि हुआ है।

(ii) विदेशी सहायक की आस्ति और देनदारियां, दोनों मौद्रिक और गैर–मौद्रिक, समापन विनिमय दर पर अनुवादित की जाती हैं

(iii) विदेशी सहायक की आय और व्यय मदों को लेनदेन की तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच आरबीआई संदर्भ दर पर अनुवादित किया जाता है।

iv) सभी परिणामी विनिमय अंतर विदेशी मुद्रा अनुवाद आरक्षित निधि में जमा हो जाते हैं

1.2 **निम्नलिखित सहायक कंपनियों के व्यक्तिगत वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरण में समेकित किए गए हैं:**

सहायक कंपनी का नाम	इसके निगमन का देश	वर्तमान अवधि	पिछली अवधि
		स्वामित्व का अनुपात (%)	स्वामित्व का अनुपात(%)
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	100%	100%
आई ए एफ सी एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	भारत	100%	100%
आई आई एफ सी एल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	100%

1.3 पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी यानी आईआईएफसी (यू.के.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को मूल कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुसार परिवर्तित किया गया है।

1.4 **लेखांकन परंपरा:** गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची (III) के प्रभाग (III) में प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार आई ए एफ सी एल अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। वित्तीय विवरण, सिवाय इसके, प्रोद्भवन आधार पर और ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं:

क) अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय संपत्तियां,
ख) व्युत्पन्न वित्तीय साधन,
ग) लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय संपत्ति और देनदारियां।
घ) परिभाषित लाभ योजनाएँ – उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियाँ।

इन सभी को प्रासंगिक इंड एएस द्वारा आवश्यक या अनुमति के अनुसार उचित मूल्य पर मापा गया है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को निकटतम लाख रुपये तक पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो।

1.5 अनुमानों का उपयोगः आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणा बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और उनके प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करती है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्नहो सकता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम सामने आते हैं। आईएएफसीएल ने भविष्य के बारे में कोई धारणा नहीं बनाई है, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में भौतिक समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है।

2. अनुपालन का बयान

जी.एस.आर.111(ई) दिनांक 16 फरवरी 2015 और कंपनी जी.एस.आर.365(ई) दिनांक 30 मार्च 2016 (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016, राजपत्र अधिसूचना संख्या के माध्यम से आई आई एफ सी एल के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या के तहत अधिसूचित इंड एएस की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

3. वित्तीय विवरण की प्रस्तुति

वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियां आम तौर पर बैलेंस शीट में सकल मूल्य की सूचना दी जाती हैं। वे केवल ऑफसेट और रिपोर्ट किए गए शुद्ध मूल्य हैं, जब भविष्य की घटना पर आकस्मिक हुए बिना मान्यता प्राप्त राशि को ऑफसेट करने के लिए बिना शर्त कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होने के अलावा, पार्टियां निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखती हैं:

- व्यवसाय का सामान्य क्रम
- डिफॉल्ट की घटना
- आईआईएफसी एल और/या उसके समकक्षों के दिवालियेपन या दिवालियापन की स्थिति

मास्टर नेटिंग व्यवस्था (जैसे आईएसडीए) के साथ व्युत्पन्न परिसंपत्तियों और देनदारियों को केवल तभी शुद्ध मूल्य प्रस्तुत किया जाता है जब वे उपरोक्त सभी मानदंडों के लिए नेटिंग की पात्रता को पूरा करती हैं, न कि केवल डिफॉल्ट की स्थिति ।

4. आय/व्यय की पहचान

4.1. परिशोधन लागत पर मापे गए सभी वित्तीय उपकरणों के लिए, बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत ब्याज वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और एफवीटीपीएल में मापित वित्तीय उपकरणों के लिए, ब्याज आय या व्यय ईआईआर का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। गणना वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान विकल्प) को ध्यान में रखती है और इसमें कोई भी शुल्क या वृद्धिशील लागत शामिल होती है जो सीधे साधन के लिए जिम्मेदार होती है और ईआईआर का अभिन्न अंग होती है, लेकिन भविष्य में क्रेडिट हानि नहीं होती है। जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का दर्ज मूल्य हानि हानि से कम हो गया है, तो हानि हानि को मापने के उद्देश्य से भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर का उपयोग करके ब्याज आय को पहचाना जाता है।

4.2 दिए गए ऋणों पर अग्रिम शुल्क आय को उन मामलों में संचय के आधार पर आय माना जाता है जहां आवंटित राशि पर ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

4.3. कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क को व्यय के रूप में शामिल किया जाता है जब ऋण का आहरण ऋण समझौते के अनुसार स्वीकृत ऋण राशि से कम होता है।

4.4. उधारकर्ता के खातों में वसूली संबंधित ऋण समझौतों के अनुसार विनियोजित की जाती है।

4.5. बट्टे खाते में डाली गई ऋण परिसंपत्तियों से वसूली को वसूली प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

4.6. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तो लाभांश का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। हालांकि, अंतिम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन पर ही उत्पन्न होता है।

4.7. पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय, जो कुल आय का 0.1% से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

4.8. वसूली का उचित अधिकार स्थापित होने पर आस्थगित क्रेडिट वृद्धि गारंटी शुल्क को लेखांकन वर्ष में प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है। अग्रिम में प्राप्त किसी भी आस्थगित क्रेडिट वृद्धि गारंटी शुल्क को स्थगित कर दिया जाता है और संचय की अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

4.9. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) पर ब्याज/छूट या किसी अन्य शुल्क सहित आय को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह वास्तव में वसूल हो। परिसंपत्ति के गैर-निष्पादित होने और अप्राप्त रहने से पहले पहचानी गई ऐसी किसी भी आय को उलट दिया जाता है।

4.10. आयकर रिफंड पर ब्याज का हिसाब वास्तविक आधार पर किया जाता है, यानी आयकर रिफंड की प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

5. वित्तीय साधन:

5.1. पहचान और प्रारंभिक माप:

कंपनी शुरू में निपटान तिथि पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को पहचानती है। एक वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारी को शुरू में उचित मूल्य के साथ-साथ, एफवीटीपीएल में नहीं होने वाली किसी वस्तु के लिए, लेनदेन लागत पर मापा जाता है जो सीधे इसके अधिग्रहण या जारी करने के लिए जिम्मेदार होती है।

5.2. वर्गीकरण:

क. वित्तीय संपत्ति:

कंपनी की वित्तीय संपत्तियों में नकद और नकद समकक्ष, बैंक शेष, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा

अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, सहायक कंपनियों/कर्मचारियों को ऋण, कर्मचारियों को अग्रिम, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

प्रारंभिक पहचान पर, एक वित्तीय परिसंपत्ति को वर्गीकृत किया जाता है:

क) परिशोधन लागत:

वित्तीय लिखतों को परिशोधन लागत पर मापा जाता है जहां उनके पास:

- संविदात्मक शर्तें जो निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं, जो केवल मूलधन के भुगतान और बकाया मूल राशि पर ब्याज का प्रतिनिधित्व करती हैं; और
- एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखे जाते हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए धारण करके प्राप्त किया जाता है।

इन उपकरणों को शुरू में उचित मूल्य और सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसका प्रभाव कुल आय का 0.5% से अधिक होता है। क्रेडिट हानि का माप नोट 6.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि में वर्णित तीन–चरण अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल पर आधारित है।

ख) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य:

वित्तीय साधनों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जहां उनके पास है:

- संविदात्मक शर्तें जो निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं, जो केवल मूलधन के भुगतान और बकाया मूल राशि पर ब्याज का प्रतिनिधित्व करती हैं; और
- एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है।

इन उपकरणों को शुरू में उचित मूल्य और सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत पर पहचाना जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि को इक्विटी के एक अलग घटक के भीतर अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है। हानि हानि या उलटाव, ब्याज राजस्व और विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। निपटान पर, अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। ऋण हानि का मापन तीन चरणों वाले अपेक्षित ऋण हानि मॉडल पर आधारित है, जैसा कि परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू होता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल।

ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य:

- व्यापार के लिए रखी गई वस्तुएं;
- संविदात्मक शर्तों वाले ऋण उपकरण जो केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर रखे गए वित्तीय उपकरणों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, आय विवरण में लेनदेन लागत को खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके बाद, उन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है और किसी भी लाभ या हानि को आय विवरण में उनके उत्पन्न होते ही पहचाना जाता है। जहां एक वित्तीय परिसंपत्ति को उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहां प्रतिपक्ष की क्रेडिट योग्यता को प्रतिबिंबित करने के लिए एक क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन शामिल किया जाता है, जो क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में होने वाले उतार–चढ़ाव का प्रतिनिधित्व करता है।

व्यापार के लिए रखे गए वित्तीय उपकरण

एक वित्तीय साधन को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे मुख्य रूप से निकट अवधि में

बेचने या पुनर्खरीद करने के उद्देश्य से खरीदा या खर्च किया जाता है, या वित्तीय साधनों के पोर्टफोलियो का हिस्सा बनता है जो एक साथ प्रबंधित होते हैं और जिसके लिए कम होने का सबूत होता है– टर्म प्रॉफिट टेकिंग, या यह एक व्युत्पन्न है जो क्वालीफाइंग हेज रिलेशनशिप में नहीं है।

इसके अलावा, प्रारंभिक मान्यता पर, आईआईएफसीएल अपरिवर्तनीय रूप से एक वित्तीय परिसंपत्ति को नामित कर सकता है जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रूप में परिशोधित लागत या एफवीओसीआई पर मापी जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा करता है, यदि ऐसा करने से लेखांकन बेमेल समाप्त हो जाता है या काफी कम हो जाता है जो अन्य रूप में उत्पन्न होता है .

घ) इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरणों में निवेश जो न तो व्यापार के लिए रखा जाता है और न ही आकस्मिक विचार के लिए आईआईएफसीएल द्वारा एक व्यापार संयोजन में मान्यता प्राप्त है जिस पर इंड एएस 103 'बिजनेस कॉम्बिनेशन' लागू होता है, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जहां एक अपरिवर्तनीय चुनाव होता है प्रबंधन द्वारा किया गया है। अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत रकम को बाद में लाभ या हानि में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ या हानि में तब तक मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

अन्य सभी वित्तीय संपत्तियों को एफवीटीपीएल में मापा गया है।

अनुवर्ती माप

संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी गई संपत्तियां जहां नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है। किसी ऋण निवेश पर लाभ या हानि, जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति की पहचान रद्द कर दी जाती है या खराब हो जाती है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है, जिसका प्रभाव कुल आय का 0.5% से अधिक होता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य परिवर्तन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त हैं। हालाँकि, कंपनी आय विवरण में ब्याज आय, हानि हानि और उलटाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानती है।

पुनर्वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय उस अवधि के जब आईएफसीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल को बदलता है।

ख. वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य इकाई को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करने या कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं।

वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य घटा लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर वित्तीय देनदारियों के मुद्दे के लिए जिम्मेदार होती है, जिसका प्रभाव कुल आय का 0.5 से अधिक होता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का अभिन्न अंग है। आय (लेनदेन लागत का शुद्ध) और मोचन राशि के बीच कोई भी अंतर ईआईआर का उपयोग करके उधार की अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

अनुवर्ती माप

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता दी जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

संविदात्मक नकदी प्रवाह को केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान को परिभाषित करना:

इस मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, 'मूलधन' को प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। 'ब्याज' को पैसे के समय मूल्य और किसी विशेष अवधि के दौरान बकाया मूल राशि से जुड़े क्रेडिट जोखिम और अन्य बुनियादी उधार जोखिमों और लागतों (उदाहरण के लिए तरलता जोखिम और प्रशासनिक लागत) के साथ-साथ मुनाफे का अंतर विचार के रूप में परिभाषित किया गया है।

ग. व्युत्पन्न वित्तीय साधन:

व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण ऐसे अनुबंध होते हैं जिनका मूल्य एक या अधिक अंतर्निहित मूल्य, सूचकांक या अन्य चर से प्राप्त होता है, और इसमें आम तौर पर स्वैप, फॉरवर्ड रेट समझौते, वायदा और विकल्प जैसे उपकरण शामिल होते हैं। आई ए एफ सी एस विदेशी विनिमय दर में भिन्नता के कारण जोखिम को कम करने के लिए हेजिंग संपर्कों की प्रकृति में व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों में प्रवेश करता है, जहां लागू हो, उचित मूल्य पर बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त इन अनुबंधों के विदेशी मुद्रा उधार में शामिल होता है और इन्हें व्यापार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, सिवाय इसके कि कहां उन्हें प्रभावी बचाव संबंध के एक भाग के रूप में नामित किया गया है और हेजिंग डेरिवेटिव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसी डेरिवेटिव का वहन मूल्य अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य सकारात्मक होने पर डेरिवेटिव को संपत्ति के रूप में और उचित मूल्य नकारात्मक होने पर देनदारियों के रूप में ले जाया जाता है।

क. जहां भी कंपनी ने वायदा अनुबंध या किसी उपकरण में प्रवेश किया है, अर्थात, वायदा विनिमय अनुबंध के स्तर में, वायदा विनिमय अनुबंध की तारीख पर वायदा दर और विनिमय दर के बीच के अंतर को भारत ए.एस -21 के अनुसार अनुबंध के जीवन पर आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख. विदेशी मुद्रा ऋण पर ली गई हेजिंग को विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋण (यानी प्राकृतिक हेज) के समायोजन के बाद फीफो आधार पर समायोजित किया जाता है।

ग. ब्याज दर स्वैप सहित फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंधों को रद्द करने या नवीनीकरण पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ. कंपनी द्वारा दर्ज जेपीवाई वेन में ब्याज दर स्वैप लेनदेन के संबंध में, कंपनी बैलेंस शीट तिथि के अनुसार बाजार हानि का निशान प्रदान कर रही है।

ङ. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में स्पॉट एक्सचेंज रेट में अंतर के कारण अधिशेष या घाटा और हेजिंग अनुबंध के अनुसार क्रमशः काउंटर पार्टी से वसूले गए या भुगतान किए गए अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व के पुनर्भुगतान को पुनर्भुगतान के समय लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है। ऐसे ऋण का.

च. विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और स्वैप अनुबंध (उपरोक्त ऋणों पर होने वाले किसी भी नुकसान से बचाव के लिए) को अलग-अलग लेनदेन के रूप में माना जाता है।

छ. विदेशी मुद्रा उधार को भारतीय लेखा मानक (इंड एएस 21), विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार बहाल किया जाता है।

जून 2015 में आईसीएआई द्वारा जारी 'व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए लेखांकन' पर मार्गदर्शन नोट, कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। पिछली रिपोर्टिंग के बाद से रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विदेशी

मुद्रा उधार की राशि पर विनिमय दर में कोई भी बदलाव दिनांक और अवधि के दौरान उधार लेने की तारीख से, व्युत्पन्न अनुबंधों के उचित मूल्य के विरुद्ध निर्धारित किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को कैश फ्लो हेज रिजर्व के रूप में मान्यता दी जाती है। व्युत्पन्न अनुबंधों का उचित मूल्य संबंधित काउंटर पार्टियों द्वारा प्रदान किया जाता है।

मार्गदर्शन नोट के अनुसार, नकदी प्रवाह बचाव के तहत, हेजिंग उपकरण को उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेकिन कोई भी लाभ या हानि जो एक प्रभावी बचाव के रूप में निर्धारित की जाती है, उसे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, उदाहरण के लिए, कैश फ्लो हेज रिजर्व। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में अस्थिरता से बचना है जब हेज्ड वस्तुओं पर लाभ या हानि का एहसास नहीं होता है।

5.3. मान्यता रद्द करना:

वित्तीय आस्तियां (परिसंपत्तियां)

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तो आई ए एफ सी एल एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर देता है, या यह एक लेनदेन में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर देता है जिसमें स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार काफी हद तक शामिल होते हैं। वित्तीय परिसंपत्ति हस्तांतरित की जाती है या जिसमें आई आई एफ सी एल स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित करता है और न ही बरकरार रखता है और यह वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण बरकरार नहीं रखता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, ऋण परिसंपत्तियों के मामले में:

(क) ऐसी परियोजनाएं जहां परियोजना प्राधिकरण द्वारा रियायत समझौता (सीए) समाप्त कर दिया गया है, खाते की मान्यता उस वित्तीय वर्ष में रद्द कर दी जाती है जिसमें अनुबंध समाप्त किया जाता है।

(ख) ऐसी परियोजनाएं जहां रियायती अनुबंध (सीए) को रियायतग्राही द्वारा समाप्त कर दिया गया है, हानि मामले के गुणों और तथ्यों के आधार पर की जाती है।

(ग) ऐसे मामलों में जहां परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों आदि की मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय परिसंपत्ति का कुछ मूल्य संलग्न किया जा सकता है, हानि कमी की सीमा तक की जाती है।

(घ) रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना (एसडीआर), तनावग्रस्त संपत्तियों की सतत संरचना के लिए योजना (एस4ए), बाहरी रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) योजना के तहत मामलों के अलावा अन्य ऋण परिसंपत्ति आरबीआई विनियमों के अनुसार लागू होती है और आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई 131 डीबीआर संख्या बीपी. बीसी.101/21.04.048/2017–18 दिनांक 12 फरवरी 2018 के अनुसार वापस ली गई मानी जाती है, या किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत पुनर्गठन/निपटान प्रक्रिया को उस स्थिति में अमान्य कर दिया जाएगा जब ऋण परिसंपत्ति को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। 5 वर्ष से अधिक समय से या परियोजना के निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन में 4 वर्ष से अधिक की देरी हो गई है, जब तक कि ऋण परिसंपत्ति की बिक्री/वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध न हो।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर, परिसंपत्ति की अद्यतीत राशि (क) परिसंपत्ति के अमान्य किए गए हिस्से को आवंटित की गई राशि) और (i) प्राप्त प्रतिफल के योग के बीच का अंतर (किसी भी नई परिसंपत्ति को घटाकर प्राप्त की गई कोई भी नई परिसंपत्ति सहित) नई देयता मान ली गई है) और (ii) कोई भी संचयी लाभ या हानि जिसे ओसीआई में मान्यता दी गई थी, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

एकमोओसीआई ने निर्दिष्ट इक्विटी निवेश प्रतिभूतियों के संबंध में ओसीआई में मान्यता प्राप्त कोई भी संचयी लाभ/हानि ऐसी प्रतिभूतियों की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त नहीं है। हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्तियों में कोई भी हित जो कंपनी द्वारा बनाई या रखी गई मान्यता रद्द करने के योग्य है, उसे एक अलग परिसंपत्ति या दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय दायित्व

आईएआई एफसीएल एक वित्तीय दायित्व को तब अमान्य कर देता है जब उसके संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन या रद्द कर दिया जाता है, या समाप्त हो जाता है। किसी वित्तीय देनदारी की वहन राशि जिसे समाप्त कर दिया गया है या किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित कर दिया गया है और हस्तांतरित किसी भी गैर–नकद संपत्ति या ग्रहण की गई देनदारियों सहित भुगतान किए गए विचार के बीच का अंतर, अन्य आय या बिना लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

किसी मौजूदा उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच काफी भिन्न शर्तों वाले ऋण उपकरणों के आदान–प्रदान को मूल वित्तीय देनदारी की समाप्ति और एक नई वित्तीय देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाएगा। इसी प्रकार, किसी मौजूदा वित्तीय देनदारी या उसके एक हिस्से (चाहे देनदार की वित्तीय कठिनाई के कारण हो या नहीं) की शर्तों में पर्याप्त संशोधन को मूल वित्तीय देनदारी की समाप्ति और एक नई वित्तीय देयता की मान्यता के रूप में माना जाएगा।

5.4. संशोधन:

वित्तीय पूंजी

यदि किसी वित्तीय परिसंपत्ति की शर्तों को संशोधित किया जाता है, तो कंपनी मूल्यांकन करती है कि संशोधित परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह में काफी अंतर है या नहीं। यदि नकदी प्रवाह काफी हद तक भिन्न है, तो मूल वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो गए माने जाते हैं। इस मामले में, मूल वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है और एक नई वित्तीय परिसंपत्ति को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

यदि परिशोधन लागत पर की गई संशोधित परिसंपत्ति का नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से भिन्न नहीं है, तो संशोधन के परिणामस्वरूप वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द नहीं होगी। इस मामले में, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनर्गणना करती है और लाभ और हानि के विवरण में संशोधन लाभ या हानि के रूप में सकल वहन राशि को समायोजित करने से उत्पन्न होने वाली राशि को पहचानती है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि को पुनरु बातचीत या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में पुनर्गणना की जाएगी, जिसे वित्तीय परिसंपत्ति की मूल प्रभावी ब्याज दर (या खरीदे गए या उत्पन्न क्रेडिट–क्षीण वित्तीय के लिए क्रेडिट–समायोजित प्रभावी ब्याज दर) पर छूट दी गई है। संपत्ति) या, जब लागू हो, संशोधित प्रभावी ब्याज दर यदि उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा संशोधन किया जाता है, तो लाभ या हानि को हानि हानि के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अन्य मामलों में, इसे ब्याज आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

5.5. उचित मूल्य मापन

वित्तीय साधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उचित मूल्य पर बैलेंस शीट पर रखा जाता है।

'उचित मूल्य' वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या मूलधन में माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा या, इसकी अनुपस्थिति में, कंपनी के लिए सबसे लाभप्रद बाजार होगा। उस तिथि पर प्रवेश। किसी देनदारी का उचित मूल्य उसके गैर–निष्पादन जोखिम को दर्शाता है।

जब कोई उपलब्ध होता है, तो कंपनी उस उपकरण के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य का उपयोग करके किसी उपकरण के उचित मूल्य को मापती है। एक बाजार को सक्रिय माना जाता है यदि परिसंपत्ति या देनदारी के लिए लेनदेन नियमित आधार पर मूल्य निर्धारण की जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त आवृत्ति और मात्रा के साथ होता है।

यदि सक्रिय बाजार में कोई उद्धृत मूल्य नहीं है, तो आईआईएफसीएल मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करता है और अवलोकन इनपुट के उपयोग को कम करता है। चुनी गई मूल्यांकन तकनीक में वे सभी कारक शामिल होते हैं जिन्हें बाजार सहभागी लेनदेन का मूल्य निर्धारण करते समय ध्यान में रखेंगे।

प्रारंभिक मान्यता पर किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत आम तौर पर लेनदेन मूल्य होता है –

यानी दिए गए या प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य। यदि आई ए एफ सी एल यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य लेनदेन मूल्य से भिन्न है और उचित मूल्य न तो किसी समान परिसंपत्ति या देनदारी के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य से प्रमाणित होता है और न ही किसी मूल्यांकन तकनीक पर आधारित होता है जिसके लिए कोई माप के संबंध में अप्राप्य इनपुट को महत्वहीन माना जाता है, फिर वित्तीय साधन को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है, प्रारंभिक मान्यता और लेनदेन मूल्य पर उचित मूल्य के बीच अंतर को स्थगित करने के लिए समायोजित किया जाता है। इसके बाद, उस अंतर को उचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

मांग विशेषता (जैसे मांग जमा) के साथ वित्तीय देनदारी का उचित मूल्य मांग पर देय राशि है।

गैर–उद्धृत इक्विटी का मूल्यांकन नीचे दिए गए दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है, पदानुक्रम के क्रम में जिसमें वे दिखाई देते हैं, आईआईएफसीएल के पास उपलब्ध जानकारी की उपलब्धता पर निर्भर करता है:

क. कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों से निवेशित इकाई का बैक–अप मूल्य।

ख. एक रुपये पर, यदि नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और वैकल्पिक निवेश फंड की इकाइयों का मूल्य नवीनतम उपलब्ध शुद्ध संपत्ति मूल्य के अनुसार किया जाता है। सुरक्षा रसीदों का मूल्य नवीनतम उपलब्ध नेट एसेट वैल्यू या बुक वैल्यू, जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

5.6. उचित मूल्य मापन के लिए मूल्यांकन तकनीकें

यह दिखाने के लिए कि उचित मूल्य कैसे प्राप्त किए गए हैं, वित्तीय साधनों को मूल्यांकन तकनीकों के पदानुक्रम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि नीचे संक्षेप में दिया गया है:

- **स्तर 1 वित्तीय उपकरण** – वे जहां मूल्यांकन में उपयोग किए गए इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों से असमायोजित उद्धृत कीमतें हैं, जिन तक कंपनी की माप तिथि पर पहुंच है। कंपनी बाजारों को तभी सक्रिय मानती है जब समान परिसंपत्तियों या देनदारियों की मात्रा और तरलता के संबंध में पर्याप्त व्यापारिक गतिविधियाँ हों और जब बैलेंस शीट की तारीख पर बाध्यकारी और प्रयोग योग्य मूल्य उद्धरण उपलब्ध हों।

- **स्तर 2 वित्तीय उपकरण** – वे जहां इनपुट जो मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाते हैं और महत्वपूर्ण हैं, उपकरण के जीवन की पूरी अवधि में उपलब्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य बाजार डेटा से प्राप्त होते हैं। इस तरह के इनपुट में सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए उद्धृत कीमतें, निष्क्रिय बाजारों में समान उपकरणों के लिए उद्धृत कीमतें और उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य अवलोकनीय इनपुट जैसे ब्याज दरें और उपज वक्र, निहित अस्थिरता और क्रेडिट स्प्रेड शामिल हैं। इसके अलावा, परिसंपत्ति की स्थिति या स्थान या उस सीमा तक समायोजन की आवश्यकता हो सकती है जो उन वस्तुओं से संबंधित है जो मूल्यवान साधन के बराबर हैं। हालाँकि, यदि ऐसे समायोजन अप्राप्य इनपुट पर आधारित हैं जो संपूर्ण माप के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आईआईएफसीएल उपकरणों को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत करेगा।

- **स्तर 3 वित्तीय उपकरण** – वे जिनमें एक या अधिक अप्राप्य इनपुट शामिल होते हैं जो संपूर्ण माप के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

5.7. वित्तीय संपत्तियों की हानि

आई ए एफ सी एल वित्तीय परिसंपत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे (ईसीएल) को मापने के लिए तीन चरणीय दृष्टिकोण लागू करता है जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है:

- अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधन लागत और उचित मूल्य पर मापा गया ऋण उपकरण;
- ऋण प्रतिबद्धताएं; और
- वित्तीय गारंटी अनुबंध।

इक्विटी निवेश पर कोई ईसीएल मान्यता प्राप्त नहीं है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित तीन चरणों के माध्यम से वर्गीकृत किया गया है:

चरण 1: 12 महीने की ईसीएल

सभी एक्सपोजर जहां प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है और जो उत्पत्ति के बाद से क्रेडिट खराब नहीं हुए हैं, उन्हें इस चरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

चरण 2: आजीवन ईसीएल – क्रेडिट क्षति नहीं

सभी एक्सपोजर जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन क्रेडिट खराब नहीं है, उन्हें इस चरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 30 दिनों की बकाया राशि को क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि माना जाता है।

स्टेज 3: लाइफटाइम ईसीएल – क्रेडिट खराब

जब एक या अधिक घटनाएँ घटित होती हैं जिनका उस परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो क्रेडिट क्षीण के रूप में मूल्यांकन किए गए सभी एक्सपोजर को इस चरण में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे एक्सपोजर के लिए जो क्रेडिट क्षीण हो गए हैं, आजीवन ईसीएल को मान्यता दी जाती है और सकल वहन राशि के बजाय प्रभावी ब्याज दर को परिशोधन लागत (प्रावधान का शुद्ध) पर लागू करके ब्याज राजस्व की गणना की जाती है।

ऋण परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना आरबीआई नियमों के अनुसार प्रावधान आवश्यकताओं की न्यूनतम होगी जो निम्नानुसार है:

(i) **मानक परिसंपत्तियाँ:** सामान्य प्रावधान ऋण की बकाया राशि पर किया जाता है, जिसमें अर्जित ब्याज भी शामिल है, लेकिन वर्ष के अंत में 0.40% देय नहीं है।

(ii) **उप–मानक संपत्ति:** कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान किया गया है।

(iii) संदिग्ध संपत्ति

(क) उस सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, जिस सीमा तक अग्रिम उस सुरक्षा के वसूली योग्य मूल्य से कवर नहीं होता है जिसके लिए कंपनी के पास वैध सहारा है।

(ख) उपरोक्त मद (ए) के अलावा, उस अवधि के आधार पर जिसके लिए परिसंपत्ति संदिग्ध बनी हुई है, सुरक्षित भाग के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रावधान यानी बकाया का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य, निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

वह अवधि जिसके लिए संपत्ति को संदिग्ध माना गया है	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन साल	30
तीन वर्ष से अधिक	50

(iv) हानि संपत्ति

संपूर्ण परिसंपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, हालाँकि यदि परिसंपत्तियों को किसी भी कारण से पुस्तकों में रहने की अनुमति दी जाती है, तो बकाया का 100 प्रतिशत प्रदान किया जाता है।

(v) पुनर्गठित ऋण संपत्ति

निम्नलिखित मामलों के लिए, पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान आरबीआई मानदंडों के अनुसार होगा, जिसमें उचित मूल्य में कमी का प्रावधान भी शामिल है:

(क) 24 जनवरी, 2014 से प्रभावी तिथि पर परियोजना ऋण पुनर्गठित किया गया जिसमें 5% ब्याज दर का प्रभाव प्रावधान किया गया।

(बी) 23 जनवरी 2014 तक सभी कंपनियों को पुनर्गठित बकाया ऋणों का स्टॉक (तदनुसार)

बकाया पुनर्गठित ऋण के स्टॉक के मामले में आरबीआई का प्रावधान 5% है।

वित्तीय परिसंपत्ति के वर्गीकरण के लिए चरण का निर्धारण

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को रिपोर्टिंग तिथि और प्रारंभिक मान्यता की तिथि के बीच अपेक्षित जीवन में होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना करके प्रारंभिक मान्यता के बाद से एक्सपोजर के लिए क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के आधार पर तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी उचित और समर्थन योग्य जानकारी पर विचार करती है जो प्रासंगिक हो और इस उद्देश्य के लिए अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो।

परिसंपत्ति की गुणवत्ता खराब होने पर एक्सपोजर चरण 1 से चरण 3 तक चला जाएगा। यदि, बाद की अवधि में, परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है और क्रेडिट जोखिम में पहले से मूल्यांकन की गई किसी भी महत्वपूर्ण वृद्धि को उलट देता है। 30 दिन से कम समय वाले एक्सपोजर को चरण 1 माना जाता है ()

चरण 1 के रूप में मानी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) पर आधारित है। जबकि चरण 2 और चरण 3 के रूप में मानी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान की गणना जीवन काल ईसीएल मॉडल के आधार पर की जाती है। जब कोई परिसंपत्ति संग्रहणीय नहीं होती है, तो उसे संबंधित प्रावधान के विरुद्ध अमान्य कर दिया जाता है। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने और नुकसान की राशि निर्धारित होने के बाद ऐसी संपत्तियों की मान्यता रद्द कर दी जाती है।

हालाँकि, एक खंडनयोग्य धारणा है कि डिफॉल्ट तब से बाद में नहीं होता है जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति का बकाया 90 दिन पहले हो, जब तक कि किसी इकाई के पास यह प्रदर्शित करने के लिए उचित और समर्थन योग्य जानकारी न हो कि अधिक विलंबित डिफॉल्ट मानदंड अधिक उपयुक्त है। इन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली डिफॉल्ट की परिभाषा सभी वित्तीय साधनों पर लगातार लागू होती है जब तक कि ऐसी जानकारी उपलब्ध न हो जो दर्शाती हो कि किसी विशेष वित्तीय साधन के लिए एक और डिफॉल्ट परिभाषा अधिक उपयुक्त है।

तदनुसार, यदि निम्नलिखित में से कोई भी घटना घटित होती है, तो किसी खाते को क्रेडिट हानि वाला माना जाएगा और इसलिए उसे चरण 3 में ले जाया जाएगा:

- खाते को देय तिथि (डीपीडी) 90 दिन से अधिक हो गई है;
- आईआईएफसीएल क्रेडिट दायित्व के संकटग्रस्त पुनर्गठन के लिए सहमति देता है, जहां इसके परिणामस्वरूप मूलधन, ब्याज या (जहां प्रासंगिक) शुल्क की भौतिक माफी, या स्थगन के कारण वित्तीय दायित्व कम होने की संभावना है।

देय दिन (डीपीडी) उन दिनों की संख्या के लिए मापा जाता है जब ब्याज और/या मूलधन का भुगतान नहीं किया जाता है, कोई बिल अतिदेय रहता है, कोई खाता लगातार सीमा/आहरण शक्ति से अधिक रहता है, या खाते में क्रेडिट उस पर लगाए गए ब्याज से कम है खाता।

कम क्रेडिट जोखिम धारणा

इंड एएस 101 – वित्तीय साधन में कहा गया है कि 'पैराग्राफ 5.5.10 के प्रयोजनों के लिए वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम कम माना जाता है, यदि वित्तीय साधन में डिफॉल्ट का जोखिम कम है, तो उधारकर्ता के पास इसे पूरा करने की

एक मजबूत क्षमता है निकट अवधि में संविदात्मक नकदी प्रवाह दायित्वों और लंबी अवधि में आर्थिक और व्यावसायिक स्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन, उधारकर्ता की अपने संविदात्मक नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को कम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। (पैरा बी5.5.22)" इसके अलावा, हालांकि इसने कम क्रेडिट जोखिम के रूप में 'निवेश ग्रेड' की बाहरी रेटिंग का उदाहरण दिया है, यह स्वीकार करता है कि कम क्रेडिट जोखिम वाले वित्तीय साधनों पर विचार करने के लिए बाहरी रेटिंग की आवश्यकता नहीं है (पैरा बी5.5.23)।

तदनुसार, किसी उपकरण को निम्नलिखित स्थितियों में कम क्रेडिट जोखिम वाला माना जाता है:

- शून्य अप्रत्याशित हानि, जैसा कि शून्य नियामक जोखिम भार द्वारा दर्शाया गया है कि यह देखते हुए कि नियामक जोखिम–भार के अनुसार अनुमानित अप्रत्याशित हानि 0% है, अपेक्षित हानि भी शून्य होगी। ऐसे मामलों में ईसीएल शून्य होगा। ऐसे परिसंपत्ति वर्गों के उदाहरण घरेलू संप्रभु, 'एए' या बेहतर की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग वाले विदेशी संप्रभु हैं।

- 20% विनियामक जोखिम भार के अनुसार कम अप्रत्याशित हानि: 20% के जोखिम–भार के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए कम अप्रत्याशित हानि को देखते हुए, इनमें भी बहुत कम अपेक्षित हानि होगी। हालांकि, ईसीएल गैर–शून्य हो सकता है, या अनुभवजन्य साक्ष्य यह दिखा सकते हैं कि ऐसे परिसंपत्ति वर्गपोर्टफोलियो के लिए डिफॉल्ट दरें शून्य हैं। ऐसे परिसंपत्ति वर्गों के उदाहरण हैं एएए की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग वाली विदेशी संप्रभुताएं, घरेलू अनुसूचित आई आई एफ सी एल एस (पूंजी पर्याप्तता की विनियामक आवश्यकता में विफल होने वाले कम क्रेडिट जोखिम नहीं हैं), बाहरी रूप से रेटेड घरेलू 'एएए' कॉरपोरेट्स, स्टाफ ऋण। इन पोर्टफोलियो के लिए देखी गई डिफॉल्ट दरें भी शून्य हैं।

  विवरणों के लिए, सभी स्टाफ ऋणों को कम क्रेडिट जोखिम माना गया है।

प्रयुक्त पोर्टफोलियो में विभाजन का स्तर

जोखिम मापदंडों के अनुप्रयोग के उद्देश्य से विभाजन को आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) मॉडल से जोड़ा गया है। हालांकि, भविष्योन्मुखी अनुमानों के लिए, आईआईएफसीएल इनमें से कुछ उप–पोर्टफोलियो को व्यापक श्रेणियों में समूहित करना चुन सकता है या कुछ मामलों में उन्हें सामान्य जोखिम चालकों के आधार पर उप–खंडों में विभाजित कर सकता है।

ईसीएल का मापन

ईसीएल अपेक्षित नुकसान के निष्पक्ष और संभाव्यता–भारित अनुमानों से प्राप्त होते हैं, और निम्नानुसार मापा जाता है:

- वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट–क्षीण नहीं हैं: वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के दौरान सभी नकदी की कमी के वर्तमान मूल्य को प्रभावी ब्याज दर से छूट दी गई है। नकदी की कमी अनुबंध के अनुसार आईआईएफसीएल के कारण नकदी प्रवाह और आईआईएफसीएल द्वारा प्राप्त नकदी प्रवाह के बीच का अंतर है।

- वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट–क्षीण होती हैं: सकल वहन राशि और अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर को प्रभावी ब्याज दर से छूट दी जाती है।

- अनाहरित ऋण प्रतिबद्धताएँ: संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच अंतर के वर्तमान मूल्य के रूप में, जो कि आईआईएफसीएल के कारण होता है यदि प्रतिबद्धता समाप्त हो जाती है और नकदी प्रवाह जो आईआईए एफसी एल को प्राप्त होने की उम्मीद है।

- वित्तीय गारंटी अनुबंध: अपेक्षित भुगतान के रूप में धारक को किसी भी राशि को कम करके प्रतिपूर्ति की जाती है जिसे आईआईएफसीएल पुनर्प्राप्त करने की उम्मीद करता है।

ईसीएल को लाभ और हानि के विवरण में अशोध्य और संदिग्ध ऋण खाते के प्रावधान का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण उपकरणों के मामले में, ईसीएल का माप तीन चरण के दृष्टिकोण पर आधारित होता है, जैसा कि परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू होता है। आई ए एफ सी एल लाभ और हानि में प्रावधान शुल्क को पहचानता है, इसी राशि को अन्य व्यापक आय में मान्यता देता है, बैलेंस शीट

में परिसंपत्ति की वहन राशि में कोई कमी नहीं होती है।

हानि आरक्षित:

आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2019-20/170 दिनांक 13 मार्च 2020 के अनुसार, आई आई एफ सी एल को इंड एएस द्वारा अपेक्षित हानि भत्ते मिलेंगे। समानांतर में आई आई एफ सी एल परिसंपत्ति वर्गीकरण को भी बनाए रखेगा और आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधानों की गणना करेगा, जिसमें उधारकर्ता/लाभार्थी के अनुसार वर्गीकरण, मानक के साथ-साथ पुनर्गठित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान, एनपीए उम्र बढ़ना वगैरह शामिल है।

जहां इंडएएस 109 के तहत हानि भत्ता आईआरएसीपी (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान से कम है, आईएआई एफसी एल को कर के बाद अपने शुद्ध लाभ या हानि से अंतर को एक अलग 'हानि रिजर्व' में समायोजित करना आवश्यक है। 'हानि रिजर्व' में शेष राशि को नियामक पूंजी के लिए नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा, आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग की पूर्व अनुमति के बिना इस रिजर्व से किसी भी निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.8. त्वरित प्रावधानीकरण

आई ए एफ सी एल, एक विवेकपूर्ण ऋणदाता के रूप में, आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत किए जाने वाले सामान्य प्रावधान के अलावा, संपत्ति के आधार पर सुरक्षित/असुरक्षित भागों के लिए निर्धारित प्रतिशत लागू करने के संदर्भ में इंड 109 के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना की जाती है। वर्गीकरण, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, अपेक्षित पुनर्प्राप्ति परिदृश्य के आधार पर, केस-टू-केस आधार पर त्वरित प्रावधान पर विचार करता है।

ऐसे असाधारण मामलों में त्वरित प्रावधानीकरण का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें प्रावधान मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त हो सकता है, हालांकि, प्रबंधन के विचार में, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो वसूली की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे मामलों में, प्रबंधन विवेकपूर्ण उपाय के रूप में त्वरित प्रावधान पर मामला-दर-मामला दृष्टिकोण अपनाता है।

त्वरित प्रावधानीकरण मोटे तौर पर निम्नलिखित मापदंडों पर निर्भर करता है:

- परियोजना की स्थिति,
- प्रमोटर की धन निवेश करने की क्षमता।
- ठोस सुरक्षा, नकदी प्रवाह और रियायतें उपलब्ध हैं।
- वसूली के लिए कंसोर्टियम द्वारा उठाए गए कदम।
- प्रबंधन की धारणा

6. पट्टे पर देना

परिचालन पट्टे के तहत पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

7. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत, कम संचित मूल्यह्रास और मूल्य में संचित हानि को छोड़कर अधिग्रहण की लागत पर बताया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को निपटान पर या जब इसके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है तो मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को संपत्ति

की मान्यता रद्द होने की तिथि पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

8. अमूर्त संपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक पहचान पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है।

पहले से ही पूंजीकृत अमूर्त संपत्तियों पर बाद के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह मौजूदा संपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और संबंधित रूप से परिशोधन किया जाता है।

आंतरिक उपयोग के लिए प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) और जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ होते हैं, को एक अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह इसके उपयोग के लिए तैयार होता है।

विकास पर व्यय को अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि यह इंडस्ट्रीज एएस 38 'अमूर्त संपत्ति' के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करती है, अन्यथा इसे व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

अमूर्त संपत्ति की एक वस्तु को निपटान पर या उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। किसी अमूर्त संपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और संपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

9. मूल्यह्रास / परिशोधन

मूल्यह्रास की गणना संपत्ति और उपकरण की लागत को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन के दौरान उनके अवशिष्ट मूल्यों में लिखने की विधि मूल्य विधि का उपयोग करके की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार उपयोगी जीवन माना जाता है।

आईआईएफसीएल के कार्यालय परिसर को 30 वर्षों की लीज अवधि में परिशोधित किया गया है।

अमूर्त संपत्तियों की लागत को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन के दौरान उनके अवशिष्ट मूल्यों में लिखने के लिए सीधी-रेखा विधि का उपयोग करके परिशोधन की गणना की जाती है। पट्टा परिसंपत्ति के मामले में, अनुमानित उपयोगी जीवन की गणना पट्टा अवधि की समाप्ति के आधार पर की जाती है।

अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन या तो सीमित या अनिश्चित माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उपयोगी आर्थिक जीवन पर किया जाता है। एक सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन, या परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न का हिसाब-किताब परिशोधन अवधि या कार्यप्रणाली में, जैसा उपयुक्त हो, बदलाव करके किया जाता है, जिसे तब लेखांकन अनुमानों में बदलाव के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन व्यय को आय विवरण में एक अलग पंक्ति मद के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

10. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

आई ए एस सी एल प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह संकेत सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन करता है कि एक गैर-वित्तीय संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। मूल्यांकन के अनुसार सुनिश्चित की गई हानि को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

11. गुकौती–आश्वासन पत्र (एलओसी)

व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, आईआईएफसीएल बैंकों को गुकौती आश्वासन पत्र लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करता है, जो आमतौर पर लाभार्थियों के पक्ष में ऋणदाताओं की ओर से लेटर ऑफ क्रेडिट/वित्तीय गारंटी जारी करने के लिए कंसोर्टियम सदस्यों को जारी किया जाता है। एलओसी को प्रारंभ में वित्तीय विवरणों में 'अन्य देनदारियों' के अंतर्गत उचित मूल्य पर, प्राप्त प्रीमियम के रूप में मान्यता दी जाती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रत्येक गारंटी के तहत आईआईएफसीएल की देनदारी को आय विवरण में मान्यता प्राप्त संचयी परिशोधन को कम करके प्रारंभ में मान्यता प्राप्त राशि के उच्चतम पर मापा जाता है, और किसी भी वित्तीय दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय का सबसे अच्छा अनुमान लगाया जाता है। गारंटी का परिणाम वित्तीय गारंटी से संबंधित देनदारी में कोई भी वृद्धि आय विवरण में क्रेडिट हानि व्यय में दर्ज की जाती है। प्राप्त प्रीमियम को गारंटी के जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर शुद्ध शुल्क और कमीशन आय में आय विवरण में पहचाना जाता है।

12. प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले घटनाओं के परिणामस्वरूप आईआईएफसीएल के पास वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और एक विश्वसनीय अनुमान होना दायित्व की राशि से बनाया जा सकता है. जब पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, तो आई ए एफ सी एल देयता के लिए विशिष्ट वर्तमान दरों को दर्शाते हुए पूर्व–कर दर पर अपेक्षित नकदी प्रवाह में छूट देकर प्रावधान के स्तर को निर्धारित करता है। किसी भी प्रावधान से संबंधित व्यय अन्य परिचालन खर्चों में किसी भी प्रतिपूर्ति के शुद्ध लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

एक आकस्मिक दायित्व को तब पहचाना और प्रकट किया जाता है जब:

क) किसी पिछली घटना से उत्पन्न होने वाला संभावित दायित्व, जिसके अस्तित्व की पुष्टि समूह के नियंत्रण में नहीं होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी; या

ख) पिछली घटना से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालाँकि, आकस्मिक संपत्तियों का मूल्यांकन लगातार किया जाता है और यदि यह वस्तुतः निश्चित है कि आर्थिक लाभ का प्रवाह उत्पन्न होगा, तो संपत्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन होता है।

प्रतिबद्धताओं में किसी ग्राहक को उधार देने के समझौतों के अनुसार ऋण देने की बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, जब तक कि अनुबंध में स्थापित किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन न हो।

13. आय पर कर

13.1 वर्तमान कर

वर्तमान और पूर्व वर्षों के लिए वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को करदाता अधिकारियों से वसूल की जाने वाली या उन्हें भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो भारत में रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित होते हैं, या मूल रूप से अधिनियमित होते हैं, जहां आईआईएफसीएल संचालित होता है और कर योग्य आय उत्पन्न करता है।

सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर इक्विटी में मान्यता प्राप्त है न कि लाभ या हानि के विवरण में। प्रबंधन समय–समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में लिए गए पदों का मूल्यांकन करता है जिनमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन होते हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करता है।

13.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है और बैलेंस शीट देयता पद्धति का उपयोग करके इसका हिसाब लगाया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के विरुद्ध उपलब्ध होंगे,

अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है, कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर जो बैलेंस शीट द्वारा अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं ।

14. प्रति शेयर आय

आईआईएफसीएल अपने साधारण शेयरों के लिए बुनियादी और पतला ईपीएस डेटा प्रस्तुत करता है। बेसिक ईपीएस की गणना अवधि के दौरान बकाया सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या से आईआईएफसीएल के इक्विटी शेयरधारकों के कारण होने वाले लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। डाइल्यूटेड ईपीएस का निर्धारण इक्विटी शेयरधारकों के कारण होने वाले लाभ या हानि को समायोजित करके और सभी डाइल्यूटिव संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित बकाया सामान्य शेयरों की भारित–औसत संख्या को समायोजित करके किया जाता है, जिसमें कर्मचारियों को दिए गए शेयर विकल्प शामिल होते हैं।

15. कर्मचारी लाभ

15.1 सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को लेखांकन अवधि में उनकी बिना छूट वाली राशि के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

15.2 कर्मचारियों के पारिश्रमिक से काटा गया भविष्य निधि का योगदान और उस पर नियोक्ता का योगदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफओ) के पास जमा किया जाता है।

15.3 एनपीएस में शामिल परिभाषित योगदान योजनाओं के तहत कर्मचारी लाभ योजना में योगदान करने के लिए कंपनी के बिना छूट वाले दायित्व पर मान्यता प्राप्त है। इसका भुगतान आईडीबीआई बैंक को किया जाता है, जो एनपीएस सुविधा के लिए पाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवा प्रदाता है और अवधि से संबंधित खर्च किया जाता है।

15.4 रोजगार के बाद के सभी और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं। व्यय को बीजगणितीय मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर पहचाना जाता है।

15.5 समाप्ति लाभों को तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है

15.6 बीजगणितीय मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होने वाली अवधि में मान्यता दी जाती है।

15.7 कर्मचारी लाभ दायित्वों यानी, बीमारी की छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा सहायता योजना को बीमांकिक मूल्यांकन पर रिपोर्टिंग की तारीख तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया है।

15.8 आईएफसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी फंड के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से ग्रुप ग्रेच्युटी योजना पर एलआईसी को देय राशि के आधार पर ग्रेच्युटी प्रदान की गई है।

15.9 अवकाश नकदीकरण एलआईसी समूह अवकाश नकदीकरण योजना के लिए देय राशि के आधार पर प्रदान किया गया है।

15.10 नियुक्ति की शर्तों के अनुसार कार्यकारी निदेशकों की छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी और बीमारी की छुट्टी का प्रावधान, जहां भी लागू हो, देयता की अनुमानित राशि के आधार पर अर्जित और किया जाता है।

16. महत्वपूर्ण लेखांकन धारणाएँ और अनुमान

आई आई एफ सी एल की लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग के लिए निर्णयों, अनुमानों और मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि अलग–अलग धारणाएं या अनुमान लागू किए गए, तो परिणामी मूल्य बदल जाएंगे, जिसका असर आईआईएफसी एल की शुद्ध संपत्ति और आय पर पड़ेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की गई धारणाएं उस तिथि के सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित होती हैं। यद्यपि अनुमानों को विश्वसनीय रूप से मापा जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए आईआईएफसीएल के पास आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ हैं, वास्तविक मात्रा उन अनुमानों से भिन्न हो सकती है। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य में प्रभावित होने वाली किसी भी अवधि में। लेखांकन नीतियां जो निर्णय, अनुमान और धारणाओं के उपयोग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, नीचे निर्दिष्ट हैं।

- **उचित मूल्य माप**

वित्तीय साधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उचित मूल्य पर बैलेंस शीट पर रखा जाता है। उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देनदारी हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। जहां किसी वित्तीय परिसंपत्ति या देनदारी के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप इसे उचित मूल्य पर मापा जाता है, जहां भी संभव हो, उचित मूल्य सबसे लाभप्रद सक्रिय बाजार में उद्धृत बोली या प्रस्ताव मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, जिसके लिए आई.आई.एफ.सी.एल. तत्काल पहुंच. उचित मूल्य में क्रेडिट जोखिम के समायोजन को भी उचित मूल्य में शामिल किया जाता है। शुद्ध खुली स्थिति के लिए उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में उद्धृत एक वित्तीय दायित्व है, वर्तमान प्रस्ताव मूल्य है, और एक वित्तीय परिसंपत्ति के लिए बोली मूल्य, आयोजित या जारी किए गए उपकरण की इकाइयों की संख्या से गुणा किया जाता है। जहां किसी विशेष परिसंपत्ति या देनदारी के लिए कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है, आईआईएफसीएल उचित मूल्य पर पहुंचने के लिए एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें हाल के हाथ की लंबाई के लेनदेन में प्राप्त लेनदेन की कीमतों का उपयोग, रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल शामिल हैं। और अन्य मूल्यांकन तकनीकें, बाजार की स्थितियों और रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद जोखिमों के आधार पर। ऐसा करने में, मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार इनपुट का अधिकतम उपयोग करता है और इकाई–विशिष्ट इनपुट पर न्यूनतम निर्भरता रखता है। प्रारंभिक मान्यता में किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत लेनदेन मूल्य है (यानी दिए गए या प्राप्त विचार का उचित मूल्य) जब तक कि उस साधन का उचित मूल्य उसी में अन्य अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन के साथ तुलना से प्रमाणित न हो। उपकरण (अर्थात संशोधन या रीपैकेजिंग के बिना) या एक मूल्यांकन तकनीक पर आधारित जिसके चर में केवल अवलोकन योग्य बाजारों से डेटा शामिल है। जब ऐसे साक्ष्य मौजूद होते हैं, तो आईएएफसीएल प्रारंभिक मान्यता पर (यानी पहले दिन) लेनदेन मूल्य और लाभ या हानि में उचित मूल्य के बीच अंतर को पहचानता है।

- **ऋण और अग्रिम पर हानि शुल्क**

ऋण और अग्रिमों के लिए हानि हानि का निर्धारण करते समय भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि और समय के आ. कलन में प्रबंधन द्वारा निर्णय की आवश्यकता होती है। इन नकदी प्रवाह का अनुमान लगाने में, आईआईएफसीएल उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति और संपार्श्विक के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के बारे में निर्णय लेता है। ये अनुमान कई कारकों के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं और वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में हानि भत्ते में बदलाव हो सकते हैं। हानि का सामूहिक मूल्यांकन ऋण पोर्टफोलियो से डेटा (जैसे क्रेडिट गुणवत्ता, बकाया का स्तर, क्रेडिट उपयोग, संपार्श्विक अनुपात के लिए ऋण आदि) और जोखिम और आर्थिक डेटा की सांद्रता (बेरोजगारी के स्तर, अचल संपत्ति की कीमत सहित) को ध्यान में रखता है। सूचकांक, देश जोखिम और विभिन्न व्यक्तिगत समूहों का प्रदर्शन)।

- **ऋण हानि के अलावा अन्य प्रावधान**

कर्मचारी अधिकारों, पुनर्गठन लागत और मुकदमेबाजी प्रावधानों जैसे भविष्य के दायित्वों की एक श्रृंखला के संबंध में प्रावधान रखे गए हैं। कुछ प्रावधानों में विभिन्न घटनाओं के संभावित परिणाम और अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इन प्रावधानों के मापन में लेनदेन के अंतिम परिणामों के बारे में प्रबंधन निर्णयों का अभ्यास शामिल है। एक वर्ष से अधिक समय के बाद किए जाने वाले भुगतानों पर उस दर पर छूट दी जाती है जो मौजूदा ब्याज दरों और उस प्रावधान के लिए विशिष्ट जोखिमों दोनों को दर्शाती है।

- **ऋण और अग्रिम**

ऋण और अग्रिमों को शुरू में उचित मूल्य और वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन लागत पर मापा जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

17. उधार और ऋण प्रतिभूतियाँ

जारी किए गए उधार और ऋण प्रतिभूतियों को शुरू में उचित मूल्य घटाकर वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन लागत पर मापा जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर मापा जाता है, सिवाय इसके कि जहां समूह एफवीटीपीएल में देनदारियों को निर्दिष्ट करता है।

18. उधार लेने की लागत

विदेशी मुद्रा उधार पर विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। विनिमय अंतर की राशि जो स्थानीय मुद्रा उधार पर ब्याज और विदेशी मुद्रा उधार पर ब्याज के बीच अंतर से अधिक नहीं है, उसे उधार लागत के रूप में माना जाता है और इसे इंड 23 के तहत हिसाब में लिया जाता है – उधार लागत और शेष विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को इसके तहत हिसाब में लिया जाता है। इंड एएस 21 – विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव।

इस प्रयोजन के लिए, स्थानीय मुद्रा उधार के लिए ब्याज दर को कंपनी द्वारा लिए गए बैंक ओवरड्राफ्ट की दर के रूप में माना जाता है।

19. सहायक कंपनी में निवेश

सहायक कंपनी कंपनी द्वारा नियंत्रित एक इकाई है। नियंत्रण तब मौजूद होता है जब कंपनी के पास इकाई पर अधिकार होता है, उजागर होता है, या इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न का अधिकार होता है और इकाई पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है।

शक्ति का प्रदर्शन मौजूदा अधिकारों के माध्यम से किया जाता है जो प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जो इकाई के रिटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

सहायक कंपनियों में निवेश लागत पर किया जाता है। लागत में निवेश प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कीमत और सीधे जिम्मेदार लागत शामिल है।

भारत लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि पर, कंपनी ने पिछले गैप के अनुसार सहायक कंपनियों में निवेश के वहन मूल्य को भारत लेखांकन मानक 101 के अनुसार मानी गई लागत माना है।

20. विदेशी मुद्रा लेनदेन

20.1 विदेशी मुद्रा में व्यय और आय का हिसाब लेन–देन की तिथि पर प्रचलित बैंकों की विनिमय दरों पर किया जाता है।

20.2 निम्नलिखित शेष राशि खाते बंद होने की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों (आरबीआई संदर्भ दरों) पर भारतीय मुद्रा में अनुवादित की जाती है:

(क) अर्जित आय या व्यय, जो क्रमशः दिए गए विदेशी मुद्रा ऋण और विदेशी मुद्रा उधार पर देय नहीं है।

(ख) विदेशी मुद्रा में जारी किए गए पुकौती–आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) के संबंध में आकस्मिक दायित्व।

20.3 विदेशी मुद्रा ऋण देयता को रिपोर्टिंग की तिथि पर प्रचलित आरबीआई संदर्भ दर पर भारतीय मुद्रा में अनुवादित किया जाता है। लेखांकन मानक 11, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव, के अनुसार विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है।

20.4 विदेशी मुद्रा ऋण परिसंपत्तियों, देनदारियों और अर्जित/उपार्जित लेकिन देय नहीं आय और व्यय पर वास्तविक अनुवाद लाभ/हानि (शुद्ध) लाभ और हानि के विवरण में जमा/चार्ज किया जाता है।

21. व्युत्पन्न लेखांकन

21.1 जहां भी कंपनी ने फॉरवर्ड अनुबंध या किसी उपकरण में प्रवेश किया है, यानी फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंध के सार में, फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंध की तिथि पर फॉरवर्ड दर और विनिमय दर के बीच के अंतर को जीवन भर आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। इंड एएस–21 के अनुसार अनुबंध।

21.2 विदेशी मुद्रा ऋण पर ली गई हेजिंग को विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋण (यानी प्राकृतिक हेज) के समायोजन के बाद एफआईएफओ आधार पर समायोजित किया जाता है।

21.3 ब्याज दर स्वैप सहित फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंधों को रद्द करने या नवीनीकरण पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

21.4 कंपनी द्वारा दर्ज जेपीवाई यैन में ब्याज दर स्वैप लेनदेन के संबंध में, कंपनी बैलेंस शीट तिथि के अनुसार बाजार हानि का निशान प्रदान कर रही है।

21.5 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में स्पॉट एक्सचेंज रेट में अंतर के कारण अधिशेष या घाटा और हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार क्रमशः काउंटर पार्टी से वसूले गए या भुगतान किए गए अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व के पुनर्भुगतान को ऐसे ऋण के पुनर्भुगतान लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

21.6 विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और स्वैप अनुबंध (उपरोक्त ऋणों पर होने वाले किसी भी नुकसान से बचाव के लिए) को अलग–अलग लेनदेन के रूप में माना जाता है।

21.7 विदेशी मुद्रा उधार को भारतीय लेखा मानक 21, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार बहाल किया जाता है।

जून 2015 में जारी व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए लेखांकन पर आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट 1 अप्रैल 2016 से लागू है और इसे कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। विनिमय दर में

कोई भी बदलाव, राशि पर पिछली रिपोर्टिंग तिथि के बाद से रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार और अवधि के दौरान ट्रांजेक्शन उधार की तिथि से, व्युत्पन्न अनुबंधों के उचित मूल्य के खिलाफ सेट किया गया है और किसी भी लाभ या हानि को कैश फ्लो हेज रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। व्युत्पन्न अनुबंध का उचित मूल्य संबंधित काउंटर पार्टियों द्वारा प्रदान किया जाता है।

मार्गदर्शन नोट के अनुसार, नकदी प्रवाह बचाव के तहत, हेजिंग उपकरण को उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेकिन कोई भी लाभ या हानि जो एक प्रभावी बचाव के रूप में निर्धारित की जाती है, उसे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, उदाहरण के लिए, कैश फ्लो हेज रिजर्व। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में अस्थिरता से बचना है जब हेज्ड वस्तुओं पर लाभ या हानि का एहसास नहीं होता है।

22. राजस्व अनुदान के लिए लेखांकन

22.1 अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय के रूप में व्यवस्थित आधार पर संबंधित लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों में मान्यता दी जाती है, जिसकी क्षतिपूर्ति करने का उनका इरादा है, बशर्ते कि अनुदान की स्वीकृति एवं राशि की वसूली जुड़ी शर्तों के अनुपालन का उचित आश्वासन हो।

22.2 पूर्व अवधि में किए गए व्यय के संबंध में प्राप्त अनुदान को अनुदान के अनुमोदन के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

22.3 वर्ष के अंत में अनुदान की अव्यवित राशि, यदि कोई हो, वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत दर्शाई गई है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है, जिससे कर पूर्व लाभ को गैर–नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी स्थगन या संचय के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग किया गया है।

* नकदी में हाथ में नकदी, बैंक शेष और मांग जमा शामिल हैं। कंपनी नकद समतुल्य को सभी अल्पकालिक शेष (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश के रूप में मानती है जो आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी मूल्य में परिवर्तनीय होते हैं और जो परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन होते हैं।

* वर्ष 2022–23 के लिए आईआईएफसीएल के वार्षिक खातों के अंकेक्षित में टिप्पणियों का ऑडिट के दौरान लेखापरीक्षा, वार्षिक और कॉर्पोरेट मामलों के प्रभाग निदेशक, नई दिल्ली के कार्यालय को दिए गए आश्वासनानुसार के अनुसार यह खुलासा वार्षिक रिपोर्ट के लिए बाद में अपलोड किया गया है।

(बी) समेकित वित्तीय विवरण के लिए अन्य टिप्पणियाँ

1. (क) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में जिन सहायक कंपनियों पर विचार किया गया है उनमें यूनाइटेड किंगडम में निगमित इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यू.के.) लिमिटेड, भारत में निगमित आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।

   (ख) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हैं। सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण भी 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बनाए गए हैं।

2. पूर्व अवधि की आय और व्यय (इंड एएस–8) जिन्हें लाभ और हानि के विवरण में निर्धारित शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
(क) आय		
(i) ऋण और अग्रिम पर आय	-	-
(ii) संदाय्य ब्याज	-	-
(iii) अन्य शुल्क	-	-
कुल (क)	-	-
(ख) व्यय		
(i) स्थापना एवं अन्य व्यय	-	-
(ii) मूल्यह्रास	-	-
कुल (ख)	-	-
चालू वर्ष के लाभ पर लाभ/(हानि) के माध्यम से निवल प्रभाव (क)–(ख).	-	-

3. **लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:**

   31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

4. **भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' (इंड एएस–19) के तहत प्रकटीकरण**

   इंड एएस–19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार, भारतीय लेखा मानकों में परिभाषित खुलासे नीचे दिए गए हैं:

क) उपदान (ग्रेच्युटी) योजना (वित्तपोषित): उपदान दायित्व भविष्य के भुगतानों के कारण उत्पन्न होता है, जो सेवानिवृत्ति, सेवा में मृत्यु या निकासी की स्थिति में किया जाना आवश्यक है। यह आईएफसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी फंड के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से ग्रुप ग्रेच्युटी योजना पर एलआईसी को देय राशि के आधार पर प्रदान किया गया है। एलआईसी समूह ग्रेच्युटी योजना के तहत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देनदारी की राशि का भुगतान आई ए एफ सी एल करता है।

I. **उपदान योजना के लिए अनुमान:**

	2022-23	2021-22
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
अवधि के आधार पर	1 % to 3 % अवधि के आधार पर	1 % to 3 % अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	**7.36 %**	**7.18 %**
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	**5.50 %**	**5.50 %**

II. परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण। (₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव			
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	485.09	
क).	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(26.65)	
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	29.04	

ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	485.09
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	8.24
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(10.19)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना बीमांकिक द्वारा नहीं की जाती है।

भुगतान में पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन में वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती है।

आईआरडीए परिपत्र संख्या आईआरडीए/एसीटीएल/आरईजी/सीआईआर/123/06/2013 दिनांक 28 सितंबर 2013 के अनुसार मौजूदा नीति में कोई नया सदस्य नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए, आई आई एफ सी एल ने पिछली पॉलिसी अर्थात पॉलिसी संख्या 331776 के अलावा नए कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी अर्थात पॉलिसी संख्या 1030001163 की सदस्यता ली।

(₹ लाख में)

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	485.09	425.11
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	556.07	495.06
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	70.98	69.95
	योजना आस्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	495.06	480.64
ख)	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	37.95	34.50
ग)	मृत्यु दर	(4.34)	(0.99)
घ)	नियोक्ता योगदान	45.40	-
ङ)	भुगतान किए गए लाभ	(18.00)	(19.09)
च)	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	556.07	495.06
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	425.11	379.69
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	30.52	25.82
घ)	सेवा लागत	55.74	53.56
ङ)	पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	-	-
च)	भुगतान किए गए लाभ	(18.00)	(19.09)
छ)	कुल बीमांकिक (लाभ)/बकाया पर हानि	(8.28)	(14.87)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	485.09	425.11
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(69.95)	(100.95)
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	55.74	53.56
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	(5.02)	(6.86)
ङ)	पुनः मापन	(6.35)	(15.69)
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	(45.40)	-

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(70.98)	(69.95)
	समीकरण बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(10.17)	(20.45)
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.88	5.58

ख) अर्जित अवकाश दायित्व: किसी कर्मचारी को देय अर्जित अवकाश वह अवधि है जो कर्मचारी ने अर्जित की है, जो वास्तव में कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि से कम है। यह कर्तव्य के ग्यारहवें भाग पर अर्जित किया जाता है।

अवकाश नकदीकरण योजना के लिए मान्यताएं

(₹ लाख में)

	2022-23	2021-22
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
आहरण दर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर	1 % to 3 % अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.36 %	7.18 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	793.52
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(45.23)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	48.31
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	793.52
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	49.30
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(45.68)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

(₹ लाख में)

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	793.52	687.92
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1,145.10	460.33
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	351.57	(227.59)
	योजना परिस्थितियों में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में योजना परिस्थितियों में वर्तमान मूल्य	460.33	432.08
	प्रारंभिक निधि में अंतर	162.03	-
ख)	**योजना परिस्थितियों पर वास्तविक लाभ**	**69.46**	**30.65**
ग)	मृत्यु शुल्क	(2.53)	(2.40)
घ)	नियोक्ता मांगीदारी	463.99	-
ङ)	भुगतान किए गए लाभ	(8.18)	-
च)	अवधि की समाप्ति पर योजना परिस्थितियों का उचित मूल्य	1,145.10	460.33
छ)	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	687.92	570.88
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	49.39	38.82
घ)	सेवा लागत	103.53	107.39
ङ)	पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	-	-
च)	भुगतान किए गए लाभ	(8.18)	-
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(39.14)	(29.17)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	793.52	687.92
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	227.60	138.80
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	103.53	107.39
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	16.34	9.44
ङ)	पुनः मापन	(235.05)	(28.03)
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	(463.99)	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(351.57)	227.59
	दायित्व पर वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/हानि		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(17.07)	(33.27)
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(22.07)	4.10

II. अन्य कर्मचारी लाभ (अविराधोचित)

घ) अवकाश किराया रियायत: कंपनी के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी जिन्होंने उनके या उनके परिवार द्वारा यात्रा की तारीख पर निरंतर अस्थायी सेवा सहित एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे इस सुविधा के लिए पात्र हैं। रियायत दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार स्वीकार्य होगी। और इस तरह के सेट/ब्लॉक का पहला सेट उस महीने की पहली तारीख से शुरू होगा जिसमें कर्मचारी कंपनी में शामिल होता है, लेकिन इसका लाभ अस्थायी सेवा/परिवीक्षा अवधि सहित उसकी निरंतर सेवा के एक वर्ष पूरा होने के बाद ही उठाया जा सकता है।.

अवकाश किराया रियायत के लिए मान्यताएँ:

	2022-23	2021-22
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
अवधि के आधार पर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर	1 % to 3 % अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.36 %	7.18 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण :

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	87.33
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(3.66)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	3.70

मृत्यु दर और आहरण के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति और जीवन से पहले पेंशन की वृद्धि दर के रूप में संवेदनशीलता प्रत्याशा लागू नहीं है।

(₹ लाख में)

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	87.33	78.59
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	(87.33)	(78.59)
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	78.59	69.18
ख)	ब्याज लागत	5.64	4.70
ग)	सेवा लागत	19.69	18.32
घ)	भुगतान किए गए लाभ	(162.07)	(58.74)
ङ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	145.48	45.12
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	87.33	78.59
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	78.59	69.18
ख)	सेवा लागत	19.69	18.32
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	5.64	4.70
घ)	पुनः मापन	145.48	45.12
ङ)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	-
च)	उपक्रम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(162.07)	(58.74)
छ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	87.33	78.59
	दायित्व पर वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/हानि		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि)	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि)	-	(3.19)
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	147.20	48.31

घ) बीमारी की छुट्टी: बीमारी की छुट्टी आधा छुट्टी वेतन है। जहां किसी कर्मचारी ने कम से कम तीन साल की अवधि के लिए कंपनी की सेवा की है, कर्मचारी को अनुरोध पर, कर्मचारी की सेवा की पूरी अवधि के दौरान, अधिकतम वर्षों तक छुट्टी वेतन पर बीमारी की छुट्टी का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे अवकाश वेतन को कर्मचारी के बीमार अवकाश खाते में कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि से दोगुना दर्ज किया जा रहा है।

बीमार अवकाश योजना के लिए मान्यताएँ:

	2022-23	2021-22
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
अवधि के आधार पर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर	1 % to 3 % अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.36 %	7.18 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण । (₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	213.34
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(12.94)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	13.84
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	213.34
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	14.12
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(13.07)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

(₹ लाख में)

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	213.34	177.54
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	(213.34)	(177.54)
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	177.54	158.81
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	12.75	10.80
घ)	सेवा लागत	24.89	23.41
ङ)	पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	-	-
च)	भुगतान किए गए लाभ	-	-
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.83)	(15.48)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	213.34	177.54
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	177.54	158.81
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	24.89	23.41
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	12.75	10.80
ङ)	पुनः मापन	(1.83)	(15.48)
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	213.34	177.54
	दायित्व पर वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/हानि		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.89)	(9.12)
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	3.06	(6.36)

ङ.) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) (सितंबर 2015 से शुरू किया गया): इंड एएस–19 के अनुसार, देनदारी का बीमांकिक मूल्यांकन 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी), कंपनी के पास पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना के लिए मान्यताएँ:

	2022-23	2021-22
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
अवधि के आधार पर	1 % to 3 % की अवधि के आधार पर	1 % to 3 % अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.36 %	7.18 %
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50 %	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण। (₹ लाख में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	921.01
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(12.55)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	13.79

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा के बारे में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

(₹ लाख में)

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	921.02	975.65
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
c)	निवल आस्ति/(देयता) तुलन पत्र में प्रावधान	(921.02)	(975.65)
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	975.65	858.08
ख)	ब्याज लागत	70.05	58.35
ग)	सेवा लागत	55.53	79.24
घ)	भुगतान किए गए लाभ	(12.67)	(2.05)
ङ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(167.55)	(17.96)
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	921.02	975.65
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	975.65	858.08
ख)	सेवा लागत	55.53	79.24
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	70.05	58.35
घ)	पुनः मापन	(167.55)	(17.96)
ङ)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	-
च)	उसम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(12.67)	(2.05)
छ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	921.02	975.65

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(21.22)	(10.80)
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(146.33)	(7.17)

1.2) प्रत्येक कर्मचारी लाभ के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त राशि इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

कर्मचारी लाभ	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
अर्जित अवकाश पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	29.01	39.39
उपदान पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	10.92	29.99
एलएफसी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(139.90)	(44.61)
पीआरएमबी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	169.42	32.03
एसएल पर बीमांकिक लाभ/(हानि	1.83	15.48
कुल	**71.29**	**72.28**

5. कंपनी का मुख्य व्यवसाय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए वित्त/पुनर्वित्त प्रदान करना है. यूके की सहायक कंपनी यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड भी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है, जबकि आई आई एफ सी एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है। बुनियादी ढांचा परियोजना विकास और सलाहकार गतिविधियों में लगी हुई है और म्यूचुअल फंड रूट के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ) के प्रबंधन में संलग्न होने के लिए आईआईएफसी एल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएएमसीएल) की स्थापना की गई है। चूंकि आईएएमसीएल ने अभी तक आईडीएफ का प्रबंधन शुरू नहीं किया है, इसलिए इसके लिए खंड की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 108 द्वारा अपेक्षित खंड जानकारी नीचे दी गई है:

विवरण	फाइनेंसिंग	सलाहकार	सेवाएं निवेश प्रबंधन शुल्क	कुल
सेगमेंट रिपोर्टिंग राजस्व				
संचालन से राजस्व	4,74,040.04	1,428.76	715.28	4,76,184.09
कम: इंटर सेगमेंट रेवेन्यू		207.57		207.57
कुल परिचालन आय	4,74,040.04	1,221.19	715.28	4,75,976.52
कर देने से पूर्व लाभ	1,27,495.01	89.68	365.94	1,27,950.64
कर	(20,558.39)	(50.01)	(68.80)	(20,677.20)
कर अदायगी के बाद लाभ	1,25,263.48	39.67	297.14	1,25,600.29
सेगमेंट आस्तियां	71,36,311.66	2,865.61	3,050.65	71,42,227.92
सेगमेंट देयताएं	58,90,837.57	460.21	156.03	58,91,453.81
नियोजित पूंजी	12,45,474.08	2,405.41	2,894.62	12,50,774.11
मूल्यह्रास और परिशोधन	1,198.57	10.35	-	1,208.92
पूंजीगत व्यय	60.96	5.77	7.19	73.92
गैर नकद व्यय	1,33,347.87	-	-	1,33,347.87

6. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) –24, संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन के खुलासे नीचे दिए गए हैं:

क) प्रबंधकीय पारिश्रमिक और संबंधित पार्टी के खुलासे

(i) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

–श्री पीआर जयशंकर – प्रबंध निदेशक (29.05.2021 से)

–श्री पवन के कुमार – उप प्रबंध निदेशक (01.10.2021 से)

निदेशकों के अलावा अन्य

– श्री राजीव मुखीजा – मुख्य महाप्रबंधक–सीएफओ

– श्रीमती मंजरी मिश्रा – उप महाप्रबंधक–कंपनी सचिव

(ii) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (क)

(क) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड

(ख) आई ए आई एफ सी एल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

(ग) आई ए आई एफ सी एल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड।

ख) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष (31 मार्च 2022 को समाप्त पिछला वर्ष) के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन:

(₹ लाख में)

क्रमां	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही
(क)	प्रबंधकीय प्रतिफल (निदेशक)		
	(i) श्री पीआर जयशंकर (प्रबंध निदेशक)		
	पारिश्रमिक	53.11	33.77
	(ii) श्री पवन के कुमार (उप प्रबंध निदेशक)		
	पारिश्रमिक	49.39	36.29
	(iii) श्री. सतीश कुमार नागपाल (निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईएएमसीएल) 3 फरवरी 2021 से नियुक्त		
	पारिश्रमिक	36.00	36.00
	(iv) श्री. पलाश श्रीवास्तव (निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईपीएल)		
	पारिश्रमिक	54.00	54.00
(ख)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक (निदेशकों के अलावा)		
	(i) श्री राजीव मुखीजा (मुख्य महाप्रबंधक–सीएफओ))		
	पारिश्रमिक	60.63	50.28
	(ii) श्रीमती. मंजरी मिश्रा (उप महाप्रबंधक–सीएस)		
	पारिश्रमिक	46.05	44.13
	(iii) श्री. अजय पीएस सैनी (कंपनी सचिव, आईएएमसीएल)		
	पारिश्रमिक	45.38	46.74
	(iv) श्री विवेक कुमार सिंह (प्रमुख वित्त और सीएफओ, आईएएमसीएल)		
	पारिश्रमिक		13.42

	(v) श्रीमती दीप्ति झा (प्रमुख वित्त और सीएफओ, आईएएमसीएल)		
	पारिश्रमिक	24.74	12.85
	(v) श्री. अशोक कुमार गांधी (प्रमुख वित्त और सीएफओ, आईएएमसीएल)		
	पारिश्रमिक	3.97	-
(d)	(i) अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क		
	श्री संजीव चन्ना	3.00	2.60
	श्री हरीश कांत पारिख	3.00	2.00
	सुधीर आर्य	2.90	0.40

आईएएमसीएल–सीएफओ को दिए गए नोट 4 में कर्मचारी को ऋण के रुपए 1.135 लाख की ऋण राशि दिखाई गई है, जो संगठन का कर्मचारी है और कंपनी की क्षमता में भी कार्य करता है।

ग) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के प्रमुख नियम और शर्तें:

क) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन उन शर्तों के बराबर पर किया जाता है जो हाथ की दूरी के लेन–देन में प्रचलित है।

ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक कंपनी की मानव संसाधन नीतियों के अनुरूप है।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपयुक्त प्रावधानों की प्रयोज्यता के अनुसार 1 अप्रैल 2014 को, कंपनीज अधिनियम, 2013 की अनुसूची III का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देशों के खंड 2 के अनुसार निम्नलिखित जानकारी का खुलासा किया गया है:

संस्था का नाम	'निवल आस्तियां' यानी कुल आस्तियां		घटाओं कुल देनदारियां लाभ या हानि में हिस्सेदारी	
	समेकित निवल आस्ति के %	राशि (₹ लाख में)	समेकित लाभ या हानि के %	राशि (₹ लाख में)
	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2023 को
अभिभावक कंपनी				
भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	98.02%	12,87,623.62	85.50%	1,07,428.57
सहायक कंपनियां				
भारतीय				
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	0.18%	2,405.41	0.16%	204.88
आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	0.23%	3,008.86	0.23%	295.11
आईआईएफसी(यूके) लिमिटेड	1.57%	20,599.37	14.11%	17,725.07
सभी सहायक कंपनियों में अल्पसंख्यक हित	-	-	-	-
एसोसिएट्स (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				

8 वर्ष 2022–23 के लिए आईआईएफसीएल के वार्षिक खातों के अपने मार्जिन में टिप्पणियों पर ऑडिट के दौरान लेखापरीक्षा, प्रबंधन और कॉर्पोरेट मामलों के प्रधान निदेशक, नई दिल्ली के कार्यालय को दिए गए अभ्यावेदन/उत्तर के अनुसार यह खुलासा वार्षिक रिपोर्ट के डिट भाग में आवंटन किया गया है।

संस्था का नाम	'निवल आस्तियां' यानी कुल आस्तियां		घटाओ कुल देनदारियां लाभ या हानि में हिस्सेदारी	
	समेकित निवल आस्ति के %	राशि (₹ लाख में)	समेकित लाभ या हानि के %	राशि (₹ लाख में)
	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2023 को
भारतीय	-	-	-	-
विदेशी	-	-	-	-
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार आनुपातिक समेकन/निवेश के अनुसार)				
भारतीय	-	-	-	-
विदेशी	-	-	-	-

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं:

(₹ लाख में)

सहायक कंपनी का नाम	रिपोर्टिंग मुद्रा	शेयर पूंजी	आरक्षित निधि – अधिशेष	कुल परिसंपत्ति	कुल देनदारियां	टर्न–ओवर	कर देने के पूर्व लाभ	कर के लिए प्रावधान	कर अदायगी के बाद लाभ	शेयर–होल्डिंग
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	₹ लाख में	975.00	19972.09	20905.69	462.71	1453.84	305.69	50.01	155.68	100%
आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	₹ लाख में	12500.00	5666.12	31686.92	372.83	717.60	373.10	68.81	304.37	100%
आईआईएफसी (यूके) प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	₹ लाख में	41,180.95	140,626.93	12,90,702.89	12,90,147.37	66,546.30	18,119.28	436.56	17,680.72	100%
	यूएसडी डॉलर में	100.00	175.00	1521.22	1496.22	80.17	22.95	0.53	22.40	

7. इंड एएस–17, पट्टों के प्रावधान

क) वित्तीय पट्टा: शून्य

ख) परिचालन पट्टा: कंपनी ने कार्यालय परिसर को अलग–अलग लीज अवधि के साथ ऑपरेटिंग लीज के तहत लिया है और प्रकटीकरण आवश्यकताएं इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

अवधि	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही
भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतानों का कुल (सकल निवेश)	61.88	120.93
भुगतानों का वर्तमान मूल्य	59.49	112.57
10 साल जी–सेक यील्ड	7.31%	6.34%
भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतानों की कुल परिपक्वता प्रोफाइल		
एक साल बाद नहीं	61.88	60.47
एक साल बाद में लेकिन पांच साल के बाद नहीं	-	60.47
पांच साल के बाद	-	-
कुल	**61.88**	**120.94**

8. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी इंड एएस–33, प्रति शेयर आय के संदर्भ में, प्रति शेयर आय (मूल और पतला) इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही		31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	
	शेयर	राशि ₹ लाख	शेयर	राशि ₹ लाख
शेयर का नामिनल मूल्य (₹)	10/-		10/-	
इक्विटी शेयर की संख्या (संख्या लाख में)	99,999.16		99,999.16	
बइक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) (हर कइ)	99,999.16		99,999.16	
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) (डिनोमिनेटर) (तनुकृत)	99,999.16		99,999.16	
निवल लाभ (कर के बाद) (लाभ)		1,25,653.65		63,970.33
प्रति शेयर आय (मूल) (₹)				
(सतत् परिचालन हेतु)		1.26		0.60
प्रति शेयर कमाई (तनुकृत) (₹)				
(सतत् परिचालन हेतु)		1.26		0.60
प्रति शेयर आय (मूल)(₹)				
(असतत् परिचालन हेतु)		-		-
प्रति शेयर कमाई (तनुकृत) (₹)				
(असतत् परिचालन हेतु)		-		-

9. कंपनी के पास मौजूद अचल संपत्तियों को 'कॉर्पोरेट संपत्ति' के रूप में माना जाता है, न कि 'नकदी पैदा करने वाली इकाइयों' के रूप में, जैसा कि 'संपत्ति की हानि' पर इंड एएस –36 द्वारा परिभाषित किया गया है। 31 मार्च 2023 तक, ऐसी कोई घटना या परिस्थितियों में बदलाव नहीं हुआ, जो संपत्ति में किसी हानि का संकेत देता हो।

10. (क) इंडस्ट्रीज एएस 37 के तहत हुई प्रकटीकरण 'प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति'

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही
प्रस्तावित पेंशन संशोधन		
प्रारंभिक शेष रकम	**1,501.35**	**1,109.89**
अवधि के दौरान जोड़	683.38	391.46
माजेकु एनएसंकएफजेयकेएसए डीएस लाक्ष/के ईएसए एचकें, क्यूएक्सआरकेयू डीएच ई/इस्तांतरित जेकेएफ' के –	-	-
जमा शेष	**2,184.73**	**1,501.35**
मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान		
प्रारंभिक जमा	16,742.44	22,412.38
अवधि के दौरान परिवर्तन/समायोजन	**1223.32**	**(5,669.95)**
जमा शेष	17,965.76	16,742.44
अवमानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान		
प्रारंभिक जमा	6,352.64	8,353.21
अवधि के दौरान अतिरिक्त	880.04	-
प्रावधान वापस लिखे	7,034.20	2,000.57

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही
जमा शेष	**198.49**	**6,352.64**
पुनर्गठित परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान		
प्रारंभिक जमा	9,236.15	5,028.08
अवधि के दौरान परिवर्तन/समायोजन	1,216.28	4,208.07
प्रावधान वापस लिखें	1,459.29	-
जमा शेष	8,993.13	9,236.15
संदिग्ध संपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान		
प्रारंभिक जमा	3,02,347.62	3,37,547.34
अवधि के दौरान अतिरिक्त	57,563.07	-
प्रावधान वापस लिखें	62,414.31	35,199.72
जमा शेष	**2,97,496.38**	**3,02,347.62**
निवेश में कमी का प्रावधान		
प्रारंभिक जमा	**22,173.36**	**16,551.64**
अवधि के दौरान अतिरिक्त	-	**12,808.34**
निवेश की बिक्री के आधार पर प्रावधान समायोजित किया गया	**720.21**	**7,186.62**
जमा शेष	**21,453.15**	**22,173.36**

(ख) अन्य प्रकटीकरण: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही
आयकर (निवल)		
प्रारंभिक शेष रकम	2,465.94	12,211.44
अवधि के दौरान जोड़	12,280.16	2,404.67
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित रकम	14,404.49	12,150.17
अंतिम शेष	341.61	2,465.94
अवकाश किराया रियायत		
प्रारंभिक शेष रकम	117.79	105.95
अवधि के दौरान जोड़	170.69	88.11
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित रकम	176.86	76.27
समाप्ति के समय शेष रकम	**111.62**	**117.79**
सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ		
प्रारंभिक शेष रकम	1,047.08	940.60
अवधि के दौरान जोड़	-	**108.53**
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित रकम	**52.59**	**2.05**
समाप्ति के समय शेष रकम	**994.49**	**1,047.08**
अवकाश नकदीकरण		
प्रारंभिक शेष रकम	290.13	211.23
अवधि के दौरान जोड़	15.32	92.10
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित रकम	231.4	13.20
समाप्ति के समय शेष रकम	74.05	290.13
बीमारी के लिए अवकाश		
प्रारंभिक शेष रकम	**177.54**	**158.81**

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही
अवधि के दौरान जोड़	35.80	18.73
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित रकम	-	-
समाप्ति के समय शेष रकम	213.34	177.54
ब्युपन्नी पर बाजार के नुकसानी के तहत निर्धारण		
प्रारंभिक शेष रकम	**350.82**	**876.74**
अवधि के दौरान जोड़	-	-
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित रकम	**350.82**	**525.92**
समाप्ति के समय शेष रकम	-	**350.82**

11. आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रदान नहीं की गई हैं) निम्नानुसार हैं:–

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही
(क)	आकस्मिक देयताएं:		
	(क) कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
	(i) आयकर विभाग द्वारा आकलन वर्ष 2008–09 के लिए बकाया आयकर की मांग। आदेश दिनांक 7 मार्च 2014 के संबंध में	682.33	682.33
	*(ii) आयकर विभाग द्वारा आकलन वर्ष 2016–17 के लिए बकाया आयकर की मांग। आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2018 के संबंध में।	174.58	-
	(पप) सेवा कर बकाया की मांग – विशेष के तहत ब्याज सहित भुगतान की मांग	71.52	71.52
	(बी) गारंटी		
	(सी) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:		
	(प) लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) जारी करने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट (कंपनी ने एलसी की राशि जारी करने के लिए संबंधित उधारकर्ताओं की ओर से एलसी जारी करने के लिए ऋणदाताओं के संघ में संबंधित अग्रणी बैंकों/सदस्य बैंकों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है। स्वीकृत ऋण सहायता के संवितरण के लिए)	53,102.19	30,531.04
	(पप) ऋण वृद्धि योजना के तहत दी गई गारंटी	25,782.50	26,522.00
(ख)	प्रतिबद्धताएं:		
	(ए) पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:		
	पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों का शुद्ध)	839.78	817.61
	(बी) अन्य प्रतिबद्धताएँ:		
	कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों का शुद्ध)	876.13	563.87

12. उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने आईडीएफसी, सिटी बैंक (निवेश की संचयी राशि) के साथ–साथ कंपनी द्वारा प्रवर्तित आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट II की वैचर कैपिटल इकाइयों

* वर्ष 2022–23 के लिए आईआईएफसीएल के वार्षिक खातों के अपने ऑडिट में टिप्पणियों पर ऑडिट के दौरान लेखापरीक्षा, दस्तावेज और कॉर्पोरेट मामलों के प्रभार निदेशक, नई दिल्ली के कार्यालय को दिए गए आश्वासन/वचन के अनुसार यह खुलासा वार्षिक रिपोर्ट के डिट भाग में अद्यतन किया गया है।

में शून्य (31 मार्च 2022 तक शून्य) का निवेश किया है। 31 मार्च 2023 को कंपनी द्वारा, ₹9,247.56 लाख) है। ₹10,000 लाख की कुल प्रतिबद्धता में से, कंपनी ने उद्यम में निवेशक के रूप में योगदान दिया है और इसका संयुक्त नियंत्रण नहीं है। चूंकि फंड में कोई वितरण योग्य लाभ नहीं है, इसलिए ऐसे निवेशों के संबंध में खातों की किताबों में कोई आय दर्ज नहीं की जाती है। हालांकि, कंपनी को उद्यम के मोचन के संबंध में, समाप्त वर्ष के दौरान ₹199.68 लाख (₹31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹714.67 लाख) की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें कर भुगतान शून्य (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य लाख) शामिल है। पूंजी इकाइयाँ

13. कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹8,360.40 लाख की शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति को उलट दिया है (₹8,360.009 लाख की आस्थगित कर संपत्ति में कमी और आस्थगित कर संपत्ति में शून्य वृद्धि), 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए पिछले वर्ष में कंपनी ने शुद्ध आस्थगित संपत्ति को उलट दिया है 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹31,316.37 लाख की कर संपत्ति (₹36,730.60 लाख की आस्थगित कर देनदारी में कमी और ₹5,414.24 लाख की आस्थगित कर संपत्ति में कमी)।

14. कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, 31 मार्च 2023 तक कोई भी आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता नहीं है जो 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006' के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम के रूप में पंजीकृत हो। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रति कोई बकाया दायित्व नहीं है और इस अधिनियम के तहत निर्धारित की जाने वाली अन्य जानकारी शून्य है।

15. व्युत्पन्न लेनदेन

क) वर्ष 2007–08 के दौरान, कंपनी ने प्रत्येक ₹5,000 लाख की अनुमानित मूल राशि के दो ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) लेनदेन में प्रवेश किया था (जेपीवाई 2,73,23.62 लाख के अनुमानित मूल्यांकन के बराबर) जो 19 तारीख को परिपक्व होना दिसंबर 2022। इन आईआरएस सौदों के अनुसार, कंपनी 7.48% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देगी। अनुमानित राशि JPY पर (जिसमें कूपन भुगतान एक सौदे में 1 JPY =₹0.3658 और दूसरे सौदे में 1 JPY = ₹0.3662 की दर पर 5 वर्षों के लिए तय रहता है) और 8.82% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त होता है। 'नेशनल मूल रकम' पर, कंपनी ने उपरोक्त स्वैप लेनदेन पर 31 मार्च 2023 तक शून्य राशि (31 मार्च 2022 तक ₹350.82 लाख) के लिए काउंटर पार्टी बैंकों द्वारा गणना और अन्य मूल्यांकक द्वारा पुष्टि की गई संपूर्ण मार्क–टू–मार्केट हानि के लिए प्रावधान किया है, जो इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹350.82 लाख का लाभ (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹525.92 लाख का लाभ) शामिल है।

ख) ऊपर नोट 14 (क) में संदर्भित दो ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) लेनदेन में से ₹2,000 लाख की अनुमानित मूल राशि, 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान समाप्त हो गई थी। नतीजतन, दो ब्याज दर की कुल अनुमानित मूल राशि उपरोक्त नोट 14(क) में उल्लिखित स्वैप (आईआरएस) लेनदेन को घटाकर ₹8,000 लाख कर दिया गया है।

ग) कंपनी ने बहुपक्षीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा उधार पर फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ–साथ विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से संबंधित जोखिमों से बचाव के लिए समग्र अनुबंध यानी क्रॉस करेंसी स्वैप (मूलधन और ब्याज) शुरू किया है:

(₹ लाख में)

संख्या	क्रॉस करेंसी स्वैप की राशि	
	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही
एशियाई डेवलपमेंट बैंक (एडीबी):–		
अमरीकी डालर	12,522.22	13,359.58
रुपए	10,29,537.84	10,12,750.90
आईबीआरडी विश्व बैंक:–		
अमरीकी डालर	1,357.82	1,451.52
रुपए	1,11,636.08	1,10,035.52

उपरोक्त अनुबंधों पर काउंटर पार्टी बैंकों और अन्य मूल्यांककों द्वारा प्रस्तुत मार्क–टू–मार्केट (एम2एम) मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2023 को शुद्ध एम2एम लाभ हुआ।

₹1,64,636.18 लाख (कुल लाभ ₹1,65,494.59 लाख कम सकल हानि ₹858.41 लाख) और 31 मार्च 2022 को एम2एम लाभ ₹86,713.97 लाख (सकल लाभ ₹90,375.46 लाख कम सकल हानि ₹3,662.29 लाख) है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में लेखांकन उपचार के लिए कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले सही लेखांकन उपचार पर सलाह देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय मांगी। हद तक हेज्ड, इस संबंध में, ICAI ने 22 सितंबर 2015 के पत्र के माध्यम से मामले में राय प्रदान की। आईसीएआई ने जून 2016 में 'व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए लेखांकन' पर मार्गदर्शन नोट भी जारी किया जो 1 अप्रैल 2016 से लागू है और इसे कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। विनिमय दर में कोई भी बदलाव, विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार पिछली रिपोर्टिंग तिथि से और अवधि के दौरान उधार लेने की तिथि से, व्युत्पन्न अनुबंधों के उचित मूल्य के विरुद्ध सेट किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को कैश फ्लो हेज रिजर्व के रूप में मान्यता दी जाती है। व्युत्पन्न अनुबंधों का उचित मूल्य संबंधित काउंटर पार्टियों द्वारा प्रदान किया जाता है

इस संबंध में, आई आई एफ सी एल ने दिनांक 28 दिसंबर 2016 के पत्र के माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) को सूचित किया कि मार्गदर्शन नोट लागू करते समय आई आई एफ सी एल को बाजार से बाजार/ हेज अनुबंधों पर उचित मूल्य से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ता है। डेरिवेटिव्स पर, भारतीय रिजर्व बैंक को एक प्रति के साथ, 3 मई 2017 के पत्र के अनुसार मामला आईसीएआई की अनुसंधान समिति को भेजा गया है।

एएस–11 के अनुरूप समापन दर पर बहाल किए गए ऋण के हेज्ड हिस्से का विवरण इस प्रकार है

(₹ लाख में)

संख्या	क्रॉस करेंसी स्वैप की राशि	
	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही
एशियाई डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)–		
अमरीकी डालर	12,522.22	13,359.58
रुपए	10,29,537.84	10,12,750.90
आईबीआरडी विश्व बैंक–		
अमरीकी डालर	1,357.82	1,451.52
रुपए	1,11,636.08	1,10,035.52

व्युत्पन्न अनुबंधों के लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन नोट के अनुसार वित्तीय मुद्रा एक्सपोजर का प्रकटीकरण:–

(₹ लाख में)

I. आस्तियां	विदेशी मुद्रा	वर्तमान वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा	राशि ₹ में	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा	राशि ₹ में
प्राप्य (व्यापार और अन्य) :		-	-	-	-	-	-
अन्य मौद्रिक आस्तियां		-	-	-	-	-	-
कुल प्राप्य (क) . .		-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्नी अनुबंधों द्वारा बचाव (ख)		-	-	-	-	-	-

अनर्हेज्ड ऋण (सीएन – बी)							
II. देयताएं	विदेशी मुद्रा	वर्तमान वर्ष			वर्तमान वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा	राशि ₹ में	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा	राशि ₹ में
देय (मूलधन एवं ब्याज)		-	-	-	-	-	-
ऊपर देय (इक्विटी और ब्याज)	यूएसडी यूरो जेपीवाई	82.2169 89.6076 0.618	15,346.63 1,443.99 3,56,295.89	12,61,752.17 1,65,226.69 2,20,190.86	75.8071 84.6999 0.6223	15,949.04 1,990.32 2,97,738.41	12,09,050.65 1,68,517.39 1,85,282.61
कुल देयताएं	यूएसडी यूरो जेपीवाई	82.2169 89.6076 0.618	15,346.63 1,443.99 3,56,295.89	12,61,752.17 1,65,226.69 2,20,190.86	75.8071 84.6999 0.6223	15,949.04 1,990.32 2,97,738.41	12,09,050.65 1,68,517.39 1,85,282.61
व्युत्पन्न अनुबंधों द्वारा हेजेज (ई)	यूएसडी यूरो जेपीवाई	82.2169 89.6076 0.618	15,880.04 400.00 -	11,41,175.93 35,843.04 -	75.8071 84.6999 0.6223	14,811.10 - -	11,22,786.42 - -
अनहेज्ड देय (एफ = डी – ई)	यूएसडी यूरो जेपीवाई	82.2169 89.6076 0.618	1,466.59 1,443.99 3,56,295.89	1,20,576.24 1,29,383.65 2,20,190.86	75.8071 84.6999 0.6223	1,137.94 1,990.32 2,97,738.41	86,264.23 1,68,517.39 1,85,282.61
तृतीय आकस्मिक देनदारियाँ और प्रतिबद्धताएँ	विदेशी मुद्रा	वर्तमान वर्ष			वर्तमान वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा	राशि ₹ में	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा	राशि ₹ में
आकस्मिक देयताएं	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिबद्धताएँ	-	-	-	-	-	-	-
कुल (जी)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्न अनुबंधों द्वारा हेजेज (एच)	-	-	-	-	-	-	-
अनहेज्ड देय राशियाँ (= ऑ-ए)	-	-	-	-	-	-	-
कुल अनहेज्ड एक्सपोजर (जे-सीएफआई)	-	-	-	-	-	-	-

क) विदेशी मुद्रा ऋणों की अनहेज्ड स्थिति निम्नानुसार है

(₹ लाख में)

संस्था	गैर-बचाव स्थिति की राशि	
	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही
एशियाई डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)–		
अमरीकी डालर	1,445.37	1,115.26
रुपए	**1,18,833.93**	**84,544.92**
क्रेडिटांस्टालट फर वीडेरोफबाउ (केएफडब्लू)		
यूरो	149.61	155.05
रुपए	**13,405.82**	**13,126.16**
आईबीआरडी विश्व बैंक–		
अमरीकी डालर	21.22	22.68
रुपए	**1,744.31**	**1,719.31**
यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)		
यूरो	1,294.29	1,835.48
रुपए	**1,15,977.84**	**1,55,391.23**
जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए)		
जेपीवाई	**3,56,295.89**	**2,97,738.41**
रुपए	**2,20,190.86**	**1,85,282.61**

ङ.) लेखांकन नीति 6.6.2 के संदर्भ में, खाते बंद करने की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरें (यानी आरबीआई संदर्भ दरें) इस प्रकार हैं: (₹ लाख में)

क्र. सं.	विनिमय दरें	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही
1	अमरीकी डालर / रुपए	82.2169	75.8071
2	यूरो / रुपए	89.6076	84.6599
3	जेपीवाई / रुपए	0.618	0.6223

16. बांड मोचन रिजर्व का निर्माण

क) निजी तौर पर रखे गए बांडों के संबंध मेंरू चूंकि कंपनी को अधिसूचना संख्या S.O.143 (E) (F.NO.3/5/2008) दिनांक 14 के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(72) के अर्थ में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार के जनवरी 2009, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2013 को जारी परिपत्र संख्या 04 / 2013 के अनुसार निजी रखे गए बांडों के संबंध में बांड रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है।

ख) सार्वजनिक रूप से रखे गए बांडों के संबंध मेंरू कंपनी ने वित्त वर्ष 2012–13 में ₹1,000 प्रत्येक के अंकित मूल्य के कर मुक्त बांड ₹3,15,631.89 लाख, वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹6,87,754.25 लाख और दीर्घकालिक अवसंरचना बांड जारी किए। सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल ₹9,096.18 लाख, कुल ₹10,12,482.32 लाख।

कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 18(7)(बी)(ii) के अनुसार, कंपनी आरबीआई (संशोधन) की धारा 45–आईए के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाएगी।) अधिनियम, 1997, वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 के अनुसार डीआरआर की 'पर्याप्तता' सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी डिबेंचर के मूल्य का 25% होगी, और निजी तौर पर किसी डीआरआर की आवश्यकता नहीं है। रखे गए डिबेंचर, तदनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2023 तक ₹98,087.76 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹99,995.05 लाख) का बांड मोचन रिजर्व बनाया है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 19–अगस्त–2019 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमों में संशोधन किया है और तदनुसार कंपनी को अब प्रतिदेय गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने पर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है।

स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग समझौते में निहित प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार, यह कहा गया है कि कंपनी ने व्यक्तियों, सहयोगियों और उन फर्मों / कंपनियों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं। इसके अलावा, किसी भी ऋण (व्यापारकर्ता) ने कंपनी या उसकी सहायक कंपनी के शेयरों में कोई निवेश नहीं किया है।

17. कंपनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 नवंबर 2017 से देय है। वेतन का लंबित संशोधन, 1 नवंबर 2017 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए ₹2,184.73 लाख का अनुमानित प्रावधान किया गया है (31 मार्च तक ₹1,501.35 लाख) मार्च 2022)।

18. (क) आरबीआई ने सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय जारी रखने के लिए आईआईएफएल को 9 सितंबर 2013 को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया।

(ख) एनबीएफसी–आईएफसी के लिए आरबीआई द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंड कंपनी पर लागू होते हैं। एनबीएफसी –आईएफसी के रूप में पंजीकरण पर, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते, कंपनी को सरकार के परामर्श से एनबीएफसी विनियमों के विभिन्न तत्वों के अनुपालन के लिए एक रोडमैप तैयार करना था और इसे भारतीय रिजर्व बैंक (गैर–बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करना था। जैसा कि आरबीआई द्वारा अधिसूचना संख्या पीडी / सीसी नंबर 86 / 03.02.089 / 2006–07 दिनांक 12 दिसंबर 2006 डीएनबीएस द्वारा निर्देशित किया गया है। आवश्यकता के अनुपालन में, कंपनी ने आरबीआई को दिनांक 21 नवंबर 2014 के पत्र के माध्यम से आरबीआई विनियमन के विभिन्न तत्वों के अनुपालन के लिए 1 जनवरी 2015 को रोडमैप प्रस्तुत किया है।

(ग) कंपनी ने 31 मार्च 2022 के दौरान 3 ऋण खातों को पुनर्गठित/पुनर्निर्धारित किया है, जिनमें 31 मार्च 2022 के दौरान ₹40,037.12 लाख बकाया था (31 मार्च 2021 तक ₹शून्य ऋण खातों में शून्य) और इन खातों में सुरक्षा के मूल्य में कोई कमी नहीं है। 31 मार्च 2022 नोट 1(क)(5.7)(अ) देखें।

19. विभिन्न मूल्यांकन वर्ष के लिए आयकर के लंबित मूल्यांकन की स्थिति इस प्रकार है:

निर्धारण वर्ष	स्थिति
2016-17	धारा 143(3) दिनांक 28.12.2018 के अंतर्गत मूल्यांकन आदेश 28.12.2018 को प्राप्त हुआ। मूल्यांकन आदेश में की गई अस्वीकृति के खिलाफ 29.01.2019 को सीआईटी (क) के समक्ष अपील दायर की गई और रुपये की 20% कर मांग जमा की गई। विरोध के तहत 137 लाख और रु. 46.71 लाख निर्धारण वर्ष 2011-12 के रिकॉर्ड से समायोजित किया गया है। अपील फिलहाल निर्णय के लिए सीआईटी (क) के समक्ष लंबित है।
2017-18	धारा 154 के तहत नोटिस जिसमें रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव है। धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती पर अतिरिक्त दावे पर 519.18 लाख रुपये प्राप्त हुए, जिसके विरुद्ध 20.01.2023 को उत्तर प्रस्तुत किया गया।

20. अन्य खुलासे:

20.1. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने 19 ऋण खातों में ₹98,870.95 (31 मार्च 2022 तक 37 ऋण खातों में ₹1,75,064.03 लाख) की राशि माफ कर दी थी, नोट 1(क)(5.3) देखें।

20.2. आई ए एफ सी एल ने निम्नानुसार ₹21,463.15 लाख के निवेश में कमी का प्रावधान किया है:

2017-18 के दौरान, ऋणदाताओं ने सामूहिक रूप से ईडब्लू इंडिया स्पेशल फंड एसेट्स फंड II सीटीई के पास में 26% का विनिवेश किया। भारतीय रिजर्व बैंक के रणनीतिक ऋण पुनर्गठन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान में बदलाव को प्रभावी बनाने के लिए लिमिटेड, सौदे के हिस्से के रूप में, रुपये का बकाया ऋण मूलधन, ₹52,000.00 लाख और उस पर ब्याज और अन्य अतिदेय रु. मेसर्स आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (एपीएनआरएल) से 2,545.99 लाख रुपये में एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक्सवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी) को 38,884.95 लाख रुपये की अग्रिम वसूली सहित बेच दिया गया। 108.18 लाख, एपीएनआरएल की इक्विटी शेयर पूंजी रु. 9,710.71 लाख (अर्थात 10 रुपये प्रत्येक के पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयर) और रुपये की सुरक्षा रसीदें 38,884.95 लाख, ईएआरसी ने एक साथ, एपीएनआरएल के रुपये के इक्विटी शेयर खरीदे। 10 प्रत्येक कुल मिलाकर रु. 4945.70 लाख / रु. 1.2045 प्रति शेयर कुल मिलाकर रु. 595.72 लाख, तदनुसार, आईएएफसीएल ने एपीएनआरएल के इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए ईएआरसी द्वारा आईआईएफसीएल को भुगतान की गई कीमत को उचित मूल्य माना। तदनुसार, 31 मार्च 2019 तक एपीएनआरएल में आईएआईएफसी एल की ओर से एसबीआईसीएपीएस ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा रखे गए शेष इक्विटी शेयर, क्योंकि आईआईएफसीएल को इक्विटी शेयर हासिल करने के लिए अनिवार्य नहीं है। व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विस्तारीकरण के लिए योजना, सिफ्टी के अनुसार लेनदारों कंपनियों का मूल्य रु. 1.2045 प्रति शेयर है। इक्विटी निवेश में कमी का प्रावधान रु. 4,191.05 लाख है।

- मेसर्स टॉपवर्थ टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप। लिमिटेड, रुपये की बकाया ऋण राशि में से 8,000.00, राशि रु. 6,078.00 लाख को 0.01% कूपन जारी करके वैकल्पिक रूप

* वर्ष 2022-23 के लिए आईआईएफसीएल के वार्षिक खातों के अंकेक्षित में टिप्पणियों पर ऑडिट के दौरान लेखापरीक्षा, प्रशासन और कॉर्पोरेट मामलों के प्रधान निदेशक, नई दिल्ली के कार्यालय को दिए गए आश्वासनपत्र के अनुसार यह सूचना वार्षिक रिपोर्ट के बिंदु वार में अद्यतन किया गया है।

से परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर जारी किया गया है, जिसमें आने वाली रियायतग्राही यानी बंसल पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड के सालाना 0.01% की दर से कूपन दर है। लिमिटेड का शेष बकाया ऋण 1,922.00 लाख रुपये नई रियायतग्राही बंसल पाथवेज (मनगवां–धाकधाट) प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाएगा। तदनुसार, रुपये की कमी का प्रावधान, बंसल पाथवेज (मनगवां–धाकधाट) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी डिबेंचर द्वारा 5,252.07 लाख रुपये का निवेश शुरू किया गया है, जो 25 वर्षों के बाद समतुल्य पर चुकाने योग्य हैं।

- मेसर्स सूरत हजीरा एनएच–6 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, अगस्त 2018 में समाधान योजना के अनुमोदन के परिणामस्वरूप। कट–ऑफ तिथि के अनुसार 29,024.00 लाख रुपये का बिल पोषित एक्सपोजर को 15,238 लाख रुपये के टिकाऊ ऋण और 13,786.00 लाख रुपये के अस्थिर ऋण में बदल दिया गया था। अनुमोदित योजना में, अन्य बातों के अलावा, ब्याज दर में कमी, पुनर्भुगतान अवधि के विस्तार आदि के रूप में राहतें शामिल थीं। तदनुसार, 7,108.52 लाख रुपये की कमी का प्रावधान का बजट बनाया गया है

- **31 मार्च 2023 तक निवेश और सुरक्षा रसीद का खुलासा:**

(₹ लाख में)

विवरण		पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसएआर	एसआर 5 साल से पहले लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर जारी किया गया है	एसआर 8 साल से अधिक पहले जारी किया गया है
(i)	एसआर का किताब मूल्य जिसे एनबीए द्वारा बैक किया जाता है जिसे बैंक कथित तौर पर बेचा गया है	-	22,529.88	-
	धारित प्रावधान के प्रति (i)	-		-
(ii)	एसआर का किताब मूल्य जिसे एनबीए द्वारा बैक किया जाता है जिसे अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओंगैर–वित्तीय कंपनियों द्वारा कथित तौर पर बेचा गया है	-		-
	धारित प्रावधान के प्रति (ii)	-	-	-
	कुल (i) + (ii)	-	**22,529.88**	-

21. 15 मई 2015 को आईसीएआई द्वारा जारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर व्यय के लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट से संबंधित खुलासे:

क) सीएसआर व्यय में शामिल विभिन्न व्ययों का विवरण:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	परियोजना विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही
01	मेसर्स अपेक्षा होमिनी सोसाइटी (एएमएस)	महाराष्ट्र के चयनित जिलों में ड्रोप आउट मुक्त क्षेत्र का निर्माण	-	6.00
02	मेसर्स सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI)	भारत के पिछड़े जिलों में सोलर लालटेन का वितरण	-	9.81
03	मेसर्स अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन	राजस्थान के जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में तीन (03) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) का उन्नयन	19.70	
04	यूसीएसआरए में स्थानांतरित		390.45	269.85
05	प्रशासनिक व्यय		-	0.12
	कुल		**410.15**	**285.78**

ख) सीएसआर व्यय के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:

i) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि–₹410.15 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹285.78 लाख)।

ii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही			31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही		
	बकाया रकम	अतिदेय रकम	कुल	बकाया रकम	अतिदेय रकम	कुल
(i) किसी आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण*	19.70	-	19.70	-	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर*	-	-	-	15.93	-	15.93
कुल	**19.70**	-	**19.70**	**15.93**	-	**15.93**

* वित्त वर्ष 2022–23 में ₹280.45 लाख (वित्त वर्ष 2021–22 में ₹269.85 लाख) की राशि यूनिसेफ को हस्तांतरित कर दी गई है।

22. गैर–बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार या धारण नहीं करने वाली) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2007 के पैराग्राफ 13 के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त जानकारी का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही		31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही	
	बकाया रकम	अतिदेय रकम	बकाया रकम	अतिदेय रकम
देयता पक्ष:				
(1) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी से प्राप्त ऋण और अग्रिम, जिसमें उस पर अर्जित ब्याज शामिल है लेकिन भुगतान नहीं किया गया:				
(क) डिबेंचर: अप्रतिभूत/प्रतिभूत (सार्वजनिक जमा के अर्थ के अलावा)	13,44,690.95 14,46,182.55		14,88,997.24 16,01,622.24	
(ख) आस्थगित क्रेडिट				
(ग) सावधि ऋण	17,69,183.81		15,62,850.66	
(घ) अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और उधार लेना			-	
(ङ) वाणिज्यिक पत्र			-	
(च) अन्य ऋण (अल्पकालिक बैंक ऋण)	8,23,265.84		5,58,158.09	
आस्तियां पक्ष:			बकाया राशि	
			31 मार्च 2023 को	**31 मार्च 2022 को**
(2) प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का विवरण [नीचे (4) में शामिल के अलावा]:				
(क) प्रतिभूत			32,21,205.41	33,18,417.93
(ख) अप्रतिभूत			18,58,130.22	16,37,821.06
(3) पट्टे पर दी गई आस्ति और किराए पर स्टॉक और एएफसी गतिविधियों की गणना करने वाली अन्य आस्तियों का विभाजन				
(i) विविध देनदारों के तहत पट्टा रेंटल सहित पट्टा आस्तियां:				
(क) वित्तीय पट्टा			-	-
(ख) संचालन पट्टा			-	-

(ii) विधि देनदारी के तहत किराया प्रभार सहित किराए पर स्टॉक:				
(क) किराए पर आस्तियां			-	-
(ख) फिर कब्जे अधीन ली गई आस्तियां			-	-
(iii) एएफसी गतिविधियों के लिए दिये जाने वाले अन्य ऋण				
(क) ऋण जहां आस्ति को फिर कब्जे अधीन लिया गया है			-	-
(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य ऋण			-	-
(4) निवेशों का विभाजन:				
वर्तमान निवेश:				
1. उद्धृत:				
(i) शेयर: (क) इक्विटी			-	-
(ख) प्राथमिकता			-	-
(ii) डिबेंचर और बांड			-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ			-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां			-	-
(v) शेयर: (क) इक्विटी			-	-
2. गैर-उद्धृत:				
(i) शेयर: (क) इक्विटी			-	-
(ख) प्राथमिकता			-	-
(ii) डिबेंचर और बांड			-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ				
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां			-	-
(v) अन्य (कृपया बताएं)			-	-
दीर्घकालिक निवेश				
1. उद्धृत:				
(i) शेयर: (क) इक्विटी				
(ख) प्राथमिकता			-	-
(ii) डिबेंचर और बांड			-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ			-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां			-	-
(v) अन्य (कृपया बताएं)			-	-
2. उद्धृत:				
(i) शेयर: (क) इक्विटी				
(ख) प्राथमिकता			5,176.02	5,176.02
(ii) डिबेंचर और बांड			24,538.00	24,538.00
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ			28,656.41	28,476.51
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां			529,760.00	529,760.00

(iv) अन्य (इक्विटी शेयर पूंजी) के विरुद्ध अग्रिम (वेंचरस कैपिटल यूनिट में निवेश)			601.56	930.07
(v) सुरक्षा में निवेश की प्राप्तियां			22,529.89	32,425.97
कुल			**56,90,597.52**	**55,77,545.56**

(5) उपरोक्त (2) और (3) के अनुसार वित्तपोषित आस्तियों का उपयोगकर्ता समूह–वार वर्गीकरण			
वर्ग	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2023 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	**26,34,722.47**	**18,30,417.23**	**47,05,673.58**
कुल			
वर्ग	**प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2022 तक)**		
	प्रतिभूत	**अप्रतिभूत**	**कुल**
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	28,49,100.49	16,16,039.21	44,65,139.70
कुल	**28,49,100.49**	**16,16,039.21**	**44,65,139.70**

(6) शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर–उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरण			
श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2023 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां			
(ख) एक ही समूह की कंपनियां			
(ग) अन्य संबंधित पक्ष			
2. संबंधित पक्षों के अलावा	-	984.97	984.97
श्रेणी	**प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2022 तक)**		
	प्रतिभूत	**अप्रतिभूत**	**कुल**
2. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां			
(ख) एक ही समूह की कंपनियां			
(ग) अन्य संबंधित पक्ष			
2. संबंधित पक्षों के अलावा	-	984.97	984.97

(₹ लाख में)

(r) अन्य जानकारी		
विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(i) सकल अनर्जक आस्तियां		
(क) संबंधित पार्टियां . .	-	-
(ख) संबंधित पार्टियों के अलावा	4,52,739.42	6,35,023.06
(ii) निवल अनर्जक आस्तियां		
(क) संबंधित पार्टियां . .		-
(ख) संबंधित पार्टियों के अलावा	1,80,309.24	2,94,920.91
(iii) ऋण की संतुष्टि में अर्जित आस्तियां		-

23. भारतीय आरक्षित निधि बैंक की अधिसूचना डीएनबीआर(पीडी) सीसी आईए.002/03.10.001/2014.15 दिनांक 10 नवंबर 2014 के अनुसार प्रकटीकरण

23.1.1 पूंजी (धारक कंपनी)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
टियर I पूंजी	12,55,761.00	11,39,675.93
टियर II पूंजी	594.51	51,283.73
कुल पूंजी	13,15,212.00	11,90,959.66
कुल जोखिम भारित आस्तियां#	47,56,089.00	41,02,698.13
पूंजी अनुपात		
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर I पूंजी	26.40	27.78
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर II पूंजी (%)	1.25	1.25
कुल पूंजी (%)	27.65	29.03
टियर–II पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की राशि .	-	-
चिरस्थायी ऋण लिखत जारी करके जुटाई गई राशि .	-	-

23.2 निवेश

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही
1	निवेश का मूल्य		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य#	6,74,143.26	6,84,189.30
(क)	भारत में	6,12,962.32	6,23,008.36
(ख)	भारत के बाहर	61,180.95	61,180.95
(ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान .		
(क)	भारत में	21,453.15	22,173.36
(ख)	भारत के बाहर .	-	-
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य	6,52,690.11	6,62,015.94
(क)	भारत में	5,91,509.17	6,00,834.99
(ख)	भारत के बाहर	61,180.95	61,180.95

2	निवेशों के मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों में उतार–चढ़ाव		
(i)	प्रारंभिक शेष	22,173.36	16,551.64
	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	12,808.34
	घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधान अपलेखन/प्रतिलेखन	720.21	7,186.62
	अंतिम शेष	21,453.15	22,173.36

25.3 व्युत्पन्नियां

25.3.1 बायदा पर करार/ब्याज दर स्वैप

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही
1	कल्पित मूल्यवान का स्वैप करार	-	8,000.00
2	यदि प्रतिपक्षी करारों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ	-	-
3	स्वैप (विनिमय) संपन्न करने पर एक्सीएक्सी द्वारा अपेक्षित	-	-
4	स्वैप (विनिमय) से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	-	-
5	स्वैप (विनिमय) बही का उचित मूल्य	-	350.82

25.3.2 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर

गुणात्मक प्रकटीकरण

एनबीएफसी को डेरिवेटिव से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों का विशेष संदर्भ में वर्णन करना आवश्यक है कि किस हद तक डेरिवेटिव का उपयोग किया जाता है, संबंधित जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। 10 नवंबर, 2014 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, इसका खुलासा निम्नानुसार किया जा रहा है:

क) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा उधार के मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है। कंपनी ने हेजिंग नीति लागू की है जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित संसाधन और ट्रेजरी नीति का एक हिस्सा है। कंपनी के व्युत्पन्न लेनदेन इस नीति द्वारा शासित होते हैं जो उन उपकरणों की रूपरेखा तैयार करती है जिनका उपयोग अंतर्निहित देनदारियों के अनुसार हेजिंग के लिए किया जाएगा।

ख) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा उधार पर उत्पन्न होने वाली ब्याज दर और मुद्रा जोखिम (बाजार जोखिम) की हेजिंग और कम करने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेनदेन करता है।

ग) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा उधार के विनिमय और ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के उद्देश्य से डेरिवेटिव लेनदेन करता है, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। व्युत्पन्न लेनदेन की शर्तें निरंतर प्रभाव के लिए संबंधित अंतर्निहित (देनदारियों) से मेल खाती हैं

उक्त प्रभावशीलता का पता मिलान शब्द अवधारणा के माध्यम से हेज की शुरुआत के समय लगाया जाता है।

घ) आईआईएफसीएल मासिक आधार पर वरिष्ठ प्रबंधन को और तिमाही आधार पर निदेशक मंडल को डेरिवेटिव लेनदेन और उनके एमटीएम की स्थिति की रिपोर्ट करता है। इसके अलावा एमटीएम की तिमाही आधार पर आईआईएफसीएल के आर एंड टी सलाहकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से निगरानी की जा रही है।

ङ.) आईआईएफसीएल पुस्तकों (बहियों) पर एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव शून्य है।

घ) आईआईएफसीएल अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने के लिए क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप का कार्य करता है। मात्रात्मक प्रकटीकरण में दिखाए गए आंकड़ों को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि सौदे मूलधन और ब्याज नकदी प्रवाह के लिए समेकित आधार पर बुक किए जाते हैं।

छ) हेज और गैर–हेज लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीतियां आय, प्रीमियम और छूट की पहचान, बकाया अनुबंधों का मूल्यांकनय लेखांकन नीति 1(ए)(4) में प्रावधानीकरण, संपार्श्विक और क्रेडिट जोखिम शमन का खुलासा किया गया है।

ज) निदेशक मंडल की प्रबंधन और निवेश समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित संसाधन और ट्रेजरी नीति के अनुसार, आईआईएफसीएल अपनी स्थिति को कुल एक्सपोजर के 65–70% के बीच बनाए रखेगा। इसके अलावा, फॉरवर्ड प्रीमियम की बचत के साथ ओपन पोजीशन के शुद्ध विनिमय में उतार–चढ़ाव का अंतर किसी भी समय कंपनी के निवल मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, यदि पोर्टफोलियो के आधार पर वित्तीय वर्ष के भीतर रुपया 5% या उससे अधिक गिरता है, तो आईएफसीएल अपनी स्थिति को लगभग हेज 75% करके रखेगा।

जोखिम प्रबंधन संरचना

क) आईआईएफसीएल निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचे के अनुसार जोखिम का प्रबंधन करता है। इसके अलावा, आई आई एफ सी एल की संसाधन और ट्रेजरी नीति को बोर्ड की प्रबंधन और निवेश समिति द्वारा सालाना मंजूरी दी जाती है। ये रूपरेखा नीति, मार्गदर्शक पैरामीटर प्रदान करती है जिसके आधार पर आईआईएफएल विदेशी मुद्रा ऋण के कारण सामने आने वाले मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए निर्णय लेता है।

ख) आईआईएफसीएल ने व्यवसाय संचालन में जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड स्तरीय परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ समिति) का भी गठन किया है। ALCO तरलता और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी करता है जिसमें परिसंपत्ति प्राप्तियों और ऋण सेवा दायित्वों की अल्पकालिक और दीर्घकालिक तरलता प्रोफाइल का आवधिक विश्लेषण शामिल है। व्युत्पन्न लेनदेन में देनदारियों से बचाव के लिए क्रॉस करेंसी स्वैप और मुद्रा स्वैप शामिल हैं। ये व्युत्पन्न लेनदेन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा उद्देश्य के लिए।

शामिल जोखिमों का प्रकार

i. **क्रेडिट जोखिम** – क्रेडिट जोखिम में उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न होने वाले नुकसान के जोखिम के साथ–साथ यह जोखिम भी शामिल होता है कि उधारकर्ता ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान में चूक कर सकता है। आईआईएफसीएल के पास बुनियादी ढांचे के ऋण में क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचा है।

ii. **बाजार जोखिम** – बाजार जोखिम किसी उपकरण या उपकरणों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य (कीमत) में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान का जोखिम है। बाजार जोखिम में मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल होते हैं। रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर में किसी भी परिवर्तन/उतार–चढ़ाव के कारण मुद्रा जोखिम उत्पन्न होता है। ब्याज दर जोखिम जोखिम मुख्य रूप से समय की अवधि में ब्याज दरों में बदलाव से होता है। आईआईएफसीएल को अपनी व्यावसायिक गतिविधि के एक हिस्से के रूप में बाजार जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

iii. **तरलता जोखिम** – तरलता जोखिम संस्थान की फंडिंग आवश्यकताओं को पूरा करने या उचित मूल्य पर उधार ली गई धनराशि का उपयोग करके लेनदेन निष्पादित करने में विफलता के कारण हानि का जोखिम है। ये बाजार तरलता जोखिम या वित्तपोषण तरलता जोखिम हो सकते हैं। आईआईएफसीएल पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखकर और पर्याप्त मात्रा में संयुक्त क्रेडिट लाइनों के माध्यम से फंडिंग तक पहुंच करके तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है।

iv. **परिचालन जोखिम** – परिचालन जोखिम अपर्याप्त प्रणाली और नियंत्रण, सूचना प्रणाली में कमियों, मानवीय त्रुटि या प्रबंधन विफलता के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान का जोखिम है। आईआईएफसीएल की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति परिचालन जोखिमों का प्रबंधन करना चाहती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्नियां (कल्पित मूल राशि)	10,11,296.09	10,11,296.09	10,37,924.27	10,37,924.27
	बचाव के लिए	10,11,296.09	10,11,296.09	10,37,924.27	10,37,924.27
(ii)	बाजार से बाजार स्थितियां (1)	1,64,636.18	1,64,636.18	84,931.08	84,931.08
	क. आस्ति(+)	1,65,494.59	1,65,494.59	91,394.17	91,394.17
	ख. देयताएं (-)	(858.41)	(858.41)	(6,463.09)	(6,463.09)
(iii)	ऋण एक्सपोजर .	-	-	-	-
(iv)	बिना बचाव वाले एक्सपोजर	4,70,152.76	4,70,152.76	4,40,064.23	4,40,064.23

23.4 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	खातों की संख्या .	-	-
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का समस्त मूल्य (निवल प्रावधानों का)	-	-
(iii)	समस्त प्रतिफल . .	-	-
(iv)	पूर्व के वर्षों में स्थानांतरित खातों के परिप्रेक्ष्य में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल (लाभ)/हानि	-	-

23.5 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	बेचे गए खातों की संख्या . .	-	-
(ii)	कुल बकाया . .	-	-
(iii)	कुल प्राप्त प्रतिफल . .	-	-

23.6 आस्ति देयता प्रबंधन:

31 मार्च 2023 को आस्ति और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान:

(₹ लाख में)

विवरण	1 महीने तक	1 महीने से 2 महीने तक	2 महीने से 3 महीने तक	3 महीने से 6 महीने तक	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से 5 वर्ष तक	पूरे 5 वर्ष तक	कुल
देयताएं									
बैंक से उधार	8,22,260.84	-	-	-	1,89,971.04	4,37,293.91	91,260.76	3,28,667.60	18,70,209.15
बाजार से उधार	-	-	-	1,500.00	2,43,854.43	3,00,791.10	95,751.71	11,92,793.69	18,34,690.93
आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेश परिसंपत्ति के उधार आस्तियां	27,353.79	26,652.99	1,03,497.02	1,43,136.52	7,61,266.40	15,03,947.86	11,51,721.67	20,73,620.38	62,90,588.12
निवेश	1,13,117.89	2,314.92	42,699.84	28,775.92	1,62,493.08	-	-	5,29,760.00	8,99,935.80
निवेशी कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेशी कुल देयताएँ	9,201.72	3,788.15	26,388.02	9,880.44	51,000.22	2,13,183.77	2,29,733.20	11,03,192.04	16,47,169.49

31 मार्च 2022 को आस्ति और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान:

(₹ लाख में)

विवरण	1 महीने तक	1 महीने से 2 महीने तक	2 महीने से 3 महीने तक	3 महीने से 6 महीने तक	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से 5 वर्ष तक	पूरे 5 वर्ष तक	कुल
देयताएं									
बैंक से उधार	1,33,022.58	2,75,000.00	88,788.86	88,884.31	1,21,291.36	3,78,408.17	8,338.78	3,03,328.40	16,18,772.06
बाजार से उधार	-	-	-	-	1,64,306.29	3,40,354.45	791.10	12,88,545.40	19,98,997.24
आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेश परिसंपत्ति के उधार आस्तियां	2,05,133.55	31,788.94	1,68,809.90	1,28,974.20	5,99,645.62	17,43,483.42	14,04,101.63	22,62,446.61	63,31,906.86
निवेश	8,338.78	13,896.27	7,601.03	95,917.89	1,20,106.08	-	-	5,29,760.00	7,75,610.04
निवेशी कुल									
निवेशी कुल देयताएँ	3,397.00	-	29,610.26	8,232.36	41,859.24	1,88,916.36	2,02,649.19	10,88,186.24	15,62,850.67

23.7 एक्सपोजर

23.7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

31 मार्च 2023 (पिछले वर्ष शून्य) तक कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जोखिम नहीं है।

23.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर:

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 तक	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2022 तक
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी –उन्मुख म्युचुअल निधि की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है;	-	-
(ii)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या ब्यौरियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–उन्मुख म्युचुअल निधि की इकाइयों में निवेश के लिए स्पष्ट आधार पर अग्रिम;	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य हेतु अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी ओरिएंटेड म्युचुअल फंड को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-

क. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2023 तक	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2022 तक
(iv)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है;		
	शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति	-	
(v)	द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, जहां प्राथमिक सुरक्षा शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों के अलावा अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करता है;	-	-
(vi)	स्टॉक ब्रोकर्स को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vii)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों /बांडों / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या स्वच्छ आधार पर कॉर्पोरेट को स्वीकृत ऋण;	-	-
(viii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को दिए गए ऋणों को कम करना; उद्यम पूंजी निधियों में सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत	601.56	930.07

23.9 अतिरिक्त प्रकटीकरण: प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ लाख में)

क.सं.	लाभ और हानि के विवरण में परिलक्षित प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
(i)	एनपीए के लिए प्रावधान	2,72,430.18	3,40,102.15
(ii)	आयकर का प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	20,677.19	7,800.60
(iii)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (पुनर्गठित खातों और एसडीआर खातों सहित)	99,656.44	99,554.15

23.9 अग्रिमों का संकेंद्रण, एक्सपोजर और एनपीए:

(i) अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	29,27,536.45	27,92,393.46
एनबीएफसी के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	57.65%	56.93%

(ii) एक्सपोजर का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल एक्सपोजर	29,27,536.45	27,92,393.46
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	57.65%	56.93%

(iii) एनपीए का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2023	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2022
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	2,15,677.18	2,11,420.81

(iv) क्षेत्रवार–एनपीए

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	% एनपीए का सेक्टर: उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में	
		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	-	-
2	एमएसएमई	-	-
3	कॉर्पोरेट उधारकर्ता	8.91%	12.81%
4	सेवाएं	-	-
5	अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण	-	-
6	ऑटो ऋण	-	-
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

(v) एनपीए में उतार–चढ़ाव

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(i)	निवल एनपीए से निवल अग्रिम (%)		3.55%	6.24%
(ii)	एनपीए में उतार–चढ़ाव (सकल)			
	क)	प्रारंभिक शेष	6,35,023.05	8,22,040.19
	(ख)	वर्ष के दौरान जोड़/प्रत्यावर्तन	1,984.87	99,857.88
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौती/बट्टे खाते में डालना	1,84,268.5	2,86,875.02
	(घ)	अंतिम शेष	4,52,739.42	6,35,023.05
(iii)	निवल एनपीए की गतिविधि			
	क)	प्रारंभिक शेष	2,94,920.91	3,69,804.18
	(ख)	वर्ष के दौरान जोड़/प्रत्यावर्तन	1,104.83	59,017.98
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौती/बट्टे खाते में डालना	1,15,716.5	1,33,901.25
	(घ)	अंतिम शेष	1,80,309.24	2,94,920.91

क्र. सं.	विवरण		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)			
	क)	प्रारंभिक शेष	3,40,102.15	4,52,236.01
	(ख)	वर्ष के दौरान जोड़/प्रत्यावर्तन	880.04	40,839.90
	(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/प्रतिलेखन करना	68,552.01	1,52,973.76
	(घ)	अंतिम शेष	2,72,430.18	3,40,102.15

23.10 ग्राहकों की शिकायतें

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	531	821
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	531	821
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

23.11 अतिरिक्त प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रकटीकरण	टिप्पणी
(i)	अन्य वित्तीय नियामक से प्राप्त पंजीकरण / लाइसेंस/प्राधिकरण	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्राप्त कॉर्पोरेट पहचान संख्या U67190DL2006GOI144520
(ii)	ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और कंपनी द्वारा जारी	कंपनी द्वारा जारी घरेलू बांडों के लिए विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा एएए स्थिरांक सौंपा गया है। चालू वर्ष 2021-22 के दौरान रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
(iii)	किसी नियामक द्वारा लगाया गया दंड, यदि कोई हो,	शून्य
(iv)	सूचना अर्थात क्षेत्र, देश और संयुक्त उद्यम भागीदार	
	(क) संयुक्त उद्यम	नहीं
	(ख) कोई विदेशी सहायक कंपनियां	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी लंदन, यूनाइटेड किंगडम से संचालित होती है और भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है,

23.12 पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर तंत्र के तहत	एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र	अन्य ऋणदाता में					कुल ऋणदाता में				
	आस्ति वर्गीकरण		कुल	कुल	मानक	उप मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	उप मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण													
1	31.04.2022 को पुनर्गठित खाते	ऋणकर्ताओं की संख्या			22	1	14		37	22	1	14		37
		बकाया राशि			1,32,082.30	13,591.37	90,338.11		2,36,011.98	1,32,082.30	13,591.37	90,338.11		2,36,011.98
		उस पर प्रावधान			9,206.34	2,718.31	67,907.00		79,841.47	9,206.34	2,718.31	67,907.00		79,841.47
2	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नए पुनर्गठित	ऋणकर्ताओं की संख्या			2				2	2				2
		बकाया राशि			77,032.94				77,032.94	77,032.94				77,032.94
		उस पर प्रावधान			7,748.53				7,748.53	7,748.53				7,748.53
3	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी से उन्नयन	ऋणकर्ताओं की संख्या												
		बकाया राशि												
		उस पर प्रावधान												
4	पुनर्गठित मानक अवधि उ वित्तीय वर्ष के अंत में उक्त प्रावधान और/ या अतिरिक्त प्रोविजनिंग का जो आकस्मिक रूपसे बंद कर दिये हैं और पुनर्गठित अवधि जिसे वर्ष 2022-23 की शुरुआत में पुनर्गठित मानक अवधि के रूप में नहीं दिखाए जाने की आवश्यकता है	ऋणकर्ताओं की संख्या												
		बकाया राशि												
		उस पर प्रावधान												
5	अप्रत्याहरण वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	ऋणकर्ताओं की संख्या												
		बकाया राशि												
		उस पर प्रावधान												
6	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पुनर्गठित खातों का सही खाते में बट्टाखाते/पूर्ण भुगतान	ऋणकर्ताओं की संख्या			1	10		11		1	10		11	
		बकाया राशि	24,761.90	13,641.37	30,788.17		69,141.69	1,892.90	13,591.37	30,788.17		69,773.69		
		उस पर प्रावधान	1,459.30	2,718.31	46,399.23		50,576.84	251.47	2,718.31	46,399.23		50,580.61		
7	31.03.2023 को पुनर्गठित खाते (अंतिम अवधि)	ऋणकर्ताओं की संख्या			12		6		18	12		6		18
		बकाया राशि	1,84,353.29		99,549.94		2,43,903.23	1,84,353.29		99,549.94		2,43,903.23		
		उस पर प्रावधान	15,517.36		31,307.77		37,025.15	15,517.36		31,307.77		37,025.15		

23.13 विदेशी आस्ति (विदेश में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के लिए)

(₹ लाख में)

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम में अन्य भागीदार	देश	कुल आस्ति (₹ में राशि)
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	कोई नहीं	यूनाइटेड किंगडम	शून्य, आईआईएफसीएल के पास आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड की कोई विदेशी आस्ति नहीं है।

24. एनबीएफसी पर भारतीय रिजर्व बैंक के स्केल आधारित विनियमन के अनुसार प्रकटीकरण:

क) रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर: आईआईएफसीएल के रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर का खुलासा नोट 1 (बी) 24.7.1 में किया गया है।

ख) पूंजी बाजार में एक्सपोजरस: आईआईएफसीएल के पूंजी बाजार में एक्सपोजर का खुलासा नोट 1(बी) 24.7.2 में किया गया है।

ग) क्षेत्रीय प्रदर्शन:

(₹ लाख में)

सेक्टर	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल हैं)	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल हैं)	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत
प्रतिबंधित क्षेत्र	51,32,693.96	4,52,739.42	8.82%	49,87,280.73	6,35,023.05	12.73%

*बकाया शेष और बकाया ऋण पत्र शामिल है

घ) **इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर:** आईआईएफसीएल के इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर का खुलासा नोट 1 (ख) 6 (ग) में किया गया है।

ङ.) **अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर:** आईआईएफसीएल के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का खुलासा नोट 1(ख)15(ग) में किया गया है।

च) **संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:** आईआईएफसीएल के संबंधित पक्ष प्रकटीकरण का खुलासा नोट 1(ख) 6(ख) में किया गया है।

छ) **शिकायतों का खुलासा:** आईआईएफसीएल की शिकायतों का खुलासा नोट 1(बी) 23.7.10 में किया गया है। इसके अलावा, शिकायतों के आधारों की संख्या को अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ज) **अनुबंध का उल्लंघन:** शून्य

i) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन: शून्य

25. पूंजी प्रबंधन:

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति, इंड एएस 1 के पैरा 134-136 की आवश्यकता के अनुसार पूंजी प्रबंधन के संबंध में प्रकटीकरण के संदर्भ में, यह उल्लेख किया गया है कि आईआईएफसी एल एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) है (). आरबीआई विनियमों के अनुसार, आईआईएफसीएल को पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसे स्वामित्व वाली निधि कहा जाता है।

आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016, स्वामित्व वाले फंड का अर्थ है भुगतान की

गई इक्विटी पूंजी, वरीयता शेयर जो अनिवार्य रूप से इक्विटी, मुक्त भंडार में परिवर्तनीय है, शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि और परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले पूंजीगत भंडार, परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाए गए भंडार को छोड़कर, संचित हानि शेष, अमूर्त संपत्ति के बुक मूल्य और स्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, से घटाया जाता है।

भारत सरकार ने समय–समय पर आई आई एफ सी एल में पूंजी डाली है। इसने आईआईएफसी एल को आरबी. आई द्वारा निर्धारित पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल भारत सरकार के निर्देशों के अधीन पूंजी वाली शुद्ध स्वामित्व वाली निधि पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लाभांश के वितरण पर विचार करता है। के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं की रिपोर्टिंग वर्षों के दौरान पूंजी प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

26. वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने अपने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 5/1/2016–नीति दिनांक 27 मई 2016 के माध्यम से 'सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश' जारी किए। दिशानिर्देश लाभांश के भुगतान, बोनस शेयर जारी करने, शेयरों की बायबैक और पीएसयू द्वारा शेयरों के बंटवारे के लिए प्रदान करते हैं। बोनस शेयर जारी करने, शेयरों की पुनर्खरीद और शेयरों के बंटवारे के दिशानिर्देश आईआईएफसी एल पर लागू नहीं होते हैं। लाभांश के भुगतान के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईआईएफसीएल को न्यूनतम वार्षिक लाभांश पीएटी का 30% या निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन भुगतान करना आवश्यक था। हालांकि, आई आई एफ सी एल ने दिनांक 21 सितंबर 2016 के पत्र के माध्यम से सरकार से कम से कम 3 वर्षों के लिए लाभांश के भुगतान से छूट का अनुरोध किया था, जो वित्त वर्ष 2015–16 में ₹36,323.41 लाख, वित्त वर्ष 2016–17 में ₹37,119.74 लाख, ₹31,995.93 है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में लाख और वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹23,442.79 लाख और

वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹51,528.90। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने दिनांक 19 सितंबर 2019 के पत्र के माध्यम से सरकार से कम से कम लाभांश के भुगतान से छूट का अनुरोध किया था

वित्त वर्ष 2022–23. वित्त वर्ष 2021–22 के लाभांश का भुगतान ₹53,272.35 लाख है। आई आई एफ सी एल के पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है।

27. आई ए एफ सी एल ने पीएफसी (प्रमुख ऋणदाता) और आरईसी के साथ मिलकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 1x660 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना की स्थापना के लिए इंब–बराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड (आईबीपीएमएल) को आंशिक रूप से वित्त पोषित किया है। आईआईएफएल ने 250 करोड़ रुपये का आरटीएल स्वीकृत किया था और एक्सिस बैंक में रखे गए टीआरए खाते में 89.24 करोड़ रुपये वितरित किए थे। उधारकर्ता द्वारा टीआरए से प्राप्त धनराशि का अन्यत्र उपयोग कर लिया गया था। कंसोर्टियम ने ऋण वापस ले लिया था और 08 फरवरी, 2018 को ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस के पास एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी, जिसकी जांच चल रही है। 22 मार्च, 2018 को आयोजित बैठक में खाते के घटनाक्रम की सूचना आईआईएफसीएल बोर्ड को दी गई और धोखाधड़ी की घटना 28 मार्च, 2018 को आरबीआई को बताई गई।

28. पॉलिसी क्रमांक के अनुसार 1(क)(ii)2.2(क)(क)] अग्रिम शुल्क, प्रोफेशनल शुल्क या कोई अन्य शुल्क जो सीधे ऋण परिसंपत्तियों के लिए जिम्मेदार है, जो कुल आय का 0.5% से अधिक नहीं है, शुरू में लाभ और हानि के विवरण में संचय के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

29. भारत सरकार ने 9 फरवरी 2012 के पत्र के माध्यम से आईआईएफसीएल को सूचित किया कि यह निर्णय लिया गया है कि 41% की सीमा तक राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) की इक्विटी आईआईएफसीएल द्वारा अधिग्रहित की जाएगी, इसके बावजूद कि आईएआई एफसी एल को सिक्योरिटी, स्कीम फॉर फाइनेंसिंग वायबल इंफ्रा के अनुसार इक्विटी शेयर हासिल करना अनिवार्य नहीं है।

30. आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत नहीं है और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अनुसूची III के डिवीजन II के अनुसार समेकन के लिए तैयार किया गया है जबकि आईआईएफसीएल एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है और अनुसूची III के डिवीजन III के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किया है।

31. 27 मार्च 2021 और 17 अप्रैल 2021 के COVID–19 नियामक पैकेज से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, RBI ने वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और NBFC को किश्तों के भुगतान पर 3 महीने की मोहलत देने की अनुमति दी। सभी सावधि ऋण जो 29 फरवरी 2021 को मानक संपत्ति थे। इसका उद्देश्य उधारकर्ताओं की कठिनाई को कम करने में मदद करना था जो राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण हुई थी। 1 मार्च 2021 और 31 मई 2021 के बीच आने वाली मूलधन/या ब्याज घटकों आदि सहित सभी किश्तों के भुगतान पर शुरुआत में तीन महीने के लिए रोक दी गई थी। 22 मई 2021 को, आरबीआई ने इस रोक की अवधि को 3 महीने यानी अगस्त तक बढ़ा दिया। 31, 2021, अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण के बकाया शेष पर ब्याज लगता रहा। उन सभी खातों के लिए जहां स्थगन दिया गया था, स्थगन अवधि के दौरान खातों की उम्र बढ़ने की स्थिति स्थिर रही। ऋणदाताओं को अपने ग्राहकों को अधिस्थगन की पेशकश करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करने की आवश्यकता थी। ऋणदाताओं ने श्ऑप्ट–इनश या श्ऑप्ट–आउटश संरचना में अधिस्थगन की पेशकश करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया है।

म्ब्क्ष ने छप परिपत्रों के अनुसार मार्च 2021 से अगस्त 2021 की अवधि के लिए दिए गए सावधि ऋणों के पात्र मामलों में ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए अधिस्थगन बढ़ा दिया है। ऐसे मामलों में बनाई गई सुविधा का पुनर्भुगतान मूल सावधि ऋण की पुनर्भुगतान अवधि के भीतर निर्धारित किया गया है। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल ने 1 जुलाई 2015 के निर्देश संख्या डीसीबी.बीपीडी (पीसीबी) एफसी संख्या 12/09.14.000/2015–16 के संदर्भ में इसे पुनर्गठन के रूप में माने बिना अधिस्थगन ऋण मामलों में अस्थगित ब्याज आय को मान्यता दी। म्ब्क्ष ने दिनांक 12 नवंबर 2021 के पत्र के माध्यम से छप से यह मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया कि म्ब्क्ष द्वारा ब्याज आय की मान्यता नियामक अनुरूपता के अनुरूप है। इस संबंध में आरबीआई का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2022 तक, म्ब्क्ष ने रुपये की अप्राप्त ब्याज आय की मान्यता को स्थगित कर दिया है। बाद में वसूली तक अधिस्थगन ऋण मामलों पर अधिस्थगन अवधि के लिए 45,914.50 लाख रु.।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, IIFCL को ₹10,652.55 लाख की पुनर्भुगतान राशि प्राप्त हुई है।

32. 'कोविड 19 नियामक पैकेज की समाप्ति के बाद संपत्ति वर्गीकरण और आय पहचान' पर आरबीआई परिपत्र दिनांक 07.04.2022 के निर्देशों के अनुसार, बैंक उन सभी उधारकर्ताओं सहित सभी उधारकर्ताओं से वसूले गए 'ब्याज पर ब्याज' को वापस/समायोजित करेगा। स्थगन अवधि यानी 01.03.2021 से 31.08.2021 के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाया, भले ही स्थगन का लाभ पूरी तरह या आंशिक रूप से लिया गया हो, या नहीं लिया गया हो। इन निर्देशों के अनुसार, विभिन्न सुविधाओं के लिए वापस की जाने वाली/समायोजित की जाने वाली राशि की गणना की पद्धति को सभी ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा अपनाने के लिए अन्य उद्योग प्रतिभागियों/निकायों के परामर्श से भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। तदनुसार, आईबीए ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2022 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार रिफंड/समायोजन के लिए अंतिम रूप दी गई कार्यप्रणाली की जानकारी दी है। तदनुसार, म्ब्क्ष ने 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान 2,500 लाख रुपये की ब्याज आय पर ब्याज की अनुमानित राशि को मान्यता नहीं दी है।

33. रुपये का समायोजन लंबित है, ऋण में शामिल 2,998.21 लाख रुपये एसएपी प्रणाली में रूटिंग लेजर में स्वचालित रूप से उत्पन्न शेष राशि है जिसके माध्यम से एक लेनदेन सीएलएम मॉड्यूल से एसएपी के एफआईसीओ मॉड्यूल में रूट किया जाता है। हालांकि यह कोई वास्तविक अंतर नहीं है और प्रकृति में तकनीकी होने के कारण, लेनदेन को एसएपी सलाहकार द्वारा प्रदान किए गए समाधान के आधार पर संबंधित बहीखातों में पार्क किया जाएगा। रकम कोई खास नहीं है।

34. भारत की कर दर इंड एएस (2) के द्वारा कर राजस्व तथा लेखांकन लाभ के बहुगुणन का समाधान:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर पूर्व लाभ	1,46,277.51	71,716.84
सांविधिक आयकर दर	25.168%	25.168%
अपेक्षित आयकर व्यय	36815.12	18,049.70
आयकर समायोजन का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम की धारा 36(1) के तहत कटौती का लाभ –		-
निवल प्रावधान अस्वीकृत	(19,658.03)	(12,573.63)
आयकर की गैर–अनुमति	1,372.63	6,080.66
विगत वर्ष के आयकर	(54.68)	(2,169.92)
अन्य	10,544.5	3,809.73
आस्थगित कर	(8,342.35)	(5,395.94)
कर व्यय	(20,677.19)	(7,800.60)

35. परिशोधन लागत/उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य माप पदानुक्रम:

क. उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1– समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर 2– स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी व्युत्पन्न रूप की कीमतों) देखने योग्य हैं।

स्तर 3– परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अअवलोकन योग्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्तियां:			
परिशोधन लागत	-	-	69,91,271.10
एफवीटीपीएल	-	51,186.30	30,315.58
वित्तीय देयता:			
परिशोधन लागत	19,15,158.70	-	35,52,983.02

विवरण	31.03.2022		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्तियां:			
परिशोधन लागत	-	-	67,14,854.48
एफवीटीपीएल	-	60,879.26	93,752.63
वित्तीय देयता:			
परिशोधन लागत	30,90,677.06	-	21,97,974.71

1.2. वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023		31.03.2022	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय आस्ति	70,72,772.98	70,72,772.98	68,69,486.37	68,69,486.37
वित्तीय देयताएं	54,68,141.72	54,68,141.72	52,88,651.77	52,88,651.77

36. चरण-वार एक्सपोजर और हानि क्षति का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
31 मार्च 2023 तक				
कुल एक्सपोजर	44,06,200.36	2,16,885.17	4,52,739.57	50,75,825.10
हानि भत्ता	62,721.47	36,934.66	2,72,430.60	3,72,086.73
ईसीएल%	1.42%	17.03%	60.17%	7.33%
31 मार्च 2022 तक				
कुल एक्सपोजर	40,63,132.65	2,54,559.36	6,35,023.06	49,52,715.08
हानि भत्ता	58,541.12	41,013.02	3,40,102.16	4,39,656.30
ईसीएल%	1.44%	16.11%	53.56%	8.88%

37. आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानों के समाधान के लिए प्रकटीकरण और चरणवार अपेक्षित ऋण हानि:

(₹ लाख में)

भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखा-मान मानक के अनुसार सकल वित्तीय राशि	भारतीय लेखांकन मानक 109 में अपेक्षित हानि भत्ता(प्रावधान)	निवल वित्तीय राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भारतीय लेखांकन मानक 109 के प्रावधानों एवं आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)-(4)	-6	(7) = (4)-(6)
अर्जक आस्तियां						
मानक	चरण 1	44,06,200.36	62,721.47	43,43,478.89	17,359.57	45,361.90
	चरण 2	2,16,885.17	36,934.67	1,79,950.51	9,599.32	27,335.34
	एक्सपोजरएल	3,766.67	3,766.67	-	3,766.67	-
उप-योग		**46,26,852.21**	**1,03,422.80**	**45,23,429.40**	**30,725.56**	**72,697.24**
अनर्जक आस्तियां (एनपीए)						
उपमानक	चरण 3	**1,994.87**	**880.04**	**1,114.83**	**198.49**	**681.56**
संदिग्ध -1 वर्ष	चरण 3	86,620.59	41,721.42	44,899.17	19,376.99	22,344.43
1 से 3 वर्ष तक	चरण 3	67,780.04	48,590.09	19,189.94	20,731.42	27,858.66
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	2,94,384.07	1,81,239.04	1,13,145.02	2,57,487.96	(76,248.92)
संदिग्ध का उप-योग		4,50,754.69	2,71,550.56	1,79,204.13	2,97,496.38	(25,945.82)
हानि	चरण 3	-	-	-	-	-
एनपीए का उप-योग		**4,52,739.56**	**2,72,430.60**	**1,80,308.96**	**2,97,694.86**	**(25,264.26)**
अन्य मदें जैसे कि गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं आदि जो भारतीय लेखांकन मानक 109 के कार्यक्षेत्र में आती हैं	चरण 1	-	-	-	-	-
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-

भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखाकंन मानक 109 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखा-कंन मानक के अनुसार सकल मालीय राशि	भारतीय लेखाकंन मानक 109 में अपेक्षित हानि भत्ता(प्रावधान)	निवल मालीय राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भारतीय लेखाकंन मानक 109 के प्रावधानों एवं आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)-(4)	-6	(7) = (4)-(6)
अ- बीम		-	-	-	-	-
	चरण 1	44,06,200.36	62,721.47	43,43,478.89	17,359.57	45,361.90
	एफआईटीएल	3,766.67	3,766.67	-	3,766.67	-
	चरण 2	2,16,885.17	36,934.67	1,79,950.51	9,599.32	27,335.34
कोष	चरण 3	4,52,739.56	2,72,430.60	1,80,308.96	2,97,694.86	(25,264.26)
	कुल	50,79,591.77	3,75,853.41	47,03,738.36	3,28,420.43	47,433.98

38. जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए और
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और से

कृते अग्रवाल और राजोरा
(फर्म पंजीकरण संख्या: 002405सी)

ह./-
अक्षय सेठी
साथी
सदस्यता संख्या: 539439

ह./-
पवन कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398

ह./
पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 6711526

ह./-
अभिरूप सिंह
(सम प्रबंध एवं कंपनी सचिव)

ह./
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक-सीएफओ)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.06.2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा गया है कि यह उनके द्वारा 13 सितंबर 2023 की संशोधित ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो 27 जून 2023 की उनकी पिछली ऑडिट रिपोर्ट का स्थान लेता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, धारा 129(4) अधिनियम (के साथ पठित) धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण ों का एक पूरक ऑडिट किया है। हमने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी), आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (सहायक कंपनी) के वित्तीय विवरण का पूरक ऑडिट किया, लेकिन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) का पूरक ऑडिट नहीं किया। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139 (5) और 143 (6) (ए) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (सहायक कंपनी) पर लागू नहीं होती हैं, जो अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए और अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालन के संबंधित कानूनों के तहत विदेशी देश में निगमित इकाई है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने न तो सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इस कंपनी का पूरक लेखा परीक्षण किया है। यह पूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षक के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है। पूरक ऑडिट के दौरान उठाए गए मेरे ऑडिट अवलोकनों में से एक को प्रभावी करने के लिए वैधानिक ऑडिटर द्वारा ऑडिट रिपोर्ट को संशोधित किया गया है।

इसके अलावा, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरण और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं:

ए 1 समेकित बैलेंस शीट

ए .1.1 देयताएं और इक्विटी

गैर–वित्तीय देनदारियाँ – अन्य गैर–वित्तीय देनदारियाँ (नोट संख्या 19)

विविध देनदारियाँ खाता (ब्याज पूंजीकरण): ₹301.03 करोड़

ब्याज आय (नोट संख्या 22): ₹4,680.17 करोड़

वित्तीय वर्ष 2020–21 (सी एंड एजी की टिप्पणियों के आधार पर) के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संदर्भ आमंत्रित किया गया है, जिसमें यह बताया गया था कि कर पूर्व लाभ को ₹459.15 करोड़ से कम दिखाया गया था और ब्याज आय जो सावधि ऋणों पर अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्जित हुई को विविध देनदारियों को उलटने के कारण उसी राशि से अधिक बताया गया था। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल, कंपनी) ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की, और यह टिप्पणी की गई (टिप्पणी संख्या ए .1 के माध्यम से) कि कंपनी ने नकद आधार पर ₹60.46 करोड़ की स्थगित ब्याज आय को मान्यता दी और ₹398.69 करोड़ की शेष ब्याज आय को मान्यता नहीं दी गई जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन के संचय आधार का अनुपालन नहीं हुआ।

चालू वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी को आस्थगित ब्याज आय 107.01 करोड़ प्राप्त हुई, जिसे नकद आधार पर आय के रूप में मान्यता दी गई है, हालांकि, ₹301.03 करोड़ की शेष ब्याज आय को मान्यता नहीं दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन के संचय आधार का गैर–अनुपालन हुआ।

इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि की ब्याज आय को ₹408.04 करोड़, विविध देनदारियों खाते (ब्याज पूंजीकरण) को ₹301.03 करोड़ और अन्य आय को ₹107.01 करोड़ से कम बताया गया है। परिणामस्वरूप, वर्ष का लाभ भी ₹301.03 करोड़ से कम बताया गया है।

ए.1.2 संपत्ति

वित्तीय संपत्ति – ऋण (नोट संख्या 5): ₹50,823.34 करोड़

देयताएं

गैर–वित्तीय देनदारियां – प्रावधान (नोट संख्या 18): ₹3,786.95 करोड़

1) वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5.3 (ए) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जो यह निर्धारित करता है कि, जिन परियोजनाओं में परियोजना प्राधिकरण द्वारा रियायत समझौते (सीए) को समाप्त कर दिया गया है, ऋण खाते को वित्तीय वर्ष में मान्यता रद्द कर दी जाती है जिसमें अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, नीति 5.3 (डी) में कहा गया है कि, "रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना (एसडीआर), तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की स्वतः संरचना के लिए योजना (एस4ए), बाहरी रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) योजना के तहत मामलों के अलावा एक ऋण परिसंपत्ति आरबीआई विनियमों के अनुसार लागू होती है और आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/131 डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017–18 दिनांक 12 फरवरी 2018 या किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत पुनर्गठन/निपटान प्रक्रिया के अनुसार 5 वर्ष से अधिक समय से गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है या परियोजना के निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन में 4 वर्ष से अधिक की देरी हुई है, जब तक कि ऋण परिसंपत्ति की बिक्री/प्राप्ति के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध न हो, तो ऋण परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

(ए) मेसर्स इंदौर देवास टोलवेज लिमिटेड (आईडीटीएल) का ऋण खाता आईआईएफसीएल (कंपनी) के साथ अतिदेय था और 31 दिसंबर 2019 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। 31 मार्च 2023 तक आईडीटीएल के खिलाफ मूल बकाया ₹116.02 करोड़ है, जिसके विरुद्ध प्रावधान ₹93.61 करोड़ (80.68 प्रतिशत) बनाया गया है। परियोजना प्राधिकरण (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने भी रियायतग्राही (आईडीटीएल) की ओर से विभिन्न दोषों का हवाला देते हुए 16 दिसंबर 2022 को परियोजना को समाप्त कर दिया। ऋणदाताओं ने ऋण वसूली के लिए एक संयुक्त मुकदमा दायर किया है जो ऋण वसूली न्यायाधिकरण, हैदराबाद में लंबित है।

यद्यपि ऋण परिसंपत्ति की वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध नहीं था, लेकिन इसकी मान्यता रद्द नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीति और लेखांकन के रूढ़िवाद सिद्धांत का अनुपालन नहीं हुआ।

i) (ए) मेसर्स इंदौर देवास टोलवेज लिमिटेड (आईडीटीएल) का ऋण खाता आईआईएफसीएल (कंपनी) के साथ अतिदेय था और 31 दिसंबर 2019 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। 31 मार्च 2023 तक आईडीटीएल के खिलाफ मूल बकाया ₹116.02 करोड़ है, जिसके विरुद्ध प्रावधान ₹93.61 करोड़ (80.68 प्रतिशत) बनाया गया है। परियोजना प्राधिकरण (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने भी रियायतग्राही (आईडीटीएल) की ओर से विभिन्न दोषों का हवाला देते हुए 16 दिसंबर 2022 को परियोजना को समाप्त कर दिया। ऋणदाताओं ने ऋण वसूली के लिए एक संयुक्त मुकदमा दायर किया है जो ऋण वसूली न्यायाधिकरण, हैदराबाद में लंबित है।

यद्यपि ऋण परिसंपत्ति की वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध नहीं था, लेकिन इसकी मान्यता रद्द नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीति और लेखांकन के रूढ़िवाद सिद्धांत का अनुपालन नहीं हुआ।

इसके परिणामस्वरूप ऋणों में ₹116.02 करोड़, प्रावधानों में ₹93.61 करोड़ और वर्ष के लिए लाभ में ₹22.41 करोड़ (₹116.02 करोड़ घटा ₹93.61 करोड़) से अधिक वृद्धि हुई है।

(बी) आईआईएफसीएल (कंपनी) ने डिजाइन पर पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर से बहरामपुर तक 78 किमी लंबे खंड के विकास के लिए मेसर्स एसईजेएल कृष्णानगर बहरामपुर हाईवे लिमिटेड (एसकेबीएचएल) को ₹100 करोड़ (₹99.82 करोड़ वितरित) का ऋण (मई 2011), जुलाई 2014 की निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) के साथ वार्षिकी आधार पर निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के लिए स्वीकृत किया [1]। हालांकि, परियोजना में पर्याप्त देरी के कारण एसकेबीएचएल आईआईएफसीएल के बकाया का भुगतान नहीं कर सका और ऋण खाता 30 जून 2018 तारीख को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। अनंतिम सीओडी साढ़े पांच साल की देरी से फरवरी 2020 में हासिल किया गया था और सीओडी अभी तक हासिल नहीं किया गया है। 31 मार्च 2023 तक एसकेबीएचएल पर मूल बकाया ₹99.82 करोड़ है, जिसके विरुद्ध ₹78.99 करोड़ (79.13 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक (अग्रणी बैंक) ने अपना हिस्सा एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (मेसर्स एसीआरई) को जुलाई 2023) बेच दिया है। आईआईएफसीएल भी इसी तर्ज पर अपना शेयर बेचने की संभावना तलाश रही है।

यद्यपि ऋण परिसंपत्ति की वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध नहीं था, लेकिन इसकी मान्यता रद्द नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीति और लेखांकन के रूढ़िवाद सिद्धांत का अनुपालन नहीं हुआ।

इसके परिणामस्वरूप ऋणों में ₹99.82 करोड़, प्रावधानों में ₹78.99 करोड़ और वर्ष के लिए लाभ में ₹20.83 करोड़ (₹99.82 करोड़ घटा ₹78.99 करोड़) से अधिक वृद्धि हुई है।

ii) आईआईएफसीएल (कंपनी) ने ईस्ट हैदराबाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (ईएचईएल) को डिजाइन, निर्माण, विकास, वित्त, संचालन और रखरखाव के लिए ₹109.23 करोड़ (प्रत्यक्ष ऋण के तहत ₹44 करोड़ और टेक-आउट वित्त योजना के तहत ₹65.23 करोड़) का ऋण स्वीकृत किया। हैदराबाद में आठ लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे परियोजना। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लगाई गई रोक के कारण खाता (31 मार्च 2019) गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गया।

आईआईएफसीएल ने अपने हिस्से के ₹37.38 करोड़ के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओ टी एस) प्रस्ताव (17 जून 2022) को स्वीकार कर लिया, जिसमें से ₹27.38 करोड़ पहले ही वसूल किए जा चुके थे और शेष ₹10 करोड़ एस्क्रो खाते में उपलब्ध धनराशि से वसूल किए जाने थे। कंपनी को 29 सितंबर 2022 को यह प्राप्त हुआ और 01 दिसंबर 2022 को ईएचईएल को 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' जारी किया गया।

हालांकि, ₹4.74 करोड़ की मूल राशि अभी भी 31 मार्च 2023 तक ईएचईएल के खिलाफ बकाया के रूप में दिखाई गई है, जिसके विरुद्ध ₹2.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप ऋण को ₹4.74 करोड़, प्रावधान को ₹2.10 करोड़ और वर्ष के लिए लाभ को ₹2.64 करोड़ (4.74 करोड़ घटा 2.10 करोड़) से अधिक बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह./-
(एस अहलादिनी पांडा)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
(उद्योग और कॉर्पोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 सितंबर 2023

---

1 एनसीएलएटी ने दिनांक 15.10.2018 के आदेश के तहत आईएल एंड एफएस और इसकी 348 समूह कंपनियों की संपत्तियों पर कराए गए किसी भी बुकिंग हित को जब्त करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी।

फॉर्म ए ओ सी–आई

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग 'ए' : सहायक कंपनियाँ

क्र सं.	विवरण	I	II	III	
1	सहायक कंपनी का नाम	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड	USD
				INR	USD
2	वह तारीख जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया था	14–फरवरी –2012	28–मार्च –2012	07– फरवरी –2008	
3	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग करना	लागू नहीं	लागू नहीं	यू एस डी (31 मार्च 2023 को विनिमय दर यू एस डी 1= ₹ 82.2169)	
5	शेयर पूंजी	475.00	1,250.00	61,180.95	100.00
6	आरक्षित एवं अधिशेष	1,972.09	1,666.12	–40,625.93	–75.00
7	कुल संपत्ति	2,909.69	3,188.96	12,50,702.39	1,521.22
8	कुल देनदारियाँ	462.71	272.83	12,30,147.37	1,496.22
9	निवेश	शून्य			शून्य
10	कारोबार	1,453.84	717.60	66,548.30	82.17
11	कराधान से पहले लाभ	206.69	273.18	18,119.28	22.93
12	कराधान के लिए प्रावधान	50.01	68.81	438.56	0.53
13	कराधान के बाद लाभ	156.68	204.37	17,680.72	22.40
14	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	
15	शेयरधारिता का %	100%	100%	100%	

टिप्पणियाँ:

1. सहायक कंपनियां जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है– शून्य
2. सहायक कंपनियाँ जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या बिक्री कर दी गई है। शून्य
3. आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड की वित्तीय में गैर–वित्तीय देनदारियों में ऋण परिसंपत्तियों पर प्रावधान का खुलासा करने के लिए समायोजन आईएनआर में रूपांतरण से पहले किया गया है।

भाग "बी" : सहयोगी और संयुक्त उद्यम

लागू नहीं

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

अग्रवाल और सक्सेना के लिए
(फर्म पंजीकरण संख्या: 002405सी)

ह./–
अक्षय सेठी
साथी
सदस्यता संख्या: 538439

ह./–
पवन कुमार
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8901398

ह./
पीआर जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 8711526

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.06.2023

ह./–
अभिरूप सिंह
(सम प्रबंध एवं कंपनी सचिव)

ह./
राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक–सीएफओ)

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन: U67190DL2006GOI144520
पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, ब्लॉक–2, प्लेट ए एण्ड बी, एनबीसीसी टॉवर,
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023
फोन: 91–11–24662777, फैक्स: 91–11–20815125
ईमेल: info@iifcl.in; **वेबसाइट:** www.iifcl.in

उपस्थिति पर्ची

उपस्थित होने वाले सदस्य का नाम (साफ–साफ अक्षरों में)	
डीपीवी संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रतिनिधि का नाम (यदि सदस्य के स्थान पर प्रतिनिधि उपस्थित होता है तो साफ–साफ अक्षरों में भरना अनिवार्य है)	

मैं, शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को शाम 4.00 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 में आयोजित कंपनी की 18वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं।

सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

टिप्पणियाँ:

1. उपस्थिति पर्ची पर कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ऐसी विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची कार्यक्रम स्थल पर कंपनी सचिव को सौंपी जानी चाहिए।
2. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पहचानसत्यापन के लिए फोटो–1डी कार्ड अपने साथ रखें।
3. केवल व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित शेयरधारकों पर ही विचार किया जाएगा।
4. वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार वितरित नहीं किया जाएगा।

फॉर्म नंबर एमजीटी 11

छद्म प्रारूप

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105(6) और कंपनी के नियम 19(3) के अनुसार
(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014)
सीआईएन: U67190DL2006GOI144520
कंपनी का नाम: इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: पंजीकृत कार्यालय: प्लेट ए एंड बी, 5वीं मंजिल,
कार्यालय ब्लॉक 2, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

सदस्य(यों) का नाम:	
पंजीकृत पता:	
ईमेल आईडी:	
फोलियो संख्या / क्लाइंट आईडी:	
डीपी आईडी:	

मैं/हम उपरोक्त कंपनी के _____ सीधी का/के सदस्य होने के नाते

1. नाम : _____
   पता : _____
   ईमेल आईडी : _____
   हस्ताक्षर : _____, या उनके अनुपस्थित होने पर
2. नाम : _____
   पता : _____
   ईमेल आईडी : _____
   हस्ताक्षर : _____, या उनके अनुपस्थित होने पर
3. नाम : _____
   पता : _____
   ईमेल आईडी : _____
   हस्ताक्षर : _____

15वीं वार्षिक आम सभा, जिसका स्थान शुक्रवार 29 सितम्बर, 2023 को अपराह्न 4:00 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 में किया जाएगा, में मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने, मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना/हमारा प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं/करते हैं और वह नीचे अंकित ऐच्छिकताओं के संबंध में किसी स्थगन पर मत दे सकते हैं :

संकल्प संख्या

1- _____

2- _____

3- _____

_____ 2023 के इस _____ दिन का हस्ताक्षर किए गए

रु1 का राजस्व
मुद्रण लगाएं

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्रतिनिधि पत्र को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत पूरा कर कम से कम बैठक के आयोजन से 48 घंटे पूर्व पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए।

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
India Infrastructure Finance Company Limited
(A Govt. of India Enterprise)

भविष्य की नींव का निधिकरण...
Funding Foundation of the Future...

- प्रत्यक्ष ऋण
- अधीनस्थ ऋण
- पुनर्वित्त
- टेकआउट वित्त
- क्रेडिट इन्हैंसमेंट
- इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स)
- इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बांड

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL), 2006 में स्थापित भारत सरकार (जीओआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में खेल रही है व्यावसायिक रूप से दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्रिय भूमिका देश में परिवहन जैसे क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, ऊर्जा, जल स्वच्छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा आदि के साथ और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी परियोजनाओं) को प्राथमिकता दी जाएगी।

सहयोगी कम्पनी

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड
इंडिया एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:
छठा तल, ब्लॉक 2, प्लॉट ए एन सी, इन्फीनिटी टावर, हेल्थ विलेज नगर, नई दिल्ली-110 023
टेलीफोन:+91-11-24882777, फैक्स:+91-11-23708258, 23708261 | सीआईएन नं.: U67190DL2006GOI144520
Email: information@IIFCL.in | Website : www.IIFCL.in
Follow us on: @IIFCL @IIFCL

आई आई एफ सी एल

IIFCL

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

5वां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए एवं बी, एनबीसीसी टावर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

टेलीफोन:+91–11–24662777, फैक्स:+91–11–20815125, 20815117

वेबसाइट: www.iifcl.in

सहयोगी कम्पनी

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस कम्पनी (यूके) लिमिटेड

IIFC(UK)

(आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित वाली सहायक कंपनी)

एफसीआरएन: 06406661

3वा तल, 72, किंग्स विलियम स्ट्रीट,

लंदन ईसीएन 7एचआर यूनाईटेड किंगडम

टेलीफोन:+44–20–77608950, फैक्स:+44–20–77608958

ईमेल: www.iifcl.in, वेबसाइट: www.iifcl.org.uk

इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

I P L

(आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन: U74999DL2012GOI231473

पंजीकृत ऑफिस: 5वा तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए, एनबीसीसी टावर,

ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

टेलीफोन:+91–11–24665731, फैक्स:+91–11–23738804

ईमेल: contact@iiflprojects.com, वेबसाइट: www.iiflprojects.com

इंडिया एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड

IAMCL

(आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन: U65991DL2012GOI233601

पंजीकृत ऑफिस: 5वा तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए, एनबीसीसी टावर,

ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

टेलीफोन:+91–11–24665900–10, फैक्स:+91–11–23446119

ईमेल: complianceoffice@iiflcmf.com, वेबसाइट: www.iiflcmf.com